(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम विधान सभा के पंचम् सत्र का 13वां दिवस [संख्या 9

गुरुवार,

दिनांक 14 मार्च, 1974

[विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई ।]

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, गृह, यातायात, विद्युत्, उद्योग एवं आयुर्वेद विभाग) ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

विराट नगर तहसील क्षेत्र के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

179. श्री **हनुमानसहाय** (बैराठ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि विराट नगर तहसील के अनेक सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी तथा मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध जनता एवं विद्यालय के स्टॉफ की ओर से काफी दिनों से शिकायतें हैं ? यदि हां, तो किस-किस अध्यापक के और प्रधानाध्यापक के विरुद्ध ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या कुछ अध्यापकगण के विरुद्ध सक्रिय राजनैतिक आधार पर स्कूलों में तथा गांवों में कार्य करने की भी जनता एवं विद्यार्थियों की ओर से शिकायतें हैं ?

(3) क्या यह सच है कि शिकायतों पर विभाग द्वारा जांच कर निर्णय नहीं किया जाता है, यदि नहीं तो जांच करके क्या-क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, निम्नलिखित प्रधान अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं:—

1. श्री ओंकारनाथ प्र० अ०, उ० मा० विद्यालय, जाजिया कलां ।
2. श्री इन्द्रमल राठी, प्र० अ०, उ० मा० वि०, पावटा ।
3. प्र० अ०, मा० वि०, आन्तेला ।
4. प्र० अ०, उ० प्रा० वि०, रामपुरा, बैराठ ।

(2) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(शिक्षा मंत्री)

(3) यह सही नहीं है। जांच करने पर शिकायतें तथ्यहीन पाई गई।

श्री हनुमानसहाय व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जाजिया कलां हैड-मास्टर के खिलाफ कोई शिकायत पाई गई है? इन्होंने एक मास्टर को रिलीव कर दिया। उसको वापस भेजा गया तो 20 दिन तक मास्टर को ड्यूटी पर नहीं लिया। उसकी आप जांच करवाइये। दूसरी बात यह सूचना बिल्कुल अधूरी है। मैं सब सदन की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि हैडमास्टर जाजिया कलां की ओर शिकायतें आई हैं। बिलान्दपुर हैडमास्टर और ब्राह्मण बच्चों में झगड़ा हुआ। हैड-मास्टर के खिलाफ केस बनाया गया है। उसकी कोई जांच नहीं की गई है। जब कि अभी अमरसर के हैडमास्टर के खिलाफ शिकायत की गई है। वहां पर लड़कों ने स्ट्राइक की है। उन लड़कों को 15 मील दूर पकड़ कर ले जाकर छोड़ा गया। वह 15 मील से रात को पैदल चलकर पहुंचे। क्या माननीय मन्त्री महोदय ने इसकी जांच करवाई है? दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने कहा है कि और कोई शिकायत नहीं है। शिक्षा-मन्त्री के दस्तखतों से मुख्य मन्त्री को सूचना पहुंची है। आपके द्वारा शिकायत की जांच करवाई जा रही है। क्या मंत्री महोदय इनकी जांच करवा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जितनी विभाग में शिकायतें जाजिया कलां, पावटा, आन्तेला और रामपुरा के बारे में आई वह आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। इनके मुख्य अध्यापकों की शिकायतें की थीं। मैं एक-एक करके बता भी सकता हूं लेकिन सूची आपको मिल गई है। जहां तक शिकायतों की बात है, वह तथ्यहीन हैं। लेकिन आपने अमरपुर का बताया है। लड़कों ने स्ट्राइक की है। लिहाजा मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसकी जांच एक निष्पक्ष अधिकारी से करवायेंगे और उसके बाद आपको बता देंगे।

श्री हनुमानसहाय व्यास : आपने बताया कि शिकायतें तथ्यहीन हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि उस इलाके का इन्सपेक्टर इन्क्वायरी करने के लिए गया तो उनके सामने जो पैसे लड़कों से वसूल किये गये थे, इन्सपेक्टर ने मौके पर कहा है कि ये लौटाओ। उस समय लौटाये गये। जब कि वह रुपये बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्योरली राजनैतिक तरीके से प्रचार किया जाता है। जो रिपोर्ट दी है, उसको मैं चैलेन्ज करता हूं। आप तुरन्त हैडमास्टर की इन्क्वायरी करवायें। वह कितने दिन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेन्टरी पूछ रहे हैं?

श्री हनुमानसहाय व्यास : यह एक नहीं है। यह हैडमास्टर के द्वारा राजनैतिक क्षेत्रों में काम कराये गये हैं। दो साल से हालत बदली है। इसके कारण 67 में इस स्कूल का रिजल्ट 15% रहा है। आप इसके बारे में जानकारी करायें।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल पार्टीज में पोलिटिकल लेविल पर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। एकेडे-

(श्री केदारनाथ)
मिक लेविल पर पोलिटिकल पार्टीज में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ?

श्री खेतसिंह : पहले तो मैं यह उत्तर दे दूं कि ओंकारनाथ, जाजिया कलां को शिकायत खूबाराम, सरपंच, ग्राम जाजिया-कलां ने शिकायत की थी । इसमें यह बताया गया था कि यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घर पर काम लेते हैं । इन्स-पेक्टर ने जांच की । उसमें ज्यादा तथ्य नहीं है । शिकायत कोई माने नहीं रखती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : प्राइमाफेसी है, अधिक नहीं है ।

श्री खेतसिह : मैंने जैसा कि पूर्व में निवेदन किया है, मैं किसी और अधिकारी को लगाकर जितने स्कूलों के नाम बताये गये हैं, उन सारे स्कूलों के अध्यापकों की जांच करवा लूंगा । कोई तथ्य पाये गये तो कार्यवाही की जावेगी । दूसरे यह कि पालिटिकल पार्टीज के साथ काम नहीं कर सकते हैं । वैसे तो वह पार्टीज के साथ सक्रिय भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन राजनैतिक डिस्कशन्स में शामिल हों तो कोई बात नहीं है । वह उसमें उपस्थित रह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । 180

पिड़ावा-सुनेल सड़क पर पुलियों का निर्माण कार्य

180. श्री **हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिड़ावा-सुनेल रोड की 5-6 पुलियायें टूट गई थीं ? और जिन पर लाखों रुपये की लागत आई थी ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों ने गलत तरीकों से पुलियायें बनवाई थीं उन अधि-कारियों के खिलाफ आज तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : पुलियाएं नहीं टूटी हैं, किन्तु उनकी एप्रोच टूटी थी, जिनकी मरम्मत करा दी गई है।

श्री **हाजी जान मोहम्मद** : सदरे मोहतरिम, यह जो जवाब दिया गया है वह नाकाफी है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जिनकी वजह से यह नुकसान हुआ है । क्या वह जानकारी करायेंगे ? क्या सदन के अन्दर मिनिस्टर इस तरह से XXX बोलते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, I object to it. ऐसा नहीं है कि XXX बोलते हैं, जो इन्फार्मेशन देते हैं यह रिकार्ड के आधार पर देते हैं ।

श्री हाजी जान मोहम्मद : पिछले सदन में यह कहा था कि इसकी इन्क्वायरी कराई जायगी । इस तरह की बात कह कर सदन का समय बर्बाद किया गया था । यहां मिनिस्टर साहबान विश्वास दिलाते हैं, कहते हैं कि जांच करवाई जायगी, फिर भी जांच नहीं होती है, तो इनके खिलाफ कोनसा जाब्ता कानून है ? और इसकी क्या वजह है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ब्रीज ऑफ प्रिविलेज कर सकते हैं ।

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए ।

Page No 4

(4)

श्री हाजी जान मोहम्मद : इस सदन में बताया गया है, वह जवाब नाकाफी है। इन पुलियों पर पांच-छः लाख का खर्चा हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि क्या आप यह जांच करा सकते है कि वह पुलियाएं टूट गई हैं? अगर टूट गई हैं तो क्या इनको बनवा देंगे जल्दी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : खड़े है अभी। (विराम) खड़े थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : ब्रीज ऑफ प्रिविलेज का इश्यू उठायेंगे, XXX जवाब दिया गया है इसलिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : पिड़ावा-सुनेल रोड़ के ऊपर फेमिन के अन्दर पुलियां बनाई गई थी, वह ह्यूम पाइप लगा कर पुलिया बनाई गई। वह ठीक रही हैं, केवल एप्रोच, दोनों तरफ पानी ज्यादा आने से निकल गया है, पाइप डिस्टर्ब नहीं हुआ है। वह भी ठीक कर दिया है। आपने कहा कि इस पर पांच-छः लाख का खर्चा हुआ है, वह सही नहीं है, 1 लाख 788 रुपया खर्च हुआ था। अब पुलिया ठीक कर दी गई हैं। उसी सड़क पर तीन पुलियां और बन रही हैं, जिनका काम चल रहा है। जो बाढ़ आने से पहले बनी थीं, वह टूटी नहीं थी। अब दूसरी नये सिरे से बन रही हैं और उनका काम चल रहा है। अब भी आप कहते हैं कि पुलिया टूटी हैं तो स्पेसिफिक, किस मील से किस मील तक टूटी है, दे देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा और उत्तर में कुछ गलत बताया गया है तो उसकी जांच कर लूंगा और अगर गलत बताया है तो गलत बताने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। आप यह स्पेसिफिक बतायें कि जो पुलिया पूरी हो गई थी, वह टूट गई है तो मैं जांच कराऊंगा। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन में कोई XXX जवाब कभी भी नहीं दिया जाता है, कोई जवाब आधार के बिना नहीं दिया जाता है, रिकार्ड के बिना नहीं दिया जाता है और जो वस्तुस्थिति है वह बताने की कोशिश की जाती है। फिर भी माननीय सदस्य के दिमाग में गलती रह गई हो जवाब के अनुसार तो वह बता दीजिये, हम स्थिति स्पष्ट करने को तैयार हैं। लेकिन कृपया यह कहने का कष्ट न करिये कि मंत्री XXX बोलते है। हम जो कहते हैं वह रिकार्ड के आधार पर कहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रिकार्ड के आधार पर XXX बोलते है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां जो XXX बोलते हैं वह सत्य हो जाता है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मंत्रीजी ने बताया था कि इन्क्वायरी कराई जा रही है, वह आज तक नहीं कराई गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यहां दो शब्द काम में आते रहे हैं एक तो स्पीकर महोदय और दूसरा अध्यक्ष महोदय। क्या यह तीसरा शब्द व्यापक रूप लेगा, सदरे मोहतरम!

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : क्या आपको पसन्द है?

XXXये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : यह भी उसका पर्यायवाची है।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम !

टोड़ा-भीम के थानेदार के विरुद्ध मामले

181. श्री **चेतराम** (टोड़ाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के टोड़ाभीम थाने के भूतपूर्व थानेदार श्री अर्जुनलाल के विरुद्ध उसके द्वारा रिश्वत लेने, झूठे मुकदमे दर्ज करने, लोगों की मारपीट करने तथा शराब पीकर कस्बे में गाली-गलोच करने आदि की गम्भीर शिकायतें राज्य सरकार एवं पुलिस के उच्चाधिकारियों को की गई हैं ?

(2) यदि हां, तो अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार एवं स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायत करने वालों को डराया धमकाया जा रहा है और दवाब डाल कर शिकायतों के पक्ष में बयान न करने को कहा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके विरुद्ध निष्पक्ष जांच के लिये उसका तबादला डिवीजन से बाहर शीघ्र करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) थानेदार के विरुद्ध प्राप्त कुल 13 शिकायतों में से 8 की जांच करवाई जाने पर झूठी पाई गई हैं। 4 में जांच चल रही है, एक जांच आरोप प्रमाणित होने पर उसके विरुद्ध विभागीय जांच कर दी गई है।

(3) ऐसी शिकायत किसी व्यक्ति ने नहीं की है कि उस पर दवाव डाला गया हो या डराया धमकाया हो। थानेदार, श्री अर्जुनलाल का उस थाने से स्थानान्तर थाना गंगापुर सिटी कर दिया गया है।

श्री मीठालाल (लालसोट) : गंगापुर के भाग्य जाग गये।

श्री चेतराम : मंत्री महोदय ने बताया कि 13 में से 8 में जांच हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि 5 की जांच क्यों नहीं करवाई गई है ?

श्री अध्यक्ष : No talks please.

श्री चेतराम : दूसरा निवेदन है, जिनकी जांच की गई है उनकी एजेंसी क्या है, पुलिस प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन या ऊपर के पुलिस अधिकारी, सी. आई. डी. या एन्टी करप्शन से जांच कराई गई है ?

दूसरा निवेदन है जिन 4 में जांच चल रही है, उनकी एजेंसी क्या है ? और जिसमें थानेदार को दोषी पाया गया है उसकी एजेंसी क्या है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 8 शिकायतों की जांच कराई गई थी, उनकी एजेंसी है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच करवाई गई थी। जिनमें जांच बाकी है चार, उनमें से तीन की जांच हमारा सी. आई. डी. कर रहा है अपराध शाखा कर रही है। और एक में, जिसका नतीजा निकल चुका है, जांच पुलिस अधीक्षक ने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

की है। वह शिकायत उसके विरुद्ध सही पाई गई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं भी एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम ! प्रश्नकर्त्ता को पूछने दें।

श्री चेतराम : मैं निवेदन करूंगा. मंत्री महोदय ने बताया कि तीन को सी. आई. डी. से जांच हुई है, क्या यह उन चार में से है जिनमें एक में उसे दोषी पाया गया ? क्या इनकी जांच पुलिस अधीक्षक ने की है और तीन में निर्दोष प्रमाणित कर दिया गया है और एस. पी. ने कर दिया है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय ने बताया, एक में शिकायत सही पाई गई है, तो मैं जानना चाहूंगा, जो शिकायत सही पाई गई है वह क्या माइनर है, जिसके कारण उसको सस्पेण्ड नहीं किया है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है ? प्राइमाफेसी प्रूफ मिल जाने पर साधारण चपरासी तक को भी सस्पेण्ड कर दिया जाता है, लेकिन एक सब-इन्सपेक्टर जो रक्षक है कानून व्यवस्था का, उसके खिलाफ सीरिअस एक्शन नहीं लिया जाय और केवल उसका तबादला कर दिया गया, क्या यह आगे होने वाली जांच का उपहास नहीं है ? आप बतायें कि किस तथ्य को सही पाया गया है और आपने उसे सस्पेन्ड क्यों नहीं किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आरोप !

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह कौनसा आरोप था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आरोप जो सही पाया गया, वह दफा 55/109 का सही पाया गया। 55/109 का आरोप है, वह सीरिअस नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 55/109 का आरोप....

श्री रघुनाथ विश्नोई : निर्दोष आदमियों को उसने जेल में रख दिया क्या इसको आप सीरिअस आरोप नहीं मानते हैं ? क्या यह सीरिअस नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक व्यक्ति की लिबर्टी का अपहरण करे....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इससे बड़ा और क्या दोष होगा।

श्री चेतराम : मैं निवेदन करूंगा कि उसने गरीब और निर्दोष आदमियों को भले आदमियों को पकड़ कर जेल में डाल दिया....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके हिसाब से फिर सीरिअस आफेन्स क्या होता है ?

श्री चेतराम : मैं समझता हूं कि इस तरह के केस में तो मानहानि का केस किया जा सकता है। यह तो अपमान है कि दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया गया और निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि यह निर्दोष व्यक्तियों को अपमानित करते हैं और दण्ड देते हैं, उससे उनकी समाज में इज्जत गिरती है। ऐसा जुर्म करने वाला भी फिर उसी ओहदे पर रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि उसको सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 55/109 में किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर उसका रोंगफुल कन्फाइनमेंट किया जाय या रोंगफुल प्रासीक्यूशन किया जाय तो यह सीरिअस ऑफेन्स है। यह इन्सान की इज्जत से सम्बन्धित है। इसको यह कह कर टाल दें कि माइनर आफेन्स है, तो मैं समझता हूं कि यह आप पर रिफ्लेक्ट करता है कि आप किसी भी व्यक्ति की लिबर्टी को साफ तरीके से इग्नोर करना चाहते हैं। 55/109 में किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पकड़ कर, चालान करके जेल में डाल दिया जाय रोंगफुल कन्फाइनमेन्ट किया जाय, रोंगफुल प्रासीक्यूशन किया जाय तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस करना चाहिए। अन्यथा यह होगा कि आप इस प्रकार के व्यक्तियों को खुली छूट दे देंगे। आपने अभी सदन में कहा है कि 55/109 में सब-इन्सपेक्टर ने निर्दोष व्यक्तियों को जेल में डाल दिया, वह बड़ी बात नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि रोंगफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाय, तो वह कानून का हनन नहीं है और लिबर्टी, जिसको कान्स्टीट्यूशन में फण्डामेंटल राइट्स में रखा गया है, उस पर आघात होगा। आपने यह कह कर टाल दिया कि यह माइनर है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस को विथड्रा करें और इसकी गम्भीरता और फ्यूचर इम्प्लीकेशन जो इसके होने वाले हैं उनको रियेलाइज करके ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 55/109 के अन्तर्गत चालान कर दिया गया है और मुकदमा जेर पेंडिंग है। जब तक मुकदमा का फैसला नहीं हो जाय तब तक आगे कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। 55/109 में किसी व्यक्ति का चालान करने का प्रश्न मैंने कहा, सीरिअस तो है, लेकिन क्योंकि यह मुकदमा कोर्ट में चालान कर दिया गया है, और उसका नतीजा अभी तक मिला नहीं है। इसलिए नतीजा प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप उसको सस्पेन्ड कर सकते हैं।

श्री चेतराम : 55/109 का हवाला दिया गया है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस केस को विथड्रा किया जा सकता है। इस नतीजे पर पहुँचे कि रोंग था तो फिर विथड्रा कर लीजिये और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए यह करने का आपको अधिकार है। जब आप इस नतीजे पर पहुँच गये हैं कि एक्शन रोंग था तो देट केन बी विथड्रान एन्ड एक्शन केन बी टेकन !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : मेरा एक प्रश्न है....

श्री चेतराम : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया है।

श्री चेतराम : जब मंत्रीजी मान रहे हैं....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : जवाब संतोषजनक नहीं है।

Page No 8

(8)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा कि केस कोर्ट में चल रहा है तो वह रोंग चल रहा है। आप उसको विथड्रा कीजिये और उसके खिलाफ एक्शन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : Minister concern will tak(due note of it.

श्री मीठालाल : इस थानेदार को आप लाइन हाजिर कीजियेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें एक प्रश्न है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मेरा एक प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय मंत्री जी ने कहा कि गलत किया गया है। गलत किया गया है तो माननीय मंत्री के पास एक उपाय है। जब आप इस नतीजे पर पहुँच गये हैं कि गलती है तो केस को विथड्रा कीजिये और उसके खिलाफ इन्क्वायरी करके उसको सस्पेन्ड कीजिये। इसमें अदालत के निर्णय का प्रश्न नहीं है।

श्री मीठालाल : कम से कम उसको लाइन हाजिर कीजिये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह बताने की कृपा करें कि पुलिस विभाग इस बात को स्वीकार कर सकता है कि उसका कर्मचारी दोष कर सकता है, गुनाह कर सकता है? क्या वह स्वीकार कर सकता है?

श्री मीठालाल : इसको कस्बे से हटा कर आपने बड़े शहर में भेज दिया। मेरा निवेदन है कि वहां पर बड़े गुनाह करे इसलिए वहां भेज दिया है? आप उसको लाइन हाजिर करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुन लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसमें विरोधाभास है। मंत्री महोदय ने कहा 55/109 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके चालान किया गया, यह गलत है उसका गलत आरोप था, गलत तरीके से किया गया। यह आरोप सही पाया गया, इसका मतलब आप दो अपराध कर रहे हैं एक तो उस पुलिस अधिकारी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसने गलत चालान किया, दूसरा प्रासीक्यूशन को विथड्रा न करके गलत व्यक्ति को प्रासीक्यूशन की आरडील पर छोड़ रहे हैं। यदि आपका उत्तर सही है तो आपको प्रासीक्यूशन विथड्रा करना चाहिए और प्रासीक्यूशन करना चाहिए थानेदार का जिसने गलत प्रासीक्यूशन किया और उसको सस्पेंड करना चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि 55/109 का केस झूठा बनाया गया है, उसकी जांच करने के आदेश दे दिए गए, विभागीय जांच चल रही है। मैं सदन की भावनाओं को ध्यान रखते हुए कह सकता हूं कि किसी भी दोषी अधिकारी को बचाने का राज्य सरकार का इरादा नहीं है। इस अधिकारी को गंगापुर थाने पर पोस्ट कर दिया गया है लेकिन मैं आज ही आदेश दे रहा हूं कि जब तक यह मामला पेंडिंग है तब तक उसकी किसी पुलिस स्टेशन पर पोस्टिंग न की जाए।

प्रश्न संख्या 182

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम।

कडाना बांध

183. श्री **नाथूराम** (बागीदोरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार का गुजरात सरकार से कडाना बांध के संबंध में क्या समझौता कब हुआ व उसकी क्या क्या शर्तें हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि गुजरात सरकार ने जो "जीरो" सी-लेविल बताया था वह गलत था ? यदि हां तो राज्य सरकार ने सही आंकन के निमित क्या-क्या प्रयत्न किए ? यदि नहीं तो विगत वर्षों में जो भयंकर जल प्लावन बांसवाड़ा जिले में हुआ था उस समय कडाना बांध में किस स्तर पर पानी रोका गया और उसके परिणामस्वरूप माही नदी में गलियाकोट, गढ़ी, परतापुर माही के पुल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जल स्तर कितना-कितना था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में जो सर्वे किया गया था उसमें बैक वाटर का हिसाब नहीं लगाया गया है ? यदि हां तो ये बैक वाटर से प्रभावित नागरिकों की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ? यदि नहीं तो 410 फीट व 419 फीट से कुल कितना क्षेत्र डूब में आयेगा ? धन, जन, भूमि आदि का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि कडाना बांध से प्रभावित (410 फीट) लोगों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है और न उन्हें पूरी तरह बसाया ही गया ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं तो किस-किस को कितना-कितना मुआवजा दिया गया और किस-किस तिथि को ? और किसका किस ग्राम को कहां कहां बसाया है और उन्हें क्या क्या सुविधायें मुहैया की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) 419 फीट से प्रभावित नागरिकों का मुआवजा निर्धारित हो कर किस-किस को कितना कितना-मिलेगा ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) कोई नया समझौता नहीं हुआ है। अतः प्रति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) सत्य नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता। विगत बाढ़ के समय विभिन्न स्थानों पर जलस्तर नियमानुसार था।

1.	कडाना बांध के नीचे	350 फीट
2.	कडाना बांध के ऊपर	359 "
3.	गलिया कोट	432 "
4.	गढ़ी परतापुर	457.75 "
5.	माही पुल (सागवाड़ा रोड़)।	462 "

(सिंचाई मंत्री)

(3) यह सत्य नहीं है। एफ० आर० एल० 419 के बैंक वाटर से प्रभावित नागरिकों को भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति का मुआवजा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। एफ० आर० एल० 410 से 16,217 एकड़ एवं एफ० आर० एल० 419 से 23,408 एकड़ क्षेत्र डूब में आवेगा। धन, जन, भूमि का विवरण सदन की मेज पर प्रेषित कर दिया गया है।

(4) यह सत्य है। मुआवजा एवं पुनर्वास का सम्पूर्ण व्यय गुजरात सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि न उपलब्ध करने के फलस्वरूप पुनर्वास का कार्य पूरा नहीं किया जा सका। आसामीवार मुआवजे की तालिका संलग्न है (तालिका 5)। विभिन्न ग्रामों के विस्थापितों को निम्न प्रकार बसाया गया है:—

1. सलाखड़ी	वन-खंड डूंगरसारन में कॉलोनी नं० 1 से 8 में बसाया गया।
2. रामजसोर	
3. उबली	
4. कालोखा पारड़ा	
5. रतनपुरा	
6. टांडवा डाडव की माली	
7. दण्डा बरजी-पाड़ा।	

पेय जल के लिए कुएं तथा आवागमन की सड़कें निर्माणाधीन हैं। कड़ाना बांध में अभी पानी नहीं भरा गया है, इस कारण कोई भी गांव अभी स्थाई डूब में नहीं आए हैं।

(5) एफ० आर० एल० 419 से प्रभावित नागरिकों के लिए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा जारी की जानी है। अतः मुआवजे की तालिका प्रस्तुत करना अभी संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री नाथूराम : आपने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि कोई नया समझौता नहीं हुआ है जब कि सिंचाई विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कडाना बांध की ऊंचाई पर पुनः विचार करके राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कडाना बांध का जल स्तर 419 फीट......

श्री अध्यक्ष : आप क्या पढ़ रहे हैं ? उत्तर पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री नाथूराम : सरकार ने यह घोषणा की है कि......

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका प्रश्न यह था कि क्या 1966 के बाद गुजरात सरकार और राज्य सरकार के बीच में इस बांध के सम्बन्ध में कोई नया समझौता हुआ ? मैंने स्पष्ट बताया कि कोई नया समझौता नहीं हुआ। जो 1966 में हुआ था वही है। माननीय सदस्य ने रेफरेंस दिया उस रिपोर्ट का जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया, पुनः विचार किया गया कि कडाणा बांध का लेविल 419 का ही माना जाय। आपका प्रश्न था बीच में 410 की बात कैसे चली

(श्री हीरालाल देवपुरा)

थी ? राज्य सरकार का मत था कि लेविल 410 फीट तक ही रखी जाय और उसके आगे नहीं बढ़ाई जाए जिससे कुछ गांव खास तौर से गलियाकोट इत्यादि को बचाया जा सके। लेकिन वह एल्टीमेटली माना नहीं गया। तो राज्य सरकार का जरूर मत था और मत रहा। सदन में भी कहा गया। हम चाहते हैं लेकिन अंत में जब फैसला हुआ तो माना नहीं गया इसलिये अंतिम स्टेज यही है कि 419 फीट पर ही रखें।

श्री नाथूराम : मन्त्री महोदय को पता है कि पोंग डैम से राजस्थान को पानी लेने के लिये पंजाब वालों को बसाना, सारी सुविधाओं का बोझ राजस्थान सरकार को उठाना पड़ा है। इसी तरह से माही से गुजरात पानी लेगा, कडाणा का पूरा फायदा गुजरात को होगा तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो प्रभावित लोग हैं उनको नहरी इलाके में जमीन दिलाने की सरकार ने क्या व्यवस्था की ? जिस तरह से पोंग डैम के विस्थापितों को सरकार सुविधा दे रही है उसी तरह से कडाणा और माही का जो फायदा गुजरात उठा रहा है, वहां के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से इत्तिफाक करता हूं। यह सही है कि राजस्थान के लोग जो कडाणा डैम से विस्थापित होंगे उनको बसाने का जिम्मा गुजरात सरकार को लेना चाहिए। राज्य सरकार बराबर प्रयत्न करती रही है कि जहां कडाणा का पानी जाता है, उस कमांड एरिया में विस्थापितों को बसाया जाए लेकिन उनका कहना है कि नहीं बसा सकते, वे पूरा मुआवजा नकद देने को तैयार हैं।

श्री नाथूराम : मंत्री महोदय बिल्कुल गलत हैं, कोई कैश मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं ना नहीं करता।

श्री नाथूराम : 12-13 साल हो गए।

श्री हीरालाल देवपुरा : कडाणा बांध प्रोजैक्ट की वजह से कितना-कितना पानी जाएगा और कितना-कितना क्षेत्र डूब में आएगा उसका प्रति वर्ष के हिसाब से वे मुआवजा दे रहे हैं। इस वर्ष अब तक उन्होंने 51 लाख रुपए दिए हैं। 11 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा किया है और 40 लाख रुपए विशेष तौर से जिन गांवों के नाम मैंने लिए हैं 400 कुछ परिवारों को मुआवजा दिया गया है, लोगों ने मुआवजा प्राप्त किया है और जो स्थान मैंने बताए हैं जहां-जहां उनको बसाना है वहां पर उनको प्लाट्स के पट्टे दिए गए हैं, मुआवजा दिया गया है। यह सही है कि उन लोगों को वहां से हटा कर उन प्लाट्स पर बसाया नहीं क्योंकि अभी भी जहां रह रहे हैं वहां पानी नहीं आया है लेकिन उन्होंने अपने प्लाट्स पर कब्जा प्राप्त कर लिया और सारा मुआवजा दिया है। इसी प्रकार आगे ज्यों-ज्यों स्टेजिज आयेंगी राज्य सरकार बराबर चाहती है कि पूरा मुआवजा उनको मिले। जिस स्थिति में वे रह रहे हैं व उनकी खराब हालत न हो। जिस तरह से हम सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से हम उनको आगे बढाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से हम नई तरह से उनको बसाना चाहते हैं। सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान के लोग जो

(श्री हीरालाल देवपुरा)
डूब में आए हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान हो और उस पर औरों को फायदा मिले, यह विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि जब पोंग बांध बनाया गया तो उसमें जिन लोगों की जमीन डूब में आती थी उन लोगों को हमारे यहां से बहुत बड़ा कम्पेनसेशन दिया गया और उसके साथ साथ उन लोगों को हमारे यहां पर राजस्थान कैनाल में जमीन भी दिलायी गयी थी तो क्या राज्य सरकार हमारे यहां के लोगों को जिनकी जमीन कडाणा बांध बनने से डूब में आती है उनको भी उतना ही मुआवजा और जमीन वहां पर दिलायेगी और अगर नहीं दिलायेगी तो क्यों ? आज गुजरात सरकार हमारे यहां के विस्थापितों को वहां पर कडाणा बांध के एरिया में जमीन क्यों नहीं दे रही है इसका स्पष्ट जवाब चाहता हूं ?

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, यह कडाणा बांध के बारे में कई बार इस सदन में सवाल उठाया गया है और जब-जब यह सवाल सदन में आया तो हमारे मंत्री महोदय ने कभी इसका सही जवाब नहीं दिया। और जो जवाब यहां पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है उसके अनुसार अब हम गुजरात सरकार के पास जाकर मिलते हैं तो वहां के अधिकारी जो कि कडाणा बांध से सम्बन्ध रखते हैं वह यह जवाब देते हैं कि हमारे पास तो मुआवजा देने को पैसा नहीं है और न ही हमारी गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई ऐसे आदेश हुए हैं कि इनको इतना मुआवजा दिया जायगा और जमीन भी डूंगरपुर और बांसवाड़े के लोगों को दी जायगी जिनकी कि जमीन कडाणा बांध के बनने से डूब में आयेगी। वह बात दूसरी है कि आप दो चार-पांच आदमियों को मुआवजा दिलवादें। दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष महोदय, आज माही की वजह से 110 गांव डूब में और है और कडाणा बांध बनने से भी काफी गांव के लोग बरबाद हो जावेंगे तो राज्य सरकार जो अभी तक कुछ भी नहीं कर पायी है इसका क्या कारण है। क्या जब बांध बन जायेगा और उन लोगों की जमीन डूब जायेगी तथा जब वह लोग बरबाद हो जायेंगे तब आप मुआवजा देने की और जमीन देने की बात करेंगे इसका सही जवाब दें कि आप उन्हें कितना मुआवजा दिलवायेंगे और उनको वहां ले जाकर बसायेंगे या नहीं। आज जब हम गांवों में जाते हैं तो वहां के किसान हमको पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कितनी जमीन मिलेगी, कितना मुआवजा गुजरात सरकार से दिलायेगी। तो फिर उन लोगों को क्या जवाब दे। आपको जब हम जवाब पूछते हैं तो आप हमें लूला-लंगड़ा सा जवाब दे देते हैं। आप हमारे यहां की जनता की तो सुनते नहीं है और वहां गुजरात सरकार आपको जो कहती है उसे आप सुन रहे हैं और उनके फैसले को ही मान रहे हैं। क्या आप 410 फीट की ऊंचाई कडाना बान्ध को मानकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के गरीब लोगों को मारना ही चाहते हैं क्या ? मन्त्री महोदय मेहरबानी करके इसका जवाब दें। और अगर आप उसके लिये गुजरात सरकार से बात करके उचित मुआवजा और कडाना बान्ध के एरिया में जमीन नहीं दिलायेंगे तो मैं मन्त्री महोदय

(श्री विट्ठल भाई)

से साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि वहां पर बहुत बड़ा आन्दोलन होगा इसके लिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री केदारनाथ : आप एक मिनट ठहरिये इसके साथ इसका भी जवाब एक साथ ही देना। क्या यह सही है कि जो राज्य सरकार ने माही योजना के प्रोजैक्ट के अन्तर्गत गुजरात सरकार से एक और एग्रीमेन्ट कर लिया है कि वह गुजरात सरकार को एडीशनल पावर देगी। चूंकि पहले राजस्थान सरकार नहीं मानी थी इसके लिये गुजरात सरकार ने प्लानिंग कमीशन से दबाव डलवाकर राजस्थान सरकार से एडीशनल पावर लेने की बात मनवाली। जैसा कि अभी आपकी राजस्थान सरकार की केबिनेट में भी है।

"I therefore propose that the project may be recast for giving irrigation facilities alone and the power portion may not only be deferred but deleted altogether out of the scheme."

यह इसके अनुसार है जिसके अनुसार गुजरात सरकार को इनसे एडीशनल पावर मिलेगी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने जिन लोगों की लैण्ड डूब में आयेगी उन लोगों के लिये आपने अभी तक गुजरात सरकार से उन आउस्टीज को कितना क्वान्टम आफ कम्पेन्सेशन मिलेगा और उन लोगों को रिहेबीलिटेट करने के लिये वहां कितनी जमीन गुजरात सरकार देगी इसके बारे में कोई एग्रीमेन्ट आपने अभी तक किया है क्या और अगर नहीं किया तो क्यों। उनको बसाने के लिये आपने क्या शर्तें रखी हैं। जिस प्रकार कि राजस्थान सरकार ने जब पोंग डेम बनाया था तो उसकी वजह से पंजाब में जिन लोगों की जमीन डूब में आयी थी उनको मुआवजा दिया था और मुआवजा पहले तो 6 करोड़ रुपये तय किया गया था वह बाद में बढ़ा कर 45 करोड़ रुपये दिया गया और इसके एडीशन में राज्य सरकार ने उन लोगों को इर्रीगेटेड लैण्ड भी उनको रीहेबीलीटेट करने के लिये करीब ढाई पौने तीन करोड़ एकड़ जमीन राजस्थान कैनाल में दी थी। तो क्या राज्य सरकार उन भीलों को भी ऐसा ही मुआवजा गुजरात सरकार से दिलवाने की व्यवस्था करेगी जिनकी कि जमीन डूब में कडाना बान्ध की वजह से आ रही है। इसके लिये जवाब दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ इसका जवाब भी दे दें कि जब आप के और गुजरात सरकार के बीच कम्पेनसेशन देने के लिये और विस्थापितों को बसाने के लिये आपस में मतभेद है और आप कोई एग्रीमेन्ट उन लोगों के लिये नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में क्यों नहीं डाल देते ताकि कोई हल निकल जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो इसके साथ मेरे प्रश्नों का भी जवाब दें। क्या यह सही है कि जब पोंग डेम बनाया जा रहा था तो उस समय के भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार के सिंचाई मन्त्रियों ने बैठकर तय किया था कि इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रकार का मुग्रावजा दिया जाना चाहिये तो उसी तरह हमारी राज्य सरकार भी क्यों नहीं इस प्रश्न को केन्द्रीय लेवल पर, उसी पेरिटी पर जिस पेरिटी पर पौंग डेम के विस्थापितों को बसाया गया था और उन्हें सुविधायें दी गयी थीं उसी प्रकार कडाणा बान्ध के बनने से जो लोग एफेक्टेड होते हैं उन्हें भी वैसी ही सुविधायें दिलायी जाय। क्या ग्राप केन्द्र के सिंचाई मन्त्री को इसमें बीच में डाल कर उनके माध्यम से गुजरात सरकार को प्रेस करायेंगे कि विस्थापितों को समुचित मुग्रावजा मिले। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार नर्बदा के पानी के लिये जो विवाद गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में था और उन्होंने प्रधान मन्त्री को ग्रारबीट्रेटर नियुक्त किया उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी इसको ग्रारबीट्रेशन में क्यों नहीं दे देती और राज्य सरकार जब तक मुग्रावजे और विस्थापितों को बसाने का फैसला नहीं हो जाता तब तक गुजरात सरकार को उस बान्ध को बनना बन्द करादे।

श्री मानकचन्द सोगानी (ग्रजमेर पूर्व): मुझे अध्यक्ष महोदय, इस बारे में यह निवेदन करना है कि अगर गुजरात सरकार ग्रच्छी तरह समझ जावे तो ठीक है वरना हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये हमें भी उनके बान्ध नहीं बनने देना चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक सवाल है कि अगर गुजरात सरकार हमारी शर्तें इन विस्थापितों को बसाने की और कम्पेनसेशन की है उन्हें नहीं मानती हैं तो क्या हम प्लानिंग कमीशन ने जो निर्णय गुजरात सरकार के फेवर में दिया है उसको मानने में बाध्य हैं क्या ग्राज राज्य सरकार जो गुजरात सरकार के सामने इन लोगों को रिहेबीलीटेट करने के लिये कुछ नहीं कर रही है तो हम इस मामले को ग्रारबीट्रेशन में क्यों नहीं दे दें और जब तक मुग्रावजे के बारे में और विस्थापितों को बसाने के लिये कोई स्थायी हल नहीं निकलता तब तक उस बान्ध को नहीं पूरा होने दें। इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे भी कुछ निवेदन करना है और जो जवाब मन्त्री महोदय दें उसके साथ में इसके जवाब को भी जोड़ने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस कडाणा बांध की वजह से जिन लोगों की जमीन डूब में ग्रायेगी उनके लिये राजस्थान सरकार की एप्रोच ही गुजरात सरकार से गलत है। अध्यक्ष महोदय, ग्राज वहां की जनता के ग्रन्दर खलबली मची हुई है इसके बारे में। इसके लिये मैं तो यह निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रगर गुजरात सरकार नहीं मानती है तो हम उस समझौते को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। वह समझौता कोई ग्रमिट नहीं है। हम उस समझौते पर पुनः विचार कर सकते हैं। यह जो एग्रीमेन्ट हुग्रा है वह ग्रनइक्वल एग्रीमेन्ट हुग्रा है जिसमें राजस्थान सरकार का घोर ग्रहित है। ग्रध्यक्ष महोदय, यह ऐसा एग्रीमेन्ट है जो कि जूरिसप्रूडेन्स का जो पहला सिद्धान्त है उसके ही खिलाफ है। इसमें तो साफ है कि डिले डिफीट इक्वीटी वाली बात होगी। जितना ग्राप देर करोगे तो उतना ही ग्राप नुकसान में रहोगे। ग्राज गुजरात सरकार को इससे बहुत लाभ हुग्रा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं। अध्यक्ष महोदय; मैं खुद गुजरात गया था। मैंने वहां देखा कि वहां के लोग इससे चमन में हो जायेंगे। आज जितनी सुविधायें हमने माही वाली योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को दी है इससे उनको बहुत ही फ़ायदा है। मैं तो राज्य सरकार पर जोर डालूंगा कि वह इस समझौते को नहीं माने और इस मामले को पुनः उठाये और इसको आर्बीट्रेशन में देना चाहिये थर्ड पार्टी को। और इसका कुछ न कुछ निष्पक्ष हल निकालना चाहिये, अध्यक्ष महोदय मुझे क्षमा करें अगर आप इसके लिये कोई निष्पक्ष हल नहीं निकलवा सकते हैं तो मैं समझता हूँ की आपकी सरकार बिल्कुल ही सरकार नहीं है। राजस्थान सरकार सरकार ही नहीं है। जो कुछ गुजरात सरकार डिक्टेशन राजस्थान सरकार को दे देती है उसे मान लेती है, राजस्थान सरकार आज गुजरात सरकार को लाखों-करोड़ों का इससे फायदा पहुँचा रही है और हमारे यहां के लोग भूखे मर रहे हैं यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसका उचित हल निकाले। अभी तक तो अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस मामले को लिया गया है वह बेसिकली ही गलत एप्रोच के साथ शुरू हुआ है। राजस्थान के लोगों के साथ ग्रोसली अनजस्टिस हुई है। It is no approach. यह तो कोई एप्रोच ही नहीं है बिल्कुल होच पोच है। इसके अन्दर आपने किसी प्रकार के फायदे की गुन्जायश ही राजस्थान के लोगों के लिये नहीं रखी है अगर आप इसमें कोई फायदे की गुन्जायश उत्पन्न पैदा करते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा। अगर आप समस्या हल नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से आप गरीब लोगों के साथ विश्वासघात ही नहीं करते हैं परन्तु बड़ी भारी गद्दारी करते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस कडाना बांध के सिलसिले में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और माननीय सदस्यों की पहले भी भावनायें स्पष्ट रूप से सामने आयी हैं और आज भी आयी हैं। मैंने प्रारम्भ में ही यह निवेदन किया था कि इस बांध के सब ही विस्थापितों को पूरा मुआवजा दिये जाने के बाद उनको बसाने के बाद, फिर ही यह बांध बन पायगा और फिर ही इसमें पानी आवेगा और जब तक इन विस्थापितों को बसा नहीं दिया जावेगा और उनको मुआवजा नहीं मिल जावेगा, मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको बेघरबार नहीं किया जावेगा।

अब प्रश्न यह है कि उनको किस प्रकार सहायता दी जाय। मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि हमारे सामने पौंग डेम का एग्जाम्पल है। इसी आधार पर मेरे पास यह महकमा आया। जैसा आप बताते हैं कि सेन्ट्रल मिनिस्टर से क्यों नहीं बात की इस सम्बन्ध में। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में बोर्ड बना हुआ है दोनों स्टेट्स का; सेन्टर के मिनिस्टर उसके चेयरमेन हैं और वहां पर इस सम्बन्ध में डिस्कशन हुआ था। इसी आधार पर हम केस को चला रहे हैं। अभी यह फाइनल नहीं हुआ है। गुजरात गवर्नमेन्ट पैसा देना चाहती है। जमीन नहीं होना बताती है कि जिस पर उनको बसाया जाय।

श्री नाथूराम : फिर आप 419 के बजाय इसकी ऊंचाई 410 ही कर दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पूरे उत्तर आप पहले सुन लीजिये।

उस आधार पर जो मुआवजा राजस्थान गवर्नमेन्ट अपने विस्थापितों को देना चाहती है वह गुजरात गवर्नमेन्ट को देना होगा यह बिल्कुल स्पष्ट है। किसी प्रकार उसमें उसके विपरित नहीं होगा।

जो मुआवजा दिया गया है, इस वर्ष जितने गांव डूब में आने की बात कही गई है उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया और उस हिसाब से जमीन अलॉट करके प्लॉट देकर बसाने की योजना बनायी गयी है और ठीक इसी प्रकार आगे भी कार्यक्रम चलाने का है।

जहां तक यह भय है कि यहां के लोगों को बसाया नहीं जावेगा, उनको राहत नहीं मिलेगी, उसके लिये मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी इसके लिये आगे रहूंगा कि पहले उनको बसाया जाय, पूरी राहत उनको मिले और उनको किसी भी प्रकार से नुकसान न हो।

दूसरा सवाल जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य प्रो० केदार ने उठाया कि ओरिजिनल एग्रीमेन्ट हुआ तो उसमें कडाना डेम से पावर जनरेट करने जैसी चीज नहीं थी और प्लानिंग कमीशन ने गुजरात गवर्नमेन्ट को पावर जनरेट करने की भी इजाजत दे दी। जब हमें यह मालूम हुआ कि इस प्रकार की इजाजत दी है तो हमने इसके लिये प्रोटेस्ट किया कि यह गलत है और एग्रीमेन्ट के विरुद्ध है। अब हमें यह मालूम हुआ है कि प्लानिग कमीशन ने इस शर्त पर इजाजत दी है कि जो टरबाइन लगायेंगे वह रिवर्सबल टरबाइन होगा जो बांध से पानी दिया जावेगा वह वापस बांध में आकर-पावर जनरेट करेगा। एक्स्ट्रा पानी पावर जनरेशन के लिये नहीं लिया जावेगा। फिर भी हमने अभी तक गुजरात गवर्नमेन्ट से इस सिलसिले में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और इस सम्बन्ध में हमारी उनसे बातचीत चल रही है। हम कतई नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे राइट्स इससे जुड़े हुए हैं जबकि नर्मदा का पानी माही के एरिया में गुजरात में मिलेगा तो सरप्लस पानी बेलेन्स बना कर लेंगे। उसकी वजह से इस पर किसी का असर नहीं पड़ेगा। पावर प्रोजेक्ट का उस वक्त असर पड़ सकता है इसलिये इसका पूरा ध्यान रखा जावेगा। कोई एग्रीमेन्ट या ऐसी बात नहीं की जाने वाली है कि जिससे राजस्थान के लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। यही मैं सदन में इस समय कह सकता हूं।

जहां तक राजस्थान के हकों का सवाल है इस सम्बन्ध में एक बोर्ड बना हुआ है और सेन्टर के मिनिस्टर इसके चेयरमेन है। सरकार का व्यू पोइन्ट माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ बराबर रखा जाता है और आगे भी बराबर रखा जावेगा, यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता था....

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट।

श्री नाथूराम : मैं सही जानकारी देना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : मैं कह देता हूं फिर आप कह देना।

श्री नाथूराम : करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लाखों लोगों के जीवन का

(श्री नाथूराम)
प्रश्न है। मंत्री महोदय केवल दोहरा रहे हैं। आपकी गलती हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है····

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था

श्री गुमानमल लोढ़ा : अलाटमेन्ट रूल्स बने हुए हैं बसाने के लिये

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था की प्रश्न तो काफी महत्त्वपूर्ण है और सदन के प्रश्न काल ही में नहीं अपितु वाद-विवाद के काल में भी इस प्रश्न पर काफी चर्चा हुई है। आज भी काफी टाइम हो गया है। वैसे आपकी मर्जी है एक ही विषय पर आप वाद-विवाद करना चाहते हैं और यह सदन की इच्छा है कि आगे के प्रश्न हो नहीं। वरना आधा घंटा इस पर काफी होता है। हाफ एन आवर का डिस्कसन मांग सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज विच बी एडोप्टेड। आप आधा घंटा का डिस्कशन इस के लिये मांग लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो फ्रस्ट्रेट करने के लिये है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा यह सुझाव है कि यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और सारा राजस्थान इस पर चिन्तित है। क्यों नहीं मंत्री महोदय हाउस को कान्फिडेन्स में लेने के लिये एक स्टेटमेन्ट दे दें। आपको इससे सम्बल मिलेगा क्योंकि केन्द्र में आप कमजोर हैं। सारी सामग्री आप सदन के पटल पर रखें ताकि माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकें और यदि आप माननीय सदस्यों के सुझाव और चिंतन को लेकर केन्द्र के पास जावेंगे तो आपको सारे राजस्थान का सम्बल मिलेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं यदि यह अलाऊ होता है तो ?

प्रश्न संख्या 184

श्री अध्यक्ष : श्री झाबरमल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

फालना में उद्योगों के लिये भूमि का आवंटन

185. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फालना उद्योग मण्डल, फालना, जिला पाली को उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी भूमि का आवंटन किस तिथि को हुआ ? आवंटन-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त भूमि के आवंटन के समय फालना उद्योग मण्डल को लीज डीड का निष्पादन कराया गया था ? यदि हां, तो कृपया लीज डीड की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) फालना उद्योग मण्डल को राज्य सरकार द्वारा अथवा राजस्थान वित्त निगम द्वारा कितना ऋण व कब-कब व किन शर्तों पर दिया गया ? ऋण के अतिरिक्त क्या किसी अन्य माध्यम से ऋण के लिये गारंटी दी थी व किन शर्तों पर ?

(4) वर्त्तमान में कितनी राशि उक्त उद्योग मण्डल पर ऋण की अथवा गारंटी की बकाया है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) फालना उद्योग मण्डल, फालना जिला पाली को जिलाधीश, पाली के आदेश दिनांक 23-1-61 द्वारा 85.5 एकड़ भूमि उद्योगों हेतु दी गयी। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(18)

(राज्य मन्त्री, उद्योग)

(2) जी हां, लीज डीड की प्रति सदन को मेज पर रख दी गई है।

(3) फालना उद्योग मण्डल को राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रु. का ऋण दिनांक 4-6-62 को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि मण्डल उक्त राशि में से 1 लाख 54 हजार रुपया भारत जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करते ही मय 6 परसेन्ट ब्याज के लौटायेगा तथा शेष 46 हजार रुपया 10 बराबर की वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित जमा करायेगा। राजस्थान वित्त निगम द्वारा कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। उक्त ऋण के अतिरिक्त राज्य सरकार की गारन्टी पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 4 लाख 10 हजार रुपये दिनांक 31-7-64 को मण्डल को ऋण के रूप में दिये गये थे जिसकी मुख्य शर्तें निम्न है :

(1) राज्य सरकार को आधा प्रतिशत मण्डल द्वारा गारन्टी कमीशन दिखाया जावेगा।

(2) मण्डल द्वारा निर्मित शेड अथवा बन रहे अथवा बनाये जाने वाले शेड एवं अन्य बढ़ाई गई जायदाद राज्य सरकार के गिरवी रहेगी। मण्डल द्वारा किसी भी किश्त के जमा नहीं कराने पर राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। एवं भुगतान की जाने वाली राशि को मय ब्याज के राजस्थान जन मांग अधिनियम के अन्तर्गत मण्डल से वसूल करने का अधिकार होगा।

(3) फालना उद्योग मण्डल पर ऋण की अथवा गारन्टी की निम्न राशि बकाया है:—

(1) 46000 रुपये मूल ऋण 2 लाख रुपया में से।

(2) 17755.83 रु० गारन्टी कमीशन के

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम के मूल रु. 272846.16 मय ब्याज दिनांक 1-4-71 को बकाया थे जिसमें से राज्य सरकार को अब मण्डल द्वारा रु. 83302.30 देय हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह 32-1-61 का लीज कब एक्जीक्यूट हुआ ? कौनसी तारीख को ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस पर तारीख लगी हुई है 17 फरवरी, 1968 की।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सात वर्ष तक क्या किया ? लीज डीड तो तुरन्त एक्जीक्यूट होती है। इसमें यह गड़बड़ किस वजह से है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह गोलमाल मामला है। गोटेवालाजी का गड़बड़ घोटाला है। घोटाला है इसलिये गोटेवालाजी ने इसे उठाया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मन्त्री महोदय, आपके पास अगर इसका उत्तर नहीं है तो मैं निवेदन कर दूं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको यहां बिठा दिया जावे और मन्त्रीजी को आपकी जगह भेज दिया जावे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर आप देना चाहें तो जवाब आप दे दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपसे ही सुनने को उत्सुक हूं। आप ही दीजिये उत्तर तो।

Page No 19

(19)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप ही बता दीजिये न।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उत्तर देने के लिये एक रिफ्रेशर कोर्स मन्त्री लोगों के लिये होना चाहिये अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसमें कोई काम नहीं मिलेगा आपको।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें यह बात लिखित में है कि सात वर्ष तक, समय पर कलक्टर, पाली के हस्ताक्षर नहीं होने से यह समय लगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बात यह है कि वहां की डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्री ऑफिसर ने जो लीज डीड पहले फालना उद्योग मण्डल वालों से एग्जीक्यूट करानी चाही थी उसे बिना सरकार की स्वीकृति लिये बदल कर उस पर दस्तखत करवाये ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसने सरकार से स्वीकृति लेकर उस ओरिजिनल लीज डीड को बदलवाया ?

लीज डीड के बारे में मेरा प्रश्न है कि कौनसी डेट को एग्जीक्यूट हुई इसमें सात वर्ष किस वजह से लगे। इसका कारण यह है कि यह लीज डीड पहले सरकार से एप्रूव कराई थी, पर बाद में बिना सरकार की स्वीकृति के बिना उसे रेफर किये डी. आई. ओ. ने अपनी सुविधाओं के अनुकूल बना कर इसको चेन्ज करवा दिया और इस कारण यह देर से हुई और इसमें सात साल लग गये। इस सबके कारण राज्य सरकार को लाखों की हानि सहनी पड़ी है यह।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी कोई सूचना मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह सूचना तो मैंने दी है आप को। यह जो जानकारी मैंने आप को दी है। क्या आप इसके आधार पर इस सारे घोटाले की जांच करवाएंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सूचना देंगे तो मैं इसकी जांच कर लूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और है। यह जो जीवन बीमा निगम से कर्जा लिया गया और इस कर्जे की अदायगी पेटे दो लाख आपको दिये। आपने इस कर्जे की गारन्टी ली। अब उस गारन्टी की क्या स्थिति है ? चार लाख के करीब आपने बकाया बताया। क्या वह बकाया सरकार चुकावेगी ? क्योंकि गारन्टी आपने दी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सरकार चुकावेगी। पार्टी से सरकार पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूल करेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उस पार्टी के पास क्या धरा है देने को अब। उसकी कितनी प्रोपर्टी बची है ? इस सारे घोटाले की वजह से ही तो यह लीज डीड साइन करने में सात साल लग गये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं सारे घोटाले की जांच कराने को तैयार हूं। आप सारी सूचनाएं मुझे अवेलेबल करेंगे तो।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : सूचनाएं अवेलेबल करेंगे तो उससे आपका क्या मतलब है ? यह तो घोटाला सामने ही दिख रहा है। सात साल लगे यह आप भी मान रहे हैं ? फिर उसका कर्जा देने की बात आप कह रहे हैं। फिर क्या बाकी रह गया है। आपको तुरन्त

Page No 20

(20)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

जांच कराने की घोषणा बिना अगर-मगर के कर देनी चाहिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई घोटाला इसमें नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : फिर आप किसे घोटाला मानते हैं ? जिसमें सात साल लग गये। जिसके कर्ज को चुकाने की आप बात कर रहे हैं। उसकी प्रोपर्टी क्या बची है ? इसका आपको पता नहीं। आप किस तरह से उससे वसूल करेंगे यह आपको पता नहीं, फिर यह सब घोटाला नहीं तो फिर घोटाला क्या होता है यह बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लाखेरी का विद्युत् स्टेशन

186. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी में आर० एस० ई० बी० द्वारा एक 132 के० एन० का स्टेशन बनाया गया था ? यदि हां, तो किस वर्ष में और इस स्टेशन पर क्या लागत आई ? तथा इसका क्या उपयोग किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इसको डिसमेन्टल कर दिया गया है ? यदि हां तो इस पर क्या खर्चा आया ?

(3) क्या यह सही है कि लाखेरी गांव को सवाई माधोपुर से जोड़ा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या खर्चा आया ?

विद्युत मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। जुलाई, 1962 में यह सब स्टेशन करीब 15 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया था। लाखेरी इन्द्रगढ़ आदि को इस सब स्टेशन से बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी।

(2) डिसमेन्टलिंग का कार्य चल रहा है।

(3) जी हां, लाखेरी को 33 के० वो० लाइन द्वारा सवाई माधोपुर से जोड़ा गया है। इस कार्य पर अनुमानतः 7.9 लाख रुपयों की लागत आई है।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, 62 से आज दिन तक यह काम कर रहा था ! इससे तीन हजार किलोवाट की बिजली उपलब्ध थी। यह शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स का एरिया है। क्या इसे हटाने से पहले यह उचित नहीं था कि वे इस एरिया का सर्वे कराते और फिर खेती पर बिजली उपलब्ध कराई जाती। यह एरिया फरटाइल है, इस बिजली से खाद्यान्न भी अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता था और गरीब पिछड़ी जातियों का जीवन स्तर भी उठाया जा सकता था। आज उस सब-स्टेशन से उस ट्रान्सफार्मर को जोरदार आदमियों को लगाने के लिए भिजवा दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जोरदार आदमी कौन है ? यह बताया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : और किसी मकसद से नहीं हटाया गया है। केवल

Page No 21

(21)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इसलिये हटाया गया है कि वहां इण्डस्ट्रियल एरिया के लिये उपयुक्त समझ कर पहले 132 के. वी. का यह सब-स्टेशन लगाया था। पर सीमेन्ट फैक्ट्री ने बाद में अपना खुद का जनरेटर लगा दिया इसलिये वहां से हटाया गया है। वहां कठिनाई नहीं हो इसके लिए 33 के. वी. की लाइन सवाई माधोपुर से लाकर पावर दिया जा रहा है। तो इस तरह से वहां कमी आने वाली नहीं है। इसका दूसरी जगह उपयोग नहीं हो सके इसलिये हटाया जा रहा है। यह विश्वास मैं दिला सकता हूं कि आगे भी जब कभी वहां जरूरी समझा गया कि 132 के. वी. की लाइन वहां लगाई जाय तो वह लगा दी जावेगी क्योंकि सब-स्टेशन हटाने से बिल्डिंग और दूसरी चीजें तो नहीं हट रही है। वे तो वहां हैं ही।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अगर वहां आवश्यकता नहीं थी तो 62 से आज दिन तक उससे क्या किया जाता रहा है?

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले लाखेरी सीमेन्ट वालों की आवश्यकता को देख कर इसे लगाया गया था, पर बाद में जब उन्होंने अपना लगा लिया तो इसे अब दूसरी उपयुक्त जगह लगाया जावेगा। वहां से तो उसे हटा लिया गया है।

श्री राजेन्द्रसिंह : आप तो इस विभाग में अब आये हैं। आपसे पहले वालों से एम. एल. ए. बार-बार कहते रहे हैं कि यहां की एग्रीकल्चरल और इण्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी को देखते हुए उसे यहां से नहीं हटाया जाय। अब उसे हटा कर वहां की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : जब लाखेरी सीमेन्ट वालों की डिमाण्ड नहीं थी तो वहां पर इतना बड़ा सब-स्टेशन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर उनकी मांग थी तो फिर ली क्यों नहीं। नहीं ली तो हरजाना उनसे क्यों नहीं वसूल किया गया? यह सब जानना चाहते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सब-स्टेशन हटा कर बिजली की कमी करने का हमारा इरादा नहीं है। वहां की एग्रीकल्चरल और इण्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी को देखते हुए 33 के. वी. की लाइन पर्याप्त है। प्रारम्भ में यह मान कर कि यह पोटेन्शियेलिटी ज्यादा होगी 52 में 132 के. वी. का स्टेशन वहां लगा दिया गया था। अब उसकी डिटेल तो मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर पोटेन्शियेलिटी को मापा गया था। पर यह स्पष्ट था कि इसका पूरा उपयोग हम वहां नहीं कर पा रहे थे इसलिये दूसरी जगह जहां जरूरत हो वहां लाभ देने के लिये उसे यहां से हटाया गया है। वहां के लोगों की जरूरत में कोई कमी नहीं आई है इससे।

श्री राजेन्द्रसिंह : जब इतना बड़ा स्टेशन लगाया गया तो यह कोई बोर्ड के अधिकारियों और एक्सपर्टों को सोचना था और सर्वे करना था कि इतनी जरूरत यहां होगी या नहीं। सात लाख का खर्चा लगाने में किया और सात लाख का फिर उसे हटा कर दूसरी जगह लगाने में कर दिया जावेगा। यह राज्य की सम्पत्ति का दुरुपयोग किया गया है।

Page No 22

(22)

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात और बता दें आखिर यह ट्रान्सफार्मर अब कहां गया है ? कहां लगाया जा रहा है इसे यह भी बताने की कृपा करें।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ कन्या हायर सैकेण्डरी स्कूल का भवन

182. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ कन्या हायर सैकेण्डरी शाला का भवन स्टेट टाइम का बना हुआ है जिसमें उस समय केवल प्राथमिक शाला चलती थी ? यदि हां, तो क्या शहर की आबादी व छात्राओं की संख्या को देखते हुए मौजूदा शाला भवन पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार इस स्कूल के लिये उपयुक्त भवन की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। मौजूदा स्थिति में यह भवन पर्याप्त नहीं है। स्थानीय सहयोग से ही भवन को पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिये। आमतौर पर शहरी कस्बों में शालाओं का भवन निर्माण का कार्य स्थानीय सहयोग से ही सम्पूर्ण किया जाता है।

बसों के देर से चलने के कारण यात्रियों को असुविधा

184. **श्री झाबरमल सुन्डा** (फतेहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य परिवहन निगम की अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 73 में जयपुर-बीकानेर रूट पर चलने वाली बसें जयपुर से कितनी दफा देर से चली तथा इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ व कितने यात्रियों को असुविधा हुई ? देरी के कारण क्या रहे ? क्या समय पर रवाना होने वाली बस व देरी से रवाना होने वाली बसों की आय में फर्क नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर-बीकानेर रूट पर डी-लक्स बस सेवा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है ? यदि नहीं तो फरवरी, 1974 की 28 सेवाओं की कुल आमदनी क्या रही तथा औसत कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर-बीकानेर रूट पर रींगस व सीकर के बीच बस स्टॉफ बहुत कम होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर-बीकानेर मार्ग पर अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर 73 में क्रमशः 5, 3, 16 बार वाहनें देरी से चली। हानि तथा असुविधा का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आय का संबंध नियमितता से अवश्य है।

(2) जी नहीं। डी-लक्स वाहन सेवा जयपुर-बीकानेर मार्ग पर 1-2-74 से ही चलाई गई है। यह जनता को निरन्तर आकर्षित कर रही है। माह फरवरी, 74 में 27-2-74 तक दोनों ओर से 2,077 यात्रियों ने यात्रा की एवं 13,073 रुपये की आय प्राप्त हुई। औसतन 77 व्यक्तियों ने प्रति दिन यात्रा की।

(यातायात मन्त्री)

(3) जयपुर-बीकानेर रूट पर रींगस व सीकर (50 कि. मी. की दूरी के बीच) 5 (पांच) बस स्टाप हैं जिनका नाम- 1. बावड़ी, 2. ठीकरिया, 3. पलसाना, 4. रानोली तथा 5. वाजोर है। निगम में यात्रियों को परेशानी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता

140. श्री **जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता गत वर्षों की भांति जिला स्तर पर नहीं रखी जाकर मण्डल स्तर पर रखी गई है ? यदि हां, तो इस वर्ष ऐसा परिवर्तन क्यों किया गया ?

(2) इस वर्ष मण्डल स्तर पर राजस्थान में किस-किस दिनांक को छात्राओं की प्रतियोगिता हो रही है और उनमें कौन-कौन से स्कूल भाग लेंगे ? जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) 73-74 में मण्डल व राज्य स्तर का कार्यक्रम संलग्न है। 74-75 का कार्यक्रम अब बनेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिन्दी और राजस्थानी भाषा की उपलब्धियां

141. श्री **शंकरलाल** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्दी भाषा और राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने संबन्धित राज्य की चतुर्थ-पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या उपलब्धियां रही ?

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना में इस हेतु क्या प्रावधान रखे गये हैं ?

(स्थगित किया गया)

शिक्षण संस्थाओं को एडहॉक ग्रान्ट-इन-एड

142. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1971-72 और 1972-73 में जिन-जिन शिक्षण संस्थाओं को 'एडहॉक ग्रान्ट-इन-एड" दी गई उनकी पूर्ण सूची मय दी गई धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन सिद्धान्तों के आधार पर उपरोक्त धनराशि आवन्टन की गई, उनका स्पष्टीकरण कराने की कृपा करें।

(3) वित्तीय वर्ष 1973-74 में किन सिद्धान्तों के आधार पर "एडहॉक ग्रान्ट-इन-एड" दी गई या दी जायगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) तदर्थ अनुदान (अनावर्तक) का आवंटन राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है। आवंटन का सिद्धान्त शालाओं की नितान्त आवश्यकता ही होती है।

तदर्थ अनुदान (अनावर्तक) जुलाई, 68 तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं को (नवीन संस्था अथवा क्रमोन्नत) 50% की दर स्वीकृत की गई है जिसका समायोजन 1-7-70 से 31-3-72 तक संस्था के आडिटेड अकाउन्ट्स के रूप में प्राप्त किया गया है।

(3) सिद्धान्त का आधार शालाओं की नितान्त आवश्यकता ही होती है। इस वर्ष ग्रान्ट-इन-एड दिये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर ही विचार संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचोर तहसील के गांवों की उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन

143. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि उच्च प्रा० शाला सांकड, सांचोर की ढाणी, गुडा हेमा, हाडेचा, डावला एवं सरनाऊ के भवन अभी तक सरकारी इमारतों की सूची में शुमार नहीं किये गये हैं ? अगर हां, तो क्यों और किये गये हैं तो कब ?

(2) उपरोक्त पाठशाला भवनों को सरकारी इमारतों की सूची में कब तक ले लिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त शालाओं के भवनों की मरम्मत के लिये कोई बजट प्रावधान पिछले पांच सालों में किया गया था ? अगर हां, तो कब–कब व कितना-कितना ? अगर नहीं तो क्यों ?

(4) भविष्य में उक्त भवनों की मरम्मत हेतु क्या बजट प्रावधान किया जावेगा ? अगर हां, तो कितना ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) रा. उ. प्रा. वि., सरनाऊ द्वारा कोई दानपत्र भरकर तहसील कार्यालय को नहीं भेजा गया है शेष विद्यालयों को विभागीय सूची में लेने संबन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। उपरोक्त दानपत्रों को तहसील कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन होते ही शीघ्र विभागीय सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा।

(2) उपरोक्त विद्यालय भवनों के दानपत्र तहसील कार्यालय से पंजीकृत होने के बाद विभागीय सूची में ले लिया जावेगा ?

(3) पिछले पांच वर्षों से मरम्मत एवं कार्य हेतु कोई बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(4) भवन विभागीय या सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में सम्मिलित करने के बाद ही मरम्मत कार्य हेतु बजट स्वीकृत करने का प्रावधान है।

राज्य परिवार नियोजन विभाग में रिक्त पद

144. श्री **हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवार नियोजन विभाग में अनेकों पद रिक्त

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

है ? यदि हां, तो कितने एवं कौन-कौन से और कब-कब से ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उच्च पदों पर फेमिली प्लानिंग वर्कर, सोशियल वर्कर आदि निम्न पद पर नियुक्त कर्मचारियों के प्रमोशन एवं एडहॉक प्रमोशन दिये गए हैं ? यदि हां, तो किस-किस को और कब-कब ? उनके नाम, योग्यता, नियुक्ति तिथि एवं निवास स्थान के पतों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि प्रमोशन एवं एडहॉक प्रमोशन देते समय सीनियोरिटी, कार्य-कुशलता, शैक्षणिक योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया है ? यदि नहीं तो परिवार नियोजन वर्कर, सोशियल वर्कर वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं की राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति, वर्तमान शिक्षण योग्यता, राज्य सेवा में कार्यरत अवधि एवं प्रमोशन की तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार उक्त निम्न पदों पर कार्यरत बी. ए. पास कर्मचारियों को उच्च पद पर प्रमोशन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से ? तथा कौन कौन कर्मचारी बी. ए. पास हैं तथा किस किस पद पर और कब से नियुक्त हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त स्थानों की सूची संलग्न है।

(2) फेमिली प्लानिंग वर्कर एवं सोशियल वर्कर के नाम से इस विभाग में कोई पद सृजित नहीं है। पूर्व में सोशियल वर्कर नाम से चिकित्सा विभाग में पद सृजित थे जो कि बाद में समाप्त हो चुके हैं। पूर्व में सोशियल वर्कर के पद पर जो कर्मचारी कार्यरत थे उनमें जिन कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची के अभाव में तदर्थ रूप से पदोन्नति दी गई थी जिनके विवरण संलग्न सूची में संलग्न हैं।

(3) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि संबंधित कर्मचारियों को तदर्थ रूप से वरिष्ठता सूची के अभाव में पदोन्नत किया गया है (राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियम, 19.5 के नियम 6 उप-नियम 4 के अन्तर्गत अब इनका स्क्रीनिंग किया जावेगा। यदि ये सेवा नियमों के अन्तर्गत कर उस पद के योग्य होंगे तो नियमित कर दिया जायेगा। अथवा पदावनत कर दिया जावेगा।

(4) पदोन्नति नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। जिन पदों की शैक्षणिक योग्यता बी. ए. पास निर्धारित की गई है उन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये आवेदन करने पर उन पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

प्राइमरी हैल्थ सेंटर भवन, बकानी का निर्माण कार्य

145. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भवन, बकानी, जिला भालावाड़

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

के बनने की स्वीकृति दो साल पहले हो चुकी थी परन्तु भवन का निर्माण कार्य बन्द है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब भवन निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जावेगा? तथा इस भवन के लिये कितना रुपया मंजूर हो चुका है?

उत्तर

(1) जी हां, स्थान का निर्णय नहीं होने के कारण।

(2) जनवरी, 1974 से भवन निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है तथा इस भवन निर्माण हेतु 60,000 रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं।

जोधपुर नगर में स्टेण्ड बाई इलेक्ट्रिक जनरेटर की व्यवस्था

146. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सिवाय एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के ब्लेकआउट एवं पावर फेल्योर के समय विद्युत् उत्पादन के लिये एक स्टेण्ड बाई इलेक्ट्रिक जनरेटर उपलब्ध है?

(2) राष्ट्र की सीमा के समीप जोधपुर नगर में स्थित यहां ब्लेकआउट की अन्य नगरों के अनुपात में अधिक सम्भावना होते हुए भी स्टेन्ड बाई इलेक्ट्रिक जनरेटर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है?

(3) भविष्य में कब तक जोधपुर में भी जनरेटर उपलब्ध कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अर्थाभाव के कारण।

(3) पंचम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक साधन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

जोधपुर नगर के एस. एन. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का बॉयलर

147. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के एस. एन. मेडिकल कॉलेज में एवं सम्बन्धित अस्पताल में सेन्ट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट की अत्यन्त आवश्यकता के बावजूद पूर्णतया अभाव है?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त यूनिट के लिये लगभग 60,000 रुपयों की लागत से क्रय किया हुआ एक बाइलर अन्य पुर्जों के अभाव में बेकार पड़ा है? यदि हां, तो उपरोक्त यूनिट को कब तक क्रियाशील कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि एस० एन० मेडिकल कॉलेज, जोधपुर एवं सम्बन्धित अस्पताल में सेन्ट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट की आवश्यकता है।

(2) यह भी सत्य है कि उपरोक्त यूनिट के लिए लगभग 60 हजार रुपयों की लागत का एक बाइलर खरीदा गया था। वह अब तक किसी पुर्जे के अभाव

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के कारण बेकार नहीं पड़ा हुआ है लेकिन यह इसलिए अभी तक काम में लाया नहीं जा सका है कि इसको रखने के लिये एक विशेष प्रकार के कमरे का निर्माण आवश्यक है। इस कमरे को बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने अगले वर्ष सन् 1974-75 के बजट में 40 हजार रुपयों का प्रावधान रखा है।

बीकानेर शहर की टी. बी. क्लिनिक के वाटर सप्लाई टैंक

148. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर की टी. बी. क्लिनिक के वाटर सप्लाई टैंक, सार्वजनिक व्यायामशाला तथा आबादी के बीच में स्थित होने के कारण जनता में छूत की बीमारी फैलने का भय एवं चिन्ता बनी रहती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस क्लिनिक को शहर से दूर बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर की जनता ने समय-समय पर उक्त क्लिनिक को यहां से हटाने व शहर से दूर बनाने के बारे में शिकायत-पत्र राज्य सरकार को भेजे हैं? यदि हां, तो उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही आज तक की?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि टी. बी. क्लिनिक आबादी के बीच स्थित होने से छूत की बीमारी फैलने का भय एवं चिन्ता बनी रहती है। फिर भी इसको शहर से दूर ले जाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

(2) जी हां, इस टी. बी. क्लिनिक को पी. बी., एम. मैन अस्पताल के निकट स्थानान्तरण करने का निर्णय राज्य सरकार ने जनता की मांग पर पत्र क्र० एफ. 18 (59) एम. ई./70/ग्रुप-1, दिनांक 27-1-71 द्वारा लिया है। परन्तु स्थानाभाव के कारण इसे अभी स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है। आशा है निकट भविष्य में ही यह निर्णय कार्यान्वित किया जा सकेगा।

गंगानगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नियुक्तियां

149. **श्री गुरदयालसिंह सिन्धु** (करणपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पिछले तीन वर्षों में जिला गंगानगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कितने व्यक्तियों की तथा किन-किन को और कब-कब किस-किस पद पर नियुक्त किया और उनमें से कितने सिक्ख हैं और कौन-कौन जिला गंगानगर से हैं और बाहर से कौन-कौन, जो गंगानगर जिले के हैं वे कहां के हैं और वे गंगानगर में कब से रह रहे हैं और नियुक्ति के समय से पूर्व क्या किसी निर्वाचन सूची में उनके नाम हैं? यदि हां, तो किस जगह और कब से?

(ख) क्या यह सही है कि सहायक प्रादेशिक प्रबन्धक, श्री गंगानगर सिक्खों को भर्ती नहीं कर रहा है? जो पहिले से है उनको हटाया जा रहा है और भर्ती किये जा रहे

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

हैं वे बाहर से हैं उनका निवासस्थान गलत तौर पर जिला गंगानगर लिखा जा रहा है ?

(ग) जिन-जिन व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों में हटाया गया है उसकी सूची दी जावे और बतलाया जावे कि उनमें कितने सिक्ख हैं और कितने जिला गंगानगर के हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि इस पक्षपात-पूर्ण नीति का कारण सहायक प्रादेशिक प्रबन्धक, गंगानगर का परिचालकों, टिकट कलक्टरों, चैकरों से प्रत्येक बस पर अधिक किराये की वसूली में हिस्सेदारी है ? क्या सरकार इस आरोप की जांच करायेगी ? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब तक यह जांच पूरी हो जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) वर्ष 1971-72-73 में गंगानगर आगार में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। निर्वाचन सूची संबंधी सूचना निगम के पास रखने का कोई नियम नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सूची प्रश्न 1 के उत्तर में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(घ) जी नहीं। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा डाक्टरों का चयन

150. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा काफी तादाद में राजस्थान में डाक्टरों का चयन नहीं किया गया है यदि हां, तो ऐसे कुल कितने डाक्टर हैं, जिनका आयोग द्वारा चयन नहीं किया गया है ? डाक्टरों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त डाक्टरों को माहवार वेतन आदि दिया जा रहा है ? यदि हां, तो डाक्टरों को दी जाने वाली धनराशि कुल कितनी है?

(3) क्या राज्य सरकार इन डाक्टरों को कार्य पर लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रथम बार राजस्थान में 422 डाक्टरों का चयन आयोग द्वारा किया गया और उसके पश्चात् सरकार की मांग पर 187 डाक्टरों की रिजर्व लिस्ट भेजी। ऐसे केवल 213 डाक्टर हैं जिनका चयन नहीं किया गया। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, उक्त डाक्टरों में से 120 डाक्टरों की सेवाएं अभी समाप्त नहीं की गई हैं, राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उनके वेतन आदि का ब्योरा महालेखाकार द्वारा रखा जाता है।

(3) आयोग द्वारा चयनित डाक्टरों को नियुक्त करने पश्चात् रिक्त स्थान होने पर अन्य प्रार्थियों के साथ इनकी भी तदर्थ नियुक्ति देने पर विचार किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

दौसा में अस्पताल

151. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार दौसा कस्बे के अस्पताल के कार्य बाहुल्य, क्षेत्र की जन-संख्या जयपुर के अस्पतालों में रोगियों की संख्या आदि को देखते हुए दौसा में जिला अस्पताल चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की उद्योगों में नियुक्तियों हेतु सुरक्षित स्थान

152. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को समाज के अन्य वर्ग के समान लाने में व उनको आर्थिक स्थिति सुधारना क्या सरकार आवश्यक मानती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन्हें राज्य में चल रहे कितने उद्योगों के लाइसेन्स, परमिट आदि दिए हैं ?

(2) क्या नियुक्तियों में सुरक्षित स्थान रखने की तरह उद्योगों में भी इस वर्ग के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित स्थान रखे जाने से इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकेगी ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

गंगानगर जिले में कुओं पर बिजली की मांग

153. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला गंगानगर में इस समय कितने कुएं बने हुये हैं जिन पर बिजली दी जाने की मांग की हुई है ? इनमें से कितने सैंक्शन्ड एरिया में हैं और कितने अनसैंक्शन्ड में ? इनमें से कितनों को बिजली दो गज के कम अन्तर से देनी है और कितनों को सौ गज के कम के फासले से ? इनमें से कितने सैंक्शन्ड एरिया में हैं और कितने अनसैंक्शन्ड एरिया में ? पूरी सूची गांववार कुओं बनाने वाले के नाम, सैंक्शन्ड और अन सैंक्शन्ड एरिया का अलग-अलग वर्णन दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1973-74 में कितने कुओं को बिजली दी गई है ? इनमें से सैंक्शन्ड एरिया में कितने और अन-सैंक्शन्ड एरिया में कितने हैं ?

(3) गत पांच वर्षों में जिला गंगानगर में कहां कहां और कब-कब और किस-किस को बिजली दी गई। उनमें से कितने सैंक्शन्ड और कितने अनसैंक्शन्ड एरिया में हैं ?

(4) जो अनसैंक्शन्ड एरिये में बिजली दी गई है, उनका क्या आधार है और अब

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

अनसैक्शन्ड एरिये में बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

जिला भरतपुर के अजान बांध की सिचाई वसूली

154. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि अगस्त, 1972 में जो बाढ़ जिला भरतपुर में आयी थी उससे अजान बांध टूट गया था और रबी 1972-73 में उपरोक्त बन्धे से कोई सिचाई नहीं हो सकी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त बांध की भूमि पर रबी 1972-73 में सिचाई दर वसूल की गई ? यदि हां, तो कितनी ? और बतलाया जावे कि क्या सरकार उपरोक्त वसूली करने की अधिकारी थी ? यदि नहीं तो वह क्यों की गई और वह वसूली कब तक वापस लौटायेगी ?

उत्तर

(क) जी हां, अगस्त 1972 में अजान बन्ध बाढ़ से टूट गया था। अजान बान्ध के क्षेत्र की रबी 1972-73 को फसल की सैराबी हुई थी।

(ख) जी हां, रबी 1972-73 की 1,55,807 रुपये सिचाई रकम कायम की गई थी क्योंकि सैराबी क्षेत्र पर सिचाई की रकम नियमानुसार कायम की गई है अतः वसूली वापस करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गंगानगर में चक 39 आर. बी. लिंक रोड की भूमि अवाप्ति का मुआवजा

155. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में सड़कों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने के लिये बीकानेर में श्री अर्जुनसिंह अधिकारी को एल. एन. ओ. नियुक्त किया हुआ था जो इस समय अवकाश पर हैं और जो शीघ्र सेवानिवृत्त होने को हैं ?

(2) क्या सही है कि पिछले वर्ष 1973 में उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई कार्य नहीं किया और घर बैठकर वेतन प्राप्त करते रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में चक 39-आर. बी. लिंक रोड की भूमि अवाप्ति का मुआवजा (अवार्ड) सनाएं के लिये मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण (सड़क व भवन) विभाग, जयपुर की ओर से उपरोक्त कार्य के लिये बहुत से तार व पत्र लिखे गये और इसी प्रकार एस.ई., सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगानगर द्वारा भी लिखा गया मगर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने किसी भी आदेश की पालना नहीं की ?

(4) उपरोक्त अधिकारी ने इस मामले में कब-कब और कितने पत्र लिखे ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी श्री अर्जुनसिंह जिसने विभाग के आदेशों का

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

पालन नहीं किया, के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर नगर के विद्युत् गृह में डीजल जनरेटिंग सेट

156. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर नगर के विद्युत् गृह में कितने डीजल जनरेटिंग सेट किस-किस मेक के कितनी-कितनी शक्ति के एवं कितने पुराने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) डीजल सेटों की प्रतिष्ठापित क्षमता एवं दृढ़ क्षमता कितनी-कितनी है ? प्रत्येक का अलग-अलग विवरण दें ।

(3) कितने डीजल सेट बेकार हैं तथा इनकी क्या स्थिति है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) बेकार डीजल सेटों का डिस्पोजल करने के लिये विद्युत् मण्डल क्या कदम उठा रहा है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर नगर के विद्युत् गृह में डीजल जनरेटिंग सेट का मेक, शक्ति तथा वर्ष का विवरण देते हुए सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) डीजल सेटों की प्रतिष्ठापित क्षमता एवं दृढ़ क्षमता की सूची परिशिष्ट "ए" के स्तम्भ 3 तथा 5 में अंकित है ।

(3) विवरण परिशिष्ट "ए" के स्तम्भ 6 में अंकित है ।

(4) बेकार डीजल सेटों का डिस्पोजल करने के लिए सर्वे रिपोर्ट बनादी गई है तथा यह मामला कमेटी के विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि

157. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1949-50 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितनी धनराशि जयपुर एवं जोधपुर नगरों में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत पर अलग-अलग व्यय की ? प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) वित्तीय वर्ष 1949-50 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितनी धनराशि जयपुर एवं जोधपुर नगरों में गन्दे और बरसाती पानी के नल व नालों के निर्माण एवं पुराने नल व नालों की मरम्मत पर अलग-अलग व्यय की ? प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(स्थगित किया गया)

जल विद्युत् केन्द्र

158. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान प्रान्त में वर्तमान जल विद्युत् केन्द्रों के अतिरिक्त और भी

Page No 32

(32)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कोई जल विद्युत् केन्द्र बन सकते हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इनके लिये क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

जी हां, विद्यमान जल विद्युत् केन्द्रों के अतिरिक्त माही परियोजना पर एक जल विद्युत् केन्द्र की स्थापना की जावेगी जिसके लिए विस्तृत स्कीम रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।

बूंदी जिले में लघु सिंचाई कार्य

159. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले में लघु सिंचाई योजना कहां-कहां की तैयार की गई है? इनमें से अब तक कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण हो गया है और किस-किस योजना का कार्य शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

कोटपूतली तहसील में सड़कों की स्वीकृत राशि

160. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील में जनवरी, 1972 से मार्च, 1974 तक किन-किन सड़कों के लिए कितनी-कितनी राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग, अकालराहत तथा क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकार की गई है? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ है? यदि हां, तो किस-किस सड़क पर कितनी-कितनी राशि का उपयोग हुआ है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) वांछित सूचना उपरोक्त सूची (अ) में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अन्ता सब-तहसील के गांवों में सिंचाई हेतु बिजली

श्री शिवनारायण (बारां) :

161. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अन्ता सब-तहसील की ग्राम पंचायत, पचेल कलां के ग्राम सोरखण्ड कलां, सोरखण्ड खुर्द, देवपुरा, कांवरी पंचायत व बिजोरा पंचायत के ग्राम डाबरी काकाजी, खजुरना खुर्द, बिजोरा, बून्दी, ढाटाबदी में क्या असिंचित क्षेत्र है और इन ग्रामों में सिंचाई के साधन कुए हैं? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु बिजली देने की कब तक व्यवस्था करेगी?

(2) क्या इस क्षेत्र का विद्युत् विभाग द्वारा सर्वे कराया जा चुका है? यदि हां,

Page No 33

(33)

(श्री रामगोपाल)

तो इन गांवों में बिजली पहुँचाने में क्यों देरी हो रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, पचेल कलां (अन्ता) के गांवों के असिंचित क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की जानकारी विद्युत् मण्डल के पास नहीं है। इस क्षेत्र में विद्युत् कब तक पहुँच जायगी, अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी नहीं, अभी सर्वे नहीं कराया गया है।

पंचायत समिति, शाहबाद की सड़कों को मध्य प्रदेश की सड़कों से जोड़ने का प्रयास

162. श्री **रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, शाहबाद जिला कोटा की कुछ सड़कों को मध्यप्रदेश की सड़कों से जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी सड़कें हैं और मध्यप्रदेश की किन-किन सड़कों से वे जोड़ी जायेंगी ?

(2) उपरोक्त सड़कों की इस समय क्या स्थिति है ? क्या सरकार आगामी योजना में इनका निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बारां-शिवपुरी मैन रोड के अतिरिक्त जो शाहबाद होकर जाती है, किसी अन्य मैन सड़क को जोड़ने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग में कर्मचारियों को अनिवार्य सेवामुक्त

163. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज. पुलिस विभाग की हर शाखा में सन् 1964 से फरवरी, 1974 तक कितने कर्मचारियों को अनिवार्य सेवामुक्त किया गया ? जिलेवार, वर्षवार व शाखावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सेवामुक्त कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बीमारी के कारण सेवामुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की सेवामुक्ति न्यायोचित है ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज. पुलिस विभाग में सन् 1964 से फरवरी, 1974 तक अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारियों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जालोर को सीमेन्ट का कोटा

164. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर को इस वर्ष सीमेन्ट का कोटा पर्याप्त

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मात्रा में न दिये जाने के कारण काश्तकारों को कृषि कार्यों के लिये समय पर सीमेन्ट प्राप्त नहीं हुआ ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो पिछले छः माह में किस-किस महीने में कितना-कितना सीमेन्ट का कोटा दिया गया एवं उसका विवरण पंचायत समितिवार किस प्रकार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार जिला जालौर में सीमेन्ट की कमी दूर करना एवं प्राप्त सीमेन्ट वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जावेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

जिला जालौर में शीत लहर से फसलों को क्षति

165. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में फरवरी, 1974 में आई शीत लहर से रबी फसल को बड़ी भारी क्षति पहुँची है ? अगर हां, तो किस-किस तहसील के किस-किस ग्राम में कितने-कितने प्रतिशत रबी की फसल को कब-कब क्षति पहुँची ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील सांचोर में नेपड़ क्षेत्र में गेहूँ में बीमारी एवं शीत लहर से काफी क्षति पहुँची है ? अगर हां, तो किस-किस गांव में कितने-कितने प्रतिशत फसल में क्षति पहुँची ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त क्षतिग्रस्त फसलों के लिये काश्तकारों को क्या-क्या राहत राज्य सरकार द्वारा दी गई है एवं भविष्य में क्या-क्या राहत दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले की किस-किस तहसील में किस-किस ग्राम में कितने प्रतिशत क्षति हुई इसके बाबत सूचना रबी की गिरदावरी समाप्त होने के पश्चात् ही उपलब्ध हो पायेगी। फैमिन कोड के पैरा 7 के तहत रबी की फसल में होने वाले खराबे के बाबत प्रथम प्रतिवेदन 31 मार्च तक एवं अन्तिम प्रतिवेदन 30 अप्रेल तक आना चाहिये ऐसा प्रावधान है। अभी फसल की गिरदावरी चालू है।

(2) जी हां। ग्रामवार क्षति का ब्योरा गिरदावरी समाप्त होने के पश्चात् ही उपलब्ध हो पायेगा।

(3) रबी की फसल में जो क्षति हुई है उसका अन्तिम प्रतिवेदन आने के पश्चात् राज्य सरकार उस प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही यह निर्णय कर सकेगी कि कृषकों को क्या-क्या राहत दी जानी चाहिये।

लघु उद्योग समिति, सवाई माधोपुर द्वारा कोयला व चद्दरों का आवंटन

166. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1973 से अब तक सवाई माधोपुर जिला लघु उद्योग समिति द्वारा जिले के उद्योगों हेतु कितना-कितना

(श्री मीठालाल)

कोयला व चद्दरें आदि भेजने की मांग की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त मांग के आधार पर कोयला-चद्दर भेज दिये हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा आवंटित कोयला व चद्दर भी जिला उद्योगों को प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

थानेदार, दांतारामगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

167. **श्री केशरदेव** (लक्ष्मणगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थानेदार, दांतारामगढ़ (सीकर) के खिलाफ अनेक शिकायतें राज्य सरकार तथा जिला पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? अगर हां, तो आज तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि थाना खण्डेला (सीकर) में श्री रामेश्वरलाल पुत्र पन्नाराम, ढूकिया, तहसील दांतारामगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है ? अगर हां, तो कब, किस कारण से ? अब मुकदमे में क्या कार्यवाही चल रही है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि करीब 4-5 साल पहिले आर. जे. वी. 508 जीप से चौमूं के पास टक्कर हुई थी ? अगर हां, तो किससे, कौन चला रहा था ?

(4) क्या यह भी सही है कि जीप कई दिनों तक थाना चौमूं (जयपुर) में पड़ी रही थी ? अगर हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त जीप को श्री नारायणसिंह, जिला प्रमुख सीकर चला रहे थे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री चुन्नीलाल एस. एच. ओ., थाना दांता रामगढ़ के खिलाफ कुल 5 शिकायतें जिला पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच करवाने पर दो शिकायतें झूठी पाई गई तथा बाकी 3 शिकायतों की जांच अभी तक जारी है। गृह विभाग में इनके खिलाफ कोई शिकायत होना नहीं पाया जाता।

(2) जी हां। श्री रामेश्वर पुत्र पन्नाराम, निवासी ढूकिया मय उसके चार अन्य साथियों के खिलाफ दिनांक 19-11-67 को मु० नं० 63 धारा 363, 376, 354 आई. पी. सी. पी. एस. खण्डेला दर्ज किया गया था। मुकदमे से सम्बन्धित पांचों मुलजिमान अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नीमका थाना से दिनांक 25-11-69 एवं 15-1-74 को डिस्चार्ज किये जा चुके हैं।

(3) जी हां। दिनांक 23-7-69 को चौमूं के पास जीप नं० आर जे वी 508 का एक्सीडेन्ट हुआ था। उक्त जीप श्री रामसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह राजपूत, निवासी खाखोली चला रहा था।

(4) जीप के मैकेनिकल मुआयने की रिपोर्ट न आने से तथा अदालत द्वारा उसके सुपुर्दगीनामे के आदेश नहीं होने से उक्त

(गृह मंत्री)

जीप, दि० 23-7-69 से 2-8-69 तक थाना चौमूं में पड़ी रही। दिनांक 1-8-69 को सुपुर्दगीनामे के आदेश होने पर दिनांक 3-8-69 को जीप सुपुर्द की गई।

(5) जी नहीं।

जिला झालावाड़ को लोहा, चद्दर आदि का कोटा

168. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1973 तक लोहा; चद्दर आदि का कोटा किन-किन व्यक्तियों को कब-कब दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ को उक्त सामान का कोटा समय पर नहीं दिया गया और बहुत कम माल दिया जाता है जब कि सारा माल दूसरे जिले के व्यक्तियों को दिया जाता है। यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिले के हिस्से के मुताबिक सप्लाई नहीं होती ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पुलिस विभाग में रसोइयों की नियुक्तियां

169. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के पुलिस विभाग में कितने स्थानों पर सरकार की ओर से रसोइयों की नियुक्ति की गई है ? इनमें से किस-किस स्थान पर हरिजन (मेहतर) जाति के लोग इस पद (रसोइयों के पद) पर कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

पुलिस विभाग में इस समय नियुक्त रसोइयों की जिलेवार सूची संलग्न है। इन रसोइयों मे से कोई भी हरिजन (मेहतर) जाति का नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हाण्डा व केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित लालबहादुर शास्त्री कॉलेज में अनियमित नियुक्तियां और धन के दुरुपयोग आदि के विषय में। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) सर्वश्री मूलचन्द सामरिया और मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम आन्धी में जलप्रदाय योजना चालू न करने के सम्बन्ध में।

(3) पूर्व में सर्वश्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह, गोवर्धनसिंह, रामजीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायतों के चुनावों की

(श्री अध्यक्ष)

तिथि निश्चित न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी।

इन दोनों ही विषयों पर माननीय सदस्य यदि चाहें तो बजट पर हो रही बहस तथा सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय में इन प्रश्नों को उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से अप्रेल, 1973 से अब तक ग्रामीण जनता को राशन का प्रबन्ध न करने के विषय में। खाद्यान्न के वितरण पर सदन में बहस हो चुकी है; इसके अतिरिक्त यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित भी नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा; सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर मण्डल की रेल गाड़ियां परसों से रद्द कर दी गई हैं; इस विषय में।

(6) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधानसभा की ओर से आकाशवाणी, जयपुर की नीति पक्षपातपूर्ण है इस विषय में।

ये दोनों ही विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा पेन्शनर्स को हाल ही में दी गई राहत आधार पर राज्य सरकार के पेन्शनर्स को राहत दिये जाने के विषय में।

इस पर सरकार से जानकारी चाही गई है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव लालबहादुर शास्त्री कालेज के सम्बन्ध में उठाया है उसमें आपने फरमाया है कि सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह कॉलेज यहां पर भारत सेवक शिक्षा समिति के अन्तर्गत चलाया जा रहा है और जयपुर के या राजस्थान के प्रख्यात व्यक्ति श्री देवीशंकर तिवाड़ी उसके चेयरमैन हैं। अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षण संस्था को गवर्नमेन्ट की तरफ से 90 परसेन्ट एड मिलती है और बाकी जो खर्चा चलता है वह स्टूडेन्ट्स की फीस के जरिये चलता है लेकिन वे इसके बावजूद जिस तरीके से जिस शिक्षण संस्था को चलाया जा रहा है श्री देवीशंकर तिवाड़ी द्वारा और जिस तरीके से इसके धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से उनका अपने पद का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने इसकी जानकारी की है और जांचपड़ताल करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस संस्था को वास्तव में पब्लिक हित में न चलाया जाकर श्री देवीशंकरजी तिवाड़ी के अपने निजी परिवार, निजी रिश्तेदारों के हित में चला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर इस कालेज की व्यवस्था और स्टाफ को देखें तो उनके सारे रिश्तेदार और उनका सारा परिवार....

श्री अध्यक्ष : इतनी डिटेल में जाने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन जिसमें फेवरटिज्म की शिकायतें हैं, जिसमें अन-कान्स्टीट्यूशनल एक्ट की शिकायतें हैं और मिस-एप्रोप्रियेशन फन्ड्स की शिकायतें हैं, वे मैंने शिकायतें की हैं, मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है और मैं इसका एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। उनके श्री ललितनारायण जो भतीजे हैं प्रिन्सिपल अगेन्स्ट रूल्स उनको बनाया हुआ है, श्री विष्णुचन्द्र पाठक हिन्दी के प्राध्यापक हैं, जो उनके जंवाई है, श्री राजेश्वरी जो उनकी भतीजी है, उसको प्राध्यापक नियुक्त किया हुआ है, श्रीमती रेखा जो अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं, यह उनके बेटे की बहू है, श्री गणेशसिंह जो वहां प्राध्यापक हिन्दी के हैं, ये इनके....

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो एज्यूकेशन की ग्रान्ट के समय इसको बोल सकते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन करना है कि इस तरीके के चार्जेज जिसमें कि सारे अपाइन्टमेंट्स फेवरटिज्म के तरीके से हुआ है और लोगों को नौकरी से जो काबिल लोग हैं, एलीजिबल हैं, उनको इन-अकमोटेड करने की दृष्टि से निकाल दिया गया है। जो इसके प्रिन्सिपल थे मिस्टर द्रविड़ उनको निकाल दिया गया है, नम्बर तीन इसकी जो शिक्षा समिति का विधान है उसको अन-कान्स्टीट्यूशनल तरीके से बेसिक संशोधन कर लिये गये हैं, मीटिंग नहीं बुलाई गई जनरल बाडी की और उसमें लाइफ टाइम चेयरमेन श्री तिवाड़ीजी को बना दिया गया है। उसमें से टीचर्स को हटा दिया गया है। उनको नोमीनेट करके बेसिक चेन्जेज कान्स्टीट्यूशन में किये गये हैं। जिस बोडी को करने का अधिकार है उसकी मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स इर-रेगूलरिटि भी बहुत है। शिड्यूल्ड कान्ट्रक्टर से काम न लेकर श्री देवीशंकर तिवाड़ी जो इसके चेयरमेन हैं उनके सुपुत्र हैं उनको कन्ट्राक्ट सारी बिल्डिंग बनाने का दे दिया है। बिल्डिंग बनाने की सारी जिम्मेदारी उन पर रख दी गई है। न शिड्यूल्ड काट्रन्क्टर से टेन्डर मांगने का तरीका अपनाया गया है और लाखों रुपया इस बिल्डिंग पर खर्च हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लाखों रुपयों का गबन हुआ है। मेटेरियल खरीदा नहीं गया है। उसका इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। बिल्डिंग कहीं बन रही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए मिस्टर भार्गव हैं, चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर उनको मुकर्रर किया और मेरी नोलेज के अनुसार उनकी रिपोर्ट के अनुसार बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है....

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन पर इतना नहीं बोलते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इसके काम को तुरन्त बन्द कर दिया जाय। गवर्नमेंट ने श्री कक्कड़ को इसके लिये मुकर्रर किया है और अभी तक उनकी रिपोर्ट दबाई हुई है। इन सारी एन्क्वायरीज के बावजूद यह स्थिति ज्यों की त्यों है। टीचर्स में जबरदस्त असन्तोष है। टीचर्स ने अल्टीमेटम दिया है कि इतने अर्से में स्थिति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ठीक कर दें अन्यथा आन्दोलन करना पड़ेगा । मेरा निवेदन है आन्दोलन टीचर्स, स्टुडेन्ट्स, जनता को करना पड़े उससे पहले आखिर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले । तुरन्त इस कान्स्टीट्यूशन को समाप्त कर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देना चाहिये । जो शिक्षा समिति है, वह ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रही है और जो श्री कक्कड़ साहब की रिपोर्ट है उसके अनुसार जल्दी से जल्दी सुधार किया जाय । इस संस्था में 75 हजार का डेफिसिट है । मैं नहीं चाहता यह इन्स्टीट्यूशन बन्द हो । यही शिक्षण संस्था अच्छी तरह चल सकती है बशर्ते फेवरटिज्म खतम हो, इसलिये मेरा निवेदन करना है जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को कल या परसों उत्तर मिल जायगा.....

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव यह था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पेन्शनर्स को एडहॉक इन्क्रीमेन्ट परसों 11 तारीख को दिया है और वह 15 रुपये से लेकर 35 रुपये तक का है । 85 से कम वालों को 15 रुपये का और अधिक से अधिक 35 रुपये का अनाउन्समेन्ट किया है जो कि 1-1-73 से पहले रिटायर हो गये थे उनको और 1-1-73 के बाद में जो रिटायर हुए हैं उनके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने थर्ड पे कमीशन की सिफारिशों को मन्जूर कर लिया है और उनकी पेन्शन को प्राइस इन्डेक्स के साथ लिंक कर दिया है और 16 पाइन्ट बढ़ने पर 12 महीने में 5 परसेन्ट का इन्क्रीमेन्ट मिलेगा—इसको भी मन्जूर कर लिया है । इसका मतलब यह हुआ कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जो भी पेन्शनर्स हैं या आइन्दा होंगे उनकी पेन्शन के साथ डी० ए० लिंक हो गया है प्राइस इन्डेक्स नम्बर से और उनको एडहॉक इन्क्रीमेन्ट मिल गया और जिनको एडहॉक इन्क्रीमेन्ट मिला है जैसे चपरासी को 15 रुपये मिल गये और अब उसके बाद जो भी 5 परसेन्ट इन्क्रीज डी० ए० में होगा जैसे-जैसे इन्डेक्स नम्बर बढ़ेगा उसके मुताबिक उनको और मिलेगा । तो यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने अनाउन्स कर दिया । अब हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट को भी फौरन अनाउन्स करना चाहिये । ऐसा नहीं हो कि कर्मचारी लोग या पेन्शनर्स हड़ताल का नोटिस दें, भूख हड़ताल पर बैठें, पिकेटिंग करें और फिर गवर्नमेन्ट उसको पीस मील तरीके से लागू करे । मेरा मतलब यही है कि पहले भी यही सब कुछ हुआ है । हमनें भी जो डी० ए० अनाउन्स किया गवर्नमेन्ट ने तीन इन्स्टालमेन्ट्स कर दिये और अभी 1 जनवरी, 1974 से एक डी० ए० और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के एम्प्लोइज को दे दिया लेकिन अभी हमारी राज्य सरकार ने 2 मार्च को पिछले तीन इन्स्टालमेन्ट के लिये तो अनाउन्स कर दिया लेकिन 1 जनवरी, 74 वाला अभी भी अनाउन्स नहीं किया है । तो मेरा निवेदन करना यह है कि इससे पहले कि कर्मचारियों को कोई कदम उठाना पड़े और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यह कहा था कि मैं चेलेन्ज वगैरा पसन्द नहीं करता, हड़ताल वगैरह पसन्द नहीं करता । तो कोई जरूरत नहीं है कि कर्मचारी ऐसा करें । अगर गवर्नमेन्ट अपने आप ही कदम उठालें और इन पेन्शनर्स को जो केन्द्रीय सरकार ने दिया है वह भी यहां दें दें और जो महंगाई भत्ता वहां मिला है वही यहां भी दे दें मेरे खयाल से फिर आन्दोलन का तरीका कर्मचारियों को नहीं उठाना पड़ेगा । इसलिए मेरा निवेदन है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि इस प्रश्न पर सरकार का तुरन्त उत्तर मांगा जाये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो पाइन्ट ही अर्ज करना चाहूँगा। लालबहादुर शास्त्री कॉलेज के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव है मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसका स्टेटमेन्ट आना चाहिए। अब जो उसका करेक्टर पहले था उसको बदल दिया। इन्स्टीट्यूशन बदल दिया। नाम अच्छा है लालबहादुर शास्त्री के नाम से है तो नाम अच्छा है उसको भी इन्होंने बदल दिया। अब केवल एक फेमीली ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सारे इन्स्टीट्यूशन पर अपना कन्ट्रोल कायम कर रखा है और जो इसके फाउन्डर मेम्बर्स थे, उनकी जनरल मेम्बरशिप भी खारिज कर दी और उनको विक्टीमाइज भी कर रहे हैं और बिलकुल इल्लीगल तरीके से नये अपाइन्टमेंट्स कर रहे हैं और इसके ऊपर वन मैन इन्क्वायरी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी इसलिए इस पर जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट आये यही मेरी गुजारिश है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इसलिए रखा है कि मैं यह मानकर चलता हूं और कल उस पर कुछ स्टेटमेंट आई थी लेकिन मैंने कल भी यह अर्ज किया था कि गांवों के लिए जब तक यह निर्णय नहीं करेंगे कि गांव के लोगों को भी राशन मिलना चाहिए, जब से राशन प्रणाली शुरू हुई है आज तक राजस्थान के किसी गांव को कोई राशन नहीं दिया गया और जिस क्षेत्र से मैं आया हूं हमने सबसे ज्यादा अनाज उस क्षेत्र से दिया था सारे राजस्थान को लेकिन आज उस क्षेत्र के लोगों को यह मानकर चलना चाहिए कि जहां अनाज ज्यादा होता है वहां ऐसे लोग भी हैं कि जिनके यहां बिलकुल अनाज पैदा नहीं होता और वहां लेबर क्लास भी है। मेरे यहां जनवरी और फरवरी में केवल 1½ किलो अनाज मिला था दो महीने में और करनपुर और गजसिंहपुर में दो-दो किलो मिला लेकिन देहातों में आज तक नहीं मिला है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और अगर वह अनाज हमको नहीं देंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरे साथी ने अगली बात के लिए बात रखी है इसलिए अगली बात मैं नहीं करते हुए यह जरूर कहूंगा कि हम चुप करके नहीं बैठेंगे यदि हमें अनाज नहीं दिया गया तो।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, यह है कि यहां पर एक पार्टी का राज्य है और यहां पर हमारी बात के लिए रेडियो भी चुप है। सितम्बर के अन्दर भी मैंने कहा था लेकिन हमारे सिक्ख धर्म के लिये उस समय राजस्थान का रेडियो मौन था और पंजाबी की कोई बात करते हैं, अभी बूढ़ाजोहड़ गुरुद्वारे के अन्दर फेरुमान दल के सदस्यों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गयी और मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में बताया है कि उसका वास्ता किस तरह था। उस समय प्रधान मंत्री भी गंगानगर में मौजूद थीं जिस समय कि यह हुआ। मुझे अफसोस है कि आकाशवाणी और राजस्थान के पेपर्स इसलिए चुप हैं कि क्योंकि सिक्ख धर्म की बात आती है तो पेपर में भी उसका जिक्र नहीं होता। तो मुझे दुःख के साथ यही लफ्ज कहने हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर अपना स्थगन प्रस्ताव दिया उस सम्बन्ध में एक तो यह निवेदन करना था कि उसके पहले कि मैं अपने दो स्थगन प्रस्ताव पर निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : एक को आज रख दें और दूसरे को बाद में।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं चाहूंगा कि पेन्शन के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव आया है राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के अन्दर जिस प्रकार से पेन्शन के ऊपर और महंगाई भत्ते और 15 से 25 तक की रकम बढ़ाने की घोषणा राज्य सभा में जनसंघ के श्री जगदीशप्रसाद माथुर के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने वहां पर की तो मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी भी अपने यहां पर कमिटेड हैं कि केन्द्र के अनुसार सारी सुविधायें राज्य के कर्मचारियों को भी दी जायेंगी तो पेन्शनर्स सबसे ज्यादा एफेक्टेड हैं क्योंकि वृद्धावस्था के अन्दर कोई आय का साधन नहीं होने से वह केवल पेन्शन के ऊपर ही डिपेन्ड करते हैं और प्राईस इन्डेक्स जब इतना बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई तो उनको दूसरी चीजें दी जाये या नहीं इस प्रश्न के ऊपर राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही घोषणा की जानी चाहिए कि केन्द्र के अनुसार राजस्थान के पेन्शन होल्डर्स को भी महंगाई भत्ता प्राईस इन्डेक्स से लिंक करके दिया जायेगा। सबको 15 से 25 तक का मिनिमम एडवान्टेज दिया जायेगा तो वह जो स्थगन प्रस्ताव जो मेरे दूसरे साथी ने रखा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि उसको महत्त्व देकर जल्दी से जल्दी राज्य सरकार घोषणा करे। बजट स्पीच में कह दें या कभी भी कह दें क्योंकि यह तो बिना विवाद का प्रश्न है।

अब अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव आज प्रातःकाल 3 जैन साध्वियां....

श्री अध्यक्ष : दूसरा बाद में ले लेंगे। पहले जैसलमेर जोधपुर वाला लेलें। यह रह गया किसी वजह से।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कल डील करलें। लेकिन यह आज ही प्रातःकाल का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : नुकसान होता हो तो आज ही लेलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं एक पाइन्ट को क्लियर कर दूं। जोधपुर से बस रवाना हुई और यहां के विधायक श्री रामसिंहजी विश्नोई आये। साधारण तौर पर उनके भी चोटें आई हैं, कोई बहुत बड़ी चोट तो नहीं लगी है, मैं भगवान का इसके लिए बहुत एहसानमन्द हूं लेकिन इसके साथ में यह बस जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा चलाई जा रही थी-मन्दिर मार्गी तीन जैन साध्वी जो कि अपनी तपस्या के दौरान सड़क से बहुत दूर पैदल आ रही थीं उनके ऊपर बस रांग साइड में गयी और इसके कारण से तीन या चार जैन साध्वियां उस बस के नीचे बिलकुल क्रश हो गयी। वह समाप्त हो गयी....

श्री अध्यक्ष : बगैर मेरी मर्जी के बोल ही रहे हैं तो मैं आज ही प्रस्ताव को ले लेता हूं। मैं ही इल्ड कर लेता हूं, सिवाय इसके और चारा ही क्या है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें दो-तीन बड़े प्रश्न हैं। मैंने प्रातःकाल से प्रयत्न

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

किया जो परिवहन के मंत्री हैं और स्वास्थ्य के भी लेकिन उनसे सम्पर्क नहीं हो सका और वित्त मंत्रीजी थे उनसे मैंने सम्पर्क स्थापित किया और एम्बुलेन्स भी भेजी और पता लगा कि हॉस्पिटल में एक तो डेड बॉडी आ गयी है और एक घायलावस्था में है। कुछ वहां पर हैं। यह प्रश्न जो आज उपस्थित हुआ है वह यह है कि एक दूसरी रोडवेज़ की बस आई और माननीय विधायक ने प्रयास किया कि घायल लोगों को ले जाया जाये लेकिन घायल लोगों को उसमें लाया नहीं गया उसके कारण बहुत समय तक रक्त प्रवाह होता रहा, खून बहता रहा और जो जीवन की रक्षा हो सकती थी वह नहीं हो सकी। उसके बाद में भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों की इस प्रकार की गलती के कारण से मानव जीवन का अन्त हुआ, खून बहता रहा और तीन साध्वियां समाप्त हुई, तीन जैन साध्वियां मर गई, कुचला दी गई और उनके हाथ पांव धड़ अलग-अलग हो गए। इसलिए इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इसके बारे में राज्य सरकार और मंत्री महोदय, चाहे वे पुलिस के मन्त्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हो इसके बारे में एक स्टेटमेंट कल हाउस के अन्दर दें कि राजस्थान पथ परिवहन निगम किस प्रकार से जो ये ड्राइवर्स इस प्रकार की नेग्लीजेंस और रेसलेसनेस करते हैं, उसको रोकने के लिए स्टेप लेना चाहता है। मुझे बताया गया है, अध्यक्ष-महोदय, कि जब बस जोधपुर से चली तो उसमें हमारे विधायक महोदय भी बैठे हुए थे, जोधपुर के बाद में ही बारबार ड्राइवर नींद ले रहा था और लोगों ने उसको कहा भी कि नींद के कारण हमारी जान खतरे में आ जाएगी, कृपया आप इस प्रकार का प्रबन्ध करें, लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न के ऊपर जो आज इतना बड़ा काण्ड हुआ है जयपुर और दूदू के बीच में, जिसके कारण तीन या चार जैन साध्वियों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हैं, हमारे विधायक महोदय भी घायल हुए हैं, इसके ऊपर कल मंत्री महोदय वक्तव्य दें और हमें इस बात से सदन को विश्वस्त करायें कि आयन्दा विधायक और जनता जो बसों में ट्रेवल करती है उसके जीवन की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किया जाएगा और इस प्रकार की दुर्घटना दुबारा नहीं हो इसके बारे में राज्य सरकार क्या स्टेप लेना चाहती है, इस प्रकार की यहां सदन में घोषणा करें। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की दुर्घटना जिसके अन्दर इतने सरल तरीके से, मनुष्य जीवन को समाप्त कर दिया गया, पुनरावृत्ति होती रहेगी। और एक समय आएगा जब हमें मंत्री महोदय से कहना पड़ेगा कि अपने पद को छोड़ दें और त्याग-पत्र दे दें। एक समय इसी प्रकार की घटना हुई थी और उसमें लालबहादुर शास्त्री ने त्याग-पत्र दिया था यद्यपि उस दुर्घटना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। लेकिन आज मैं त्याग-पत्र की मांग नहीं कर रहा हूं, केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि कल इस बारे में डिटेल्ड वक्तव्य दें कि क्या स्टेप लेना चाहते हैं मानव जीवन को एश्योर्ड करने के लिए और लोगों के जीवन की सेफ्टी के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लिए। इसलिए कृपया मंत्री महोदय कल वक्तव्य दें।

दूसरा एक मेरा स्थगन प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, और है जिसको आपने अस्वीकार इस कारण से किया है कि यह विषय राज्य का विषय नहीं है। यह तो सही है, अध्यक्ष महोदय, कि जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से बिलाड़ा, बाड़मेर से मुनाबा, जोधपुर से बालोतरा, डेगाना से फुलेरा, ऐसी करीब-करीब कई रेलगाड़ियां हैं जो पहले तो आल्टरनेट चलाई गई और अब दो दिन से बिल्कुल बन्द कर दी गई हैं। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि बस सर्विसेज पूर्णतया अपर्याप्त हैं। मैं समझता हूं कि यह पोइंट एक्सेप्ट हो गया है, आपके नोटिस में नहीं लाया गया है क्योंकि यह मामला राजस्थान पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित मामला है। आप कृपया इस बात की ओर ध्यान दें कि बाड़मेर से आने वाला व्यक्ति या जैसलमेर से आने वाला व्यक्ति, मुनाबा से आने वाला व्यक्ति, बिलाड़ा से आने वाला व्यक्ति यदि रेल बिल्कुल बन्द हो जावे, कम्पलीटली स्टोप हो जाय चाहे कोयलों की कमी के कारण से हो या अन्य कारण से हो, तो अन्य यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। आज बस सर्विसेज पर्याप्त नहीं हैं। यातायात पूरी तौर से ठप्प हो चुका है, अध्यक्ष महोदय, और जब राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग जो कि मरुधर है और मरुधर प्रदेश के कारण माटी के टीले और घरों की धरती होने के कारण साधारणतया कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, उसमें ऐसी स्थिति पैदा हो जाने के बाद भी क्या आप यह पसन्द करेंगे कि यातायात ठप्प होने के बाद में राजस्थान सरकार की बसें, पथ परिवहन निगम की बसें, वहां पर आल्टरनेटिव एक्स्ट्रा बसेज लगा कर जनता का जो यातायात डेडलाक हो गया है उसको तोड़ने के लिए प्रबन्ध न करे। और लोगों को गांवों में बन्द कर दिया जाय कि इधर उधर आ-जा नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त लोक महत्त्व का है और इस प्रश्न के ऊपर राजस्थान की मरुधर की जनता बड़ी-बड़ी तादाद में त्रस्त है, परेशान है। लोग स्टेशन पर बैठे रहें, बस स्टेन्ड पर बैठे रहें और यहां तक कि बालोतरा के पास में बस के सामने लोगों ने लकड़ियां और पत्थर के ढेर लगा कर बसों को रोका और उनके ऊपर चढ़ गए और यात्रा की। जिन लोगों को अपने जरूरी काम से इधर उधर जाना है वे किस प्रकार से जावें, अध्यक्ष महोदय, यह आप मुझे बता दीजिए। क्या वे डांडी मार्च करके पैदल-पैदल एक-एक कदम चलते हुए दस-पन्द्रह दिन में पहुँचें जब कि आज के युग में लोग चन्द्र लोक में जाकर छः दिन मे अन्दर वापस आ जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उस हालत में मारवाड़ का इन्सान पैदल चल करके, धोरों की धरती को पार करते हुए, गर्मी में, सर्दी में इस प्रकार से परेशान होता रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर, यातायात के प्रश्न के ऊपर या तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले इस बात के लिए कि एकदम

Page No 44

(44)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

से रेलगाड़ियां बन्द नहीं करें। यह बात तो समझ में आसकती है कि आल्टरनेटिव चलें, दो दिन में चलें यह बात भी समझ में आ सकती है, सात दिन में दो बार चलें क्योंकि कोयले की कमी है लेकिन एकदम बन्द कर दिया जाय, जहां-जहां दो दिन में एक बार रेलगाड़ी चल रही थी उसको एकदम बन्द कर दिया जाय, तो जनता किस प्रकार आ जा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले, रेल मंत्री के ऊपर दबाव डाले। और फिर अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी केवल मारवाड़ को ही क्यों चुना गया कि वहां की सारी गाड़ियां बन्द कर दी। सारा का सारा यातायात ..

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं संक्षेप में ही निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है कि राजस्थान रोडवेज को इसके बारे में एक्स्ट्रा बसेज लगा कर रेल की कमी के कारण जो यातायात का डेडलाक हुआ है उसको कम्पन्सेट करने के लिए और जनता को पहुँचाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न को, मेरे स्थगन प्रस्ताव को यह कह करके डिस अलाऊ कर दिया कि यह राज्य का विषय नहीं है, इस पर आप पुनर्विचार करके फैसला करें, इसमें बसों की व्यवस्था एवं बस सर्विसेज पथ परिवहन निगम की अपर्याप्त हैं यह प्रश्न निहित है। मैं समझता हूं कि यदि यह बात आपके ध्यान में लाई जाती तो सम्भवतः आप इसको डिसअलाऊ नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कष्ट करें। जो आज राजस्थान रोडवेज और ट्रांसपोर्ट के मंत्री महोदय हैं उनसे जानकारी प्राप्त करें कि क्या वह रेलों के अभाव में बस सर्विसेज को बढ़ाने की व्यवस्था कर जनता को राहत पहुँचाने के लिए तैयार हैं। उनकी कितनी बसें चल रही हैं और कितना पोटेन्शियल है यातायात का और कितना डेडलाक है रोडवेज की बसों की कमी के कारण और इन रेलों के बन्द होने से। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप कृपया पुनर्विचार करें और माननीय मन्त्री महोदय को इसके ऊपर पर्याप्त आंकड़े और सूचनाएँ देने की आज्ञा प्रदान करें। इसके बाद में आप आवश्यक समझें वैसा करें, अलाऊ करें, डिसअलाऊ करें या यहां पर वक्तव्य देने की घोषणा करें। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकमहत्त्व का प्रश्न है और इसको टैक्निकल ग्राउण्ड पर टाल दिया जाय यह ठीक नहीं है। फिर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है हम तो आपकी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे लेकिन वे लोग क्या करेंगे जो रोडवेज की बसों की कमी के कारण और रेलों के बन्द होने के कारण पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी फरमा दिया है, अब समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें इस संदर्भ में।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिए मैं भी इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह रेल गाड़ियों का, यातायात का जो प्रश्न है यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई कारण से कोयले की कमी या और कोई कारण से मारवाड़ के अन्दर रेल चलना बिल्कुल बन्द हो गया, जैसा कि अभी बताया गया माननीय जनसंघ के नेता द्वारा, तो राज्य सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वह मोटरों द्वारा जो कमी हुई है उसकी पूर्ति यथा सम्भव करें। केन्द्र पर इस सम्बन्ध में दबाव डालें। केन्द्र की भी कोई यह बात ठीक नहीं है और यथासम्भव रेलों को चलाया जाय। अगर कोयले की कमी है तो दो दिन में चलायें लेकिन बिल्कुल ही नहीं चलाएँ यह ठीक नहीं है।

इसके साथ-साथ यह साध्वियों की दुर्घटना और मोटर के नीचे पिस जाने और मर जाने की चर्चा अभी उठाई गई, उस सम्बन्ध में भी मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन साध्वियों की जो....

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं भी एक मिनट में....

श्री अध्यक्ष : आपके नेता महोदय ने कह दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक प्रश्न में यह कहना चाहता हूं कि यदि यातायात विभाग नेग्लीजेन्स नहीं बरतता तो यह दुर्घटना नहीं होती। ड्राइवर शराब पीकर चलते हैं। कन्डक्टर शराब पीकर चलते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आपत्तिजनक मानता हूं। एक ड्राइवर को आधार बनाकर पूरी वर्किंग क्लास को गलत नहीं कहा जा सकता है। यह तथ्यों से परे है। एक क्लास को जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं कहना चाहता हूँ। रामानन्दजी को पता नहीं है मैंने यात्रा की है। बस आधा घण्टे देरी से चली है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री केसरीमल : यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा सभी के लिए कोई आरोप नहीं है।

श्री केसरीमल : यह गलत है कि ड्राइवर और कन्डक्टर शराब पीकर चलते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने यह कहा है कि चयन करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि वह शराब नहीं पियें। लेकिन यातायात विभाग इन शिकायतों पर ध्यान नहीं देता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब एम. एल. एज. शराब पीने वाले आ सकते हैं तो उन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज तक शिकायतों पर कोई इन्क्वायरी नहीं की गई है। कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा निवेदन है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यदि शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती। आप यह नहीं समझें कि हमने सभी ड्राइवरों को शराबी बनाया है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इन शिकायतों पर ध्यान दे और एक्शन ले।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये। काफी वक्त हो गया है।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय; मुझे एक जरूरी बात कहनी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल-व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बस के साथ यह दुर्घटना हुई, उसमें विधायक महोदय बैठे हुये थे। जोधपुर से बिलाड़ा तक उसे नींद आ रही थी। जिसके कारण वह बस नहीं चला पा रहा था। लोगों ने उससे निवेदन भी किया कि खतरे में मत पड़ो। लेकिन वह नहीं माना। विधायक महोदय के भी चोटें आई हैं। विधायक श्री रामसिंह विश्नोई को भी चोटें आई हैं। एक यात्री घायल हुआ है। दो साध्वियों की मृत्यु हो गई है। वे अस्पताल में लाये गये हैं। मामला अध्यक्ष महोदय, नोटिस में लाने का है। यह आचार्य विनोबा भावे के शिष्य जिन श्रीमानजी की कमेटी बनी हुई है।

एक माननीय सदस्य : गोकुलभाई भट्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गोकुलभाई भट्ट, यह तो उनके देखने की बात है। यह जबरदस्ती मार दिये गये हैं। ड्राइवर और कन्डक्टर के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं। यह किसी क्लास के खिलाफ नहीं है। यह राजस्थान सरकार अथवा परिवहन निगम की व्यवस्था के खिलाफ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा यह कहने का अधिकार है। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जन-जीवन सुरक्षित रह सके। चाहे कल करें या परसों करें।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जो दुर्घटना हुई है, उससे हमें हमदर्दी है। लेकिन जो इन्होंने एक क्लास के बारे में कहा है, मेरा निवेदन....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने सभी पर आरोप नहीं लगाया है।

श्री केसरीमल : वास्तव में जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, उनको 12-12 घन्टे 14-14 घन्टे काम करना पड़ रहा है।

(श्री केसरीमल)

14 घन्टे लगातार कोई ड्राइवर हैवी व्हीकल ड्राइव करता है तो यह हो जाना सम्भव है। मैं माननीय यातायात मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह ड्राइवरों की ड्यूटी के बारे में सोचें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय....

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, हमको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजस्व (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6 (9)/राजस्व/ख/64–भाग–2, दिनांक 31 जनवरी, 1973 को सदन की मेज पर रखता हूं।

एक माननीय सदस्य : Too late.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, जो अलवर से आने वाले हैं, आपको स्वयं मालूम है, 1974 में सूचना रखी गई है। इसके लिए कमेटी बैठाई गई थी। यह सदन की मेज पर रख दी गई थी और यह आश्वासन दिया गया था। बहुतसी राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं टिनेन्सी एक्ट की हैं जो नोटिफाई होती हैं, यह रखना जरूरी नहीं है। लेकिन जब सीलिंग का अध्यादेश बना तो मैंने यह कहा था कि यह रखा जाना चाहिए। देरी से रखा गया है; उसके लिए मैं रीग्रेट करता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको डिसअलाऊ किया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं क्लोज कर चुका हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपने दूसरे लोगों को समय दिया है।

(व्यवस्था-सूचक-घन्टी)

मैंने समय का पालन किया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने हमेशा ही आपको समय दिया है। आज नहीं बच सका है; जभी नहीं दिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तरीका तो नियम के विपरीत है। लेकिन ऐसी व्यवस्था चल रही है। दूसरों को मौका दिया जाता है। मेरे दल के माननीय सदस्य को भी एक मिनट का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके दल को जरूर मौका दिया है। यह इत्तिफाक की बात है। अब क्लोज हो गया है। आयन्दा ज्यादा वक्त दे दूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप एक-एक मोशन पर दो-दो घन्टे देते हैं इनको।

श्री लक्ष्मणसिंह : इधर के जो माननीय सदस्य हैं (कम्युनिस्ट पार्टी की ओर संकेत) उनको भी टाइम मिलता है। छूट से टाइम मिलता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक-एक चीज पर 10-10 मर्तबा कहने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वतंत्र पार्टी के माननीय नेता से निवेदन करना चाहूंगा, आप किस माननीय सदस्य को समय दिलाना चाहते हैं, किनकी शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिला ? अब भी बतायें तो एडजैस्ट करने में दिक्कत नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय महारावल साहब तो दोनों के बीच में अटक रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : दोनों के बीच में त्रिशंकु के माफिक लटका हुआ हूं। वास्तव में बात यह है कि इधर भी समय दिया जाता है और जनसंघ वालों को समय दिया जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : किसको समय ज्यादा दिया जाता है यह साफ कर दीजिये। वह कौन हैं जिन्होंने इतना वक्त जाया किया है। लोढ़ा साहब ने इतना वक्त लिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं चेयर से कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप लीडर हैं। आप बैठिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप शिकायत करिये। मेरे मन में जो आता है मैं कहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं राइट हूं, रोंग हूं लेकिन मेरा कहने का अधिकार है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सबके कहने पर अंकुश होना चाहिए। बहुत समय जाया होता है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिकायत यह आयी है; आपने फर्माया है कि आपके दल के माननीय सदस्य को बहुत कम समय दिया गया है और उनको ज्यादा दिया गया है। जो वस्तुस्थिति है, जो टाइम रिकार्ड है, किस पार्टी ने कितना समय लिया है वह सुना देता हूं। वह इस प्रकार है, कांग्रेस दल को 4 घन्टे 21 मिनिट, स्वतंत्र पार्टी को 1 घंटा 37 मिनिट, जनसंघ को 1 घंटा 24 मिनिट, संसोपा को 52 मिनिट। इसमें जो पार्टी का समय था उससे ज्यादा संसोपा को मिल चुका है और जनसंघ को भी मिल चुका है। फिर भी कोई माननीय सदस्य चाहेंगे तो रीकन्सीडरेशन करके समय देंगे। मैंने मना किया नहीं है। समय ज्यादा हो गया है तब भी देने को तैयार हूं। समय ऐसा है, सब बोलना चाहते हैं, सबको अवसर मिले। इसमें ऐसा नहीं है, इसका उल्लंघन करके भी अगर कोई बोलने वाले हैं तो उनको समय दूंगा। उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र पार्टी को समय नहीं दिया है, स्वतंत्र पार्टी को 1 घन्टा 37 मिनिट दिये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपका कहना संतोषजनक है। मैं बजट पर बोलने के समय के बटवारे के सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन स्थगन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रस्तावों के सम्बन्ध में नम्रतापूर्वक मैं फिर भी निवेदन करूंगा अगर अन्य सदस्यों को समय दिया जाता है नियमों के विपरीत तो मैं आशा करूंगा मेरे दल के सदस्यों को भी वही समय दिया जाय और वही बर्ताव किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपका फर्माना सही है, मैं सहमत हूं।

आय-व्ययक, 1974-75 पर अग्रेतर सामान्य वादविवाद

श्री अजीतसिंह : कल मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ था।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आपका बाकी रह गया था फर्माना आपका बाकी रह गया, उसके बाद आप (श्री नाथूराम)।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था ...

श्री अध्यक्ष : समय तो हो गया है फिर भी बोल लीजिये।

श्री अजीतसिंह (मालपुरा) : पांच मिनिट के लिए।

कुछ बातें रह गई थीं, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मार्केटिंग सोसायटी हैं और होलसेल भण्डार आपने बना रखे हैं, उनको बजट में अनापशनाप पैसा दिया है। लेकिन उनमें भयंकर भ्रष्टाचार है। लेकिन बार-बार निवेदन करने पर भी न तो उनको लिक्वीडेट किया जाता है और न व्यवस्था की जाती है, उल्टे कपड़ा बांटने का काम इन होलसेल भण्डारों के हाथ में दे रखा है। इनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज गरीब को एक गज कपड़ा भी यह होलसेल भण्डार गांवों में नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में होलसेल भण्डार हैं उनको लिक्वीडेट करें। बेचारे जिन लोगों के इनमें शेअर हैं उनका सही उपयोग नहीं कर पाये हैं, आपके शेअर हैं उनका सही उपयोग नहीं कर पाये हैं। उसके बाबजूद आपने इस बजट में तय किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इन पर कठोर प्रशासनिक पाबन्दी लगायी जाय, ताकि जो पैसा फालतू खर्च हो रहा है वह रोका जा सके।

आयुर्वेद औषधालयों के सम्बन्ध में निवेदन है कि गये साल आयुर्वेद औषधालय दवाई तक अच्छी तरह नहीं बांट पाये। जो सारी की सारी व्यवस्था की थी बजट के अन्दर, उसमें उस समय यह कहा गया था कि आयुर्वेद औषधालय गांवों में खोले हुए हैं, उनमें चूरन तक नहीं हैं। और उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वैद्य बेकार बैठे रहते हैं, उनके बैठने की भी आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि दवाई नहीं है। इसलिए आप दवाइयों की व्यवस्था करें। गांवों के अन्दर मेडिकल स्टोर नहीं हैं जिससे गांव वाले दवाई लेकर फायदा उठा सकें। मेरा निवेदन है कि इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। आयुर्वेद औषधालयों को ज्यादा रुपया देकर दवाइयां पहुंचाने की शीघ्रता की जाय तो अच्छा रहे।

राजस्व के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व के अन्दर पटवारी लोग बहुत सारा रुपया बाला-बाला खा जाते हैं।

(श्री अजीतसिंह)

उन्होंने सिवाय चक भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसका मनमाने ढंग से लगान वसूल कर लेते हैं और एक पैसा भी राजस्व की वसूली का सरकार में जमा नहीं होता है। आप सिवाय चक भूमि का सेटलमेन्ट करवायें, आपने यह दफ्तर बेकार बैठा रखा है शहरों में, उसको आप डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर लगा दीजिये ताकि वहीं सेटलमेन्ट दर्ज हो जाय। इसके अलावा जो लोग जाते हैं वह अनाप-शनाप लूट करते हैं। मेरे यहां सेटलमेंट चल रहा है, वहां एक पैसे का भी कोई काम नहीं करता है, अनाप-शनाप रुपया वह लोग लूट रहे हैं किसानों से, और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सिवाय चक का पैसा पटवारी खा जाते हैं, राजस्व की वसूली नहीं होती है, इस प्रकार लाखों रुपया वेस्ट हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें। यह आमदनी का स्रोत है, इसके ऊपर आप ध्यान दें।

इसके साथ-साथ यह जो चरागाह के अन्दर काश्त करवाते हैं, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि सारी फसल को आप कुर्क कर लीजिये। जो काश्त होती है उसका लगान नहीं देना पड़ता है, उसमें पटवारी और सरपंच से लोग मिल जाते हैं और राज्य सरकार को फायदा नहीं होता है। उस पर लोग काश्त करके फसल ले जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चरागाह की फसल को कुर्क कर के आमदनी को बढ़ाया जा सकता है और इससे राजस्व विभाग के बजट में पैसा मिल सकता है।

वैसे आपने, माननीय मंत्रीजी, मेरे पर काफी कृपा की है, बजट में मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी अलाट किया है और बजट दिया है उसके लिए मैं और मेरा क्षेत्र आभारी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी ऐसी ही कृपा करेंगे। सड़कों के लिए, सिंचाई के लिए और इन्डस्ट्री के लिए आपने काफी कुछ दिया है। उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान का आय-व्यय का बजट सन् 1974-75 का प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वैसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। उत्तर-पूर्व में पठार है, पश्चिम में रेगिस्तान है और दक्षिण में पहाड़ी इलाका है। अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं नहीं कह सकता हूं कि राजस्थान का विकास नहीं हुआ है लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उस अनुसार विकास होना चाहिए वह सही ढंग से नहीं हुआ है। मैं सब से पहले आप के द्वारा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, वैसे तो बजट में कोई कर नहीं लगाया है, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन एक तरफ हमारी सरकार समाजवादी नीति की ओर बढ़ रही है, तो जैसे हमारी राज्य सरकार की नीति है, उस नीति को देखते हुए यह समाजवादी बजट नहीं है। कारण, आज जो बड़े-बड़े पूंजीपति, ऊंची हैसियत वाले हैं वे कई लग्जरी की चीजें ऐसी हैं जिनका हमेशा उपयोग करते हैं। उन पर टैक्स लगाना चाहिए

(श्री नाथूराम)

था, तो हम कह सकते थे कि यह समाजवादी नीति का बजट है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उत्पादन के विषय पर निवेदन करता हूं। उत्पादन के लिए सिचाई और बिजली की खास आवश्यकता है। आज बिना सिचाई और बिजली के हम अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। आज इस मद की आय को देखते हुए सिचाई और बिजली के साधन हमको जुटाने होंगे। जैसे राज्य सरकार की तरफ से सिचाई के छोटे-मोटे कई बांध बने और बड़ी योजना भी बनी। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि सिचाई योजना में बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बन रहा है उसको लगभग 13 साल हो गये हैं। लाखों रुपये, बल्कि करोड़ों रुपये, यानी दो तीन करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं, लेकिन 13 साल में अभी इसके मेन डेम का काम शुरू नहीं हुआ है। वहां हर साल लाखों रुपये इंजीनियरों और तमाम स्टाफ के टी. ए. डी ए. और वेतन पर खर्च होता है, लाखों रुपये का पेट्रोल जलाया जाता है। लेकिन बजाज सागर के निर्माण में इतनी शिथिलता है कि मेन डेम का काम आरम्भ नहीं हुआ है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं, एक तरफ उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, बजाज सागर डेम की मद से कई बंगले बन गये हैं, सड़कें बन गई हैं, उसके लिए बड़े-बड़े इंजीनियर और हर तरह का स्टाफ रखा गया है, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी है। कई बड़े-बड़े इंजीनियर, ऐसे हैं जो जयपुर में बैठे रहते हैं और उनको वहां से तनख्वाह मिलती है। इस तरह स्टाफ का खर्च हो रहा है। आप के द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि बजाज सागर डेम के निर्माण की धीमी चाल है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और निर्माण कार्य तीव्र गति से चालू करना चाहिए। नहीं तो हमारी सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होगा और लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा।

इसी तरह से पहाड़ी इलाके के लिए मैं निवेदन करता हूं। पहाड़ी इलाके के लिए भारत सरकार का निर्देश है और राज्य सरकार की तरफ से भी पैसा खर्च होता है। लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जिसे हमारे राष्ट्रपतिजी ने शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है और उसके विकास के लिए भारत सरकार से भी रुपया मिलता है और राज्य सरकार से भी उसको सहायता मिलती है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं सबसे पहले सिचाई के बारे में निवेदन करूंगा, पहाड़ी क्षेत्र में छोटी-मोटी काश्त की भूमि लोगों के पास हैं, उनकी आर्थिक हालत गिरी हुई है। वहां माही डेम बनाने के लिए योजना है लेकिन सरकार 13 साल में भी नहीं बना सकी है। इसी तरह से छोटे-मोटे तालाब हैं, माही और अनास नदी वहां बहती हैं, हमारी वर्षों से मांग है कि माही नदी, अनास नदी और सहायक नदी हैं, उन पर छोटे-छोटे बांधों की योजना बनानी चाहिए और लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करना चाहिये। ताकि लोगों को मजदूरी मिले और सिचाई के साधन जुड़ जायं। प्रकृति की देन है लेकिन लिफ्ट योजना बहुत कम है। गत

(श्री नाथूराम)

वर्ष अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण कई तालाब नष्ट हो गए। सरकार के सामने वहां से मांग की गई कि जो तालाब नष्ट हो गए हैं उनको बाढ़ के मद से पैसा दिया जाय। स्वीकृति हो गई लेकिन काम आरम्भ नहीं हुआ। इसलिये जो अतिवृष्टि और बाढ़ से तालाब नष्ट हो गऐ हैं, छोटे-मोटे बांध नष्ट हो गए हैं उनका जल्दी से काम पूरा कराना चाहिये ताकि सिंचाई के साधन जुटें और वहां के लोगों को अन्न पैदा करने के लिए ज्यादा राहत मिल सके।

इसी तरह से वहां कुओं पर बिजली के लिये राज्य सरकार ने बताया है कि 54 हजार कुओं पर गत वर्ष बिजली लगाई गई लेकिन बांसवाड़ा जिले की उपेक्षा की गई क्योंकि वहां पर कई किसानों ने पैसा भी दिया लेकिन बिजली कुओं पर नहीं मिली। कई किसानों को ऋण दिया, उन किसानों से विभाग ने पैसा ले लिया लेकिन उनके कुओं पर बिजली की मोटर नहीं लगी। इसलिए आप जो आदेश दें उनका बराबर पालन होना चाहिये। आज पहाड़ी इलाके में जहां पानी की सुविधा है, कुए हैं, वहां बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये।

साथ ही साथ कृषि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के उत्पादन में कई तरह की खामियां हैं। किसानों को समय पर न बीज न खाद न कुओं के लिए सीमेन्ट मिलता है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ किसानों से हम लेवी का अनाज मांगते हैं लेकिन किसान जब जरूरत की चीजें मांगता है तो उसको नहीं मिलती। न समय पर उसको अच्छा बीज मिलता है न समय पर बिजली का कनेक्शन मिलता है, न सीमेंट वगैरह मिलती है। जो कन्ट्रोल की वस्तुएं हैं वे ब्लेक में दूसरे लोग ले जाते हैं और किसान वंचित रह जाता है।

चौथी योजना में खाद्यान्न उत्पादन 63 लाख टन से 71 लाख टन होना बताया गया है किन्तु आम जनता को राहत नहीं मिली है। आज राज्य सरकार की तरफ से सस्ते अनाज की दुकानों पर कोई अनाज भेजा जाता है तो वह ब्लेक में सारा चला जाता है और आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती। प्रशासन में इस तरह की ढील हो जाती है कि पुलिस वाले जमाखोरों के साथ मिलीभगत करके अनाज का दुरुपयोग करते हैं या स्वार्थ के लिए बाहर भेजा जाता है—जैसे पड़ौसी प्रांत गुजरात में भेजा जाता है और वहां लोगों को समय पर अनाज नहीं मिलता है। अन्न की जो वितरण व्यवस्था है उसमें अव्यवस्था एवं ढिलाई है। आज जो किसान अन्न पैदा करता है उसको समय पर न तेल मिलता है, न घासलेट न शक्कर वगैरह मिलती है। होली के त्यौहार पर गांव के लोगों को एक दाना भी गेहूं नहीं मिला न उनको समय पर चीनी मिली। आपकी जो वितरण व्यवस्था है, उसको सुधारा जाय नहीं तो लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, वे उत्पादन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ रहा है कि किसी भी सामग्री की वितरण व्यवस्था सरकार

(श्री नाथूराम)

की तरफ से होती है तो सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार जगह-जगह बढ़ रहा है। चाहे तेल का वितरण, चाहे शक्कर का वितरण, चाहे अनाज एवं कपड़े का वितरण, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कई तरह के क्रांतिकारी कानून बनाये जैसे भूमि सुधार के और दूसरे कानून बनाये, लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, समय पर उन लोगों को राहत नहीं मिलती है। इसलिए आप कोई घोषणा करें या क्रांतिकारी कानून बनायें और राज्य सरकार की तरफ से उनका पालन करना चाहिये तभी लोगों को राहत मिल सकेगी।

इसी तरह से आपने पहाड़ी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। आपने बड़े-बड़े शहरों में डेयरी फार्म्स खोलने की घोषणा की लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा नहीं किया। वहां भी कोई दुग्ध योजना शुरू करनी चाहिये ताकि लोग मवेशी रख सकें और दूध से उत्पादन भी बढ़े और लोगों को मजदूरी मिल सके। डूंगरपुर बांसवाड़ा में डेयरी फार्म्स अवश्य खोलने चाहियें। बेरोजगारी इस तरह बढ़ रही है कि आज हजारों युवक पढ़े-लिखे दर-दर फिर रहे हैं। भारत सरकार ने एक मिलियन जोब्स प्रोग्राम में 2.76 करोड़ की लागत की। हमारे क्षेत्र में 20 हजार लोगों के लिए पाइलट प्रोजेक्ट खोली लेकिन उस भूखिया क्षेत्र में 99 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं लेकिन पाइलट प्रोजेक्ट के तहत में जहां काम है वहां लोगों को रोजगार नहीं मिलता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तो शुरुआत की है। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी नहीं बोला था। इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो पाइलट प्रोजेक्ट खोली है, उसमें लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। हजारों लोग गुजरात जाते हैं तो वहां दंगों की वजह से वापस आ जाते हैं और मारे-मारे फिरते हैं। आपने इस साल की लगान की वसूली भी कर ली लेकिन लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना का प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ। दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर प्रतापगढ़ में शिक्षित युवकों को इसका लाभ नहीं मिला। उदाहरण के लिए राष्ट्रदूत में मछली विभाग का एक विज्ञापन निकला। 11 तारीख तक आवेदन-पत्र मांगे जबकि 10 तारीख को उसका प्रकाशन हुआ है। इस तरह बेरोजगारों को टालने के लिए विज्ञापन निकालते हैं। एक दिन में यहां से जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके पास किस तरह से सूचना मिलेगी। सरकार को इस रवैये को सुधारना चाहिए ताकि समय पर विज्ञापन द्वारा नोटिस दिया जाए। उसकी सूचना बेरोजगारों को समय पर मिले। नहीं तो केवल कागजों में ही आदेश रहेंगे।

इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के निर्देश हैं कि नियोजन केंद्र खुलने चाहिए लेकिन आज तक सरकार ने धनाभाव बताते हुए एक केंद्र भी नहीं खोला। जिला मुख्यालय पर नियोजन केंद्र है, वहां पक्षपात होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मैंने बताया, पढ़े-लिख युवकों

(श्री नाथूराम)

को सूचना नहीं मिलती है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि आदिवासियों में पढ़े-लिखे नहीं हैं लेकिन आज सरकार के आंकड़े हैं जो नियोजन केंद्र खोले गए उनके अनुसार 31-12-73 को मैट्रिक 997, हायर सैकेन्डरी 653, बी० ए० 277, एम० ए० 185, मैट्रिक से नीचे 4483 कुल 6595 पढ़े लिखे आदिवासी हैं।

लेकिन उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं और वे बेचारे मारे-मारे फिरते हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट आदिवासी छात्रों को जो पढ़े लिखे है उन्हें छात्रवृत्ति देती है। जैसे अगर कोई बी० ए० पास होता है तो उसे 150 रुपये दिये जाते हैं और एम० ए० पास है तो उसे 250 रुपये दिये जाते है। पर अध्यक्ष महोदय आज ऐसी हालत है कि सैकड़ों आदिवासी छात्र पढ़े-लिखे घूम रहे हैं लेकिन उनको छात्र-वृत्ति नहीं मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐसा कानून बनावे जिससे आदिवासी छात्रों

(1.01. म प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

को जो सुविधायें राज्य सरकार देती है वह समय पर मिलती रहें। और जो धनराशि जिस काम के लिये सेन्कशन की है वह उन्हीं आदिवासी लोगों पर खर्च की जावे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में एस० टी० सी० स्कूल खोले गये हैं उनमें भी बहुत पक्षपात हो रहा है। आदिवासी छात्रों के चयन में पक्षपात हो रहा है। पिछले साल भी मैंने इस सदन में इस बारे में प्रश्न पूछे थे तो उस समय मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा सदन में की थी कि जिस अधिकारी ने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ में एक्शन लिया जायेगा। इतना हुआ कि जिन लड़कों का चयन नहीं किया गया था उन्हें डूंगरपुर में एडमिशन तो मिल गया लेकिन वहां नहीं मिला जहां वह चाहता था। इसके अलावा जिस इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल ने यह सारी धान्धली की थी उसके खिलाफ में कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया। आज बांसवाड़ा में जो एस० टी० सी० स्कूल है वहां के आदिवासी छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है जिससे गरीब छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक एस. टी. सी. स्कूल बांसवाड़ा में खोल दिया वहां पर अभी तक आदिवासी छात्रों के रहने के लिये कोई होस्टल की सहूलियतें नहीं हैं न रहने को उन लोगों के मकान हैं। आज जहां पर मकान आदि की व्यवस्था थी वहां पर नहीं खोला गया। आज उसके कारण गांवों के निर्धन छात्र आकर वहां पर मकान किराये पर अधिक रकम देकर रह रहे हैं उनको एक-एक कमरे के 50-50 रुपये तक देना पड़ता है। एक तरफ तो राज्य सरकार उन लोगों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दे पायी और दूसरी तरफ उन गरीब लड़कों को मकान किराये पर लेकर रहना पड़ता है इसलिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि उन छात्रों को रहने के लिये जल्दी से जल्दी होस्टल की व्यवस्था कराने का कष्ट करें तथा साथ में उनको जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति दिलाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उनको

(श्री नाथूराम)

छात्रवृत्ति तो मिली नहीं है और वहां पर पहले एस० टी० सी० स्कूल के इन्चार्ज कहते हैं कि सौ-सौ रुपये किताबों के जमा कराओ। तो अध्यक्ष महोदय, आज उन आदिवासी छात्रों को अभी तक एक तरफ तो छात्रवृत्ति नहीं मिली है, दूसरी तरफ पहले किताबों के पैसे जमा कराओ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करावे कि उन्हें छात्रवृत्ति मिल जावे। अध्यक्ष महोदय, आज एक तरफ शिक्षा के लिये करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, दूसरी तरफ हमारे बांसवाड़ा जिले में परतापुर एवं बागीदोरा में सिर्फ मिडिल स्कूल लड़कियों के हैं, पिछले पांच-पांच साल से यहां पर लड़कियों के हाई स्कूल खोलने के लिये निवेदन किया जा रहा है पर आज तक वहां पर कन्याओं के लिये हाईस्कूल नहीं खुल पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, परतापुर एक ऐसा कस्बा है जहां पर कि विदेशों से लोग आते हैं और वहां पर सिर्फ एक कन्या मिडिल स्कूल है जिसमें 400 लड़कियां पढ़ती हैं आज कई लड़कियां मिडिल स्कूल पास कर चुकी हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह दूसरी जगह पढ़ने नहीं जा सकती हैं तो इसके लिये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वहां पर कन्याओं के लिये हाईस्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। अगर इस साल आपने अभी बजट में प्रावधान नहीं किया है तो अब प्रावधान करें क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के क्षेत्रों के लिये तो केन्द्रीय सरकार भी कानूनों में चेन्ज कर देती है तो मेरा निवेदन है कि बजट में उस एरिया में जहां पर मिडिल स्कूल हैं उन्हें सैकेन्डरी स्कूलों के क्रमोन्नत करावें और जहां पर सैकेन्डरी स्कूल हैं उन्हें हायर सेकेन्डरी स्कूल में क्रमोनत कराने की कृपा करें। वैसे ही हमारा इलाका आदिवासी इलाका पिछड़ा हुआ है इसलिये मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें प्रावधान करने का कष्ट करें। हमारी जो पंचम पंचवर्षीय योजना है उसके प्रथम साल में वहां पर सैकन्डरी और हायर सैके-न्डरी स्कूलों को खोलने का प्रावधान इस साल करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है कि जो शिक्षा का रवैया है उससे सिर्फ बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं बढ़ रहा है। इसलिये शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसी शिक्षा की प्रणाली की जावे कि टेक्नीकल हो या ऐसी प्रणाली की जावे जिसमें उद्योग शिक्षा मिले जिससे कि हमारी जनता अपना पेट पाल सके। या निरीक्षण प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम : मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप कितना समय चाहेंगे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मैं पांच मिनट का समय और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष । अच्छा आप पांच मिनिट का समय और लेलें ।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां एक तरफ तो समाजवाद की नीति की बातें कही जाती है दूसरी तरफ जो राज्य सरकार आदेश कर रही है वह समाजवादी नीतियों के खिलाफ कर रही है। अभी थोड़े समय पहले पिछले साल सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और उसमें सरकार ने उनकी मांगों को यस कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति को देखते हुए एक गरीब कर्मचारी को अपने परिवार को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है आज महंगाई भयंकर बढ़ रही है। लेकिन इस बार अभी जो डी० ए० बढ़ाया गया है वह 1200 रुपये तक पाने वाले ऑफिसरों का डी० ए० बढ़ाया गया जब कि 69 में जो डी० ए० बढ़ाया गया था वह सिर्फ 500 रुपये तक की तनख्वाह वाले लोगों का ही डी० ए० बढ़ाया गया था। यह समझौता तो ठीक था लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी जो डी० ए० बढ़ाया उसमें नीचे तबके के लोगों को सिर्फ पांच रुपये मिले हैं और यह कह दिया गया कि पहले 14 रुपये तुम्हें मिल चुके हैं और अध्यक्ष महोदय, करीब 3 हजार कर्मचारी और अधिकारी ऐसे होंगे जिनको कि मासिक 81 रुपये तक माहवारी डी० ए० में बढ़ोतरी हुई है। इससे राज्य सरकार पर करीब डेढ़ करोड़ का भार अतिरिक्त पड़ा। मेरी राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि नीचे के तबके के लोगों को अधिक फायदा दे क्योंकि आज पेट तो सबके ही बराबर है लेकिन एक परिवार जो नीचे के तबके का होता है उसकी आर्थिक हालत ज्यादा खराब होती है उसके लिए अपनी छोटी सी तनख्वाह में पांच बच्चों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल होता जब कि आपने बड़े लोगों को ज्यादा डी० ए० बढ़ाया है। छोटी श्रेणी के कर्मचारी की तनख्वाह भी थोड़ी होगी तो उसको डी० ए० भी कम मिलता है। अतः मैं राज्य सरकार को अनुरोध आपके माध्यम से करूंगा कि नीचे तबके के लोगों को अधिक वेतन दिया जाय, उनमें अधिक बढ़ोतरी की जाये और डी० ए० भी उनको अधिक दिया जाना चाहिये। नहीं तो उनके लिये अपने गृहस्थ को पालना बहुत ही मुश्किल होगा। उनका इन तनख्वाह में गुजारा चलना बहुत ही मुश्किल है, आज आपको महंगाई को देखते हुए महंगाई को घटाने की व्यवस्था करनी चाहिये। अगर वह नहीं कर सकते हैं तो नीचे के तबके के लोगों का वेतन और डी० ए० अधिक बढ़ाना चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहूंगा वह है कि आज जो किसानों से लगान की वसूली हो रही है वह बहुत ही सख्ती से हो रही है। उन्हें अधिक राहत देने की जरूरत है। आज आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों से जो लगान वसूल किया है वह दो साल का कर लिया है। उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसे आगे के सालों में एडजेस्ट किया जाना चाहिये। आज आपका रीलिफ एक्ट है वह अंग्रेजों के जमाने का है उसमें काफी खामियां हैं जिसे राज्य सरकार को नया कानून बनाकर सुधारने की जरूरत है ताकि काश्तकारों को सही मायने में रीलिफ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के इलाके के आंकड़े आप देखें तो आपको पता लगेगा कि

(श्री नाथूराम)

आदिवासी क्षेत्रों में अकाल और बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है आपने उन सालों में लगान नहीं लिया लेकिन बाद में अभी आपने बड़ी सख्ती से आदिवासी लोगों से लगान वसूल किया हमारे यहां पर शीत लहर से सारी फसल नष्ट हो गयी है इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकारों में जो पिछला कर्जा बाकी है उसे माफ कर देना चाहिये और जो दो वर्ष का लगान ले लिया है उसको आगे के वर्षों में एडजस्ट कर लेना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इसे आजादी के पहले के रिलीफ एक्ट को समाप्त कर दूसरा रिलीफ एक्ट बनायें तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर के इलाके के आदिवासी लोगों में जो तकावी और दूसरे कर्जे बाकी हैं समाप्त किये जाने चाहिये। इसके अलावा कई किसानों को अरहट और दूसरी चीजों के लिये पंचायत समितियों से हमारे इलाके के लोगों को जो लोन मिला है उसमें सिर्फ दस्तखत या अंगूठा कराया गया और वह पैसे उन लोगों को नहीं मिल कर व्यापारियों को ही मिले हैं तो इसके बारे में भी राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की जरूरत है तथा एक बार और यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप काश्तकारों के लिये ऐसे कानून रिलीफ के लिये बनायें जिससे वह लोग कानूनी कार्यवाही करके राहत ले सकें।

(1.10 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय सहकारिता के लिये आन्दोलन चला। एक हजार किसान सदस्य बन गये। लेकिन उनको समय पर ऋण नहीं मिलता है और यदि मिलता है। तो 50 प्रतिशत उसका दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार होता है। यह भ्रष्टाचार तो दिन ब दिन बढ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सोसाइटियों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है वह 50 परसेन्ट भी किसानों तक नहीं पहुंचता है और उसका दुरुपयोग होता है। सोसाइटी को कागजों में नहीं रखना चाहिये। यदि सोसाइटीज को ही ऋण देना है तो समय पर किसानों को खाद बीज मिलना चाहिये और समय पर वसूली होनी चाहिये वरना तो किसानों का शोषण होता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में 28 परसेन्ट का जो कोटा है उसका वहां भी पालन नहीं हो रहा है, हमारे नवयुवकों को नहीं लिया जा रहा है। सरकार की ओर से इसका पूरा पालन कराना चाहिये। पिछले सालों में आपके पास सुझाव आते रहे हैं और उसके अनुसार आपने कानून बनाया और रिजर्वेशन का कोटा फिक्स किया उसका सही पालन क्यों नही हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रिजर्व कोटा का आपको बराबर सब जगह पालन कराना चाहिये और दूसरे विभागों में तो बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं परन्तु समाज कल्याण विभाग द्वारा उनको कि दूसरे विभागों से पालन कराना चाहिये वे खुद ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

(श्री नाथूराम)

भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों और हरिजनों की सुविधा के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है, पानी और बिजली के लिये पैसा दिया जाता है उसके लिये समाज कल्याण विभाग ध्यान नहीं देता है । इस प्रकार उस विभाग की ओर से बड़ी सुस्ती बरती जाती है वे दूसरे विभागों को तो क्या देखेंगे खुद के ही विभाग को वे नहीं देख पाते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि उस पैसे का सही उपयोग होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बांसवाड़ा जिले में, अति वृष्टि से, बाढ़ से सड़कें नष्ट हुई हैं, सार्वजनिक भवन नष्ट हुए हैं उनको मरम्मत के लिए धनराशि नहीं मिली है । परीक्षा के दिन नजदीक आ गये, गढ़ी में हायर संकेण्डरी भवन इस प्रकार से नष्ट हो गये हैं कि बच्चों को बैठने के लिये जगह नहीं है । परीक्षायें नजदीक हैं । मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये हैं किन्तु टेम्परेरी भी व्यवस्था नहीं हुई है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है, टेम्परेरी भवन ही वहां पर तैयार कराया जाये बच्चों को थोडी सुविधा मिल सकें और वे बैठकर परिक्षा तो दे सकें । सड़कें नष्ट हो गई हैं सार्वजनिक स्थान नष्ट हुए हैं । इसलिये राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं बाढ़ के लिये जो राशि है उसका सही उपयोग किया जाय । स्टाफ में ही उसको खर्च न किया जाए । उससे सड़कों की मरम्मत करायी जाय और छोटे-मोटे तालावों की मरम्मत करायें ताकि लोगों को राहत मिले । हजारों लोग मजदूरी के लिये मारे-मारे फिरते हैं। समय पर उनको माइलो भी नहीं मिलता है। मजदूरी मिले तो माइलो भी मिले । क्योंकि गरीबों को मजदूरी नहीं मिलेगी तो बिना पैसे खरीद भी न पायेंगे। इसलिये छोटे-मोटे तलाब सड़कें नष्ट हुई हैं, सरकार को अपने पास से पैसा खर्च करके उनको मजदूरी देनी चाहिये ताकि गरीब लोग मजदूरी करके अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीबों से तो शक्ति से ऋण वसूल कर लेते हैं लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपति बसों के मालिक हैं उनसे आप कर वसूल नहीं कर सकते हैं सख्ती से । यात्री कर वसूल हो जाता है परन्तु बड़े-बड़े मालिकों के पास लाखों रुपया पड़ा हुआ है । आपको उनसे वसूल करना चाहिये ।

यातायात के सम्बन्ध में जिस प्रकार से अव्यवस्था है, बांसवाड़ा में बसें चलती हैं, लोगों को खड़े-खड़े जाना पड़ता है 7.30 बजे प्रात: रतलाम से बस चलती है तो पहले की बस भर जाती है । खाली जगह नहीं मिलती है लोगों को इसलिये उनको वहां पड़े रहना पड़ता है । 10.30 बजे बस इन्दौर से आती है उसमें भी यात्रियों को 10.30 से वंचित रहना पड़ता है इसलिये ट्रांसपोर्ट बस को बांसवाड़ा के लिये बढ़ाना चाहिये । इसी प्रकार जयपुर बांसवाड़ा जाने वाली एक ही बस चलती है इसलिये रात्रि बस बांसवाड़ा से जयपुर

(श्री नाथूराम)

और जयपुर से बांसवाड़ा चले तो आने जाने की यात्रियों को राहत मिले। बसों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सो बसें बढ़ानी चाहिये एक ही व्यक्ति को 12 परिवार के नाम से परमिट दे रखा है। एक पूंजीपति को पनपाने के लिये दे रखा है। राजस्थान रोडवेज की बसों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री विट्ठलभाई : मुख्य मंत्रीजी की उस पर महरबानी है।

श्री नाथूराम : आप आवाज करो।

श्री विट्ठलभाई : क्यों पूंजीपतियों को पनपाया जा रहा है ?

श्री नाथूराम : यातायात की व्यवस्था सुधारा जाना चाहिये ताकि जनता को राहत मिल सके।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा को शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है लेकिन वहां पर कोई उद्योग धन्धे नहीं हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों लोग बेरोजगार हैं। छोटे-छोटे धन्धों के साथ बड़े-बड़े धन्धे खोलना चाहिये ताकि लोगों को राहत मिल सके। यही मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह बिलकुल बहरा बजट है परन्तु चीखता बड़ा जोरों से है। गूंगा जरूर नहीं है। काफी जोरों से चीखता है लेकिन एक बहरा बजट इसलिये है कि जो सरकार कहती है, कांग्रेस की नीतियां कहती हैं, जो उनकी घोषणायें हैं उन घोषणाओं से भी यह बजट बहुत दूर है। पूंजीवाद या इजारेदारी को कुचलना तो दूर की बात है यह बजट किसी तरह से घोर पूंजीवादी रास्ते पर लेजाने के लिये भी संकेत नही करता है। इस बजट के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना 312 करोड़ की थी वह पूरी हो गयी। उसके बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का यह बजट है जो 1 हजार बस्तियों में रोशनी, 15 हजार कुओं के अन्दर बिजली और 100 मिडिल स्कूल और 100 प्राइमरी स्कूल और 1 लाख 25 हजार बच्चों का शिक्षण ये चन्द चीजें लेकर आया है और 5 करोड़ रुपया सड़कों के लिये, 1 करोड़ रुपया पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये, 1करोड़ 14लाख रुपया दवाइयों के बजट में इजाफे के अन्दर है। राजस्थान की 2।। करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 14 लाख की एस्प्रिन भी खरीदी जाय तो प्रति व्यक्ति एक एस्प्रिन की गोली भी नहीं मिल सकती। इस बजट में 25.30 आयुर्वेदिक औषधालय, 30 प्राइमरी केन्द्र जिनमें केवल 30 बैड्स। कुल सारा बजट चीखने चिल्लाने के बाद इतनी बात प्रस्तुत करता है और आकड़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। यह बजट कहता है कि 25लाख हैक्टर में खेती हो जावेगी। परन्तु जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप खुद राज्य सरकार ने रखा है उसके अन्दर यदि सिंचाई की स्थिति को आप देखें तो कुल सिंचित जुता क्षेत्रफल जो राजस्थान का है वह कुल क्षेत्रफल 15.95 है जिसमें से सिंचित क्षेत्र है उसमे केवल 1,68,065

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एकड़ था जो 12.4 परसेन्ट होता है। सारे भारतवर्ष के आंकड़ों से यह आधा क्या 20 परसेन्ट के करीब है और केवल भारतवर्ष के एक दो प्रान्तों को छोड़ कर सब प्रान्तों में से यह क्षेत्रफल सब से कम है। और इसी प्रकार यदि सड़कों का हिसाब लगाया जाय तो इस प्रारूप में जो सड़कों की रुपरेखा राज्य सरकार ने प्रस्तुत की थी उसमें केवल 100 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में है जो केवल एक प्रान्त से अधिक है और वह है आसाम। जहां आसाम के जंगलों में सड़कें बनाई जाती हैं सारे भारत में बनाई जाती हैं सब दस किलोमीटर के हिसाब से होती है। इस हिसाब से यहां की स्थिति दयनीय है।

बजट का जो अनुमान 74/75 के लिये रखा गया है उसमें राजस्व लेखे में जो प्राप्तियां रखी गई हैं उन पर दृष्टिपात करें तो वे सारी प्राप्तियां या तो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त की गई हैं या टैक्सों से प्राप्त की गई हैं। कोई इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने चार योजनाओं में उत्पन्न नहीं की जो इन प्राप्तियों में आंकडे जोड़ पाती।

जरा इन प्राप्तियों के आंकड़ों पर गौर फरमाइये। छटे वित्त आयोग के सामने करुण पुकार की। कुछ सुनी गई। कुछ नहीं सुनी गई। यह भी इस बजट का एक अंश है। इससे 105.05 करोड़ केन्द्र से अनुदान सहायता का है। 13 करोड़ केन्द्र संचालित योजनाओं से आय का है और 14.63 करोड़। करों से आय 59.85 लाख यह करों से केवल आया। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अब तक हम इस वर्ष में केवल 59 करोड़ पैदा कर सके हैं और फिर कहते हैं कि राजस्व लेखे प्राप्तियों में छः करोड़ रुपया सरप्लस है।

इसी प्रकार से आप अगर राजस्व से होने वाली आय पर व्यय की ओर ध्यान दें तो इसके अन्दर भू-राजस्व सहित अन्य करों को उगाहने के लिये 10 करोड़ व्यय हुआ है। 80 करोड़ रुपया टैक्स के कलेक्शन के लिये, 10 करोड़ यह सरकार खर्च करती है। कुल प्राप्त होने वाले टैक्सों का आठवां भाग केवल टैक्सों के कलेक्शन में व्यय कर देती है यह सरकार।

उपाध्यक्ष महोदय, रॉकफास्फेट की बात कही गई। इसको 6.5 लाख टन स्टॉक हमने इस वर्ष निकाला है। 33½ करोड़ टन का भण्डार बताया है। यह राजस्थान की एक उपलब्धि है। अगर राजस्व लेखे की प्राप्तियों और पूंजी लेखे के वितरण को आप पढ़ेंगे तो यह बजट 9.66 करोड़ के घाटे का है। फिर हमने पिछले वर्ष 66 करोड़ रुपया खर्च किया। 71 करोड़ खर्च करने की बात है। पांच करोड़ का बैंग लॉग। इस तरह से 15 करोड़ की आप प्राप्ति करना चाहते हैं और इस 15 करोड़ की प्राप्ति के लिये जो सुझाव इस सारे बजट में दिया गया है वह इतना निराशाजनक है कि दुःख के साथ कहना पड़ता है कि रॉकफास्फेट का भंडार हमारे यहां मिल गया। रॉकफास्फेट में दो फेजेज में जनवरी और अप्रैल में हम उस पर टैक्स बढ़ा देंगे और वह हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा है। कमी को पूरा करने के लिए वह रॉकफास्फेट बहुत है उससे पूर्ति हो जावेगी।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दूसरा हमारा वह बंगला देश का टिकिट है जो हमारे स्टाम्प पर लगता है और तीसरा आंकड़ा जो हम प्राप्त करेंगे वह हम मकानात पर और भूमि पर कर व्यवस्था को इस प्रकार जारी रखेंगे जिससे पूरा हो जावेगा। ये तीन-चार मुख्य दिशाएं हैं जो सारा बजट इस 15 करोड़ के बजट के घाटे की पूर्ति की ओर इंगित करता है। यह तो एक तरह से शेखचिल्ली का ख्वाब है। शेखचिल्ली ने लात मारी और तेल का पाइप टूट गया। रॉकफास्फेट अगर कल के दिन भारत सरकार ने ले लिया तो यह सबसे बड़ा आंकड़ा इस सरकार का समाप्त हो जाता है।

इसके बाद हमने 31वां अमेण्डमेन्ट कर दिया संविधान में। क्या प्राप्त कर रहे हैं हम आज? आज हमारा लेण्ड एबोलिशन एक्ट हाईकोर्ट में लटका हुआ है। पचास हजार की कीमत के विभिन्न मकानात हैं तो टैक्स नहीं ले सकते। ये बड़े-बड़े भू-खण्ड जो पड़े हैं इन पर आप हाथ नहीं लगा सकते। कुछ पर आप जानबूझ कर हाथ नहीं लगाना चाहते। चेम्बर ऑफ कॉमर्स की जमीन बाकायदा एक रुपया के टोकन टैक्स पर आपने दे रखी है। ठाकुर साहब सामोद ने 800 एकड़ जमीन सोढाई और दूसरे गांवों में बेच दी। ए. सी. चटर्जी साहब ने 1½ रुपया प्रति गज के हिसाब से 28 हजार गज जमीन ली जिसको वापिस 40 से 60 रुपया गज के हिसाब से बेच दिया। इसी हेराफेरी में उन्होंने 40-50 लाख का स्कैण्डल कर डाला। ए. सी. मुखर्जी की कम्पनी में जाकर देखिये। चार मजदूरों के क्वार्टर बनाये। तीन पर ताली पड़ा है और चौथे के किवाड़ नहीं। और फिर? कई जंगल बेच दिये जावें। अलवर के महाराज खाली पड़े महलों से 30 लाख की सम्पत्ति उठा कर ले गये और राजस्थान सरकार देखती ही रह गई। राजस्थान नहर की कीमती जमीन चार-चार, पांच-पांच हजार के रकबों में लोगों को पैसे वाले सेठियों को आपने लुटा दी। पांच हजार बीघा पर राजमाता जोधपुर और उसका परिवार बैठा है। देश के 200 पूंजीपतियों में से बिड़ला और बांगड़ साहब पांच-पांच हजार बीघा धरती पर बाकायदा वहां विराजमान हैं। पांच हजार बीघा पर मालपाणी सांप बन कर बैठा है। 31वां अमेण्डमेन्ट हो गया। लज्जा नहीं आती इस राजस्थान की सरकार को? राजस्थान सरकार इस 31वें अमेण्डमेन्ट की आड़ लेते हुए इन करोड़ों रुपयों की जमीन को इन बड़े-बड़े भेड़ियों के चंगुल से छीनना नहीं चाहती।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े दिन हुए मुझे ईस्ट जर्मनी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने वहां पर बड़े-बड़े महलों पर कई पट्ट लगे देखे। मैंने पूछा लिपजिक में जो सबसे शानदार इमारत थी उस पर लगी पट्ट किसकी है? मुझे बताया गया कि यह इमारत लूंगका की है जो एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन का दफ्तर है। मैं वेस्टर्न जर्मनी में भी गया। वहां भी शानदार इमारतों पर इसी तरह से नामपट्ट देखे। एक बहुत शानदार इमारत पर वीमन फेडरेशन का पट्ट लगा देखा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ये बड़े-बड़े भू-खण्ड और महल हमारे यहां हैं उनको

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सरकार क्यों नहीं अपने अधिकार में करती है ? पर इनमें वह शक्ति नहीं है।

यह गर्व किया गया कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। राजस्थान की सरकार इतना तो अन्दाज लगाती कि राजस्थान में कितने सिनेमाघर हैं और उनसे कितनी आमदनी होती है। एक सिनेमाघर है शालीमार नाम से। उसका बनाने वाला बड़ा मशहूर आदमी है। यह किसी से छिपा नहीं है। नौ महीने में बालक का जन्म होता है और 9 महीने में ही शालीमार का जन्म हुआ। जन्म होने के साथ ही वह मशहूर आदमी उसे बेच देता हैं और दूसरा सिनेमाघर बना लेता है। करोड़ों रुपया उन्होंने सीमेन्ट के कोटे के नाम से प्राप्त किये हैं और ले लीजिये राजस्थान के सारे सिनेमाघरों का राष्ट्रीयकरण करते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 50 करोड़ की रेकरिंग इन्कम राजस्थान सरकार प्राप्त करती थी अगर राजस्थान सरकार में साहस होता।

महंगाई बढ़ गई यह सब जानते हैं सन् 1947 में जब यह देश आजाद हुआ था उस मुकाबले में खाद्य पदार्थों की कीमतें 500 गुणा बढ़ गई, हमारे शहरों का किराया 1500 प्रतिशत बढ़ गया और सन् 1947 के मुकाबले में आज हमारे शहरी प्लाटों की कीमत 30 हजार गुणा बढ चुकी है, क्यों नहीं यह राजस्थान सरकार इन भू-खण्डों को अपने कब्जे में करती है और फिर किस बात की तरक्की का गौरव करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो आपका ध्यान शिक्षा के स्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। आपने अपने बजट का बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें रखा है। वैसे पुलिस के लिये 16 करोड़ रखा है, क्योंकि कहीं पर चाहे आदिवासी क्षेत्र का है, चाहे हरिजनों के क्षेत्र का है, अगर कहीं जमीनें अलाट हुई तो मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं राजस्थान के किसी हरिजन को, राजस्थान के किसी आदिवासी को कब्जा नहीं मिला है। अगर सचाई जानना चाहते हैं तो मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं।

राजस्थान के अन्दर कुल अनुसूचित जाति के 40 लाख 75 हजार 580 लोग हैं और कुल राजस्थान में अनुसूचित जन-जाति के 21 लाख, 25506 लोग हैं। 72 लाख और 1086 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं। कुल भारतवर्ष के अन्दर अनुसूचित जाति के 12 करोड़ हैं। 55 करोड़ में से 12 करोड़ हैं और राजस्थान प्रदेश के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग सारे भारतवर्ष से अधिक है और क्या दिया है आपने उनको। आपने आजादी के दिन से लेकर आज तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति व हरिजनों को क्या दिया है। इसके आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं:– ये उदयपुर की एक शिक्षण संस्थान के आंकड़े हैं, कोई निजी संस्थान नहीं है, सरकारी संस्थान है, इसके आंकड़े सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने 51-52 से लेकर 71-72 तक 929 लाख रुपया खर्च किया है आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिये इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये जिसमें आपने आर्थिक विकास में 440.81 लाख रुपया खर्च किया है, शिक्षा के लिये आपने 387.96 लाख खर्च किये

Page No 63

(63)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं। स्वास्थ्य और निवास आदि अन्य मदों में आपने 100 लाख खर्च किया है और आदिम जाति के विकास के लिये इसके अलावा 706 लाख खर्च किया है लेकिन आपने प्राप्त क्या किया है ?

62 आदेश निकाले हैं अब तक और अब तो ये 70 पहुँच चुके होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति व हरिजनों के लिये और उसके बाद प्राप्ति क्या है ? कुल विभागों के अन्दर फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स 3584 हैं जिसमें आदिम जाति के केवल 83 है। कुल विभागों में 98636 जिसमें आदिम जाति के 3205 लोग हैं, 3.55 प्रतिशत और ये 2 प्रतिशत फर्स्ट क्लास आफिसर्स हैं। सैकिन्ड क्लास सर्वेन्ट्स आदिम जाति के लोग जो कि 32646 हैं उन में केवल 1284 हैं जो चार प्रतिशत है और थर्ड क्लास सर्वेन्ट्स के अन्दर इन दोनों के 10021 हैं केवल 388 केवल 4 प्रतिशत और फोर्थ क्लास में 12375 केवल 12 परसेन्ट हैं जो कि आदिम जाति के लोगों को लिया है। यह आपने राजस्थान के सबसे पिछड़े वर्ग को दिया है। यह आपके बजट की दिशा है, मैं पूछना चाहता हूं आपके बजट की दिशा गरीब और अमीर की दिशा को कम करने की है क्या ? सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा है क्या ? साक्षरता की ओर ले जाने की दिशा है क्या ? साक्षरता का भारतीय औसत, आपकी सारी कहानी साक्षरता की बताई जाय तो बड़ी करुण कहानी है। 51 में भारतवर्ष मे 30 परसेंट और राजस्थान का 29 प्रतिशत। आदिम जाति और हरिजनों का केवल 7 प्रतिशत है और इसके अन्दर जो मेट्रिक या इससे ऊंची शिक्षा के स्तर को ले लीजिये तो 864 जिसमें 851 पुरुष और 13 स्त्रियां हैं। 619 भील, 185 भील मीणे, 6 गिरासिया, 6 आदिवासी, 1 सहारिया, एक भील मीणा ये सब 684 मेट्रिक स्टेन्डर्ड के लोग हैं और इसी प्रकार शहरों में स्थिति देखें तो केवल 2.2 प्रतिशत हैं जो कि शहरों में आदिवासी और हरिजनों को शिक्षित बनाया है। अब आप कहते हैं कि हमने जमीनें दी हैं मैं पूछता हूं कितनी जमीनें दी हैं। जरा जमीनों के आंकड़े भी देखें जो आदिवासी और हरिजनों को दी है।

(विराम)

14-11-70 से 30-11-71 तक और इससे पहले के हिसाब से आपने अनुसूचित जाति के 10469 लोगों को, 75 हजार 36 एकड़ जमीन दी है और अनुसूचित जन-जाति के 8616 को 22311 बीघा जमीन यानि 3 और 2 औसतन धरती आपने राजस्थान की एक तिहाई से अधिक आबादी को दी है और आप कल्पना करके चलते हैं राजस्थान की एक तिहाई जनता तीन सौ एकड़ से कम की धरती पर जीवित रहे। मैं गंगानगर, भरतपुर की बात नहीं करता, मैं अलवर, सवाई माधोपुर की बात नहीं करता. मैं बात करता हूं डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जहां एक आदिवासी का सारा जीवन धरती के सुधारने पर लग जाता है, उस धरती के पत्थर निकालने में अपना सारा जीवन बिता देता है। यह है आपका सामाजिक न्याय ? जो आपकी योजना में दिया है जो 4.5 करोड़ आदिवासियों पर व्यय करने जा रहे हैं और इस व्यय से कौनसा न्याय देने जा रहे हैं ? कौनसी दिशा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उनको देने जा रहे हैं, कौनसी भूमि उनको देने जा रहे हैं ....

श्री दीपंकर : ये तो आंकड़े ही आंकड़े हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो कागजी आंकड़े हैं। असली देखना है तो गंगानगर में पधारना।

तो इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में बड़ी भूमि मारी गई है और कहा जा रहा है राजस्थान नहर को आगे ले जा रहे हैं। राजस्थान नहर का राग बहुत पुराना है। राजस्थान नहर को राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिये। यह बहुत पुरानी धुन है। जो लगातार गाई जा रही है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल राज्यपाल महोदय ने कहा वर्ष के अन्त तक 4 लाख 85 हजार एकड़ धरती का सिंचन होगा और आज हमारे वित्त मन्त्री महोदय 2½ एकड़ से अधिक सिंचन बताते हैं। वे बताते हैं 6 लाख का सिंचन हो जायगा। पिछले साल राज्यपाल महोदय ने 81 करोड़ रुपया पिछले वर्ष राजस्थान नहर पर खर्च हुआ। आप इनके आंकड़े उठा कर देख लीजिये। आप उनके आंकड़े उठाकर देख लीजिए और जो वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि 104 करोड़ रुपया इस वर्ष के अन्त तक खर्च हो जायगा और फिर केवल एक वर्ष का खर्च वित्त मन्त्री महोदय बताते हैं कि 27 करोड़ के करीब राजस्थान नहर योजना के ऊपर खर्च करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर योजना की सिंचन की वस्तुस्थिति को देखना चाहें तो मैं आपको बताऊं 1966-67 से लेकर जबकि 1 लाख 30 हजार 149 एकड़ हुई थी तो 1970-71 के अन्दर 5 लाख के टारगेट के पास पहुंचे हैं लेकिन अगर हम इस किताब 'डेजर्ट टू ब्लूजम' को नहीं उठा कर देखेंगे तो मैं इस किताब के कुछ अंशों को बार-बार पढ़ता रहूंगा और उस समय तक पढ़ता रहूंगा जब तक कि आप राजस्थान नहर योजना की बातें करते रहेंगे। इस किताब के अन्दर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है:—

"The first stage is expected to be completed by 1968-69. The phase will comprise the construction or Rajasthan Feeder in the entire length of 134 miles from Hariken headworks to the tail...."

यह सन् 1968 के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए थी और आज 80 मील से राजस्थान नहर योजना एक इंच आगे नहीं बढ़ रही है तो किस बात की बोम मारते हैं? आप इसको राष्ट्रीय योजना बनाने की बात करते हैं। मुझे आपकी नीयत के ऊपर शंका है। आप राजस्थान नहर योजना को काट डालना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि राजस्थान नहर योजना का पानी बाड़मेर को सिंचित करें, आप नहीं चाहते हैं राजस्थान नहर योजना का पानी जैसलमेर को सिंचित करें। आप 16 पिछड़े हुए जिलों की बात करते हैं और आप 4 जिलों को उनमें सबसे आगे मानकर चलते हैं। जैसलमेर को सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला मानकर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चलते हैं। अगर आपके हृदय में वास्तविकता होती कि आपको राजस्थान से अकाल का भूत भगाना है, आपको बीकानेर से अकाल का भूत भगाना है, आपको जैसलमेर से अकाल का भूत भगाना है, आपको बाड़मेर से सदा के लिए अकाल को समाप्त करना है तो राजस्थान नहर की यह दुर्गति नहीं होती। फेस प्रोग्राम के अन्दर स्पष्ट लिखा है कि सन् 1968 के अन्दर ही यह योजना पूरी हो जाती और 18 लाख एकड़ जमीन के अन्दर सिंचन शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपकी इस योजना के प्रति ईमानदारी होती तो आज इस योजना से 40 लाख एकड़ जमीन सिंचन शुरू हो जाना चाहिये। मैं आह्वान करूंगा, राजस्थान के उन अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों को कि राजस्थान के अन्दर अगर कोई सबसे बड़ा आन्दोलन हो सकता है तो इस सरकार की झूठ को जनता के सामने लाने का हो सकता है। इसके अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है, सन् 1968 के अन्दर इसका पहला फेस समाप्त होकर इसकी सारी माइनर्स, इसकी सारी ट्रिब्यूट्रीज को पूरा हो जाना चाहिये। हम कहीं तो सिद्धमुख की बात करते हैं जिससे चूरू के लोगों को भरमाने की बात करते हैं तो कहीं दूसरी योजनाओं गंग कैनाल और जमुना की बात करते हैं और जो नहर हमारे प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है उसके बारे में कल्पना यह है कि हम उसे छत्रगढ़ के पास ही समाप्त कर दें और गंगानगर जिले के अन्दर ही सारा पानी का वितरण कर दें। मैं हालांकि गंगानगर जिले से आता हूं लेकिन मैं गंगानगर में जवाब देता हूं। मेरे अन्दर सैक्टेरिज्म नहीं है। मैं इसकी कल्पना करके चलता हूं कि रामगढ़ से 140 मील तक याने काण्डला तक इस नहर को पूरा किया जाय और राजस्थान से हमेशा के लिए अकाल को समाप्त किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े खेद से कहना पड़ता है और गत साल भी मैंने कहा है और हमारे वित्त मन्त्रीजी चाहे कुछ भी बोम मारें लेकिन राजस्थान नहर के पानी की उपयोगिता नहीं होती। आज आप मौके पर जाकर देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अन्दर 9 करोड़ रुपये से व्यास प्रोजैक्ट को पूरा करने का संकेत दिया है। यह संकेत उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी साजिश है जो कि केवल राजस्थान के साथ ही नहीं की गयी बल्कि सारे भारतवर्ष के साथ की गयी। पौंग डेम की चारों टनल आज से आठ, दस महीने पहले तैयार हो गई। उस समय व्यास कन्सट्रक्शन बोर्ड के चेयरमैन पलटा साहब ने घोषणा की कि राजस्थान पौंग डेम की टनल्स बन्द हो गई है और इससे केचमेन्ट एरिया को भर लिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह टनल्स बन्द की गई। राजस्थान के ही तीनों इन्जीनियर्स का बोर्ड बैठाया गया और मैं यह डिक्लेर्ड तरीके से कह सकता हूं कि वह तीनों इन्जीनियर्स इस कान्सपीरेसी के जिम्मेदार थे। यह टनल्स क्यों नहीं भरी गई? अगर वह भरी जाती तो भाखरा प्रोजैक्ट के अन्दर इन्टेन्सिटी बढ़ जाती। आज सिद्धमुख नहर की बात कर रहे हैं लेकिन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वह एक कान्क्रीट योजना के अन्दर हमारे सामने आ सकती थी। गंग कैनाल की हमारी केपेसिटी बढ़ती और राजस्थान कैनाल के अन्दर भी सिंचाई की केपेसिटी बढ़ती लेकिन करोड़ों क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान चला गया और उस समय के मंत्री जिन्होंने अनूठा सीलिंग बिल इस सदन को प्रदान किया, जिन्होंने सीलिंग को इन्टेन्सिटी के साथ जोड़ा, वह कल्पना करके चलते थे, वह चीफ इन्जीनियर कल्पना करके चलते थे कि पोंग डेम का केचमेन्ट एरिया भर गया और सारे गंगानगर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की इन्टेन्सिटी बढ़ गई तो सम्भव नहीं होगा तो फिर सीलिंग का क्वान्टम रिड्यूस हो जायेगा और जो बागात लगाने की खुली छूट दी गयी है और जो इन्टेन्सिटी को सीलिंग के साथ जोड़ दिया गया है उसका वह पूरा लाभ लेना चाहते थे इसलिये करोड़ों क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान भेज दिया गया लेकिन वह राजस्थान को नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा इस सदन के अन्दर तीन मुख्य मंत्रियों के भाषण मैंने सुने। माननीय सुखाड़ियाजी, स्वर्गीय बरकतुल्ला साहब और श्री हरिदेवजी जोशी के भाषण सुने और तीनों ने एक बात कही और यह कहा कि हमने मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू करा दिया लेकिन मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं कि गंगानगर के 20 हजार आदमी जिन्होंने जेलें भरकर मोतीराम कमीशन को प्राप्त किया उसका एक अंश मात्र भी लागू नहीं किया गया। आज अब रिपोर्ट के अन्दर जितनी घोषणायें की गयी थीं वह सारी की सारी घोषणायें अधूरी पड़ी हुई हैं और उस रिपोर्ट के अन्दर यह ओपन घोषणा थी कि जो नान-पेरेनियल हैं उनको पेरेनियल कर दिया जायेगा। उसके अन्दर घोषणा थी कि मेन कैनाल के 5 मील तक चाहे लिफ्ट से और चाहे फ्लो से पानी पहुंचाया जायेगा। उसके अन्दर क्लियर घोषणा थी कि भाखरा और गंग केनाल के एरिया को कम से कम नहीं तो डेढ़ लाख एकड़ अधिक धरती को राजस्थान केनाल से सिंचित किया जायेगा। केवल एक चीफ इन्जीनियर हनुमानगढ़ के अन्दर बैठा दिया गया है जिसके पास दफ्तर है लेकिन कोई पैसा नहीं है। आज राजस्थान नहर की स्थिति यह है कि राजस्थान नहर के पानी की उपयोगिता नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी माइनर्स नहीं बन पा रही हैं। आज 18 जिलों के अन्दर राजस्थान का पानी रात और दिन गिरता रहता है और 38 हजार एकड़ जमीन उनकी झीलों के नीचे दब गयी है और उनको एवज में जमीन दी जा रही है। आज माइनर्स नहीं बनने से यह स्थिति है कि पानी का यूटीलाइजेशन निल है और कहते हैं कि 40 परसेन्ट यूटीलाइजेशन होता है वह नहीं होता है। जमीन का पट्टा दिया जाता है, पट्टा लेकर जब किसान मौके पर जाता है तो ऊपर चढ़ता ही चला जाता है। सरकार किसी हरिजन को 150 फुट के टीबे पर चढ़ाती है तो किसी को 500 फुट के टीबे पर चढ़ा देती है मौके पर कागज मिलेगा कि बराबर है सिंचाई लेकिन नहीं है, यूटिलाईजेशन ऑफ वाटर नहीं है। राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है और यह सरकार घाटे के बजट की बात करती है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की बड़ी बोम मारी गई है कि हम यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि हमने कितने लोगों को रोजगार दे दिया लेकिन अन्दाजे से कहा गया है कि चार हजार टीचर्स को तो जब स्कूलें अपग्रेड होंगी तब रोजगार मिल जाएगा और आठ लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया है और रोजगार के दफ्तर के आंकडे भी पेश किए गए हैं। और इन आंकड़ों के अन्दर यह बताया गया है कि रोजगार का रजिस्ट्रेशन तो कम हो गया है लेकिन एप्लीकेशन्स पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ गई हैं। अगर सरकार आंकड़े नहीं दे सकती तो मैं बेरोजगारों के आंकड़े सरकार के सामने दे सकता हूं।

अभी साल भर नहीं हुआ, फूड कमिश्नर मिस्टर भटनागर साहब ने और उनके असिस्टेंट साहब ने इंस्पेक्टर्स का और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट किया था। तीन सौ इन्स्पेक्टर्स और एन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की गई। उस कमेटी के मेम्बर डिप्टी सेक्रेट्री अपोइन्टमेंट भी थे लेकिन उस रिक्रूटमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं हुए। दस हजार एप्लीकेशन्स आई रिक्रूटमेंट की। यह तय नहीं किया गया कि राजस्थान के अन्दर फर्स्ट डिविजन को लेंगे, सेकिंड डिवीजन को लेंगे या थर्ड डिविजन को लेंगे। सारे फर्स्ट डिविजन गायब कर दिए, सारे सैकिण्ड डिविजन गायब कर दिए और सारे थर्ड डिविजन गायब कर दिए और सारे के सारे नॉन-ग्रेज्युएट को दाखिल कर दिया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सारे ही नान-ग्रेज्यूएट दाखिल कर लिए यह तो गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अस्सी प्रतिशत नॉन-ग्रेज्यूएट हैं। आप कहें तो लिस्ट दे दूं।

श्री भगराज चौधरी : It is not correct 99 परसेंट ग्रेज्यूएट हैं।

श्री केदारनाथ : आपका कहना है कि सलेक्शन में, अपोइन्ट में बहुत ज्यादा पक्षपात हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप चाहें तो आनन्द से मुझ से लिस्ट ले लीजिए और गौर फरमा दीजिए। हां, हो सकता है कि आपका भी कोई भाई बन्द मौजूद हो क्योंकि बहुत कम लोग छूटे हैं। करीब-करीब सभी लोग हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पक्षपात तो बहुत हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजस्थान की टोटल पोपूलेशन 2 करोड़ 57 लाख है और आज मेल बेरोजगारों की संख्या 64 लाख है और इसी प्रकार से गांवों के अन्दर मेल बेरोजगारों की संख्या 51 लाख 21 हजार के करीब हैं और फीमेल बेरोजगारों की संख्या 52.1 लाख है। यह मैं आपके सामने दावे के साथ बेरोजगारों के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। और कहता हूं....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अर्द्ध रोजगार वाले होंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अर्ध रोजगार, बेरोजगार और अर्द्ध बेरोजगार वे सब तो बड़ी लम्बी चौड़ी लिस्टें हैं लेकिन यह तथ्य है कि राजस्थान के अन्दर रोजगार का पोटेंशियल बहुत कम है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक बहुत बड़ा एलान किया था चीफ मिनिस्टर महोदय ने कि जखीरेबाजों को पकड़ा जाएगा। 17 तारीख को भी यह घोषणा की गई थी कि इनको बाकायदा हथकड़ी पहनाई जाएगी और बाजार के अन्दर घुमाया जाएगा और फिर पकड़ा भी गया, एक लोकाराम भोजाराम। बाकायदा गिरफ्तार किया गया जिनके यहां 722 बोरी चावल निकला। आप जानते हैं कि राजस्थान के अन्दर दो बोरी बाजरा के बदले एक बोरी चावल बाहर निकाल सकते हैं। इन लोकाराम भोजाराम महोदय ने 17 तारीख को ही 12 वेगन चावल का बोम्बे को बुक करवाया, फिर यह 722 बोरी चावल कोनसा रह गया। और इस लोकाराम भोजाराम फर्म के मालिक दौलतराम डी. आई. जी. गोविन्दसिंह की कार में सारा दिन घूमता रहा आनन्द से और ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिना हथकड़ी पहने हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां, बिना हथकड़ी के आनन्द से सारा दिन सैर करता रहा और आनन्द मनाता रहा। बड़ी प्रीति रही डी. आई. जी. साहब के साथ जो होम गार्ड के थे और जिनको यह काम अलाट हुआ था। उन्होंने खूब अपनी जेबें भरी। कोई कहता है कि पचास लिए, कोई कहता है कि तीस लिए, कितने लिए यह तो कांग्रेसी बन्धुओं को पता होगा कि कितने लिए।

एक अशोका एण्ड को० जो कि छोटवाड़ा के अन्दर है, 12 मार्च को उनके यहां तीस हजार का चावल पकड़ा गया। यह उनका स्टोर हाउस भी नहीं है जहां पर कि यह तीस हजार का चावल पकड़ा गया। अभी बड़ा धड़ाका हुआ, कल 105 फर्म्स के सेम्पल लिए गए लेकिन मैं चेतक घी के बारे में पूछना चाहता हूं। वह जाजू है जिनकी 12 फर्म्स यहां पर हैं। जिनको फ्लोर मिल यहां पर है, जिनकी आयल फैक्ट्री यहां पर है, जिनकी सोप फैक्ट्री यहां पर है और जिनका कभी मीटर बन्द नहीं होता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कभी भी जाकर देख लें जाजू फैक्ट्री का मीटर बन्द नहीं होता। वह चैलेंज करता है कि मैं दस हजार रुपये रोज की रिश्वत देता हूं। कोटा के अन्दर उनके पांच सौ टीन पकड़े गए। छः टीन उन्होंने बेचे हैं और वहां के लेबोरेटरी असिस्टेंट ने यह सर्टीफिकेट दे दिया यह पोईजिनियश है, क्या हुआ उनका। कहां गए वे टीन। जाजू साहब का चालान किया गया लेकिन उनके 496 घी के पीपे बाजार में बिक गए, उनका नामोनिशान नहीं है। चूरू के अन्दर इन्हीं जाजू साहब के 1200 टीन पकड़े गए जो ओवर नाइट गायब हो गए। इसी जाजू फैक्टी के ऊपर कलेक्टर गंगानगर ने छापा मारा और उन्होंने अडल्ट्रेटेड माल पकड़ा और यह आरोप लगाया कि माल अडल्ट्रेटेड है, लेकिन जाजू साहब ने फरमाया कि ऊपर से, खुदा के यहां से टीन गिर गया। क्या आप यह नहीं जानते, राजस्थान की जनता यह नहीं जानती कि जो महुवा का तेल, जो अरण्डी का तेल जाजू साहब को सोप बनाने के लिए मिलता है वह सारा का सारा चेतक घी में मिलता है और आज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

राजस्थान की आधी पोपुलेशन को बीमार करने की जिम्मेदारी जाजू साहब की है। आप अडल्ट्रेड मेडिसन को पकड़ने की बात करते हैं लेकिन इन जाजू साहब का तीस लाख रुपये का स्टाक रोक लिया गया। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई और सब पत्रकारों को बुलाकर एक-एक टिन हरएक को नमूने का दिया। कोई रिश्वत नहीं दी वह नमूना दिया कि कितना बढ़िया घी बनाता हूं और वह तीस लाख का घी कहां चला गया। जो आदमी एक बार नहीं अनेक बार अडल्ट्रेशन में पकड़ा जा चुका हो उसके बावजूद वह अडल्ट्रेशन के मामले में बड़ी सफाई के साथ छूट जाता है। सरकार उस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है। जिसकी फ्लोर मिल रात दिन चलती है, एक हजार एकड़ का एग्रीकल्चर फार्म दस हजार मन गेहूं पैदा करता है, यह सरकार उसको इण्डस्ट्रियल एरिया में एग्रीकल्चर फ़ार्म बनाने की परमीशन देती है और वह पूंजीपति एग्रीकल्चर फार्म बनाता है।

खैर, मैं अपनी इस बात को अब समेट लेता हूं। चूंकि वित्त मंत्री जी पधारे हैं इसलिए उनके लिए सौगात लाया हूं। पहले तो मैंने एक कहावत अर्ज की थी पिछली दफा जब कभी डिबेट में बोलता रहा हूं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ लेकिन अब तो सारी खुदाई एक तरफ और जोरू की बहन एक तरफ हो गई है। ये झूमरदेवी धर्मपत्नी श्री मोहनलाल, हमारे वित्तमंत्रीजी की साली है। उन्हीं को एड्रेस दे रखा है। केयर ऑफ जयनिवास, अशोक मार्ग सी स्कीम, जयपुर। 21-1-74 को जिला रसद अधिकारी, चूरू से 1500 बोरी सीमेन्ट का परमिट इनको दिया गया है। यह चेक है (दिखाते हुये) स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का। इसका नम्बर है ए-542463। 7850 रु० का चेक है। झूमरदेवी को जो 1500 बोरी दी गई।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कितने दिये गये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 1500 बोरी के कट्टे दिये गये। 7 हजार पेमेन्ट किया गया है।

एक माननीय सदस्य : सीमेन्ट के कट्टे कितने थे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 1500 कट्टे थे।

यह तो कोई और भी हिसाब होगा। यह ऐसी पार्टी नहीं है कि 1500 से उनका कोई काम रुक जाये। ऐसा तो सवाल नहीं है। यह तो थोड़ा सा पेश किया है। यह तो एक नमूना पेश किया है। अब मैं सुगरमार्केट, जयपुर के बारे में फरमाना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्य : फरमाइये।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि झूमरदेवी मेरी साली है कोई झूमरदेवी मेरी साली नहीं हैं। न बहन है। न मेरी कोई जानकारी में है। आप बोलें तो जिम्मेदारी से बोलें। अपने नेता की तरह से न बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें आपका एड्रेस दिया है।

Page No 70

(70)

श्री चन्दनमल बैद : मैं चैलेंज करता हूं। अगर आप साबित करदें तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अपना इस्तीफा तैयार रखिये । मैं बिल्कुल साबित करूंगा ।

श्री चन्दनमल बैद : आप जिम्मेदारी से बोलिये । यह××× है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भूमरदेवी गुजरानी, चन्दनमल धीया ।

श्री चन्दनमल बैद : यह चन्दनमल कोई और होगा । मैं नहीं जानता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भूमरदेवी गुजरानी । जयनिवास, मालवीया मार्ग; सी-स्कीम, जयपुर ।

श्री चन्दनमल बैद : कोई किसी का भी एड्रेस दे दे । उसका मैं क्या कह सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका ही एड्रेस देने की क्या जरूरत है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको जवाब देने का समय मिलेगा । लेकिन ऐसे किसी का एड्रेस कैसे दे दिया ।

श्री चन्दनमल बैद : यह कभी नहीं होता है। बिना नोटिस दिये इस तरह से चार्ज लगाये हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं आप बिल्कुल××× बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत,×××। अगर आप विधान सभा में रहे हैं तो मैं भी विधान सभा में रहा हूं। यह बिल्कुल××× है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो××× नहीं है कि इसमें आपका एड्रेस दिया है ।

श्री चन्दनमल बैद : मालूम नहीं है, कहां से लिया गया है। मैं यह नहीं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसने आपका एड्रेस दिया है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं चैलेन्ज करता हूं कि आप××× बोलते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें नम्बर दिया है, 175/ रसद अधिकारी, चूरू 22-1-74 यह एप्लीकेशन दी है । आपके घर का एड्रेस दिया है। यह सारा का सारा मौजूद है। यह विमला इन्स्टीट्यूट के नाम से.... मैं नम्बर दे रहा हूँ ।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मेरा सम्बन्ध क्यों जोड़ रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका कोड नम्बर है ।

श्री चन्दनमल बैद : आप यह कैसे कह सकते हैं (व्यवधान)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज कोई सामान्य रीति से भी किसी दूसरे का पता नहीं दे सकता है । यह अच्छा नहीं होता है।

श्री चन्दनमल बैद : You can do anything you like, I know it.××× बोलते हैं । मुझे मालूम है । मुझे बदनाम करने के लिए करते हैं ।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये ।

Page No 71

(71)

एक माननीय सदस्य : हांडा साहब ने भी चैलेन्ज किया है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी साली मोहिनीदेवी कलकत्ते में रहती है। भूमर-देवी कौन है, मैं नहीं जानता। मेरी साली बना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जानते नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं जानता हूं। आपने बिल्कुल ××× कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अभी कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : ××× बिना किसी मामले के ××× बोलते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ××××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामान्द अग्रवाल : ××× (शोरगुल-व्यवधान) ××× तुम्हारा एड्रेस है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं है हमारा एड्रेस।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शब्द बोले गये हैं, इनको कार्यवाही से हटा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तुम्हारा एड्रेस दिया है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइन्ट ऑफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस सदन का संचालन आप करते हैं। माननीय मंत्रीजी ने आप से आज्ञा नहीं ली। इनको पर्सनल उत्तर देने का समय मिलेगा। तथ्यों की जांच के लिए यह मामला दे सकते थे। लेकिन आते ही तैश में जवाब देना शुरू कर दिया, कोई लेटर हमने पेश किया, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। ××× कहना शुरू कर दिया। इसी तरह से अगर हर एक मंत्री आपकी तरह से रहेंगे तो गम्भीर परिस्थिति होगी। जिस तरह से हमको ××× कहा है यह या तो वापस लें वर्ना मैं कहूंगा, इसका जवाब दिया जायेगा। इस तरह से ट्रेजरी बेंचेज से बैठकर दर्शायेंगे, गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका ××× से जवाब मिलेगा। इस तरह से सदन की मर्यादा भंग करेंगे।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया है जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, उन्हें अलग करवाया जाय कार्यवाही से। यह मेरा निवेदन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अलग करने का सवाल नहीं है। मैं आथेन्टिक नम्बर दे रहा हूं, चैक नम्बर दे रहा हूं....

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनकी इन्वेस्टीगेशन हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिये । ऑर्डर प्लीज !

मैंने माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में बोलने से पहले इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह अपने पास कुछ कागज रखे हुए थे । चूंकि नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है कि किसी भी माननीय मंत्री पर आरोप लगाये जायें तो उसकी सूचना नियमानुसार, अध्यक्ष को पहले देनी चाहिए । उन्होंने इस बात का बीच में जवाब दिया, यह बात मानकर कि चूंकि उन्होंने नोटिस नहीं दिया था, इसलिए इस तरह का जवाब देना चाहिए इसकी अनुमति इम्प्लीसिट तरीके से दी । आपस में हाट एक्सचेंजेज में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उससे मुझे दुःख होता है । खेद है इन शब्दों में जो अनपार्लियामेन्ट्री है, उनको यहां पर प्रोसीडिंग्स से निकालने का मैं आदेश देता हूं और उम्मीद करता हूं, माननीय सदस्य गरिमा के साथ बोलेंगे और सदन के डिकोरम को कायम रहेंगे ।

श्री हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बड़ी गम्भीरता से चैक नम्बर बता रहा हूं । मैंने रसद विभाग का क्रमांक नम्बर बताया है, उसके अन्दर जिला रसद अधिकारी का आदेश है 21 तारीख को बाकायदा, झुमर देवी गुजरानी, केशव जय निवास, मालवीय मार्ग, सी स्कीम.... ..

श्री उपाध्यक्ष : It has been discussed at length.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने सारी बातें कहीं हैं । माननीय मंत्री रिकार्ड का कान्ट्रेडिक्शन कर सकते हैं । लेकिन मंत्री महोदय मेरी जबान बन्द नहीं कर सकते । इस सदन के किसी सदस्य की जबान नहीं बन्द कर सकते........

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस लेटर की क्या रेलेवेन्सी थी ? उस लेटर के सम्बन्ध में कहने का क्या अधिकार था ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने कितनी बातें कह दीं । आप के दल के माननीय सदस्य हांडा बोल रहे हैं तो रामानन्दजी को खड़े होने की क्या जरूरत थी । हम भी बोल सकते हैं और ××× का जवाब ××× से दे सकते हैं । हमें भी इस बात का हक है कि हम ऐसे शब्दों को यूज करें....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको यह तरीका पसन्द हो तो यह तरीका अपनायें ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

ऐसे शब्द हम अकेले सुनें, यह नहीं हो सकता ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ××× का जवाब तो हम भी देना जानते हैं ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अपनायें वह रास्ता ।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार ये शब्द निकाले गये ।

श्री केसरीमल : मंत्री महोदय इस तरह से सदन में गाली देते हैं तो गाली का जवाब गाली दे सकते हैं।

श्री दीपंकर : आपने भी तो उनके जवाब में गाली दी है।

(2.11 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

आप इस तरह से कम से कम महरबानी करके शब्दों का प्रयोग नहीं करें। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, आप एक पार्टी के नेता हैं और इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, आपके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग वाजिब नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा ! जारी रखिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। इस सदन के अन्दर कुछ इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है, जिनके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आज्ञा दी गई है कि जो शब्द अनपार्लियामेन्ट्री हैं, उनको हटा दिया गया है। यह आज्ञा तो वेग और स्विपिंग है। इस सदन के अन्दर + + और + +....

श्री मनोहर कोठारी : + + !

श्री गुमानमल लोढ़ा +++—इन शब्दों का उपयोग किया गया है, इनमें से कौनसा पार्लियामेन्ट्री है, कौनसा अनपार्लियामेन्ट्री है—इसका निर्णय आप करेंगे। मेरा निवेदन है कि इसका स्पष्ट निर्णय होना चाहिए ताकि आगे के लिए पता रहे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन शब्दों के पर्यायवाची हैं, वह शब्द रहने चाहिए। भावना वही रहनी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : + + + + + इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह शब्द पार्लियामेन्ट्री हैं या अनपार्लियामेन्ट्री—इसका हमको पता नहीं है। यह शब्द पार्लियामेन्ट्री हैं या अनपार्लियामेन्ट्री ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। दोनों भाषण सुनिये, मैं पढ़ कर विचार करूंगा कि कौनसा उनमें ऐतराज के काबिल है, अनपार्लियामेन्टरी है। विशेष रूप से जो शब्द कहे, + + + और + +दो तो बजाहिर है कि अनपार्लियामेन्ट्री मालूम होते है....

श्री दीपंकर : आप यह पूछ लीजिये कि इन्होंने क्या-क्या शब्द कहे है।

श्री अध्यक्ष : + + +....

श्री गुमानमल लोढ़ा : तीन शब्द उपयोग किये गये, + + + +....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : + + + और था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : + + + का उपयोग किया गया। इन शब्दों का प्रयोग किया गया....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : + + भी !

श्री गुमानमल लोढ़ा : + + + का उपयोग किया गया, + + + + का भी उपयोग किया गया। इनमें से कौन कौन अनपार्लियामेन्ट्री हैं।

+ + + ये शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री अध्यक्ष : + + शब्द ऐसा है, जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, कई अर्थों में इसका इस्तेमाल होता है, योग्य नहीं है, लायक नहीं है। लायक नहीं है, यह पार्लियामेन्ट्री है या अनपार्लियामेन्ट्री है–यह मुझे देख कर कहना पड़ेगा क्योंकि लायक बहुत से नहीं है। इसकी व्याख्या करना मुश्किल है। कितने योग्य हैं, कितने अयोग्य हैं–यह कहना मुश्किल है।

श्री दीपंकर : ज्यादातर विरोधी पक्ष के आते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार करके मैं अनपार्लियामेन्ट्री शब्द निकाल दूंगा और यहां बता दूंगा कि किन-किन शब्दों को निकाला है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कल बता दें।

श्री अध्यक्ष : कल तो नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसी सत्र में बता दें।

श्री अध्यक्ष : आपको बता दूंगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : लोढ़ा साहब से पूछ लीजिये, आप क्या-क्या बोलेंगे।

श्री शंकरलाल : सदन के सभी माननीय सदस्य लायक हैं, यह बात माननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य शब्दों के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं ··

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के सभी सदस्यों को सम्माननीय मानता हूं, लायक मानता हूं।

श्री शंकरलाल : + ++ शब्द अनपार्लियामेन्ट्री है ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा: लोढ़ा साहब क्या-क्या शब्दों का उपयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये, संयम रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने संयम नहीं छोड़ा एक भी अनुचित शब्द को प्रयोग में नहीं लाया। मैंने तथ्य रखा था जो कड़वा जरूर था। लेकिन यह मेरा परम कर्तव्य है, अध्यक्ष महोदय, कि मैं कड़वे तथ्य रखूं····

श्री अध्यक्ष : कड़वा कहिये; बेजा मत कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा नम्र निवेदन है कि कड़वाहट की पोलिश कर दीजिये, जो शब्द अनपार्लियामेन्ट्री हैं....

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अंत में मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बजट के अन्दर न तो कोई ऐसी दिशा है जो कि गरीब और अमीर के अन्तर को कम कर सके, न बजट में ऐसी दिशा है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो डिस्पेरिटी है, जो उनमें अन्तर है, विकास के अन्दर अन्तर है, उसको दूर कर सके। इस कुल बजट के अन्दर केवल इस बात का एक गौरव प्राप्त करने की कोशिश की गई है कि हमने टैक्स नहीं लगाया है। टैक्स लगाये जाने चाहिए, टैक्स के बिना राज्य नहीं चलता हैं। टैक्स देने के लिए पैसा जिनके पास है उनके ऊपर टैक्स लगाया

+++ ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जाना चाहिए और जिनके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया जाना चाहिए। जिनके पास आज भारी भारी भू-खण्ड हैं, भू-सम्पत्तियां हैं, उनके भू-खण्ड और भू-सम्पत्तियों को ले लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सारे बजट के अन्दर कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की दिशा नहीं है, सारा बजट उस दिशा का संकेत नहीं करता है, जिस दिशा की आज जरूरत है। चाहे शहरों की हो, चाहे गांवों की हो, करोड़ों रुपया यह सरकार धरती से प्राप्त कर सकती है, उससे संचित कर सकती है। अभी मेरे हनुमानगढ़ टाउन के पास एक केस हुआ, 9 एकड़ धरती मण्डी विभाग ने 45 हजार रुपये अन्दर आक्शन कर दी, और आक्शन करने के बाद 45 हजार के अन्दर वह बोली छूट गई, बोली छूटने के बाद, अध्यक्ष महोदय, बोली रद्द कर दी गई और वह जमीन 1800 रुपये के अन्दर चौधरी फैक्ट्री के नाम से अलाट कर दी गई है और उसके उपर बीस हजार रुपये की जींनिग प्रेस लगा दी गई है। अध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य हमारे यह बात कहेगें कि यह बात बहुत कड़वी लगी, तो जाकर देख सकते हैं चौधरी जिनिंग प्रेस मौजूद है, वहां जा कर देख सकते हैं, 45 हजार रुपये की बोली रद्द हुई है। यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि चौधरी जिनिंग प्रेस के मालिक कौन हैं, यह किनके मित्र हैं? इसलिए वित्त मंत्रीजी ने आप शहरों की जमीन बचा सकेगें, न गांवों की जमीन बचा सकेंगे। यह जमीन छीनी जायगी और छीन कर गरीबों के अन्दर बांटी जायगी, यह सम्पत्तियां छीनी जायगी और गरीबों के अन्दर बांटी जायगी। मेरा केवल यह कहना है कि आप सोशलिस्टिक मार्ग अपना लें, यह जरूरी नहीं है, आप केवल नान-केपिटलिस्टिक पथ अपना लें तो इस राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर : (श्री जगमोहनसिंह के खड़े होने पर) अध्यक्ष महोदय, मेरा समय निर्धारित है।

श्री अध्यक्ष : समय दोनों का है। जगमोहनसिंह जी का नाम पहले है।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, देश की और प्रदेश की विषम आर्थिक परिस्थितियों में वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान की जनता पर कर न लगा कर वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं भी उन्हें धन्यवाद अर्पित करता हूं। अध्यक्षजी, वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में देश के अन्दर जो आज आर्थिक संकट और अभाव अभियोग है उनके कारणों पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाला है और मैं यह मानकर चलता हूं कि जो कुछ भी विश्लेषण इस सारी परिस्थिति का उन्होंने किया है, वह वास्तव में है और सही है पिछले दो वर्षो में हमारे राज्य में जो सूखा पड़ा और बाढ़ की जो भीषण परिस्थिति पैदा हुई और हमारे सीमित साधन होते हुए भी राजस्थान सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने जिस तरह

(2.20 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जगमोहन सिंह)
से स्थिति का मुकाबला किया वह एक सराहनीय कार्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो खाद्य समस्या और उससे संबन्धित सारी परिस्थितियां हमारे देश में पैदा हुई, उसके लिए आज देश में जो विरोधी दल हैं वे कहते हैं कि इसका मूल कारण अनाज का जो राष्ट्रीयकरण हमने किया है, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। मेरा निवेदन है कि जो कुछ हमारे देश की परिस्थितियां थी सूखा और अन्न की कमी उनके अंदर सही वितरण और जिन लोगों के पास अनाज नहीं था, जहां पर कमी थी, वहां पर पहुंचाए जाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीयकरण किया गया और मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक हमें इसमें सफलता मिली। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमने जो एक चीज शुरू की थी उसमें जो कमियां रहीं या कमियां पाई गई उन सबका विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि आगामी फसल फिर आएगी और गेहूं वगैरह का प्रोक्योरमेंट करना है। किस तरह से हमारी वितरण व्यवस्था ठीक हो, सारी बातों का एक साल का अनुभव है, इस पर गौर करना चाहिए। हमने लक्ष्य रखे थे कि हमने इतना अनाज देश में इकट्ठा करना है, उन लक्ष्यों की पूर्ति बहुत हद तक हुई लेकिन पूर्णतः नहीं हो सकी। वितरण व्यवस्था भी हम संतोषजनक रूप से नहीं कर सके, यह भी एक तथ्य है। इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में हम देखें तो राष्ट्रीयकरण का जो सिद्धांत है, नेशनेलाइजेशन की जो नीति है, वह एंड नहीं है, एक मीन्स है It is not a penacea of all ills. It is a means to achieve social prestige and remove economic disparities. इस तरह के सिद्धांत हैं जो कि हमें दिशा देते हैं लेकिन समाजवादी देशों के अनुभव को देखें और यह नीति वहां पर सफल हुई और होती जा रही है। हमारे यहां पर पूरी तरह से सफल नहीं हुई। इसके कई कारण थे। मुख्य कारण यह है कि हम अनाज को प्रोक्योर करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मार्केट के अंदर जब हम देखते हैं तो मूल्यों का मुख्य फैक्टर इसमें रहा है जिसको हम नगण्य नहीं कर सकते। आज के दिन कृषि के जो इम्पुट्स हैं फर्टीलाइजर, डीजल, इरींगेशन चार्जेज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, जो सारी चीजें हैं महंगी मिल रही हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल इम्पुट्स का दिनों दिन महंगा होता जा रहा है और इस दृष्टि से जब हम आगे के लिए नीति बनाने जायें तो अगर इन नीतियों को सफल करना है तो जो मुख्य बात है उसको हमें देखना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ तो ओपन मार्केट में बड़े ऊंचे भाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोक्योरमेंट प्राइसिज को हम देखें, उस दृष्टि से तो बहुत कम रहते ही हैं लेकिन वास्तव में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम हैं। अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का सही विश्लेषण करके मूल्य तय करें तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं कि हमारी जो राष्ट्रीयकरण की नीति है, जो नेशनेलाइजेशन का काम अपने हाथ में लिया है, उसमें हमें सफलता नहीं मिले।

दूसरी जो वितरण वाली बात है, जिसमें सफलता मिलने में दिक्कत आई, वह यह कि इसके लिए हमारे पास ओवर मशीनरी नहीं है जो नेशनल आउटलुक से

(श्री जगमोहन सिंह)

और समाजवादी दृष्टिकोण से काम वाली बात हो, ईमानदारी से काम करने वाली बात हो, तो दिक्कत नहीं है। हम वितरण प्रणाली को ठीक नहीं कर सके। अगर हम नेशनेलाइजेशन को अपनाना चाहते हैं तो हमें हमारी जो ब्योरोक्रेसी है जिसका आउटलुक एरिस्टोक्रैटिक है, उससे हम समाजवादी नीतियों का एग्जीक्यूशन कराना चाहें तो निश्चय ही हमें सफलता नहीं मिल सकती। उस आउटलुक को चेंज कराना पड़ेगा, उसके लिए इस तरह का वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा तब जाकर हम इसमें सफल हो सकते हैं। एक नया काम जो हमने लिया, बहुत पुरानी पद्धति चली आ रही है, उसको बदलकर नई बात शुरू की तो जो फैक्टर्स और कॉजेज थे, उस सारी व्यवस्था के लिए हमने उचित बैकग्राऊंड तैयार नहीं किया, उस पर सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए अनाज के वितरण की बात है। हम यह मानकर चलते हैं कि गांवों में अन्न पैदा होता है इसलिए वहां सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं होनी चाहिए, केवल म्यूनिसिपल नगरों व शहरों में होनी चाहिए। यह मान्यता हमारी सही नहीं है। गांवों में भी 30–40 प्रतिशत ऐसे मजदूर और गरीब आदमी हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं। इसी तरह से बीज की समस्या है। पहले बीज आसपास के गांवों से उपलब्ध हो जाता था। हम इन सारे फैक्टर्स पर विचार करें और कमियों को दूर करें और नए तरीके से अपनी नीतियों का इम्पलीमेंटेशन करें तो कामयाबी मिल सकती है और वाजिब भावों में चीजों को उपलब्ध कराने की बात कर सकते हैं।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में चौथी पंचवर्षीय योजना की जो उपलब्धियां हैं उनका जिक्र किया है। इसमें दो राय नहीं कि जितने हमारे सीमित साधन थे उनसे जो कुछ विकास कर सकते थे, वह हमने किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी मैं नहीं बोला, मैं पहली बार बोल रहा हूं तो थोड़ा बोलने दीजिए इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह जिक्र किया है कि हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण को राजस्थान में शुरू कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्रीजी का ध्यान उनके बजट भाषण के पैरा 13 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि

"The year 1974-75 will mark the first year of the Fifth Plan period. As the Hon'ble Members are aware, the draft Fifth Plan of the State has been prepared and discussed in the Planning Commission The main objectives of the Fifth Plan are the acceleration of the tempo of development in sectors capable of growth and distribution of benefits to a wider section of the population. The past two

(78)

(श्री जगमोहन सिंह)

decades of planning have shown that the benefits of development do not automatically reach the poor and the disadvantaged. The strategy of the Fifth Plan has been, therefore, designed to see how best growth can be ensured with a wider distribution of income and how the minimum needs of the population, especially in the rural areas, can be met."

तो मैं यह निवेदन करूं कि हमने जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि बनायी है उसमें हमारा लक्ष्य यह रहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो बैलेन्स डाईवरसिटी रह गयी थी जिसके कारण की कई क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका उन्हें ऊपर उठाये। हमारा ध्यान गांवों की तरफ अधिक रहे, गांवों का विकास करने की तरफ हमने अपना ध्येय पंचम पंचवर्षीय योजना का रखा। जहां पर विकास नहीं हो सका जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक पिछड़ा क्षेत्र ही रह गया उसकी ओर विशेष ध्यान दे, उन्हें ऊंचा उठाने की बात करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमारे राजस्थान में आपने पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण को शुरू कर रहे है उसमें आपने करीब 79 या 80 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम 79-80 करोड़ रुपये के खर्चे के एलोकेशन को देखें तो पता चलता है कि इसकी पृष्ठभूमि को देखने से पता चलेगा कि हमने पंचम पंचवर्षीय के पहले चरण में यह बात क्लीयर नहीं कर पाये कि हमारी योजना के प्रथम चरण का बैकग्राउन्ड क्या होगा कौन-कौन से सेक्टर को आप अपने हाथ में ले रहे हैं कौनसी तहसीलों को आप अपने हाथ में ले रहे हैं किस क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे। किन-किन जिलों को आप लेंगे। इसके लिये आपने कोई बेस तैयार नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर आपने राजस्थान के अन्दर 312 करोड़ रुपये खर्च किये। जिसमें वित्त मन्त्री महोदय ने बताया कि हमने नयी 2500 किलोमीटर सड़कें बनायी, स्कूलें खोली तथा और विकास के कार्य किये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा डिविजन के अन्दर इस 2500 किलोमीटर सड़क में से एक मील सड़क भी कोटा डिविजन में नहीं बनी। उपाध्यक्ष महोदय, इन पंचवर्षीय योजनाओं को चाहे वह पहली हो चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी और चौथी हो हम इन्हें देखें तो पता चलेगा कि इन योजनाओं में सिवाय चम्बल प्रोजेक्ट को छोड़कर जो कि सेन्ट्रली एडेड प्रोजेक्ट है कोई खर्चा वहां पर नहीं किया गया है। किसी प्रकार का इनवेस्टमेंट वहां नहीं हुआ और यही कारण है उपाध्यक्ष महोदय कि कोटा डिविजन और जिसमें खास तौर से हमारे छबड़ा, बारां, किशनगढ, शाहबाद यह इलाका बहुत ही पिछड़ा रह गया है। आज तक हिन्दुस्तान आजाद हुए 26 साल हो गये

(श्री जगमोहन सिंह)

हैं लेकिन एक भी नयी सड़क का निर्माण हमारे इन छः तहसीलों में नहीं किया गया है और अगले साल के बजट में भी कोई नयी सड़क बनाने का प्रावधान आपके बजट में नहीं रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आपके मारफत इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि छबड़ा, बारां, किशनगढ़, शाहबाद का इलाका जो कि पिछड़ा रह गया वहां पर सड़कों का निर्माण कराने की व्यवस्था करावें। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय को एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि कोटा में बिजली पैदा होती है पर उपाध्यक्ष महोदय सिवाय कोटा सिटी और 4-6 गांवों को आसपास के छोड़कर हमारी इन 6 तहसीलों में आज तक बिजली ठीक तरह से नहीं मिल रही है। आज हमारे छबड़ा, शाहबाद, बारां, किशनगढ़ और अटरू इन तहसीलों के गांवों में बिजली की सप्लाई नगण्य सी है जो बिजली दी गई है वह बहुत ही कम है। जबकि कोटा में बिजली पैदा होती है और कोटा से दूसरी जगह बिजली दी जाती है लेकिन उसका फायदा कोटा डिविजन की इन छः तहसीलों को बहुत ही कम है। अन्त में मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां के गांवों के लिये बिजली देने की योजना शुरू करावें ताकि हमारे इलाके के काश्तकार को राहत मिले। यह बहुत ही सोचनीय विषय है उपाध्यक्ष महोदय, जो कोटा बिजली उत्पादन करे उसकी तहसीलों के गांवों को बिजली नहीं मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा सा मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले साल मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स खोले गये थे और उसमें प्रणाली कुछ ऐसी बनायी गयी थी कि हमारे कोटा डिविजन में भी कुछ स्कूलें खोली गयीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारे हाई स्कूलों की बहुत ही कमी है। हमारे इधर इन वर्षों में एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोली गयी है। आज मेरे छबड़ा तहसील और उसके अलावा हमारे कोटा डिविजन में हाई स्कूल्स खुलनी चाहिये। आज चार हजार की पोपुलेशन वाला छबड़ा उसमें एक ही हाई स्कूल है और उसके आसपास की तहसीलों में कोई हाई स्कूल नहीं है। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना भी चाहूंगा। आज जब हम पंचवर्षीय योजना की ओर अग्रसर हो रहे हैं आपने दूसरी जगह हाई स्कूल्स खोलने की व्यवस्था की है पर कोटा डिविजन में नहीं की इसका हमें बहुत ही खेद है। शिक्षा के बारे में मैं यह और निवेदन करना चाहूंगा कि क्वान्टिटी के आधार पर देखते हुए चाहे आपने राजस्थान में शिक्षा का एक्सपान्सन कर दिया हो लेकिन इस शिक्षा प्रणाली से हमारे देश में बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ रही है आज हमारा युवावर्ग के लिये बहुत बड़ी भारी समस्या हो गयी है जीविका उपार्जन की इसलिये मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे शिक्षा में चैन्ज की जरूरत है। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली रखनी चाहिये जो कि जोब ओरियेन्टेड हो। अगर हम जोब ओरियेन्टेड पद्धति की शिक्षा

(श्री जगमोहन सिंह)

युवकों को देंगे तो ही हमारी मूलभूत कठिनाइयां दूर होंगी अन्यथा नहीं। सिर्फ साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का प्रसार नहीं है। लेकिन मन्त्री महोदय के बजट स्पीच में हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना में कहीं इसमें चेन्ज दिखायी नहीं देता है यह एक सोचनीय विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं वह इर्रीगेशन के बारे में। हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना में यह उद्देश्य रखा कि इर्रीगेशन, पावर और एग्रीकल्चर के सेक्टर की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा और जो नीडेड एरिया है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये। हमें उत्पादन बढ़ाना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जरूरत है हमें अनडेवलेप्ड एरिया के विकास करने की। मेरा आपके माध्यम से वित्त मन्त्री को यह निवेदन है कि जहां विकास के कार्यक्रम कम हुए हैं जैसे-कोटा डिविजन वहां इनकी प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके अलावा हमारे बजट स्पीच में मन्त्री महोदय ने राजस्थान नहर के बारे में भी कुछ कहा है। हमारे राजस्थान में राजस्थान नहर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के लिये बनाई जा रही है राजस्थान का पश्चिमी इलाका हमेशा से ही अकालग्रस्त रहता आया है, इसके बनने के बाद वहां पर खुशहाली आ जायेगी। लेकिन सिर्फ राजस्थान के पश्चिमी इलाके के सिवाय और भी तो इलाका राजस्थान का है। उस रेस्ट ऑफ राजस्थान के इर्रीगेशन के बारे में आपने कितनी योजनायें बनाई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करके निवेदन करूंगा कि वह ऐसी दूसरी जगह योजनायें सिंचाई की बनावें जो कम समय में और कम खर्च में जल्दी ही फायदेमन्द हो सकती है। आज हमारे कोटा डिविजन में काफी ऐसी योजनायें बना सकती जिससे सिंचाई की सुविधायें उस इलाके के लोगों को मिल सकती है। मेरे छबड़ा के पास 6 मील दूरी पर पार्वती नदी पर एक हाईडल इर्रीगेशन प्रोजैक्ट के लिये वैसे पहले सर्वे भी हो चुका है। सन् 1962 में और उसकी प्रिलीमनरी सर्वे रिपोर्ट भी आ चुकी है उस रिपोर्ट के अनुसार अगर वह स्कीम चालू करे तो थोड़े ही समय में इस योजना से करीब 3-4 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। उसके लिये पहले मैंने निवेदन किया तो माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने कहा कि मध्यप्रदेश से नदी बहती है और केचमेन्ट एरिया भी वहां पर है इसलिये इसको वे ही कर सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश और राजस्थान का एक जोइन्ट मोडल इसको बना सकते हैं और उस हालत में जबकि वहां पर बड़ी समस्या है और इतना फरटाइल एरिया उपलब्ध है, अच्छे एरिया के होते हुए क्यों नहीं इसको कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर 12 तहसीलें हैं। उनमें से केवल चार तहसीलों को ही चम्बल के पानी से लाभ मिला है और बाकी की 8 तहसीलें ड्राई हैं और सिंचाई के कोई साधन नहीं है। यदि इस योजना को कार्यान्वित किया जाय तो 8 तहसीलों की लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई योग्य बना सकते हैं और मध्यप्रदेश के एरिया में भी इससे सिंचाई हो सकती है।

(श्री जगमोहन सिंह)

इसलिये मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस योजना को भी राष्ट्र के इन्ट्रेस्ट में मान कर प्रदेश के इन्ट्रेस्ट में मान कर क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि छबड़ा और शाहबाद तहसीलों के लिये एक प्रोजैक्ट बनाया गया था। उसका सर्वे भी हर प्रकार से पूरा हो चुका है। उसके लिये भी कई बार निवेदन किया और जो कि बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इन दोनों तहसीलों में और कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये पुनः निवेदन है कि इसको हाथ में लेकर शुरू किया जाय। ताकि उन तहसीलों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके और लाखों एकड़ भूमि सिंचित हो सके। आपको इसको पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लेना चाहिये।

इसी प्रकार से कई योजनाएं हैं जिनको आप पांचवीं योजना में ले सकते हैं। और भी सेक्टर हैं लेकिन यह सेक्टर बहुत अहम् है। इन पर ही राष्ट्र की बहबूदी और समृद्धि निर्भर करती है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। उसका कारण मैं मानता हूं। वित्त मन्त्रीजी ने 25 परसेन्ट नेशनेलाइजेशन आॅफ रूट्स की बात की है। लेकिन मेरा उन्हें यह निवेदन करना है कि आज सबसे ज्यादा कन्ट्री की नीड्स है और जिन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है और वे हैं इन्टीग्रेटेड प्रोडक्शन की, इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की, खाद्य समस्या और दूसरी जरूरी जो नीड्स हैं उनको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है इस ओर जब कि सारे देश का ध्यान है इसमें ही अधिक पैसा यदि वित्त-मंत्रीजी रखते तो बहुत ही अच्छा होता। आज हमारे कन्ट्री की ये बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिये या बढ़ाने के लिये अधिक प्रयास और धन की जरूरत है।

बसों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निवेदन करूं कि आप का प्रिन्सीपल तो बहुत अच्छा है लेकिन व्यवस्था की बड़ी भारी कमी है। ठीक प्रकार की व्यवस्था हो तो लोगों को सुविधा मिल सकती है। फोर दी सेक आॅफ पोलिसी से कोई कार्य कर दिया जाय लेकिन जब तक ठीक प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध करायी जावेगी, जनता को उससे लाभ नहीं मिलेगा। जनता कहती है कि ठीक तरह से काम नहीं होता है। हम देखते हैं। कोटा रूट पर बसें चलती हैं। टाइम से बसें चलती नहीं। बस को यदि 10 बजे जाना चाहिये तो 11 बजे तक लगती नहीं। रास्ते में टायर टूट गया और खराबी हो गयी। इस प्रकार की परेशानियां लोगों को उधर होती हैं। इसलिये उनमें असन्तोष फैलता है। इसलिये इस व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री जगमोहन सिंह : थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सेपरेशन आॅफ ज्युडिशियरी फ्रॉम एक्जीक्यूटिव का किया। इट इज लैंडमार्क इन दी हिस्ट्री आॅफ एडमिनिस्ट्रेशन

(श्री जगमोहन सिंह)

ऑफ जस्टिस । जो काम हम करना चाहते थे वह करने जा रहे हैं उसके लिये सरकार को बधाई देता हूँ । यह एक बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था वह यह ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो इसको अन्तिम समझ रहा था ?

श्री जगमोहन सिंह : जी हां । अन्तिम है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटीज और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के पिछड़े हुए इलाकों का विकास करें, विकास को गति प्रदान करें तब ही हमारे प्रान्त का सर्वांगीण विकास हो सकेगा । मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के कोटा डिविजन की क्या स्थिति है । यदि आप टैक्स की दृष्टि से ही देखें तो आज हमारा डिविजन कितना स्टेट एक्सचेकर को रेवेन्यू देता है लेकिन दूसरी ओर यदि विकास की बात को देखें तो कुछ नहीं है । इससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है । मैं अलगाव की बात नहीं करता हूँ । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आखिर कोई लिमिट भी तो होती है । कहां तक इन्तजार किया जा सकता है । उस सारे पैसे को हमेशा दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है और वहां के टैक्स पेयर्स को कुछ भी राहत न दी जाय तो यह उचित बात नहीं कही जा सकती । इससे कई कान्सिक्वेन्सेज पैदा हो सकते हैं जिसको चैक करना चाहिये इन्हीं शब्दों के साथ माननीय वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट भयावह ऊहापोह की स्थिति में पेश किया गया है इसके लिये तो यह कहा जा सकता है कि वह सन्तुलित है, उपयुक्त है, और स्वागतयोग्य है । परन्तु केवल हम अपना काम चलाने के लिये खानापूर्ति मात्र कर लें तो इससे हमारी प्रगतिशीलता साबित नहीं हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इतनी बड़ी संख्या में आने से पहले हमने जनता से कुछ वायदे किये थे । हमने लोगों को बिलकुल स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि झोंपड़ियों में और बड़े-बड़े महलों में जो अन्तर है, वह अन्तर हम समाप्त करेंगे । एक व्यक्ति जो श्रम नहीं करता, बल्कि सबसे ज्यादा आराम और अय्याशी की जिन्दगी बसर करता है, जिससे समाज में जीने के ज्यादा साधन उपलब्ध हैं उनके साधनों को सीमित किया जावेगा और जो कमजोर वर्ग हैं साधनहीन हैं उनको सबल किया जावेगा, उनको साधन मुहय्या किये जावेंगे । अब इन वचनों को पूरा करने में हम कहां तक सही उतरेंगे यह तो आने वाला समय ही बतावेगा पर एक बात स्पष्ट लगती है कि हमारे लिये, कारण पृष्ठभूमि में कुछ भी रहे हों, हम जो वचन जनता को देकर यहां आये हैं, उसे हम निभा पायेंगे, यह हरगिज नामुमकिन लगता है ।

इसलिये हमारे लिये यह जरूरी है कि हम भले ही उनको आज पूरी तौर से नहीं निभा पावें, पर फिर भी ईमानदारी से

(श्री दीपंकर)

हमें इस दिशा में काम करते रहना है। हमें वादों के मुताबिक मिनिमम का कार्यक्रम को लेकर चलने का ध्यान तो रखना ही चाहिये। अगर इस दिशा में बढ़ते हुए हमारे चरण नजर आवेंगे तो भी जनता के सामने दुबारा जाने का साहस हमारे में आ सकेगा।

तो इस अवसर पर वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद पेश करते हुए कुछ अपने सुझाव भी पेश करना चाहूंगा जो निम्न प्रकार से हैं:—

न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग करने की हमने घोषणा की है और इस पर अमल करने के लिए कुछ कदम भी उठाये हैं। यह पहला कदम हमारा है और अच्छा कदम है। परन्तु अब देखना यह है कि इससे पहले हमने एक घोषणा और की थी जिसके तहत हमारे यहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया था। हमने न्याय पंचायतें कायम की थी, ग्रामीण समाज को सस्ता न्याय दिलाने के लिये जिन्हें बाद में समाप्त कर दिया गया। आज मुंसिफ कोर्ट तक हम सेपरेशन करने जा रहे हैं। न्याय पंचायतों को भंग करने का कारण शायद यह नहीं था कि जन प्रतिनिधि न्याय पंचायतों को चलाने में सक्षम नहीं थे। बल्कि कारण यह रहा कि साधन हम उनको नहीं दे सके। चपरासी तक नहीं दिया। कागज पैंसिल और दवात कलम तक नहीं दी। स्टेशनरी का पैसा नहीं दिया। सबसिडी के रूप में केवल चार सौ पांच सौ रुपया हमने उनको दिया जो अत्यन्त अपर्याप्त था। इससे वह व्यवस्था चरमरा गई। अब इन न्याय पालिकाओं में में आप पूरा नया स्टाफ रखेंगे, नये वकील रखेंगे और इसके लिए बजट में प्रोवीजन भी आपने किया है। मेरा सुझाव है कि हमारी ये न्याय पालिकाएं चलती फिरती रहें, गांव-गांव में जाकर न्याय दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर। अभी वित्त मंत्री महोदय ने मुझे चैलेन्ज किया था और मैं भी इसको कन्फर्म करने बाहर गया था। मैं मंत्री महोदय का चैलेन्ज इस सदन में स्वीकार करता हूं। एक बात।

दूसरी बात, जो चैक में अमाउण्ट दिया गया है वह 17850 रु० है। जरा इसको करेक्ट कर लें। ये दो बातें करेक्ट कर लें। ये दो बातें करेक्ट हैं।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पोइन्ट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन सर। मैं निवेदन कर दूं कि श्रीमती भूमरदेवी गुजरानी मेरी साली नहीं है। इसको मैं नहीं जानता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने आपका चैलेन्ज स्वीकार किया है।

श्री चन्दनमल बैद : इस सदन की किसी भी कमेटी को, अध्यक्ष महोदय को अथवा उपाध्यक्षजी को मैं आथोराइज करता हूं कि अगर भूमरदेवी गुजरानी मेरी साली हो या मैं उसको जानता भी होऊं तो सदन से इस्तीफा देने के लिये, तैयार हूं। अन्यथा माननीय सदस्य, जिन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है वे कह दें कि अगर वे भूठे हो तो वे सदन से इस्तीफा दे देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसे कितनी बार दोहराऊं। मैंने कह दिया है कई बार।

एक माननीय सदस्य : आप भी स्पष्ट कहिये न।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कितनी बार दोहराऊं ? मैं आपसे कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि मैं माननीय सदस्य का चैलेन्ज स्वीकार कर रहा हूं और मेरे पास भंवरसिंह महरी तो रहता नहीं है जिससे वे मुझे गोली मरवा देंगे। मुझे भय है नहीं चाहे कुछ भी हो।

श्री दीपंकर : आप भी सीधा यह कहिये कि इस्तीफा दे देंगें अगर आपकी बात सही नहीं हुई तो। आप इधर उधर की दूसरी-दूसरी बातें क्यों कहते हैं माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैंने इनका चैलेन्ज स्वीकार नहीं किया तो। मैंने माननीय मंत्री का चैलेन्ज स्वीकार किया। एक बार नहीं सौ बार स्वीकार किया।

श्री चन्दनमल बैद : फिर यह साफ हो गई बात। आप चाहें जांच करवा लें। अध्यक्ष महोदय जांच कर लें। मैं एक बार नहीं सौ बार कहता हूं कि भूमरदेवी गुजरानी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये कहते हैं मेरी साली है, रिश्तेदार है। मैं कहता हूं न यह मेरी साली है, न रिश्तेदार है, न नजदीक में है न दूर में कोई रिश्ता इससे मेरा है। अगर नजदीक या दूर का रिश्ता भी ये साबित कर दें तो या तो ये विधान सभा में नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी बात स्पष्ट है ? नजदीक में या दूर में किसी किस्म की ये रिश्तेदार नहीं है आपकी ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चाचा ताऊ आदि में भी किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। मैं इसे जानता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का यह आग्रह है कि वे जो कह रहे हैं वह तथ्य है और सही है और इस पर जो चैलेन्ज मन्त्री महोदय ने दिया है उसे स्वीकारते हैं तो यह सब लिखित में आसन को दे दें। इसके बाद में आसन की तरफ से कार्यवाही की जा सकेगी, अन्यथा नहीं।

(श्री दीपंकर से) आप फरमाइये।

श्री दीपंकर : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका जुदा की जा रही हैं यह कदम तो सराहनीय है। इसका स्वागत भारत भर में होगा। यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो स्टाफ आप इसके लिये दे रहे हैं वह कैसा होगा ? आज जो स्टाफ जिस तरह से इन न्यायपालिका और कार्यपालिका को चला रहे हैं और जो बाबुओं का लेन-देन चलता है वैसा ही इसमें रहा तो सही न्याय जनता

(श्री दीपंकर)

को इससे भी नहीं मिल पावेगा। न्याय फिर बेचा जावेगा। इसलिये यहां भी न्याय बिके नहीं इसकी पूरी निगरानी रखनी होगी। केवल न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देने मात्र से जनता को राहत नहीं मिलेगी। साथ ही ये गांवों की न्याय पंचायतों की तरह गांव-गांव जाकर अपनी अदालतें लगावें। और सीधे ही सारे मामलों को सुनकर तुरतफुरत न्याय करें। वकीलों को बीच में न आने दें। ये काले कोट वाले सबसे ज्यादा करप्ट करते हैं अदालतों को। ये पैरोकार हैं, वकालत करने वाले काले कोट पहनने वाले हैं ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं। शासन को भी और जनता को भी दोनों को भ्रष्ट करते हैं। मुंसिफों को पैसा दिलाते हैं। फीस लेने, नोटिस निकालने, तलबाना जमा कराने आदि कामों में इन लोगों ने भ्रष्टाचार को दुनिया भर में फैलाया है। आपको प्रतिबन्ध लगाना होगा कि गांवों में ये काले कोट वाले न जा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था आप अवश्य करने की कृपा करें।

नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुधारने की तरफ भी आपका ध्यान गया है। आठ आने पर हैड की जगह एक रुपया पर हैड के अनुपात से आप उनको सहायता देंगे। पर इससे भी पूरा नहीं पड़ेगा। नगरपालिकाओं में जो हाउस टैक्स लगा है उसे आप अपने भवन व प्रापर्टी टैक्स विभाग के मार्फत वसूल करके दे दें तो यह सबसे बड़ी सुविधा आप देंगे। नहीं तो नगरपालिका का स्टाफ हाउस टैक्स वसूल करने में जिस तरह से ढील बरतता है उससे उसकी पूरी वसूली की कतई आशा नहीं की जा सकती।

बड़े नगरों में लोग अधिक ठाटबाट से रहते हैं वहां अच्छी सड़कें हैं, पानी और बिजली का अच्छा प्रबन्ध है। गटर लाइन की सुविधाएं हैं। यही सब सुख सुविधाएं छोटे नगरों में भी लोगों को मिले इसके लिये पैसा आवश्यक है। बहुतसी छोटे नगरपालिकाओं के पास भी विकास की बहुत सी योजनाएं बनी पड़ी हैं पर वित्तीय प्रावधान के बिना वे आगे चलती नहीं। इसके लिये भी सरकार को वित्तीय साधन उनको देने चाहिये। इसका भी रास्ता आप निकालेंगे ऐसी आशा करता हूं।

अस्पतालों के बारे में कहा गया है कि उनको अधिक दवाइयां दी जावेंगी। कई स्वास्थ्य केन्द्र आज ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं और दूसरी तरफ डाक्टर बेकार बैठे हैं। दवाइयों का यह हाल है कि स्पिरिट, टिंचर और पट्टियां तक बाहर से खरीदनी पड़ती है बीमारों को। इतनी कमी को आपकी यह रकम पूरी कर सकेगा ऐसा लगता नहीं है। फिर भी जो रकम रखी है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

आज अस्पतालों में बहुत बड़ी ईर्ष्या डाक्टरों में आपस में हो गई है। कौन किस डिस्पेन्सरी या अस्पताल का इन्चार्ज रहे इसके लिये उनमें झगड़े चलते रहते हैं। इसका असर बीमारों पर भी पड़ता है। गांव के लोग भी इन डाक्टरों की पार्टीबन्दी में पड़ जाते हैं। अमुक लोग अमुक डाक्टर को ही दिखावेंगे। इस तरह की स्थितियों को बदलने के लिये कारगर

(श्री दीपंकर)

उपाय सोचे जावें ताकि सेवा का यह सबसे बड़ा केन्द्र आपसी कलह का क्षेत्र बनकर न रह जावे। दूसरी तरफ चलिये, एक मिलने वाले डाक्टर से पूछ लें तो दूसरा डाक्टर ऐड नहीं दें। जहां तक अस्पताल खोलने का प्रावधान किया है, मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा जितने अस्पताल खुले हैं उनको ही अच्छी तरह चलाया जाय तो ठीक रहेगा और दूसरी तरफ जहां ध्यान नहीं दिया गया है– पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में जहां धूल ही धूल है और कहावत भी है कि आंखों को धूल, धूप और धुआ से बचाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आंखों की बड़ी बीमारी है पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में तो इस बीमारी को देखते हुये जितने अस्पताल नजदीक में होने चाहिये, नहीं है।

कुछ लोगों का प्रस्ताव है हम इस तरह के अस्पताल खोलना चाहते हैं और कुछ देना चाहते है पर राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिलती। सरकार माकूल व्यवस्था नहीं करती है, बहुत सोचनीय स्थिति है। आशा है, आंखों का अस्पताल की तरफ अबके जो प्रावधान रखा गया है उसमें राज्य सरकार निश्चय करके नये अस्पताल खोलेगी।

एक बहुत बड़ी बीमारी जो टाउन में है वह टी० बी०। जिस तरफ पत्थर की खाने हैं टी० बी० की शिकायत ज्यादा मिलेगी। टी० बी० वालों को सरकार घूम कर दवा देकर आये, उससे कुछ नहीं होता है। जिस टाऊन में मकराना, लाडनूं, जोधपुर में पत्थर के तोड़ने वाले आदमी हैं वहां अवश्य पत्थर की रंजिस उन्हें खानी पड़ती है। पत्थर तुड़ाने वालों से भी उन्हें पूरी मदद नहीं मिलती है तो उपाध्यक्ष महोदय जरूरी है सरकार टी० बी० के लिये समुचित व्यवस्था करे और अगर नये अस्पताल न खोलकर अस्पताल के एक विंग में ही खोली जाय तो भी उनको मदद मिल सकती है। यह राजस्थान के लिए परम आवश्यक है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

शिक्षा के लिये हमने कुछ अध्यापक रखने तय किये हैं। बहुत खुशी है मिडिल स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, समय पर मास्टर नहीं भेजे इसलिये पंचायत समिति वालों को कहा कि अपना स्टाफ रखें। किसी स्कूल में 3-4 मास्टर से काम चल सकता है परन्तु उन शालाओं के लिये भवन नहीं है। अतः भवन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मिडिल स्कूल भवन बनवाने के लिये चार हजार, पांच हजार रुपया चन्दा लिया गया है लोगों ने पैसे भी दिये, जनता से चन्दा भी हुआ है मैं सोचता हूं जो मिडिल स्कूलों का प्रावधान है उसके भवन बनाने के लिये कुछ खर्च करना चाहिये। नये स्कूलों के भवन बन सके और अगर ऐसा नहीं कर पायेंगे तो नये स्कूल पेड़ो के नीचे चलेंगे। इसलिये आशा है इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे।

जहां तक प्राइवेट संस्थायें है किसी का 70 प्रतिशत किसी का 80 प्रतिशत खर्चा ज्यादा बताती है। लड़कों से फीस ज्यादा ले लेती है और कहते हैं इतने पैसों का चन्दा किया किन्तु मेरा मानना यह है कि ये सब संस्थाएं सरकारी ऐड पर और लड़कों की फीस पर चलती हैं। सबसे ज्यादा खोटा काम

(श्री दीपंकर)

होता है तो यह होता है कि मास्टरों को तनखा समय पर नहीं मिलती है और इस तरह मास्टर का शोषण होता है, सरे आम भ्रष्टाचार होता है मैं समझता हूं इस तरह की शिक्षण संस्थायें चलने से शिक्षक के मन में ग्लानि होती है और मन में वैमनस्य उत्पन्न होता है और जो इज्जतदार व्यक्ति होता है उसके लिये यह घृणा का विषय हो जाता है इसलिये मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी शिक्षण संस्थाओं को नहीं चलने दिया जाना चाहिये। काफी गड़बड़ घोटाले इन संस्थाओं में होते हैं। मेरा निवेदन है सरकार एक कमेटी बैठाये और या जो कमेटी बनी हुई है उससे जांच करवायें तो प्राइवेट संस्थाओं में जो गड़बड़ियां चल रही है उसका पता लग जायगा। स्पष्ट है हमारे सरकारी खर्च से चल रही है और लड़कों की जो फीस आती है उस आधार पर चल रही है।

सरकार अपने जो निर्देश इन संस्थाओं को भेजती है उसका भी पालन नहीं होता है मास्टरों के बीमार होने पर छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उनको उचित दवा की व्यवस्था नहीं रहती है, मास्टरों को मकान किराया नहीं मिलता है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। आपके सरकारी आदेश सब जगह पहुंचते हैं लेकिन मैनेजमेंट के आदेश हैं कि कौनसे नियम माने जायं और कौनसे नियम नहीं माने जायं। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को तुरन्त बन्द कर देना चाहिये, यह उपाध्यक्ष महोदय मेरी आपके मारफत मांग है। एक तरफ एडेड स्कूलों में साम्प्रदायिकता का विष वमन हो रहा है तो बहुत से स्कूलों के ग्राउन्ड में किसी में भगवा झन्डा लहरा रहा है तो किसी में हरा झण्डा लहरा रहा है तो किसी में पीला झण्डा लहरा रहा है। ये झण्डे उपाध्यक्ष महोदय आइन्दा हिन्दुस्तान को टुकड़ों में बांट देंगे। जगह-जगह से बराबर आवाज उठती रही है कि आर० एस० एस०, मुसलिम मजलिस, मुस्लिम लीग आदि की जो शिक्षण संस्थाएं हैं वे सरकारी ऐड लेकर शिक्षण संस्था चलाती हैं साम्प्रदायिकता का जहर फैलाती है, साम्प्रदायिकता का विष वमन करती हैं और उपाध्यक्ष महोदय यह तभी सम्भव है जब इस प्रकार के एड को बन्द कर दें और इस प्रकार का लेखा-जोखा रखे। अगर किसी कारण हम नहीं ले सकेंगे तो यह आप देखेंगे कि अमुक जगह पर आग लग गई, अमुक जगह पर लूट-पाट हो गई और फिर शान्ति बनाये रखने के लिये आपका व्यवस्था का खर्चा बढ़ गया और शिक्षा बढ़ाने की जगह दूषित मनोवृत्ति पैदा करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय समय रहते इस ओर राज्य सरकार ध्यान दें।

जहां तक सड़कों का सवाल है। जो भी पिछली योजना समाप्त हुई है उसमें भी माननीय उपाध्यक्षजी, पी० डब्ल्यू० डी० के एक्सपर्ट लोगों ने अपनी मरजी से ठेकेदारों से सांठगांठ करके कि इस सड़क को दुरुस्त करवा दिया जाय अथवा फलां सड़क को दुरुस्त करवा दिया जाय और कहीं-कहीं पर राजनैतिक दबाव आता, वहां वहां सड़कें बनी हैं। इसके पीछे कोई योजना नहीं रही है कि वहां की जनता से किसी प्रकार की कोई राय ली जाय। जिला परिषद् की, पंचायतों की राय नहीं ली जाती है। इस जनतन्त्र के युग में जनता

(श्री दीपंकर)

के चुने हुये नुमाइन्दों से राय लेना आवश्यक है। ये सारी संस्थायें जनता की हैं, जनता के लिये हैं और जनता द्वारा बनी हुई है इनका भी अपना महत्व है। हम जनता के लिये इन्हीं संस्थाओं से राय दिलाना चाहते हैं तो क्या वजह है कि उनकी ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। हम नहीं चाहते कोई भी प्लान जनता के बिना बने इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आइन्दा जरूरी है जहां-जहां सड़कें बननी हैं वहां-वहां जिला परिषदों से, पंचायतों से अवश्य राय ली जाय। मैं एक बात पूछना चाहता हूं जितने माननीय सदस्य हैं उनसे किसी से सड़क बनाने के लिये क्या कोई राय ली गई है ? न जिला परिषद् की राय ली गई है, न पंचायतों को पूछा गया है कि कौनसी सड़क की मरम्मत या कौनसी नई सड़क की जगह बननी चाहिये। आपके पी० डब्ल्यू० डी० के अफसरों ने सड़कों की लिस्ट बनाकर भेज दी और उसी को बजट में सम्मिलित कर लिया गया। उसका असर ग्रामीण समाज पर क्या पड़ेगा, उसका असर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उस पर क्या पड़ेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है....थोड़ासा समय चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री दीपंकर : इसलिए यह जरूरी है कि जो भी सड़कें बने वह राय लेकर बनाई जानी चाहिये और सड़कों का विभाजन दुबारा किया जाये। इसका निर्णय जिला परिषद् में बैठकर किया जाये, जन-प्रतिनिधियों की राय से किया जाये तो मैं समझता हूं कि उनकी उचित उपयोगिता बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, खेलकूद के लिये भी अच्छा खासा पैसा रखा है और वह पैसा हम समझते हैं कि जिस तरह से जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम बड़ा आलीशान बना हुआ है, जहां झण्डा लहराता है और जहां उच्चवर्ग के लोग देखने आते हैं और बाहर से भी टीमें आती हैं इस तरह से बड़े-बड़े स्थानों पर बड़े-बड़े टूर्नामेन्ट्स हो जाये या यहां से बच्चों को ट्रेनिंग के लिये आबू भेज दिया जाये या और कहीं खर्च कर दिया जाये या बच्चों को ऑल इण्डिया कम्पीटीशन पर भेज दिया जाये इसी में पैसा खर्च होगा तो मैं समझता हूं कि यह एक तरह से उपयुक्त बात नहीं है। हमें यह देखना है कि आज किस तरह से रेडियो पर कमेन्ट्री सुनते हैं और पहले हमारे गांवों में गिल्ली डंडा खेलते थे जिसको आज क्रिकेट कहते हैं तो गांव के क्षेत्रों के लिये भी कुछ रखा जाये। लेकिन आश्चर्य है कि पंचायत समिति लेवल पर जब स्कूल चलते हैं तो वहां बच्चे भी जरूर आते हैं और उनकी प्रतियोगिता जिलास्तर पर होनी चाहिये और प्रान्तीय स्तर पर होनी चाहिए इधर हमारा ध्यान जायेगा तो मैं समझता हूं कि गांव के रहने वाले लोग भी समझेंगे कि खेल-कूद की तरफ सरकार का ध्यान है। अन्यथा उनको पता ही नहीं है कि कितना पैसा खेल-कूद के लिए आता है और कहां चला जाता है। यह केवल दिखावे के ऊपर नहीं बल्कि खेलों के ऊपर खर्च किया जाये। इसको ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने की तकलीफ करेंगे ऐसी मुझे पूरी आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन के बारे में निवेदन यह करना है कि राजस्थान में खेती

(श्री दीपंकर)

के बाद में काश्तकार पशुओं पर ही निर्भर करता है। अकाल आये, बाढ़ आये या शीत लहर आये और ऐसे समय में उसकी काश्त खराब हो जाती है तो आर्थिक ढांचा बनाये रखने के लिये उनके पास दूसरा रास्ता पशुधन का ही है और पशुओं में कुछ विशेष नस्ल है जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो विशेष प्रकार की नस्लें हैं उनको बचाने के लिए कोई योजना का प्रावधान क्योंकि इसके लिये किसी तरह की व्यवस्था इस बजट में नहीं है। भेड़ों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां चौखला नाम की ब्रीड है। और उसका विकास किया जाये तो यह मेरीना के बराबर की ब्रीड है जिसका काफी अच्छा और लम्बा ऊन है। लेकिन उसके विकास का कोई प्रावधान नहीं है। चौखला ब्रीड का एक केन्द्र खोला गया है और यह ब्रीड विभिन्न स्थानों पर भारत सरकार की स्कीम के अनुसार भेजी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां भेड़पालक इसको चला रहे हैं इस नस्ल को बचाएं तो यह चोखला ब्रीड बच सकती है। यह ब्रीड नागौर की है और इसे बचाया जाना बहुत जरूरी है।

आज हिन्दुस्तान के आधे हिस्से में उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य भारत में सब जगह राजस्थान से नागौरी नस्ल के बैल जाते है और इस नस्ल की बैलों की जोड़ी एक एक जोड़ी 5000, 7000 और 8000 रुपये तक की होती है। उस नस्ल को बचाने के लिये हमारे पास कोई योजना नहीं है। इस नस्ल के रक्षण के लिये विशेष तौर से तव्वजोह दिया जाना चाहिये जो नहीं दी गयी है। इसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समाज कल्याण की एक स्कीम के बारे में निवेदन करूंगा। उनको मकान बनाने के लिए पहले ऋण देते थे और अब यह कर दिया है कि उनको समितियां बनाकर बिना ब्याज के ऋण देंगे। सैकड़ों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं परन्तु उनको लोन नहीं मिलता। हर सोसाइटीज से दो-तीन हजार रुपया खर्च हो जाता है, समाज कल्याण का हिस्सा मिल जाता है लेकिन जो भी पैसा मकान बनाने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इस तरह की व्यवस्था है कि एक तरह से हरिजनों का तिरस्कार होता है। दो-दो और तीन-तीन महीने तक पड़े रहने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। बहुत बुरी दशा है।

उद्योगों के बारे में निवेदन करूंगा। पहले गांवों में छोटे-छोटे उद्योग चलते थे प्राचीन काल में कपड़ा वहां बनता था, चमड़ा वहां बनाते थे, जूते वहां बनाते थे और कई बढ़ईगिरी और लुहारगिरी के धंधे होते थे लेकिन नयी व्यवस्था में को-आपरेटिव मूवमेन्ट के मारफत पैसा देना तय किया। यह तो आपको मालूम ही है कि एक आदमी को-ऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बना सकता और न उसे चला सकता है और उसको पांच सौ, सात सौ

(श्री दीपंकर)

आ हजार रुपया मिल जावे और उससे अपने धंधे को चलाये तो अच्छा है। गांव में रहने वाला दस्तकार बहुत निराश है और बिलकुल बेकार है। राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें हैं उनमें भी प्रतिशत मांगते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी तरह से बैंकों का लाभ गांव वालों को दिलायें। एक हजार रुपये के लिये पहले ही 150-200 रुपया ले लिया जाता है और एजेन्ट्स जगह-जगह बैठे हैं और सैंकड़ों और हजारों की तादाद में एप्लीकेशन्स पड़ी विचाराधीन हैं लेकिन बैंक से पैसा नहीं मिलता। गांव वाले दस्तकार बिलकुल निराश हैं।

जितने भी उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुए जिले हैं और जिनको पिछड़ा हुआ जिला भारत सरकार ने घोषित किया है उनके लिये जरूरी है कि भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय को यह चेष्टा करनी चाहिए कि पिछड़े हुए जिलों में किस प्रकार के उद्योग लगाये जा सकते हैं। हमने मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन वालों को तीन-चार दफा लिखकर भेजा कि आपकी क्या योजनायें हैं और क्या उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। वहां पर लोग बैठे हैं और वहां पर उद्योग खोलने के लिए कोई योजना नहीं है। तो इस तरह से आपको उद्योग जगह-जगह खोलने चाहिए। यों नकलिस्तान बनाने से फायदा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में एक बात कहूंगा। समय बहुत कम है। आशा है कुछ साथी बची हुई बातों को कहेंगे। अपोजीशन बैंच की तरफ बैठने वाले गुमानमलजी लोढ़ा ने राजस्थान की तरक्की के बारे में कहा था कि राजस्थान का विकास क्यों नहीं हुआ और इजराइल ने इस तरह से अपना विकास किया। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में स्वराज अहिंसा के द्वारा आया, यह हमारा दुर्भाग्य था। काश ! हमारे यहां भी हिंसा के आधार पर जैसे चीन आजाद हुआ इस तरह से हम भी आजाद होते तो हम जल्दी से विकास कर पाते लेकिन हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया और पाकिस्तान का जो 50 करोड़ रुपया रह गया था तो उसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि उसे दे दिया जाये। उस समय लोगों ने उनको गोली मार दी और कहा कि यह पक्षपात करते हैं। जिस दिन महात्माजी को गोली मारी उसी दिन से जहरीले वातावरण का जन्म हो गया और यह गोली उन्हीं लोगों ने लगाई थी कि जो कहते हैं कि इजराइल की तरह से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। तरक्की तो वह लोग नहीं करने देना चाहते हैं। हिन्दू और मुसलमान की भावनाओं को पनपा कर देश के टुकड़े कराना चाहते हैं, इजारेदारों को पनपाते हैं। राष्ट्रीयता

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

का विरोध करते हैं और जो विचारधारा है उसका विरोध करते हैं। इसलिये देश

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की तरक्की नहीं होती। मैं समाप्त करता हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इसलिये हमें प्रगतिशील विचार के लोगों को एक साथ मिल बैठना चाहिए और उसके बाद जो भी समाज विरोधी तत्व हों चाहे वह

(श्री दीपंकर)

हमारी पार्टी में ही हो, चाहे किसी संस्था में हों, उन्हें एक साथ बाहर निकाल कर देश की तरक्की की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस साल के वित्त मन्त्रीजी के बजट भाषण पर बोलने का मौका सबसे पहले आपने मुझे जो दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूं और तत्पश्चात् माननीय वित्त मन्त्रीजी को भी धन्यवाद दूं जैसा कि सबने दिया है कि आज की इस महंगाई में जब कि जनता घबरा रही थी, किस तरह की बातें बहुत दिनों से हो रही थी कि न मालूम किस-किस पर टैक्स बढ़ जायगा, उस माहोल में इस महंगाई को नहीं बढ़ाने का जो एक कदम वित्त मन्त्रीजी ने उठाया है और टैक्स नहीं लगाए हैं, इसके लिए मेरे खयाल में जनता उन्हें बहुत आशीर्वाद देगी।

श्री माणकचन्द सोगानी : सदस्य लोग भी।

श्रीमती उषा प्रकाश : सदस्य तो जनता के प्रतिनिधि हैं।

इसके साथ-साथ आज यह जो नये वर्ष का बजट हमारे सामने आया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह एक साल का बजट नहीं है परन्तु आने वाले पांच सालों के लिए जो हमने आशाएं संजोई हैं, विकास की दिशा में आगे बढ़ने की जो कल्पना और जो सपने संजोये हैं उसका यह पहला वर्ष है और इसलिए इस बजट का इस तरह से मूल्यांकन करें कि किस दिशा में फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में जो हमने प्रायोरिटीज तय की हैं, उन प्रायोरिटीज के अचीवमेन्ट की दिशा में यह बजट हमें कितना आगे ले जाता है। हमारा पहला कदम इतना मजबूत उठ रहा है कि अगर हम आज के दिन देखें तो मेरे खयाल में फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के लिये हम एक अच्छे वातावरण को तैयार करेंगे। फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में हमने हमारी प्रायोरिटीज में खास करके विकास, नेचुरल रिसोर्सेज का विकास और आम तौर पर आम जनता की खुशहाली बढ़ाने के लिए, ग्राम्य जनता को सड़क आदि की खुशहाली बढ़ाने के लिए, बिजली आदि की सुविधा पहुँचाने के लिए रखा है। इस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह हमें सोचना है।

एग्रीकल्चर के सैक्टर में मुझे बड़ा अफसोस है यह कहने में कि हमने इस वर्ष कई ऐसे प्रावधान, जो पिछले वर्षों में किए थे, उनको हमने पूरा नहीं किया और इसलिए हो सकता है कि वित्त मंत्रीजी जिम्मेदार न हों लेकिन जो पिछले वर्ष के एलोकेशन्स थे उनको भी कृषि विभाग काम में नहीं ले सकेगा। प्लॉट प्रोडक्शन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर डवलपमेंट और इस तरह की कृषि विभाग की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं थीं, जो प्रावधान थे उनको भी हम उपयोग में नहीं ले सके हैं। वह सारा का सारा हमारा एलोकेशन है वह लैप्स हो चुका है पिछले वर्ष का। एक तरफ तो जो एलोकेशन था वह लैप्स हुआ है और दूसरी तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष बाजरे में जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ

(श्रीमती उषा प्रकाश)

था उस प्रकोप में भी हम किसानों को बचा नहीं पाए। यह समय की दुविधा है उपाध्यक्ष महोदय ! शायद इस शासन तंत्र की प्रणाली में कोई कमी है जिससे समय पर जो चीज जहां पहुँचनी चाहिए वह उपलब्ध होते हुए भी नहीं पहुँच पाती है। बहुत सारे कामों के लिए तो यह कहा जाता है कि हमारे पास फण्ड नहीं है, लेकिन जिन कामों के लिए फण्ड नहीं चाहिए और चीज उपलब्ध है फिर भी समय पर हम उनको पहुँचा नहीं पाते यह एक बड़ी दुविधा है, उपाध्यक्ष महोदय ! हम मार्च के महीने में बजट पास करते हैं। मार्च में बजट तय करते हैं कि कहां-कहां क्या-क्या करना है। लेकिन पता नहीं किस किस लेवल पर कैसा-कैसा बवाल है। ग्राम्य भाषा में अगर मैं कहूं कि हमारी और सामान्य जनता की समझ में नहीं आता कि आज का चला हुआ यहां का बजट कब जाकर जिले में पहुँचेगा, कब जाकर जिले को एलोकेशन्स प्राप्त होंगे और कब काम शुरू करेंगे। इसमें कोई सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पाता है, यह हमारी समझ में नहीं बैठता है। जैसे निर्माण के कार्यों को आप खास तौर से लें, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊं कि यहां से जो आपका बजट एलोकेशन है, विधान सभा काफी अपना समय दे करके, इस बजट के हरएक मुद्दे पर विचार करती है। बरसात खत्म हो जाती है, काम करने का सीजन अक्टूबर, नवम्बर के महीने तक भी उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, बजट एलोकेशन को, जो टैक्निकल कार्यवाही है वह पूरी नहीं हो पाती और फलतः बहुत सारे हमारे एलोकेशन हैं वे खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी जनता, बहुत जगह बाट देखती रहती है कि इस वर्ष में हमारे यहां पर फलाना काम होगा लेकिन वह हो नहीं पाता है। मार्च के महीने तक जनता निराश हो जाती है। यह एक बहुत अहम् प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, बजट की यह प्रणाली इतनी दुविधापूर्ण क्यों है ? यह बजट प्रणाली इतनी दुविधा-भरी है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज के बजट एलोकेशन में काम प्रारम्भ होने में, काम शुरू करने में महीनों लग जाते हैं और बहुत से तो ऐसे काम हैं जो होते भी नहीं हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, हम इस साल के एग्रीकल्चर सेक्टर को देख रहे थे कि पिछले साल एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए जो कॉमर्शियल क्रोप्स के लिए, प्लाण्ट प्रोटेक्शन के लिए एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ था, हम उसको खर्च नहीं कर पाये हैं और हम एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए।

दूसरा एक एलोकेशन था, उपाध्यक्ष महोदय, रूरल इण्डस्ट्रीज का। सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स थीं रूरल इंडस्ट्रीज की ओर इस पर जो भी एलोकेशन था, मुझे दुःख है उपाध्यक्ष महोदय, कि इसको भी हम काम में नहीं ले सके। काफी पैसा लैप्स हो गया और उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें गांवों का विकास करना है तो जो ऐसे छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योग हैं उनको लागू करना होगा। अगर हम ग्रामों में खुशहाली लाना चाहते हैं, ग्रामों को हम खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें इस तरह की जो नेग्लीजेंस है कि हमारे पास पैसा

(श्रीमती उषा प्रकाश)

होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पायें, इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें गांवों का सही मायने में विकास करना है, सही तरीके से आगे बढ़ाना है और उनकी आर्थिक उन्नति करना है तो ग्रामीण उद्योगों की तरफ हमारे अधिकारियों को विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बजट के एलोकेशन के बाद भी अगर उसका सही उपयोग नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारा जो प्रशासन तंत्र है वही अधिक जिम्मेदार है।

एग्रीकल्चर में, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, हमारा कृषि उत्पादन का जो लक्ष्य था उसके साथ दूसरी प्राब्लम्स भी हैं उपाध्यक्ष महोदय, वे प्राब्लम्स हैं इर्रीगेशन की और पावर की। इर्रीगेशन में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि वित्त मंत्रीजी के भाषण में माईनर और मेजर इर्रीगेशन का बिल्कुल जिक्र नहीं है।

(समय 3.28 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

जिस काम में कम पैसा लगा करके और तुरन्त काम जिससे फायदा उठा सकते हैं इस तरह के माइनर इर्रीगेशन पर धन लगाने की बात हम नहीं सोचते हैं और हमारा सारा ध्यान विशेष बड़े और बाद में रिटर्न देने वाले हैं उनकी ओर ही रहता है। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि यह शेखचिल्ली की कल्पना है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी उपाध्यक्ष महोदय सभापति महोदय, कि माइनर इर्रीगेशन से जो हम तुरन्त फायदा उठा सकते हैं उस ओर हमारा ध्यान नहीं है और यह चिन्ता का विषय है। मैं आज आपके माध्यम से सभापति महोदय, सरकार को निवेदन करूंगी कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल माइनर इर्रीगेशन को चालू करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सर्वे भी हो चुके हैं लेकिन कहां वह कागज घूमते रहते हैं, कहां चलते रहते हैं, कहां वह टेक्निकली एग्जामिन होते रहते हैं- यह बहुत बड़ा जंजाल है सभापति महोदय, इस बड़े जंजाल से अगर हम माइनर इर्रीगेशन के प्रोजैक्ट को निकालें और हकीकत क्या है यह भी देखें। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बहुत सारे आंकड़े दिए हैं उनसे ही यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारी नॉन-कार्मशियल इर्रीगेशन स्कीम्स चल रही हैं उनसे इर्रीगेशन में ट्वन्टीफाईव परसेंट रिजल्ट हमें मिल रहा है और जो, जिनको हम कामर्शियल इर्रीगेशन मानते हैं उनसे हमें एट्टीन परसेंट रिटर्न मिल रहा है, सभापति महोदय, तो मेरा आज सरकार से अनुरोध है कि कृषि विकास को मद्देनजर रखते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए और छोटे-छोटे माइनर इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स पर सही रूप में बदल दें उनकी तरफ ज्यादा जागरुक हों और माइनर इर्रीगेशन प्रोजैक्ट चला लें तो बहुत अच्छी पावर बढ़ सकती है। सिंचाई की सुविधायें जहां पूर्व उपलब्ध हों तो मेरा पूर्ण विश्वास है, राजस्थान फूड प्रोडक्शन में बहुत आगे हो सकता है। सभापति महोदय, दूसरा हमारा टारगेट है, मिनरल डेवलपमेन्ट और नेचुरल डेवलपमेण्ट के बारे में। इसके लिए हमने जो प्रावधान

(94)

(श्रीमती उषा प्रकाश)

रखा है, वह राजस्थान के इतने बड़े एरिया को और मिनरल डेवलपमेण्ट को देखते हुये बहुत कम है। सभापति महोदय, मेरी कांस्टीटुएन्सी में ताम्बे का अपूर्व भण्डार है। परन्तु डिपार्टमेन्ट के पास क्या कमी है कि जो निर्णय होना चाहिए कि वहां ताम्बा है या नहीं है। एक हमारे पास झामरकोटड़ा है। वित्त मन्त्री जी को पता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि इस प्रकार को जो माइन्स हैं, उनके डेवलपमेण्ट पर आप अधिक ध्यान दें। आप चला तो रहे हैं लेकिन बहुत कम चालू हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगी—

श्री जुझारसिंह : आप और रुपयों के लिए सिफारिश कर दें।

श्रीमती उषा प्रकाश : आप मेरी सिफारिश कर दें। मैं आपकी सिफारिश कर दूंगी। आपको बहुत कम पैसा मिला है। मैं मानती हूं कि मिनरल डेवलपमेण्ट की पोटेंशिअलिटी जहां जहां है, वह भी कुदरत की देन है। जहां जहां माइन्स हैं, वहां प्रोसेसिंग की बहुत लम्बी प्रक्रिया है। इसको जितना हम आगे बढ़ायेंगे उतना ही राजस्थान आगे बढ़ेगा। राजस्थान इण्डस्ट्री के क्षेत्र में कितना है और माइन्स के क्षेत्र में कितना है। इसको लेकर हम यह नहीं कहें कि हमने यह कर लिया है। हमें इसको बहुत आगे बढ़ाना है। परन्तु इस वर्ष का बजट हम देख रहे हैं। बजट का नॉन-डवलपमेण्ट एक्सपेण्डीचर बहुत बहुत बढ़ गया है। यह एक चेतावनी है, सभापति महोदय, भावों की बढ़ोतरी, मिलावट का अधिक होना। इसमें सभापति महोदय, मैं यह मानती हूं कि हमारा जो एक्सपेण्डीचर बढ़ गया है, वह डेवलपमेण्ट पर ज्यादा करना होगा। पिछले वर्ष इण्डस्ट्री में जो दिखाया है, जैसे नमक की है, जैसे बिजली के मीटर की है।

श्री रामलाल बाड़ी : सभापति महोदय, बोलने वाले ज्यादा हैं। समय कम है। 15-15 मिनट से ज्यादा समय नहीं दें।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्रीमती उषा प्रकाश : अभी तो मुझे 15 मिनट भी नहीं हुये हैं।

हर वर्ष यह चेतावनी आती है। नोन-डवलपमेन्ट एक्सपेण्डीचर कम हो, यह सोचा जाता है। और तो और सभापति महोदय, इण्डस्ट्री में माइनिंग इण्डस्ट्री ही है। उसमें 12.45% कमी हुई है। वैसे डिपार्टमेन्ट के आंकड़े शास्त्रियों ने सन्तोष किया है कि हमें पैसा ज्यादा मिला है। लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन कम हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन ही डिपार्टमेन्ट की सफलता माना जा सकता है। पैसे बढ़ जायें तो विभाग की सफलता नहीं है। झामर कोटडा की जो रेट है वह अधिकांश में कम है। मैं दोनों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगी। हमारे विकास की जो दिशाएं हैं, उनकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान दे। और जो कुदरत की देन है, चाहे पानी हो, चाहे खनिज हो, इनको राजस्थान के नागरिकों को उपयोग करने का समय दें। ताकि वह आगे बढ़ सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, एक बात सामने आती है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव है। वह

(श्रीमती उषा प्रकाश)

यह है कि टैक्सेशन के कलेक्शन के जो रेट हैं, उस पर परसेन्टेज हम जो खर्च करते हैं, वह बहुत ज्यादा है। यह ध्यान इसलिए खींच रहो हूं कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अभी जो मशीनरी काम कर रही है और जो टैक्स अभी टैक्स लग रहे हैं, वह मशीनरी ठीक काम करे। यह बहुत जरूरी है। चीजों के भाव बढ़ गये हैं। बहुत से टैक्सों की आमदनी बढ़ायेंगे। लेकिन जो आज खर्च हो रहा है उस टैक्स के लिए यह घटना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इस राजस्थान को महंगाई और आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए, इस तरह के खर्चे हों, उस पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है। इस बजट भाषण में 5वीं पंचवर्षीय योजना का पूरा उल्लेख है। उसका अलग-अलग एक्स्ट्रैक्ट तो हम देखते हैं। अलग-अलग एरिया की अलग-अलग प्राब्लम को देखते हुये एक प्लान राजस्थान सरकार ने बनाया है। इस मौके पर जब हम नया प्लान लेकर चल रहे हैं तो राजस्थान की घनी आबादी के जो इलाके हैं, उसमें कुदरत की देन है इन दोनों को प्रावधान नहीं दिख रहा है ऐसे क्षेत्रों में पोटेंशियल चीजें हैं। उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक महनत करके बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाते हैं, उनमें बहुत ऐसे हैं, सभापति महोदय, जिनके पास खेत नहीं है और जिनके पास धान का स्टाक नहीं है। इस सदन में यह बात कही गई थी, जो खाद्यान्न है, उसका जो प्रोड्यूसर है, जो विलेज का लेबर है, आज हमारे पास उसको देने के लिए अनाज नहीं है। उनकी जो मेहनत-पसीने की कमाई है, वह लेवी के रूप में, जो जमीन का मालिक है वह दे देता है, परन्तु उस मजदूर को देने के लिए हमारे पास में अनाज नहीं है। यह विषम स्थिति है, दूसरी तरफ उस काश्तकार की जो हमारे कार्यक्रमों के अनुरूप अनाज हमें देता है, अनाज हमारे लिए पैदा करता है, शहरों के नागरिकों को अनाज खिलाता है, आज रोजमर्रा की कितनी दिक्कतें हैं, खाद है, मिट्टी का तेल है, बिजली है, इन सब चीजों की दिक्कत है। मैं कहूं कि और कोई चीज भले ही नहीं लेकिन कम से कम लालटेन में मिट्टी का तेल डालने के लिए भी उपलब्ध हो जाय। इतनी व्यवस्था आप कर सकते हैं या नहीं? अनाज और चीज उपलब्ध नहीं कर सकते किन्तु जो मिट्टी के तेल की कमी है गांवों में, जहां पर कि बिजली की रोशनी नहीं पहुंचा सकते हैं उस काश्तकार को घर में दीया जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं दे सकें। यह हमारे लिए अफसोस की बात है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में वितरण व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, करनी चाहिये क्योंकि ग्रामीण अंचल भी हमारा ही हिस्सा है, ग्रामीण हमारा रात-दिन एक करके, पसीना बहा कर खाद्यान्न पैदा करता है तो उनके तन को ढकने के लिए कपड़ा उनके पास पहुंचाना चाहिए, उनकी जो मिनिमम नीड है, घर में रोशनी करने के लिए मिट्टी के तेल की जरूरत है, बच्चों को पढ़ने के लिए मिट्टी के तेल की जरूरत है, ऐसी चीजों को कम से कम आप उसे उपलब्ध करिये। जब पढ़ाने की और एजूकेशन की बात आती है तब बड़ा अफसोस होता है। अब की बार

(श्रीमती उषा प्रकाश)

विद्या और सरस्वती, दोनों अलग-अलग हो गई हैं, अब की विद्या और सरस्वती ...

एक माननीय सदस्य : विद्या और सरस्वती !

श्रीमती उषा प्रकाश : लक्ष्मी और सरस्वती अलग-अलग होने से गड़बड़ हो गई। लक्ष्मी और सरस्वती, कन्सोलिडेशन ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईअर हुआ उसके लिए कहते हैं, पिछले वर्ष स्कूल खोले हैं, उसको ऊंचा करने के लिए यह सौ मिडिल स्कूल खोलेंगे। पिछले वर्ष भी जो स्कूल हमने खोले थे उस वक्त भी हमने बहुत गहराई में जाकर, अलग-अलग जगह के अन्दर, गांवों में मिडिल स्कूल खोले थे। उनमें टीचर नहीं पहुँचे, यह बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ-साथ इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगी। सभापति महोदय, इतने मिडिल स्कूल खोलने के बावजूद हमारे स्कूलों में जो स्कालरशिप देने का प्रावधान था, सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत उस प्रावधान में हमने कमी की है। छात्रवृत्ति का प्रावधान पिछले वर्ष 11.54 का था, वह इस वर्ष 9.90 लाख का किया है। पिछले वर्ष इतने मिडिल स्कूल खोले गये, उनके कारण छात्रों की संख्या बढ़ी होगी, यह उम्मीद है और अब भी बढ़ रही होगी। पिछले साल भी बजट के ऊपर अपने भाषण में मैंने कहा था जब तक इस तरह स्कालरशिप का और प्रावधान नहीं करेंगे इसको और नहीं बढ़ायेंगे तब तक जो स्कूल खोल रहे हैं, इनका सही उपयोग गरीबों के बच्चे नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि हाई स्कूल का तो कहते हैं प्लान प्रायोरिटी में है, इसलिए हाई स्कूल की स्कालरशिप बढ़ाई है, इसका जवाब आप दे देंगे, प्लान प्रायोरिटी में है या नहीं, लेकिन मिडिल स्कूल की स्कालरशिप को आप प्लान प्रायोरिटी में लें। इसलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि बजट में जो प्रावधान किया गया है, इसको आप ठीक करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगी। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगी।

एक सोशल सर्विस में हमारे सामने जो बजट था, न्यूट्रीशन प्रोग्राम का, इस न्यूट्रीशन प्रोग्राम को इस वर्ष में आपने कोई स्थान नहीं दिया है। सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में, अभी मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने कहा था राजस्थान में ट्यूबरक्लोसिस, क्षय, टी.बी. भी जिसको कहते हैं, का प्रकोप बहुत जगह दिखाई देता है। इसका कारण है अभी हमारा जो आहार है उसमें इतने पोषक तत्व, नेचरली नहीं है। तो यह न्यूट्रीशन प्रोग्राम का हमारा जो पूरा प्रोग्राम था, उसको इस स्टेज पर खत्म करना कहां तक उचित है जब कि जगह-जगह ट्यूबरक्लोसिस के पेशेन्ट हमें देखने को मिलते हैं, जगह-जगह इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को हम देखते हैं। बीमारी शुरू होने के बाद ज्यादा मदद हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्स चैकर पर बर्डन होगा, लेकिन अपने बच्चों को न्यूट्रीशन प्रोग्राम का लाभ दे सकेंगे, इस रोग की तरफ जाते हुए लोगों को बचा सकेंगे तो समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी।

आखिर में भरतपुर के लिए खेल-कूद के प्रावधान को जब देखती हूं तो एक कमी

(श्रीमती उषा प्रकाश)

भरतपुर में अखरती है और वह यह है 'पूरे जिले में खेल-कूद आदि के आयोजन के लिए कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो बहुत घनी आबादी का डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट पर स्टेडियम की आवश्यकता की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि खेल-कूद का आपका प्रावधान है, वह जयपुर शहर तक ही सीमित न रह कर बाहर की ओर घूमें, गुलाबी नगरी की गुलाबियां स्टेडियम में काफी हो गई, इस वर्ग को राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कम से कम ले जायं और भरतपुर जिले में स्टेडियम का विकास हम कर सकें तो ग्रामीण युवकों और बालक-बालिकाओं को खेलने-कूदने और विकास करने का मौका मिलेगा।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, इस साल के बजट के ऊपर मैंने जो विचार रखे हैं वह आपके सामने हैं और मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जो दो-चार मैंने प्रार्थनायें की हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान खींचा है, उस ओर वह ध्यान दे ताकि राजस्थान के विकास की गति में शामिल हो सकें।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह!

श्रीमती निर्मला देवी : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा।

श्री जयकिशनलाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मेरा नम्बर चौथा या तीसरा था। क्या बात है....

श्री सभापति : ऑर्डर, प्लीज। आप आसन ग्रहण करें।

श्री जयकिशनलाल : बिराजूंगा तो सही, मेरा निवेदन है कि क्या नम्बर चेन्ज हो जाता है?

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण करें। आसन की व्यवस्था है उसके अनुसार नाम बोले जा रहे हैं।

श्री जयकिशनलाल : मैंने निवेदन किया....

श्री सभापति : मैंने भी यही निवेदन किया है, आप सुमित्रासिंह को बोलने दें।

श्री हनुमानसहाय व्यास : एक इधर से, एक उधर से बोलें।

श्री सभापति : सभी ओर मेरा ध्यान है, आपकी तरफ भी ध्यान है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को मुबारकवाद देना चाहती हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा बजट पेश किया है, बल्कि इसलिए कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री महोदय, श्रद्धेय बरकतुल्ला खां के मन्त्रिमण्डल में आप वित्त मन्त्री थे और जो नया मन्त्रिमण्डल बना, उसमें भी नये नेता ने आपकी कार्यक्षमता, आपकी दक्षता और वित्त मन्त्रालय को जिस कुशलता के साथ आपने संभाला, उनको देखते हुए फिर वित्त मन्त्रालय का कार्य सौंपा...

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके लिए बधाई!

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसके लिये बधाई तो मैं दूंगी हो ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपकी मार्फत इस सदन को यह जानकारी देना चाहूंगी कि सदन में बोलने वाले करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने 1974-75 के अनुमानित बजट के जो आंकड़े यहां पर पेश किये गये हैं, और उनमें जो नया कर-भार नहीं लगाया गया है उसके बारे में बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में स्वयं वित्त मंत्रीजी ने इस बात को कबूल किया है, वह मैं सदन को सुना दूं :

"The scope for raising additional resources in the State is also limited. The per capita land revenue (Rs. 4.56) is the highest in the country except for Assam. The per capita general sales tax is also very high in Rajasthan compared to States like U. P., M. P., Bihar, Assam and Jammu & Kashmir and Orissa which have similar problems. In the northern region comprising of Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, U. P., Delhi and Rajasthan, the general sales tax rate at 7% in Rajasthan is the highest."

मैं नहीं समझती कि यह बात कह देने के बाद में, स्वयं राज्य सरकार के यह बात स्वीकार कर लेने के बाद में कि आज राजस्थान में लैंड रेवेन्यू का टैक्स है वह हिन्दुस्तान में, और प्रान्तों में से आसाम को छोड़ कर सबसे ज्यादा है, उत्तरी क्षेत्र में जो हमारे और राज्य हैं, उनके मुकाबले में जो आर्थिक दृष्टि से हमारे जैसे हैं, हमारी क्षमता वाले हैं, उनके मुकाबले में हमारी सेल्स टैक्स की रेट उनसे ज्यादा है, सबसे अधिक है और फिर अभी कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है तथा जिसमें जो उन्होंने हाई टैक्सेशन किया है, उन हालात के अंदर राजस्थान की इन प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में इससे ज्यादा वित्त मन्त्री और क्या कर लगाते, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। लैंड रेवेन्यू में टैक्स आगे बढ़ाने की गुन्जाइश नहीं, सेल्स टैक्स सबसे ज्यादा दे रहे है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो पर कैपीटा टैक्स देते हैं, वह भी दूसरे राज्यों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। वैसे आप सब जानते हैं कि आज राजस्थान की पर कैपीटा इन्कम चौथी पंचवर्षीय योजना खतम करने के बाद केवल 600 रुपये हैं जबकि नेशनल एवरेज पर कैपीटा इन्कम 723 है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना खत्म करने के बाद राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय होगी 678 रुपये मतलब सारे देश के मुकाबले में, नेशनल एवरेज के मुकाबले में, हमारा राज्य कम से कम भी 7 नहीं तो 6 साल तो पीछे चल ही रहा है। इन सब के बाद आज राजस्थान पर 886 करोड़ रुपये का कर्जा है। यह आंकड़े मैं वित्त मंत्रीजी के खुद के ही द्वारा दिए हुए बजट एस्टीमेट्स

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

के अनुसार दे रही हूं कि 886 करोड़ रुपया इस राज्य पर कर्जा है। हमें अपनी आगे आने वाली पांचवीं योजना में 650 करोड़ रुपये ब्याज सहित चुकाने हैं। एक साल में 125 करोड़ रुपये कर्ज और ब्याज के चुकायेंगे। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि केवल बजट एस्टीमेट्स हम रख दें और बजट एस्टीमेट्स के अन्दर इस बात से संतोष प्रकट कर लें कि हमने कोई कर नहीं लगाए हैं, मैं समझती हूं, यह कोई संतोषजनक स्थिति नहीं है। सही बात तो यही थी, वित्त मंत्रीजी को चाहिए था कि वह जो 886 करोड़ रुपये का कर्जा है, यह कर्जा आगे आने वाले वर्षों में हम किस प्रकार से धीरे-धीरे चुकायेंगे, इस बात का प्रयत्न इस बजट के अन्दर करते लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि इस बजट के अंदर माननीय वित्त मन्त्रीजी की तीनों आशायें दिखाई देती है—प्रकृति अनुकूल हो, राजस्थान में बाढ़ न आए ठीक समय पर पानी बरस जाए, शीत लहर का प्रकोप न हो। तो यह प्रकृति की अनुकूलता, इन्द्र भगवान की मेहरबानी, या दूसरी छठे वित्त आयोग की मेहरबानी हो जाय या फिर केन्द्रीय सरकार की मेहरबानी हो, केवल तीन बातें हैं जिन पर राजस्थान का बजट और उसका संतुलन इस राज्य की बहबूदी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके अलावा कहीं मुझे तो कोई गुन्जाइश नजर नहीं आती। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि वैसे तो इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि राजस्थान सभी क्षेत्रों में और अपने पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में बहुत पिछड़ा हुआ प्रांत है। जहां हमारे पड़ौसी राज्यों ने चाहे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, जो हमारी सीमाओं से लगे हुए राज्य है, जहां उन्होंने पिछले सालों में बहुत तेज रफ्तार से अपनी प्रगति का मार्ग तय किया है, वहां पर वास्तव में, हम सब क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं लेकिन क्योंकि सदन में किसी सदस्य ने इस बात को नहीं कहा कि हम किस क्षेत्र में आगे हैं, शायद मैं वित्त मन्त्रीजी के लिए छोड़ दूं। इस बात को फिर भी मैं समझती हूं, मेरा भी कर्त्तव्य है, जिस चीज में हम आगे हैं उसके लिए अपनी ओर से मैं वित्त मन्त्रीजी को व राज्य सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद दूं कि चिकित्सा सुविधाओं का जहां तक सवाल है राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे आगे है, यहां की चिकित्सा सुविधायें और सेवायें कई अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत अच्छी हैं। हमारे यहां अस्पतालों में कोई भी आपरेशन फीस चार्ज नहीं की जाती है जब कि किसी भी राज्य में जायं, वहां आपरेशन फीस चार्ज की जाती है और इसलिए हमारे यहां के जितने बड़े-बड़े अस्पताल हैं, जयपुर का एस० एम० एस० अस्पताल है, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और यू० पी० जैसे प्रांतों से काफी लोग आकर चिकित्सा यहां पर कराते हैं। इसी पांचवी योजना में जहां पर उन्होंने राजस्थान की जो पर कैपीटा प्लान आउट-ले है, राजस्थान में पांचवीं योजना में भी जो पर कैपीटा प्लान का आउट-ले मिला है, उसमें भी राजस्थान पीछे है। राजस्थान का पर कैपीटल आउट-ले नम्बर 123, हरियाना का 225, महाराष्ट्र का 179 और गुजरात का 170 है। इसलिए हम समझते हैं कि छठे वित्त आयोग ने हम पर बहुत मेहरबानी की है, जैसे वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के दौरान

Page No 100

(100)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कहा है कि हमारी पांचवीं योजना 635 करोड़ रुपये की है, उसमें से 563 करोड़ 92 लाख की राशि हमें केन्द्र से मदद के रूप में मिलेगी। लेकिन इसका भी बाइफरकेशन किया गया तो मुझे पता लगा कि इसमें 333.93 करोड़ रुपए तो अपने ही जो विभिन्न शुल्क और कर हैं उसका शेयर है। केवल 275 धारा के तहत मिलने वाली राशि 230.53 करोड़ है। जैसे कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया, हम सबसे ज्यादा टैक्सेज देते है तो उसके अनुसार ही हमें अंशदान मिला है; वह कोई मेहरबानी की बात नहीं है। हमें केवल 230.92 करोड़ छठे वित्त आयोग ने प्रदान किए हैं।

वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कई चीजों की घोषणा की है। उन्होंने नये स्कूल खोलने की घोषणा की लेकिन मैं समझती हूं 100 प्राइमरी स्कूल्स सारे राजस्थान में और 100 अपर प्राइमरी स्कूल्स इस वर्ष के बजट में न खोले जाते तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। खैर उन्होंने अपने सीमित साधनों में जो कुछ किया है, मैं अपनी तरफ से उन्हें मुबारकबाद देने में क्यों कृपणता दिखाऊं। यह तो ठीक है कि उन्होंने यह सब किया और इसके साथ ही साथ वह राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, सब क्षेत्रों में राजस्थान की प्रगति के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन फिर भी मैं समझती हूं कि बहुत सी बातें हैं जिनका वह अपने भाषण में उल्लेख नहीं कर पाए। सोशियल सर्विसेज के बारे में ही लीजिये। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सोशियल सर्विसेज में हमने बजट में जो पैसा खर्च किया है वह पैसा और प्रोविन्सेज ने जो पैसा खर्च किया उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। सभापति महोदय, मैं समझती हूं कि अभी भी सोशियल सर्विसेज के बजट में अधिक प्रावधान रखना चाहिये। समापति महोदय, हमने पिछले साल के बजट के 42.19 की राशि खर्च की थी जबकि पंजाब का प्रोविन्स जो कि हमारे प्रोविन्स से बहुत ही छोटा है उसने अपने बजट का 65.66 प्रतिशत रुपया सोशियल सर्विसेज के लिये खर्च किया। महाराष्ट्र ने अपने बजट का 48.98 रुपया खर्च किया। गुजरात ने 42.96 प्रतिशत रुपया खर्च किया। हरियाणा ने 52.57 परसेन्ट अपने बजट का पैसा इस पर खर्च किया। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है तो हमें सामाजिक सेवाओं के मद पर अधिक खर्चा करना चाहिये। आज जब हम अपने बजट पर एक निगाह डालते हैं तो उसमें समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिये कितना प्रतिशत पैसा हम सोशियल सर्विसेज के लिये खर्च करते यह देखने की जरूरत है। आज हमारा प्रान्त दूसरे प्रान्तों से बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि हमारे यहां पर समाज का स्तर ऊपर उठे उसके लिये हम अपने सीमित साधनों के अनुसार बजट में प्रावधान भी रख रहे हैं लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगी कि हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। हम देश के दूसरे प्रोविन्सेज को देखते हुए बहुत पीछे हैं। मैं सभापति

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

महोदय, आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगी कि सही बात तो यह है कि हमारी राज्य सरकार को भारत सरकार से जो पैसा इन स्कीम्स के लिये मिलता है उसका हम सेन्ट परसेन्ट, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाये हैं और यही कारण है कि हम अपने उद्देश्यों की और लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं। उदाहरण के तौर पर क्रेश प्रोग्राम को ही ले लीजिये क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत हमें 325 लाख रुपये का 71-72 आवन्टन में हुआ। हमने उन 325 लाख रुपये को 71-72 में सिर्फ 114 करोड़ रुपये खर्च किया उसका नतीजा यह निकला कि हमको भारत सरकार ने पिछले खर्च को देखते हुए 72-73 में 285 लाख रुपये ही दिये। यह आंकड़े जो 71-72 में क्रेश प्रोग्राम के थे उसमें हमें सिर्फ 325 लाख रुपये मिले थे और हमने 1.14 लाख रुपये ही खर्च किये आई एम सॉरी 325 करोड़ नहीं थे। 325 लाख थे। हां तो 72-73 में वह राशि 325 लाख से घटा कर भारत सरकार ने हमे 285 लाख रुपये ही दी। लेकिन हमने उसके मुकाबले पैसे ज्यादा खर्च कर दिये 355 लाख रुपये जब कि मिले हमें 285 लाख ही। इसी प्रकार 73-74 में 285 लाख रुपये हमें मिले और हमने खर्च कर दिये 3.25 लाख रुपये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत खर्च करने वाली योजनाओं का प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। इसलिये हमारा विकास नहीं हो रहा है। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी जैसे—सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम थी डी० पी० ए० पी० को वह ड्राट प्रोन एरिया के लिये थी, खास तौर से रेगिस्तानी इलाकों के लिये। सभापति महोदय, यह डी. पी० ए० पी० की स्कीम 71-72 में शुरू हुई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत हमको भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये मिले थे उसके अगेन्स्ट में हमने उसका 50 प्रतिशत पैसा ही खर्च किया उसका नतीजा यह निकला कि भारत सरकार ने यह बचा हुआ पैसा उन दूसरी स्टेट्स को दे दिये जिन्होंने डी० पी० ए० पी० की स्कीम्स के अन्तर्गत जितना पैसा दिया था उससे अधिक पैसा खर्च कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रोपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी नहीं होने की वजह से अगले साल के बजट में भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपये देने के बजाय हमको सिर्फ 13.76 करोड़ पैसा दिया। बाकी सब पैसा काट दिया। इसमें एक बात खास मैं और निवेदन करना चाहूंगी कि हमने इस डी० पी० ए० पी० की स्कीम्स के अन्तर्गत हमारे झुन्झुनू जिले में झुन्झुनू और चिड़ावा तहसील के लिये जो डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत बड़ी मुश्किल से पैसा इन्क्लूड करवाया परन्तु पैसा हमें नहीं मिल सका क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर के लिये गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने पैसा कम दिया और इस प्रकार हमारे जिले को काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा सभापति महोदय, अब मैं कुछ वित्त मन्त्रीजी का ध्यान जल प्रदाय योजना के बारे में आकर्षित करना चाहूंगी। बजट भाषण में जो वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि अरबन वाटर स्कीम्स इस वर्ष के अन्त

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

तक सभी पूरी हो जायगी, कहा है उसके लिये तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं उन्होंने अपने वित्त मन्त्री के कार्यकाल में शहरों की जितनी जल प्रदाय योजनाएं पूरी होनी थी इस 31-3-74 में वह पूरी हो जायगी करीब करीब।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में ही समाप्त कर रही हूं। एक दो महत्वपूर्ण बातें निवेदन करना चाहती हूं। इतनी देर तो मैंने कटु बातें ही कही थी। अब मैं कुछ ग्रामीण जनता के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर करीब 33 हजार गांव जहां कि पीने के पानी की काफी समस्या है। सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार आज तक इन 33 हजार गांवों की 78% जनता में से सिर्फ 4 प्रतिशत गांवों की ग्रामीण जनता को ही पीने के पानी की व्यवस्था आज तक कर सकी है। कितने दुःख की बात है कि आज हम पीने के पानी जैसी समस्या का हल नहीं कर पाये हैं। गांवों में पानी की बहुत कमी है। जब हम देखते हैं कि राजस्थान में शहरों में रहने वाली जनता की अपेक्षा गांव में जनता अधिक रहती है और वह प्यासी है तो हमें वास्तव में मन में बहुत दुःख होता है। इसके लिये नोहर से आने वाले भूतपूर्व माननीय सदस्य ने अपने भाषण में एक बार दोहा कहा था। जिसमें दो सखियां बातें कर रही थीं तो एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा—

"खड्योन दिखे पारधी लगोन दिख्यो तीर।
मैं तने पूछूं ए सखी किणविधि तज्यो शरीर"

तो दूसरी सखी ने कहा कि—

जल थोड़ा नेहा घणा, ए सखी देख्या नीर।
तू पी-तू पी कंवता दोनों तज्यो शरीर।

तो इसका मतलब यह है कि न तो किसी शिकारी ने बन्दूक मारी जिससे यह मरा, यह तो इसलिये मरा कि पानी की कमी थी और दोनों हिरनों में प्रेम अधिक था तो पहले तू पी पहले तू पी कहते-कहते दोनों ही ने शरीर तज दिया। तो सभापति महोदय, राजस्थान जो कि हमारे देश में क्षेत्रफल के लिहाज से सब प्रोविन्सेज में दूसरे नम्बर का है और जिसका 66 प्रतिशत भाग रेगिस्तान हो, थार हो और वहां की जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाये इससे ज्यादा शर्मनाक और करुणा की बात हमारे लिये और क्या हो सकती है? सभापति महोदय, आज राजस्थान की कई योजना बनाई गई लेकिन हम इन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। अभी भी राजस्थान के 23 हजार ग्राम ऐसे हैं जिनमें खारा पानी है या पानी ब्लेकिश है। आज हमें आजाद हुए सभापति महोदय, करीब 25 वर्ष हो गए हैं आज भी लोगों को कई जगह पानी नहीं होने के कारण ऊंटों पर पानी ढोना पड़ता है। सभापति महोदय, आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी चौथी पंचवर्षीय योजना का समाप्ति काल हो गया है मगर हम पीने के पानी का इन्तजाम हमारी ग्रामीण जनता के लिए नहीं कर सके हैं। आज चुनाव के लिए तो हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वोट डालने के लिये तीन किलोमीटर चलने के बाद आपको वह जगह मिल जायेगी जहां पर आपको वोट डालना है लेकिन आप उनका पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं करा सकते हैं कि उन्हें पीने

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

को पानी मिल जाये और उन्हें दो किलो-मीटर भी इसके लिये चलना नहीं पड़े। सभापति महोदय, आज भी राजस्थान में ऐसे काफी इलाके हैं जहां पर कि लोगों को 5-5 और सात मील दूर से अपने सिर पर रख कर या ऊंटों पर पानी लाना पड़ता है मैं समझती हूं इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। सभापति महोदय, यह स्थिति तो खास तौर से उन लोगों के लिये ज्यादा घृणादायक है जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जिन लोगों को इस पीड़ा का अनुभव है वे जानते हैं कि यदि पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी न मिले तो फिर मानव जीवन ही निरर्थक है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को भी मानती हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद भी राजस्थान अन्य: प्रान्तों से बहुत पीछे है। कई प्रान्तों से तो वह 60 वर्ष पीछे है। इसके लिये हमने बार-बार कहा है कि हमको प्लान की प्रायोरिटीज को बदलना होगा। प्रदेश की तरक्की के लिये उसकी समृद्धि के लिये हमको प्लान प्रायोरिटीज को बदलना होगा ताकि अन्य प्रान्तों के साथ हम जा सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि आखिर राजस्थान इतना क्यों पिछड़ गया है, इतना क्यों कमजोर बन गया है कि हमको इन चार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी पीने का पानी भी मुहैया न हो सके। न हो इन्डस्ट्रियलाइजेशन। सड़कों के बिना ही हम काम चला सकते हैं। लेकिन पीने के पानी का तो इन्तजाम होना ही चाहिए। अगले साल का जो यह बजट है उसमें ग्रामीण पेय जल व्यवस्था के लिये जो राशि है वह बहुत कम राशि है। केवल 1 करोड़ का प्रावधान है। उसके अगेंस्ट मैं हम तीन करोड़ का कार्य हाथ में ले सकते हैं। लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो सकता। सन् 1966 में मास्टर प्लान 66 करोड़ का था। वह आज 200 करोड़ के करीब हो गया है।

अन्त में यह बात कहते हुए कि इस बारे में आप सोचें, मैं अपने जिले के बारे में बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगी।

श्री सभापति : आपको पहले ही काफी समय दिया जा चुका है इसलिये जितना संक्षेप में आप कह सकें उतना संक्षेप में कह दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हम यह समझा करते थे कि हाकिम चला जाता है लेकिन हुक्म नहीं जाता है। सरकार बदल जाती है तो क्या हुक्म बदल जाता है? सन् 73-74 के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में भाग लेते हुए मैंने कहा था कि गंगा की बाढ़ का पानी जो कई गांवों को बरबाद करने का कारण बनता है उसको मोड़ देकर आप राजस्थान में लाइये। पानी लाने की गुंजाइश भरतपुर, झुंझुनूं, चूरू में है। चूरू में तो राजस्थान कैनाल भी आने को है। सब जगह का इन्तजाम हो रहा है। हम अपने मन में यह सोचते हैं कि क्या हम यों ही रह जावेंगे क्या हमारे क्षेत्र की जनता पानी के बिना यों ही त्राहि-त्राहि करके रह जावेगी? सेन्टर में इसको टेक अप करिये भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने पिछले वर्ष कहा था कि इस सम्बन्ध में वे केन्द्र से बराबर सम्पर्क

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कर रहे हैं, किस हद तक बात बढ़ी है आगे यह तो वे ही जानते हैं जो अब कब्र में मौन में हैं। गंगा का पानी कावेरी तक लेजा सकते हैं तो क्या उसको आप राजस्थान में झुंझुनू तक तक नहीं ला सकते ? क्या इसको आप इस ओर नहीं मोड़ सकते ?

यह भी निवेदन करना चाहूंगी पिछले वर्ष 16 हजार कुए आधी ग्रान्ट-इन-एड और आधा लोन लेकर सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिलों में बनाये गये। उन कुओं का भविष्य क्या होगा ? जिन काश्तकारों ने बैंकों से ऋण लेकर इनका निर्माण किया वे इन्ट्रेस्ट भी कैसे चुका पायेंगे ? हमारे लिये तो केवल मात्र अब बचा है वेल इर्रीगेशन। इनके लिये यदि इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रावधान किया जाता है तो ठीक है। वरना केवल कुए खुदवाने से और इनका विद्युतिकरण नहीं होने से तो किसानों पर और कर्जे का भार डाल दिया। इसलिये आप बिजली सेक्टर मे और पानी के सेक्टर में, दोनों में इस बजट को रिवाइज कीजिये। सोचिये आप किस प्रकार से किसानों को राहत दे, सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप से निवेदन करते हुए अनुरोध करूंगी कि आप इस पर गम्भीरता से पुनः विचार कीजिये। करुण वाणी में वहां के काश्तकारों की जो बात कही गयी है। और इलाकों में बहुत डेवलपमेन्ट हुआ है। देखा जाय तो सब ही जगहों का विकास हुआ है और बदला हुआ उनका रूप नजर आता है और अगर झुंझुनू जिले में तो वे ही रेते के टीले हैं। वित्त मन्त्री जी झुंझुनू तो आपका पड़ोसी जिला है, बोर्डर का जिला है। पता नहीं क्यों वह झुंझुनू का नाम बार-बार भूल जाते हैं। हम एक साल फिर गम खायेंगे। अगली बार तो आप झुंझुनू का नाम न भूलें। अगले वर्ष से बजट के पृष्ठ पर कई जगह हमें झुंझुनू का नाम लिखा हुआ मिलेगा तभी झुंझुनू की प्रगति का काम प्रारम्भ होगा और जिले में आपका भी नाम होगा।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय..

श्रीमती निर्मला कुमारी : मुझे आप यह बता दीजिये कि मेरा नम्बर आयेगा या नहीं ?

श्री सभापति : आप पहले गवर्नर साहब के भाषण पर भी तो बोली हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी : सुमित्राजी भी तो बोल चुकी हैं।

श्री शंकरलाल : जिन-जिनका नाम हो उनका पहले ही बता दीजिये।

श्री सभापति : यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र : मुझे कब समय दिया जावेगा ?

श्री सभापति : आपकी पार्टी को काफी समय दिया जा चुका है।

पहले जैसी व्यवस्था की गयी थी उसके अनुसार कार्य संचालन होगा।

श्री सुरेशचन्द्र : सवेरे भी यही आश्वासन दिया था।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र !

श्री वृद्धिचन्द्र (बाड़मेर) : सभापति

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

महोदय, सन् 1974-75 का बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया। जिस प्रकार आंकड़े दिये गये उनसे मालूम होता है कि यह संतुलित बजट है या नहीं इसका तो हम 1975-76 में अवलोकन करेंगे और जो परिणाम आवेंगे उन्हीं से पता चलेगा। पर यह तो स्थिति सामने है कि बजट स्पीचेज जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत कीं उनको मैं बराबर देखता हूं और उन पर अपने विचार भी प्रकट करता हूं। मैंने यह पाया है कि पहले तीन बजट घाटे के बजट थे, उनसे यह बजट बढ़ कर है और कम घाटा इसमें दिखाया गया है इसलिये इसको संतुलित बजट कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इसमें वित्त मंत्रीजी ने और प्रान्त के मुख्य मंत्रीजी ने सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने जिस प्रकार रिप्रेजेन्टेशन किया है उस रिप्रेजेन्टेशन से हमें लाभ मिला है और हमारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्ज का भार कम हुआ है, हल्का हुआ है और उससे 258.16 करोड़ रुपयों का हमें लाभ हुआ है और इस वर्ष 105.5 करोड़ राजस्व का प्राप्त हुआ है। यह एक अच्छी उपलब्धि है। दूसरी जो उपलब्धि हुई है जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने प्राप्त की उसकी प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकते हैं कि रोक फास्फेट जो नोन-रेवेन्यू टैक्स था उसको योजना के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट यह प्रयास करती है कि वे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट रिसोर्सेज रहे इसलिये कहीं ऐसा न हो कि वित्त मंत्रीजी जो ये रोक-फोस्फेट रिसोर्सेज प्राप्त किये हैं उनको सेन्टर न ले ले इसके लिये पूरी तरह से सावधानी बरतें और केयरफुल रहें। अब प्रश्न यह उठता है कि जिन परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं वैसी महंगाई न हमने देखी, न हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने कभी देखी। इस विकट महंगाई की परिस्थितियों में रहते हुए हम उन्नति भी करना चाहते हैं, विकास भी करना चाहते हैं। यह एक जटिल प्रश्न हमारे सामने है। आज जमाखोर और मुनाफाखोर अधिक धनी होते जा रहे हैं और सरकार इनके खिलाफ कोई कारगर कदम उठा नहीं पा रही है।

गेहूं का हमने राष्ट्रीयकरण किया। हमारे इस कदम को इन जमाखोरों, मुनाफाखोरों और इस नीति में विश्वास नहीं रखने वाले राजनैतिक दलों ने मिलकर असफल कर दिया है। यह हमें मान लेना चाहिये। मोटे अनाजों के सारे देश भर में आवागमन पर से हमने प्रतिबन्ध उठा लिये हैं। इसे असफलता का द्योतक ही मान लेना चाहिये। अब गेहूं के बारे में क्या नीति अपनाई जाने वाली है यह देखना है। 15/16 को मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग हो रही है। मेरी राय में राष्ट्रीयकरण की नीति पर हमें अटल रहना चाहिये। इसके लिये सख्ती से काम लें। नहीं तो लेवी में हम प्रोक्योरमेन्ट नहीं कर सकेंगे। खरीफ की फसल के समय जो कदम हमने उठाये और दूसरे राज्य वालों ने उठाये वे नाकाफी साबित हुए। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। जहां हमें 16.5 लाख टन प्राप्त करना था वहां 3½ लाख टन ही प्राप्त कर सके। राजस्थान में भी हम 1½ लाख

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

टन के स्थान पर सिर्फ पचास हजार टन प्राप्त कर सके। यह भी बाड़मेर जिले में। हमने इसके लिये बहुत प्रयत्न किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन मिनिस्टरों ने प्रोक्योरमेन्ट के टारगेट में सहयोग नहीं दिया उनको मिनिस्टरी में रहने का क्या अधिकार है ?

हमने समाजवाद की नीति अपनाई है। इसी पर अटल रहना है। वरना हम देश को प्रगति की तरफ ले नहीं जा पावेंगे। या तो यह हो कि हम सारी जनता को इन मुनाफाखोर और जमाखोर भेड़ियों के हवाले कर दें। वे जो भाव बढ़ावे चाहे बढ़ाने दें। या फिर हम कठोरता से से उनका दमन करें। इसके लिये हमें एक जूट होना होगा। बाड़मेर जिले में हालांकि अच्छी फसल नहीं हुई थी फिर भी हमने टारगेट पूरा किया। इसमें हमारी विल पावर ने और संगठन की एकता ने काम किया। हालांकि इस बार भी लगभग 47 गांव अभावग्रस्त थे। कांग्रेस संगठन में हमारे एकता थी। सारे देश में हमें कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ और एक करना होगा। तभी हम समाजवाद का अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे वरना नहीं।

पांचवीं योजना हम बना रहे हैं 635 करोड़ की। फाइनल शेप का भी थोड़े दिनों में पता लग जावेगा। इसमें चीफ मिनिस्टर ने संकेत दिया था कि इसके लिये 75 करोड़ रुपया हमें अपने साधनों से प्राप्त करना है। पहली साल की प्लान में हमने टैक्स नहीं लगाये हैं। हम अपने कोई साधन यूटीलाइज नहीं कर सके। राक फास्फेट के अलावा और भी साधन हमें टेक करने होंगे इसके लिये। इसके लिये धनवानों पर हमें भारी भारी टैक्स लगाने चाहियें। हमने लैंड बिल्डिंग टैक्स लगाया पर वह भी बेमन से। हमें इसे ठीक करना होगा। टैक्स की दर बढ़ानी होगी। पचास हजार की अलग अलग छूट को समाप्त करना होगा। नहीं तो इतनी राशि हम किसी तरह से प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

हमें राजा महाराजाओं की परसनल प्रापर्टी को भी देखना होगा। उसके पास हीरे जवाहरात की प्रापर्टी कितनी है यह भी देखना होगा। जमीन कितनी है, उस पर सीलिंग को कड़ाई से लागू करना होगा। पर आज हम इन पूंजीपतियों पर कोई भी भारी टैक्स लगाने से कतराते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। हम उनके प्रति रहम बरतेंगे तो गरीबी मिटाने का जो व्रत हमने किया है और जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिये पांचवीं योजना का निर्माण हमने किया है वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा तब तक पांचवीं योजना की लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकती। आज तक की हमारी योजनाओं का निष्कर्ष यह निकला है कि रईस रईस होता चला गया है और गरीब गरीब। अगर ऐसी ही योजनाएं बनती रहीं तो समाजवाद हमारा मृग-मरीचिका साबित होगा।

इरीगेशन और पावर में सबसे अधिक हिस्सा हमने दिया है। 60 प्रतिशत हमारे रिसोर्सेज का इधर लगाया है। इस साल भी लगाया है। इरिगेशन में राजस्थान नहर की हम अपने जिले में आशा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

करें यह तो सम्भव नहीं लगता। अब प्रश्न आता है पावर का केवल।

एक माननीय सदस्य : नर्बदा का पानी क्या होगा ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसका मामला अवार्ड में प्रधानमन्त्री के पास है। वह क्या होगा क्या नहीं होगा कौन क्या कह सकता है अभी। फिर भी सरकार इसको पुश करेगी तो अच्छा होगा। कडाना के बारे में भी रिप्रेजेन्टेशन किया गया है, पोंग बान्ध के लिये भी हमारे प्रयत्न हैं इसके लिये हिमाचल प्रदेश ने हमसे कम्पेन्सेशन भी ले लिया, जमीन भी विस्थापितों को बसाने के लिये ले ली। फिर भी उनका रुख ठीक नहीं लग रहा है। फिर कडाना के लिये गुजरात से हम क्या ले पावेंगे यह भी शंकास्पद है।

श्री विट्ठल भाई : इन लोगों में हिम्मत नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं चाहता हूं कि इन सबके लिये हम अपनी आवाज संसद में उठावें अपने एम. पी. के माध्यम से। उनको सारी जानकारी देकर इसके लिए आग्रह करें कि वे इन मामलों को पूरे जोर से संसद में उठावें। कडाना बान्ध के बारे में भाई नाथूरामजी बार बार प्रश्न उठाते हैं। पर हर बात पर राजस्थान अपना पक्ष केन्द्र के सामने जोर से रखने में कमजोर रहा है। बड़े बड़े उद्योग कई राज्यों में कायम हुए पर उनमें से एक को भी यहां कायम कराने में हम सफल नहीं हुए। आइल रिफाइनरी की बात हुई। पर वह भी मथुरा चली गई। कितने कमजोर हैं हम। इससे साफ जाहिर है। हमने कुछ कदम उठाकर अपनी बात छठे वित्त आयोग के सामने रखी। पर फिर भी सिर्फ 258 करोड़ का कर्जा हल्का करा सके। इस कर्ज के बारे में सोचना पड़ेगा। 8.86 करोड़ है उसको किस तरह मीट करें। अगर इस वर्ष 52 करोड़ देने की व्यवस्था की है और इस तरह बराबर इन्टरेस्ट देते रहे तो पोजीशन ठीक नहीं हो सकती है।

अब मैं पावर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, पावर के बारे में बाड़मेर, जैसलमेर को बिलकुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। ये दोनों सीमावर्ती जिले हैं। रोड्स के बारे में व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि देश की रक्षा का प्रश्न था। देश की रक्षा करना चाहते हैं तो इन जिलों की प्रगति करनी पड़ेगी। इनमें उद्योग-धन्धे स्थापित करने पड़ेगे और सुविधायें देनी पड़ेगी तभी जाकर वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा होगा और जब तक मनोबल ऊंचा नहीं होगा तब तक पूरी तरह से रक्षा नहीं हो सकेगी। अभी छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य दोनों जोर दे रहे थे पश्चिमी राजस्थान पर बड़ा भारी व्यय किया जा रहा है और पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की जा रही है। मैं आपको फर्स्ट प्लान; सैकिन्ड प्लान, थर्ड प्लान और फोर्थ प्लान के फीगर बताना चाहता हूं प्रति व्यक्ति कितना कितना खर्चा हुआ है– अजमेर में 191, अलवर में 129, भरतपुर में 149, जयपुर में 154, जालोर में 77, नागौर में 79 और भी जिले हैं मैं विस्तृत

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रूप में जाना नहीं चाहता। इन सारी योजनाओं में जो पिछड़े हुये जिले हैं उनको पिछड़ा हुआ ही रखा गया है। पिछड़े हुये जिलों में फर्स्ट प्लान में, सेकन्ड प्लान में, थर्ड प्लान में और फोर्थ प्लान में सबसे कम राशि रखी गई है। देश की रक्षा का प्रहरी बनाना चाहते हैं और कम भी खर्चा करना चाहते हैं और फिर कहते हैं पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा कर रखी है। डेजर्ट डवलपमेंट के लिये जो फिफ्थ प्लान में राशि रखी गई है, वह भी नहीं देना चाहते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की कोई स्कीम बने और राजस्थान गवर्नमेंट इसका प्रोविजन न करे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अभी तक फर्स्ट स्टेज को भी पूरा नहीं किया है। राजस्थान नहर डिफेन्स का काम कर सकती है और देश की रक्षा के लिये इसको करना बहुत आवश्यक है।

हमारी बहिन सुमित्रा देवी बहुत जोर दे रही थी पानी के बारे में। पानी की समस्या का हल अभी तक आपने 23 पर्सेन्ट पोपूलेशन का किया है, 77 पर्सेन्ट पोपूलेशन की समस्या अभी बाकी रही है जिसमें आपको प्रोविजन करना है। आपने 201 करोड़ की व्यवस्था सोची थी कि 201 करोड़ की व्यवस्था करें तो समस्या हल हो सकेगी। अभी जो व्यवस्था कर रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा 60 करोड़ की है; 5.7 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर 79.80 करोड़ के बजट 5.70 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे तो यह 7 प्रतिशत होता है। यह बहुत ही कम है। इस वर्ष मे यह कोशिश की जानी चाहिये कि पावर में 60 परसेन्ट खर्च कर सकते हैं तो पानी के लिये 15 प्रतिशत खर्च करना चाहिये और अगर 15 प्रतिशत की व्यवस्था नहीं करते हैं तो किसी भी तरह से इन्साफ नहीं करते हैं, न्याय नहीं करते हैं।

अब मैं रोड्स की समस्या के बारे में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनिट और लूंगा अब मैं रोड्स के बारे में आता हूं। मैं सदन में स्पष्ट कहना चाहता हूं अभी जो बोर्डर रोड्स बनी उसमें हमारी देश की रक्षा का बहुत ही लाभ मिला है परन्तु मैं यह कहता हूं पाकिस्तान से कभी हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार पाकिस्तान बना है और उसकी रचना जिस प्रकार हुई है उसको देखकर हमारे पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध हो ही नहीं सकते और जब सम्बन्ध अच्छे हो नहीं सकते तो आपको रोड्स पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। अभी यह स्थिति आई थी कि बाढ़ आई और बाढ़ आने से बाड़मेर का सम्बन्ध जोधपुर से टूट गया बाढ़ आने से बाड़मेर का सम्बन्ध जयपुर से टूट गया। 25-30 दिन ठीक है बहुत डबल रास्ता घूमकर आना पड़ता था—बाढ़ से सीधा रास्ता नहीं था। मैंने सुझाव दिया है बाड़मेर से जोधपुर सड़क का डिफेन्स के लिये भी महत्त्व है। बाढ़ से आवागमन के, आने जाने के सारे साधन कट गये थे इसलिये मेरा निवेदन है यह बाड़मेर-जोधपुर सड़क वाया बायतू का निर्माण किया जाना चाहिये। उस रोड को जल्दी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

से जल्दी कम्पलीट किया जाना चाहिये और प्लान के अन्दर इस वर्ष लिया जाना चाहिये। अभी जो ली गई है वह सिर्फ 70 हजार की ली गई है। 70 हजार का हमारे जिले में प्रोविजन किया गया है। दूसरे दूसरे जिलों में चार लाख, पांच लाख की व्यवस्था है और इस जिले के लिये व्यवस्था करे केवल 70 हजार। यह बहुत थोड़ी है। और भी बोर्डर रोड्स बनाई जानी चाहियें, कभी भी हल्ला हुआ तो रोड्स बनाना आवश्यक है।

अब एक प्रोब्लम नशाबन्दी की तरफ आना चाहता हूं। बाड़मेर, जालौर में नशाबन्दी कर दी परन्तु पहले से चारगुणा शराब बढ़ गई। पुलिस को कहते हैं तो जवाब मिलता है यह तो हमारा कार्य नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है और पुलिस को कहें क्या उनके बड़े-बड़े अधिकारी शराब पीते हैं—नतीजा भी क्या, तो यह स्थिति है। एक्साइज डिपार्टमेन्ट वालों से बात करें उनके पास फोर्स नहीं। इस प्रकार जब शराबबन्दी की तो मेजर्स लिये जाने चाहिये कि शराब का धन्धा नहीं कर सके परन्तु हम कोई मेजर नहीं ले सके। नशाबन्दी करना चाहते हैं तो इसको काग्निजिबिल आफेन्स बनाना चाहिये, अगर कम्पाउन्डेबिल होगा तो हम कभी भी इस कानून के अन्तर्गत सख्त कदम नहीं उठा सकते हैं इसलिये इस कानून में परिवर्तन करना आवश्यक है और इस नशाबन्दी में फोर्स भी ज्यादा लगाने की आवश्यकता है जो उन पर काबू पा सके, अवैध शराब के धन्धे को रोक सके और करने वाले को पकड़ कर सख्त सजा दे सके। राज्य सरकार ने 72-73 में घोषणा की थी अब मैं यह जानना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कब तक शराबबन्दी होगी और शराबबन्दी नहीं करते हैं तो स्पष्ट कहें कि हमने इस सिद्धान्त को छोड़ दिया है, इस सिद्धान्त को त्याग कर दिया है।

अब मैं सीलिंग के बारे में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह कह कर समाप्त करता हूं। सीलिंग के बारे में जो कानून बनाया 59-60 में हमने कानून पास कर लिया परन्तु कानून का इम्प्लीमेन्टेशन 70 तक नहीं होने दिया और अभी तक भी नहीं होने दे रहे हैं। जितनी इर-रेगूलरेटी थी उनको रेगूलर कर दिया। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहबान से जो प्रगतिशील भी हैं और गरीब किसान के शुभ चिन्तक हैं, अगर वे गरीब किसान को वास्तव में कुछ जमीन देना चाहते हैं तो यह सीलिंग का जो कानून है उसमें परिवर्तन करें। जो फेमिली की डेफीनेशन है फेमिली की जो डेफीनेशन हैं उसकी डेफीनेशन को ठीक करें। उस फेमिली के अन्दर जो पहले वाली डेफीनेशन है वही ठीक है और पंजाब हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया है पति, पत्नी और बच्चे। इसलिए फेमिली की डेफीनेशन को ठीक करें और कानून को इस प्रकार बनायें और उसको इम्प्लीमेन्ट जल्दी से जल्दी करें ताकि वह जमीन प्राप्त हो सके और अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों को जमीन प्राप्त हो सके और जिनको जमीन दी जाये उनको पजेशन भी मिलना चाहिए यह स्थिति है कि सबसे खराब से खराब

Page No 110

(109)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जमीन अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को दी जाती है और दी भी जाती है तो उसको कब्जा नहीं मिलता तो कब्जा दिलाने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कोशिश करें ताकि हम समाजवाद के बारे में जो कोशिश कर रहे हैं और गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं तो गरीब वर्ग के लोगों को भी जमीन मिलेगी और वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे।

जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री रामलाल !

श्री **रामलाल** (वाड़ी) : सभापतिजी हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा। बड़े दुःख का विषय है क्योंकि राजस्थान की जनता की हालत देखते हुए राजस्थान की जनता के साथ में कितना अन्याय हो रहा है, गरीब आदमियों को पीसा जा रहा है और गरीब जनता इतनी दुःखी है कि उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिले, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिले, सोने के लिए चारपाई नहीं मिले, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिले तो कितने दुःख की बात है कि ऐसी स्थिति को देखते हुए कितने दिनों तक यह सरकार चलेगी। ऐसी सूरत में गरीब भाइयों के लिए जो सरकार हमारी योजना बना रही है और कहती है कि हम गरीबों को ऊंचा उठायें गरीब तो उल्टे और पीसा जा रहा है। कुचला जा रहा है। गावों में बहुत ही गरीब लोग रहते हैं और सभी जमीन के जोतने वाले नहीं हैं। शहरों में भी मजदूर रहते हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती। हमारे खाद्य मन्त्रीजी ने घोषणा की कि हम शहरों के लिए ही गल्ला देंगे और गांवों के लिए गल्ला वितरित नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं कि गाँवों में भी गरीब लोग रहते हैं और मजदूर लोग रहते हैं जिनकी कोई खेती नहीं है। ऐसी सूरत में उनको भी गल्ला दिया जाये। किसानों को खाद नहीं मिले, बीज नहीं मिले, सीमेन्ट नहीं मिले और सरकार उससे फिर धान की वसूली करे तो बहुत दुःख का विषय है। क्या कहेगी उनकी आत्मा कि सरकार ने बहुत ही दुखी किया। सभापति महोदय, यूरिया खाद की 54 रुपये की रेट है और किसान ने उसको जरूरत के समय 80-90 और 100 रुपये के भाव से खरीदा। सरकार ने सिंचाई के साधन नहीं दिये, बिजली नहीं दी। बिजली कहीं मिल भी गई है किसी तहसील में या शहर के किनारे तो बहुत ही कम पावर दी जाती है। ऐसी सूरत में सरकार को निगाह उठाकर देखना चाहिए कि हमारे राजस्थान का क्या हाल हो रहा है। गरीबों को नीबू की तरह निचोड़ा जा रहा है और पैसे वालों को ऊंचा उठाया जा रहा है। गरीब और अमीर की ऐसी लड़ाई है कि सरकार आंख खोलकर नहीं देखेगी तो राजस्थान की जनता के साथ बहुत अन्याय होगा।

मैं अपने क्षेत्र की समस्या मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। हमारा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के कारण से वहां पर कुओं में पानी नहीं निकलता है। इसलिये वहां पर छोटे-छोटे बांध बनाये जायें। इसमें किसी की जमीन भी नहीं जायेगी और बंध बनने से कुओं में भी पानी हो जायेगा और किसानों को सुविधा मिलेगी। एक पारवती डेम है

(श्री रामलाल बाड़ी)

उसके ऊपर दूसरा डैम बनाया जाये ताकि नीचे के नहर वाले क्षेत्र हैं उनको काफी मात्रा में पानी मिल सके। हमारे यहां पर सरमथुरा एक सब-तहसील है और मदनपुर गांव में वहां एक बंध का सर्वे कई साल पहले कराया गया था लेकिन वह आज तक नहीं बना। कई हजार रुपये सर्वे कराने में खर्च कर दिये और उस क्षेत्र की जनता सोचती है कि बन्ध बनेगा लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी कठिनाइयों को सरकार को दूर करना चाहिये।

मैं आपसे बिजली के बारे में निवेदन करूंगा। बिजली मेरे क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने घोषणा की कि हम गांव गांव में बिजली पहुंचा देंगे लेकिन आप कितने सालों में पहुंचा देंगे ? घोषणा बाद में करनी चाहिए और पहले इन्तजाम करना चाहिए। आखिर में हमको जनता के सामने जाना ही पड़ेगा। पांच साल बाद तो जाना ही पड़ेगा। तो हमारे वहां बिजली पहुंचनी चाहिए और घोषणा बाद में करें। आज राजस्थान में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई है यह भी सरकार को देखना चाहिए।

दूसरे मेरे क्षेत्र बाड़ी में कालेज की स्थापना करनी चाहिए। हमारे यहां के लड़के धौलपुर, ग्वालियर और भरतपुर जाते हैं और यह सब पैसे वालों के लड़के होते हैं। गरीबों के बच्चे अपने घरों पर ही बैठे रहते हैं जब कि गरीबों को शिक्षा देनी चाहिए। पैसे वाला तो आगरा भेज देगा या जयपुर भेज देगा। तो कालेज बाड़ी में खुलना चाहिए।

सड़कों की हालत बहुत बुरी है। जयपुर से धौलपुर; मध्यभारत और उत्तरप्रदेश के लिए एक ही रूट है। इसमें करौली से सरमथुरा तक नदियों पर पुल और सड़क की हालत देखें तो बहुत बुरी है। अब करौली का मेला आयेगा और वहां हजारों की तादाद में गाड़ियां आयेंगी और यात्री आयेंगे। वह परेशान होंगे। ऐसी सूरत में सरकार ने जो रोड बना रखा है बहुत दुःख का विषय है कि वह इतना खराब है कि जो मध्यप्रदेश की गाड़ियां आयेंगी वह हमारी बदनामी करेंगे कि राजस्थान में ऐसी सड़कें हैं। उत्तरप्रदेश की गाड़ियां आयेंगी वह हमको बदनाम करेंगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सड़कों को सरकार अच्छा बनाये खासकर जो कि लम्बे रूट हैं उनको।

मेरे क्षेत्र में सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जमीन अलाट की वह अलाटमेन्ट नहीं के बराबर किया है। मान लीजिए कि उनको जमीन मिल भी गयी तो उनको कब्जा नहीं मिल पाया। कब्जा मिल भी गया तो वह फसल नहीं बो पाये और फसल बोई तो काट नहीं पाये। कई गांवों में ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे अत्याचारों के लिए सरकार को निगाह उठाकर देखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पारवती नहर है, चम्बल नदी है वहां लिफ्ट इर्रीगेशन का इन्तजाम किया जाये। लिफ्ट इर्रीगेशन से धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा को पानी मिल सकेगा। चम्बल नदी में काफी मात्रा में पानी रहता है और लिफ्ट इर्रीगेशन का इन्तजाम हो जायेगा तो किसान काफी

(श्री रामलाल बाड़ी)

अनाज पैदा कर सकेंगे। ऐसी सूरत में सरकार से निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान में 9 करोड़, 10 करोड़ नहर योजना में लगाया जाये। पूर्वी राजस्थान में 55 करोड़ रुपया लगा दिया जावे और यहां कुछ भी नहीं तो मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कि ऐसी सूरत में हमारे क्षेत्र में उप जिले धौलपुर में माननीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला साहब आये और घोषणा कर आए कि धौलपुर में तीन चार उद्योग और कारखाने खुलेंगे लेकिन जो वहां पर एक कारखाना था उसको ही उदयपुर पहुंचा दिया। एक दफा उप-मंत्री गये वे घोषणा कर आए कि तेल शोधक कारखाना धौलपुर में खोला जाएगा लेकिन वह भी मथुरा में खोल दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं सभापति महोदय।

श्री **सभापति** : दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री **रामलाल** : हमारी धौलपुर की जनता के साथ यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सरकार घोषणा कर आवे और उसके बाद में दूसरी जगह कर दें। न्यौता दे करके दूसरे आदमी को बुलाकर जिमावें यह बहुत दुःख का विषय है। हमारे मुख्य मंत्रीजी मध्यावधि चुनाव में गये और घोषणा की कि सरमथुरा में कि इस सड़क को इसी वर्ष में कम्पलीट बनवा देंगे। घोषणा करने के बाद में, मध्यावधि चुनाव के भी चार साल हो गए लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। सरकार को ऐसी स्थिति में गरीब जनता के साथ न्याय करना चाहिए। गरीब आदमी के साथ में जो कि मेरे क्षेत्र में बहुत हैं, रोजाना बदमाशी होती है।

मेरे क्षेत्र में एक मोरा काठही नाम का डकैत है जो कि रोजाना ही डाके डालना, रोजाना ही धन छीन कर ले जाना, मार-पीट करना, रोजाना ही पैसा खींच कर ले जाना, रोजाना ही लड़कियों की इज्जत लूटना होता है, यह बहुत दुःख का विषय है। आज हमारी सरकार इस ओर तुरन्त तवज्जोह नहीं कर रही है, ऐसी सूरत में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री पी. के. चौधरी !

श्री **पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने भी बड़ी सराहना की है कि अच्छा बजट है और खुशी जाहिर किया है, तो मैं भी कोई सर्टीफिकेट देने से पहले जरूरी एक निगाह से बजट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह अर्ज करूं कि चालू वित्तीय वर्ष का का जो बजट है उसको वित्त मन्त्रीजी ने किस ढंग से मैनेज किया है यह भी हमको देखना चाहिये। इस वर्ष के, चालू वित्तीय वर्ष के जो बजट एस्टीमेट वित्त मन्त्रीजी ने पेश किये थे उसमें करीब 22

(श्री पी. के. चौधरी)

करोड़ रुपये का घाटा बताया गया था कि इस साल में 22 करोड़ के करीब का घाटा रहेगा। जो रिवाइज्ड एस्टीमेट दिए गए हैं बजट भाषण के अन्दर उसमें यह बताया है कि 6 करोड़ 22 लाख का ही घाटा रहेगा, परन्तु, साथ-साथ में उसमें 'परन्तु' और जोड़ दिया गया है, यह 'परन्तु' की क्वालिफिकेशन लगा दी है कि यह छः करोड़ का बैलेन्स कैसे होगा। उसमें एक प्रिजम्प्शन एक अजम्प्शन किया गया है कि 56 करोड़ तो हमको सेंट्रल असिस्टेन्स मिलेगा, फैमिन रिलीफ वर्क के अगेन्स्ट में। वह असिस्टेंस आपको मिला नहीं है और न ही सेंट्रल की तरफ से एश्योरेन्स है कि आपको वह असिस्टेंस मिलेगा ही और 56 करोड़ रुपया इसी वित्तीय वर्ष में देगा। आपने दूसरा क्या किया है। यह मैं निवेदन करूं कि आपने मैनेज किया है कि 36 करोड़ का वेज एण्ड मीन्स स्पेशल एडवांस मिलेगा और इस तरह से 36 करोड़ का और घाटा पूरा हो जाता है और जो बाकी रह जाता है, साढ़े नौ करोड़ का वह आपको स्पेशल असिस्टेंस मिलेगा सेंट्रल से। यह सारा आप देखेंगे। सभापति महोदय, इस तरह से छः करोड़ का बैलेन्स बजट में आपने किया है लेकिन सही मायने में घाटा 108 करोड़ 28 लाख रुपये का इस वित्तीय बजट में है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि लगातार वित्त मन्त्री महोदय बजट इस ढंग से पेश करते हैं और जनता को और सदन के मेम्बर्स को गुमराह करते हैं, कि बजट को बैलेन्स कर दिया। इस तरह से बजट को बैलेन्स करना कहा नहीं जा सकता है! अपने चालू वित्तीय बजट में 108 करोड़ का गैप है और आपने 'परन्तु' लगा दिया। आपने पैरा 41 में 'परन्तु' लगा दिया लेकिन वास्तव में 108 करोड़ का घाटा है। 56 करोड़ की सेन्ट्रल असिस्टेन्स अज्यूम करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मिलेगा लेकिन कोई गारण्टी नहीं है कि मिलेगा ही। मार्च का महीना है मार्च के महीने की 16 तारीख हो गई है लेकिन सेंट्रल से डिसिजन नहीं दिया कि 56 करोड़ का घाटा पूरा कर देंगे और जो स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवांसेज हैं वह टेम्प्रेरी पीरियड के लिये देते हैं। महीने दो महीने के लिये देते हैं। इसके अलावा साढ़े नौ करोड़ के स्पेशल एकोमोडेशन को भी आपने इसमें बता दिया है और इस ढंग से सारे चालू वित्तीय वर्ष के बजट को बैलेन्स किया है।

अगले साल के बजट को नैक्स्ट ईयर के बजट को भी बैलेन्स करके 14 करोड़ 12 लाख का डिफिशिट बताया है लेकिन उसको भी बैलेन्स कर दिया है। उसमें 5 करोड़ 82 लाख का घाटा तो प्लान बजट में डेफिशिट रहेगा नैक्स्ट ईयर में और आप इसको किस तरह से पूरा करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे स्पेशल अकोमोडेशन इस साल मिलेगा। यह 56 करोड़, 36 करोड़ और साढ़े नौ करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा इसको रीशिड्यूल करके री-बैलेन्स कर रहे हैं। यह जो पैसा है स्पेशल एकोमोडेशन मिला है उसका इन्टरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा या क्या करेंगे? अगर इन्टरेस्ट पे करते हैं तो यह घाटा 5 करोड़ से ज्यादा होगा।

दूसरा आपने यह बताया कि नॉन-प्लान बजट में 3.30 करोड़ का घाटा

(श्री पी. के. चौधरी)

रहेगा उसको इकोनोमी मेजर करके पूरा करेंगे। क्या करेंगे इकोनोमी मेजर में ? इसका भी ट्रेंड बजट में दिखता है। आपके बजट के अन्दर जो नॉन डवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर है, रेवेन्यू अकाउन्ट में उसमें भी कमी नहीं हुई है, वह बढ़ा है। उसका ट्रेंड बढ़ने की ओर है जब कि आपके डवलपमेंट का बजट पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। इसलिये मैं शाबासी भी देना चाहता हूं। सभापति महोदय, लेकिन जब मैं स्क्रूटनाईज करता हूं तो मुझे अन्दाजा लगता है कि बजट बेलेंस्ड नहीं है।

दूसरी बात सभापति महोदय, यह जो नेक्स्ट ईयर का बजट है इसकी बेलेन्स शीट में उसके अनुसार 5.82 करोड़ की कमी को री-शिड्यूलिंग कर पूरा करेंगे—यह बात भी बजट को बेलेन्स करने के उसूल के खिलाफ है। बजट बेलेन्स तभी हो सकता है जब कि स्टेट की रिसिट हो। स्टेट की रेवेन्यू रिसिट हो और उसके मुकाबले में जो हमारा एक्सपेन्डीचर हो उसको हम बेलेन्स करते हैं तो हम उसको बेलेन्स्ड बजट मान सकते हैं। इसलिये मैं इसको बेलेन्स्ड बजट की संज्ञा नहीं देना चाहता। न तो मैं इसको चालू वित्तीय वर्ष में और न आने वाले वर्ष में ही संतुलित बजट मानता हूं।

सभापति महोदय ....

श्री **खेतसिंह** (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय आधा घण्टे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री **सभापति** : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय साढ़े पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े पांच बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री **गौरीशंकर मुनीम** : आधे घण्टे में क्या निपट जाएगा ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री **सभापति**: सदन के सामने जो प्रस्ताव आया है उसके अनुसार ही समय बढ़ाया है—यह तो आप अपने व्हीप से कहें, मुझे क्या पूछते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज.... ऑर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री **गौरीशंकर मुनीम** : आधा घण्टा तो आप (श्री चौधरी) ही ले लेंगे।

श्री **सभापति** : आप अपने चीफ व्हीप से बात कर लीजिए, उसके बाद जैसा चाहेंगे हो जाएगा।

श्री **पी. के. चौधरी** : सभापति महोदय, दूसरी बात एक बजट को, बेलेंस बजट होने के सम्बन्ध में हमको सबको गुमराह कर दिया गया है। जैसा कि भीलवाड़ा से आये वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह आंकड़ों की जगलरी है माननीय वित्त मंत्री आंकड़ों की जगलरी हमारे सामने पेश कर देते हैं और मैं भी इसको जगलरी ही मानता हूं वरना हमारी इकोनोमिक पोजिशन स्टेट

(श्री पी. के. चौधरी)
की ठीक नहीं है !

इसके बाद, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्लान की शुरूआत है। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान की शुरूआत है। किसी माननीय सदस्य ने कहा है, जब हम इसको चला रहे हैं तो हमको यह देखना चाहिये कि स्टेट बजट में हमने सेविंग बढ़ाने के लिए क्या किया है। दो तीन तरीके हैं। एक तो टैक्सेज के जरिए से होता है। दूसरा किसी ऐसी चीज पर वह व्यय लगाया है। परन्तु मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं, पिछले दो तीन बार से मैं सदन का मेम्बर हूं। यह बजट पेश हुआ है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। यह पहला मौका है। हमें फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए जो टैक्सेज पे कर सकते हैं, हमारी आय को इन्क्रीज करने के लिए, उसके लिए इस बजट में कोशिश नहीं की गई है। उसको टैक्सेज के जरिये से रखना चाहिये था। मैं पिछली दो तीन विधान सभाओं का सदस्य रहा हूं। लेकिन यह पहला बजट है जिसमें टैक्स नहीं लगाया गया है। तो क्या यह बजट विकास को तरक्की देगा या विकास का जो श्री गणेश कर रहे हैं, उसके अनुकूल बनेगा, यह हमको सोचना है। दूसरे वित्त मंत्री महोदय ने फाइनेन्स कमीशन की बड़ी तारीफ की है। हां, हमको पैसा दिया है। हम भी तारीफ करते हैं। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने जो हमको सिफारिशें दी है, हमने उनको भी नहीं माना है। उन्होंने लिखा है कि वाटर रेट कितना होना चाहिए। उनके मेन्टेनेन्स का खर्चा है। मैं पूछना चाहता हूं 532 करोड़ का बोनस फाइनेंस कमीशन ने दिया है। लेकिन उसने जो सिफारिश की है, उसको पहली साल आपने नजरन्दाज कर दिया है। उसको कैसे किया है। हमारा जो बजट चम्बल-भाखरा एरिया का है 2 करोड़ 22 लाख रुपये का है। और 42 लाख-84 लाख देते हैं तो जाकर 1 करोड़ कुछ रुपया मिलता है वाटर रेट से। और इस पर खर्चा 4 करोड़ 91 लाख का है। यह खर्चा मैंटेनेंस का खर्चा है। इसकी फाइनेन्स कमीशन ने सिफारिश की है, उसके अनुसार यह खर्चा वसूल करना चाहिए। दूसरा इर्रीगेशन आपका 5 करोड़ 19 लाख का है। इस पर खर्चा 15 करोड़ 34 लाख

(5.04 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, उसको आगे बढाने के लिए वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है। मैं मानता हूं कि इर्रीगेशन रेट को बढ़ाते, वाटर रेट को बढ़ाकर पैसा इकट्ठा करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मल्टी-परपज बजट पर अरबों रुपया खर्च होता है। यह पैसा कहां से आता है। यह कर्जा करके पैसा आता है। किसी पर साढ़े सात प्रतिशत ब्याज देते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपया हम ब्याज देते हैं। उस ब्याज का जो बेनिफिट लेते हैं, वह आज हमें क्या देते हैं। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री से राज्य सरकार का इरादा नहीं है कि वह बेनेफिशियरी से पैसा ले। लेकिन जनता से लिया जाता है। जहां रिटर्न होता है वहां से नहीं। कम से कम फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर वाटर रेट तो बढ़ाना चाहिए था। उसके लिए जो आदमी रहते हैं, उन को तनख्वाह दी जाती है। अगर ऐसा नहीं

(श्री पी. के. चौधरी)

करते हैं तो राजस्थान के डेवलपमेन्ट में फर्क पड़ता है। आपके फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में अभी क्या रखा है ? अभी वह रखा है जो डेजर्ट एरिया है। एक हिल एरिया है। लेकिन राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है।

उपाध्यक्ष महोदय आपका जो एन्युग्रल प्लान बजट है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी इस बात का जवाब दें कि आपका जो प्लान आउट-ले है उस पर वित्त मंत्रीजी ने सन्तोष प्रकट किया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल दस करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान रखा है। लेकिन पिछले साल की जो प्राइसेज थीं उनके मुकाबले में यदि 86 करोड़ का प्रावधान भी रखा जाता तब भी आज की प्राइसेज के हिसाब से बराबर का प्रावधान होता। लेकिन वित्त मंत्री ने केवल 10 करोड़ ही अधिक आउट ले रखा है, 69 करोड़ गुजरे साल का आउट ले था और इस साल आपने 79 करोड़ का रखा है, जो गुजरे साल के भावों और इस साल के भावों को देखते हुए, वास्तव में गुजरे साल से भी कम आउट-ले है। पांचवीं फाइव ईयर प्लान के पहिले साल में आपका इन्वेस्टमेंट कम है। ऐसा महसूस होता है कि विकास से आपकी नजर घूम गई है। आप दूसरी तरफ निगाह डालने लग गये हैं, यह बात कहते हैं, फिफ्थ प्लान में कहते हैं कन्ज्यूमर गुड्स का डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे, इन्कम का डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे। जब डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बन्द हो जाता है और जो पेटर्न पहले जैसा था, वही पेटर्न ऑफ एक्सपेन्डीचर रहता है तो इन्कम डिस्ट्रिब्यूट कैसे होगी इन पीपुल ग्राफ वीकर सोसाइटी, यह हमारी समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट ईग्रर का जो प्लान आउट-ले है, वह 79 करोड़ 80 लाख का है, 30 करोड़ 94 लाख का रेवेन्यू बजट में है और 79 करोड़ 20 लाख का केपिटल एक्सपेंडीचर में है। उपाध्यक्ष महोदय, यह केपिटल एक्सपेंडीचर कहां-कहां हुआ, उसके कुछ आइटम का 31 करोड़ का हमने हिसाब लगाया है, उसमें 57 करोड़ केपिटल बजट खर्च हो रहा है उसमें 31 करोड़ के मेजर हैड्स का हमने हिसाब लगाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस साल का जो बजट का रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हैड्स है उसके लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है यह पहले पता नहीं लगता था, इधर खर्च होता है, उधर खर्च होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है, क्या है। यह समझ में नहीं आता है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। अब अलग-अलग मेजर हैड्स बनाये हैं और नया क्लासिफिकेशन ऑफ हैड्स किया है, उससे पकड़ने में आसानी रही है, उससे मालूम पड़ता है कि कुल हैड्स में जो पैसा खर्च हो रहा है वह कहां हो रहा है। तो हमने, उपाध्यक्ष महोदय, आपके दो-तीन मेजर हैड्स का पता लगाया। एक मेजर हैड है 482 केपिटल आउट-ले ऑन पब्लिक हैल्थ, इसमें है 5 करोड़ 93 लाख, इसमें से जयपुर संभाग में 31 लाख एक मेजर हैड है, 506 केपिटल आउट-ले ऑन माइनर इरीगेशन, सोइल कन्जरवेशन एण्ड एरिया डवलपमेंट, इसमें 3 करोड़ 56 लाख, जयपुर डिविजन में निल....

श्री प्रद्युम्नसिंह : Nil ?

श्री पी. के. चौधरी : निल । एक है, 523 केपिटल आउट-ले ऑफ पेट्रोलियम एण्ड फर्टिलाइजर्स इन्डस्ट्रीज 17 करोड़ 35 लाख, जयपुर डिविजन में निल । एक है 526 कैपिटल आउट-ले ऑन कन्ज्यूमर इन्डस्ट्रीज, इसमें है 5 करोड़ 15 लाख और जयपुर डिविजन में निल । एक है 528 केपिटल आउट-ले ऑन माइनिंग एण्ट मेटलर्जीकल इन्डस्ट्री, इसमें है 1 करोड़ 27 लाख का खर्चा, जयपुर डिविजन निल । एक हैं 532 केपिटल आउट-ले ऑन मल्टीपर्पज़ेज रिवर प्रोजेक्ट, इसमें है 6 करोड़ 83 लाख, जयपुर डिविजन निल । एक है 533, केपिटल आउट-लें ऑन इर्रीगेशन, नेविगेशन ड्रेनेज एण्ड फ्लड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, इसमें है 13 करोड़ 69 लाख का खर्चा, उसमें जाकर पार्वती गुड़गांव और भरतपुर को मिला कर 31 लाख मिलते हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : Out of ?

श्री पी. के. चौधरी : 31 लाख ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : Out of ?

श्री पी. के चौधरी : 13 करोड़ । सब कुल मिलाकर । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेजर हैड्स हैं 31 करोड़ के, उनमें से 31 करोड़ में जयपुर संभाग में खर्च होता है 31 लाख, दैट इज ऑनली वन पर्सेन्ट, जब कि जयपुर संभाग की पापूलेशन है 44 पर्सेन्ट, होल राजस्थान की 44 पर्सेन्ट पापूलेशन यहां रहती है, जयपुर संभाग में 44 पर्सेन्ट एक्स-चेकर रहता है वहां डवलपमेंट का खर्चा है वह वन पर्सेन्ट है । यह आपके इस बजट का नक्शा है । यह जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 13 करोड़ का खर्चा रखा गया है उसका हिसाब निकाला है । इससे ज्यादा निकालने में देरी नहीं लगेगी, अलग बैठ कर कुछ समय देकर निकालूं । और बजट में थोड़ा संशोधन और करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हैड्स और चेंज कर दें तो थोड़ा और पता लग सकता है कि कहां खर्चा हो रहा है और यह बता सकते हैं कि कहां खर्चा हो रहा है । मैं यह बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो तर्क है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इन्कम डिस्ट्रिब्यूट करेंगे वह कैसे कर सकते हैं । हमारे कई माननीय सदस्यों ने दबी हुई आवाज में कहा, वैर से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां कुछ पैसा दिया नहीं है । उन्होंने संभाग का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा, बहुत घनी आबादी का हिस्सा है जहां खर्चा नहीं होता है । कई माननीय सदस्य यह कहते हैं, वह मेरे जैसे मुंहफट नहीं है, हालांकि उनके दिल में भी यह बात खटकती है कि हमारा जिला नेगलेक्टेड क्यों रहा है । और जिलों में पैसा दें, लेकिन हमारा जिला नेगलेक्टेड क्यों हो रहा है । हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे इलाकों में खर्चा नहीं हो । दूसरे इलाकों में खर्चा जरूर हो । हम भी यह चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 25 साल की आजादी के बाद भी हमको कुछ नहीं मिले....

एक माननीय सदस्य : उदयपुर डिविजन में ?

श्री पी. के. चौधरी : सब डिविजन आ गये । जयपुर में वन पर्सेन्ट भी नहीं

(श्री पी. के. चौधरी)

हुआ है। आमदनी ? अगर आप कहेंगे तो मैं आमदनी भी निकाल कर दे दूंगा मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह प्रिन्सिपल आफ प्लानिंग है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उदयपुर नये राजाओं का राज्य है, उसका निकालने में जोर आयेगा।

श्री पी. के. चौधरी : जो प्रिन्सिपल ऑफ प्लानिंग है, उसमें यह उसूल होना चाहिए कि जो प्रावधान करते हैं उसका कितना बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। रीजनल इम्बेलेन्स का मतलब यह नहीं है कि रीजनल इम्बेलेन्स की बिना पर जो इलाका बिल्कुल बारानी हो, वहां पर सारा पैसा चला जाय और दूसरी जगह बिल्कुल पैसा नहीं दिया जाय। मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में तो नहीं, दूसरी जगह यह बात कही कि 79 करोड़ का बजट है, वह सारा का सारा राजस्थान कैनाल पर लगा कर उसे पूरा कर सकते हैं लेकिन राजस्थान कैनाल पर साढ़े नौ करोड़ लगा रहे हैं, वह क्यों लगा रहे हैं ? इसलिए कि दूसरे इलाकों में लगाने की जरूरत है, पंचवर्षीय योजना में उनका भी डवलपमेन्ट करना चाहते हैं। इस लोजिक पर हम कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान या डेजर्ट एरिया का डवलपमेंट नहीं हो। वहां पैसा दें, खूब दें, लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी दे दें, दस-पांच करोड़ हमें भी दे दें। यह क्या बात हुई कि एक पर्सेन्ट तक जाकर ही रुक जाते हैं जब कि यहां पर 44 पर्सेन्ट पापुलेशन रहती है। आप 44 पर्सेन्ट मत दें लेकिन दस पर्सेन्ट, बीस पर्सेन्ट तो दें। आप हमें इगनोर करके चले जाते हैं और फिफ्थ प्लान में कोई प्रावधान नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें। मैं जानता हूं कि यहां की जनता के अन्दर रोष है, लेकिन वह रोष प्रकाश में नहीं आता है....

व्यवस्था : असंसदीय शब्द

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तशरीफ रखिये।

आर्डर प्लीज ! आसन की ओर से व्यवस्था !

आज बजट पर आम बहस के दौरान जब श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा बोल रहे थे तो उस समय वित्त मंत्री तथा श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा के बीच कुछ असंसदीय शब्द एवं वाक्यों का आदान-प्रदान हुआ। मैंने आसन से इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से विलोपित करने के आदेश दे दिये थे परन्तु बाद में माननीय सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा ने माननीय अध्यक्ष से यह आग्रह किया कि जो शब्द अथवा वाक्य असंसदीय पाये जायें उनको ही कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। मैंने आज की कार्यवाही का सम्बन्धित अंश देखा है और मैंने उनमें निम्नांकित शब्द अथवा वाक्य असंसदीय पाये हैं। XXX

अतः मैं इन शब्दों को आज की कार्यवाही से निकालने का आदेश देता हूं।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार ये शब्द निकाले गए।

Page No 119

(118)

(श्री अध्यक्ष)

Yes please continue.

श्री गौरीशंकर मुनीम : इसमें एक्शन लेना चाहिए। खाली शब्द निकाल दें, यह क्या तरीका है कि यह शब्द निकाल दिये जायं। इस पर एक्शन लीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आगे ध्यान दें, आज छोड़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

आय-व्ययक, 1974-75 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि इन तथ्यों की तरफ सरकार का ध्यान जाय और फिफ्थ प्लान है, उसकी प्रायोरिटी और रूपरेखा रखी है, उसमें रीजनल एलोकेशन हो। इस पर विचार करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल का जो एनुअल बजट है उसमें कमी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेज कर सकते हैं। रीजनल एलोकेशन करने की कोशिश करेंगे उसमें हम ज्यादा पैसा नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जो जमीन के नीचे पानी है, दस फीट बीस फीट, पचास फीट नीचे पानी है उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसको एक्स्प्लोइट करना चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि इन्टेन्सिव इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हम चाहते हैं कि गांव-गांव में बिजली पहुँचे। आपने बजट भाषण में कहा कि पन्द्रह हजार कुओं को बिजली देंगे अगली साल। हमारे यहां तो लाखों कुए हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक लाख से ऊपर कुए हैं, इसके लिए दस लाख का बजट दिया है, इसमें से अगले साल दो लाख, तीन लाख, पांच लाख मिलेगा। फिर हमें इन्तजार करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन जयपुर सम्भाग के अन्दर हो, जिससे आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। इसलिए आप इन्टेन्सिव इलेक्ट्रिफिकेशन कराइये, इसमें विकास होगा तो फिर सेविंग भी होगा। आगे विकास के लिए भी सेविंग चाहिए, वह इससे होगी। ज्यादा लोगों की इन्कम होगी, ज्यादा सेविंग बढ़ेगी और विकास पर वह खर्च हो सकेगी। इसलिए जयपुर सम्भाग के इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर ध्यान दें, और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाय।

अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे प्लान एलोकेशन का भी सही ढंग से उपयोग होता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान कर चलता हूं, माननीय सरकार या माननीय वित्त मंत्री यह सब कुछ करते हैं, यह ब्यूरोक्रेसी की सलाह पर करते हैं, सारा प्लान बनाते हैं, यह उनकी सलाह पर बनाते हैं। डी. पी. धर, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन बार-बार कहते हैं कि प्लान बनाते हैं उसमें हम जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों की, स्टेट लेवल पर पीपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव की राय लेंगे उनका इन्वाल्वमेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि पिपुल्स इन्वाल्वमेंट इन प्लान हो।

प्लान बनाते हैं उसमें पीपुल रिप्रेजेंटेटिव की सलाह नहीं ली जाती है, जनता की सलाह नहीं ली जाती है, न प्रतिनिधियों की सलाह ली जाती है। मैं चाहता हूं कि प्लान पर डिस्कशन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए,

(श्री पी. के. चौधरी)

स्टेट लेवल पर होना चाहिए और जन-प्रतिनिधियों का उसमें इन्वाल्वमेंट होना चाहिए, हमारा इन्वाल्वमेंट होता तो कम से कम राय तो आपको देंगे कि आपके प्लान में कहां इम्बैलेन्स है, कहां एलोकेशन गलत है, कहां बाइस्ड है। आप सेक्रेटरियेट में बैठकर उन ब्यूरोक्रेट्स से प्लान बनवाते हैं, जिन्होंने आइ० ए० एस० पास किया है और नाट सन्स आफ दी सोइल, एकेडेमीशन्स हैं जो कालेजेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स हैं न कभी उन्होंने हल चलाया, न खेती की, उनकी सलाह से प्लान बनाते हैं। मैन इन दी फील्ड का इसमें इन्वाल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए प्लान के फाइनेलाइजेशन का विचार है कम से कम उस प्लान और प्रायोरिटीज को जन-प्रतिनिधियों के आगे भी रखें अपटु दी डिस्ट्रिक्ट लेविल और पंचायत समिति।

श्री **रणजीतसिंह** (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट है उसमें साल भर का राजस्थान के नागरिकों का लेखा-जोखा होता है और इस लेखे-जोखे से हमेशा यहां की जो ढाई करोड़ जनता है उसका भविष्य कैसा बने, वह रूपरेखा इस बजट में होती है। इस साल का जो बजट आया है, यह अच्छा बजट है, सुन्दर बजट है जिसमें कोई कर नहीं, कोई आगे बढ़ने की दिशा नहीं, इस तरह का बजट आया है। इस बजट के आने से पहले राजस्थान के जमाखोरों में काफी तरह की शंकायें थीं जिन चीजों के लिए उनको शक था कि इन इन चीजों के भाव बढ़ेंगे, उन्होंने जमा की कि शायद बजट का फायदा ले लें परन्तु जमाखोरों को इस बजट का फायदा नहीं मिल सका और दूसरी तरफ न उस जनता को फायदा मिल सका कि इस बजट के जरिए हम आगे बढ़ सकें। बजट पर काफी माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें रखी हैं, जिस तरह से बजट रखा गया है, उसी तरह से आंकड़ों के आधार पर सब बातें अलग-अलग ढंग से बताई हैं। मैं आंकड़ों पर न जाकर असलियत पर आता हूं। आज 25 साल के बाद में जो गांधीजी का स्वप्न था कि ग्रामवासी स्वावलंबी बनें क्योंकि हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता गांवों में निवास करती है और गांवों में गरीब तबके की तरफ हमेशा गांधीजी का ध्यान रहा है और उसी उद्देश्य से यह क्रांति आई थी और उस क्रांति ने आजादी दी। उनका जो स्वप्न था कि गांव वाले स्वावलंबी बनें तो गांव के लिए 5 मुख्य चीजें होती हैं। पीने के पानी की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था, दवा-दारू की व्यवस्था. चीजें मुहय्या कराने के लिए सहकारिता की व्यवस्था व डाक की व्यवस्था। इन पांचों चीजों में से हम कितनी कर पाए हैं, वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है, कितनी नहीं कर पाए हैं, वह भी छिपी हुई नहीं है। परन्तु मेरे कहने का मतलब है कि 25 साल के अन्दर अगर गांवों के अंदर पानी का इन्तजाम नहीं कर सके और आगे आने वाले समय में 25 साल तक मुझे अंधेरा नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह की हालात चल रही हैं गांव वालों के प्रति, उनको 25 साल तक पानी मिलना मुश्किल है, हालांकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अजीब तरह की है। यह तीन तरह से कटी हुई है, कहीं पहाड़ी इलाका, कहीं मटियाल तो कहीं रेगिस्तान। रेगि-

(श्री रणजीतसिंह)

स्तान में हालात दूसरी है. पहाड़ी इलाके में दूसरो है और मटियाल में अलग है। परंतु तीनों जगह तकलीफ तो इन्सान को कोई न कोई है और उस तकलीफ की तरफ हमेशा सरकार का ध्यान रहा है। सरकार ने बजट में हमेशा हर बात कही है, वह कहने के बाद वह पूरा नहीं कर सकी क्योंकि कहनी और करनी में बड़ा अन्तर रहा है उसका कारण यह है कि जिस समाजवाद को यह सरकार लाना चाहती है वह समाजवाद जिसके जरिए लाना चाहती है उनके जरिए नहीं आ सकता, उनकी समाजवाद में आस्था नहीं है। सरकार कितना ही पैसा खर्च करे परंतु फिर भी वह पैसा उस समाजवाद की जड़ तक नहीं पहुँचता क्योंकि हम समाजवाद लाना चाहते हैं राज्य के नौकर के जरिए, इस तरह की उनको प्रणाली बन गई है कि ऐसा न हो कि समाजवाद आ-जाए और जनता समझ जाए कि हमारा भी कुछ अधिकार है। यह नौकरशाही गुलामी की जंजीर है अंग्रेजों के दिनों की, उस तरह से काम करना चाहती है। आज किसी भी दफ्तर में जायं, उन्होंने बड़ी सुंदरता से गांधीजी की मूर्ति लटका रखी है। गांधीजी, हिंदुस्तान फले-फूले, उसके लिए आशीर्वाद देते हैं परन्तु उस आशीर्वाद को दूसरे रूप में लाना चाहते हैं। जब किसी काम से किसी कार्यालय में जायं तो पांच उंगलियां दिखाकर पांच रुपए से कम नहीं लेते। गांधीजी का सिद्धांत तो दूसरा था परन्तु उनका काम न करने का तरीका छोटे से लेकर एक बड़े अधिकारी तक। मैं उन अधिकारियों की नहीं कहता कुछ चंद आदमी हैं जो परसेंटेज में आते हैं. इतनी सर्विसेज के अंदर 5-7 प्रतिशत को छोड़कर बाकी ऐसी जगह है जहां पर उनको पैसा देने के बगैर कोई चीज नहीं मिलती। उसके अलावा सब की धारणा बन गई है और सबकी नहीं अगर जनता का काम हो तो कोई बात नहीं परन्तु आजकल सरकारी आदमी सरकारी आदमी से पैसा लेते हैं। सचिवालय से हमारा कोई लेनदेन नहीं, वहां देखेंगे तो कोई भूला भटका घूम रहा है वह भी पंचायत मंत्री के पास, सरपंच पेशी में हाजिर होने के लिए घूमता होगा बाकी हमारा लेनदेन नहीं है। सचिवालय में इन्हीं राज्य कर्मचारियों के प्रोमोशन्स, डिमोशन्स आपस में अपने केसेज तय कराना चाहते हैं। जब आपस में ही उनकी यह हालत है कि बाड़ खेत को खाती है तो बाहर से गांव से आया हुआ व्यक्ति क्या आशा कर सकता है ?

श्री खेतसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

आधे घंटे का समय और बढ़ाया गया।

श्री गौरीशंकर मुनीम : सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक का है उसके बाद एक, दो, तीन घंटे बढ़ाते हैं तो उसका हमे अलाउंस देते हैं क्या ?

श्री रणजीतसिंह : इसलिये मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि अगर सरकार इस नौकरशाही के जरिये समाज-

(श्री रणजीतसिंह)

वाद हांसिल करने को सोचती है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप समाजवाद को हासिल नहीं कर सकेंगे। आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज अगर हम अपने बजट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इस बजट में कुछ नहीं है। चारों तरफ अन्धेरा ही अन्धेरा है। सभी में असन्तोष छाया हुआ है। चाहे आप गांव के किसान को लें, चाहे आप शहर के लोगों को ले लें, चाहे आप विद्यार्थी वर्ग को ले लें, आपको सभी में असन्तोष मिलेगा। सभी का भविष्य इस बजट से अन्धकार मय लगता है। आज विद्यार्थी वर्ग के लड़के आन्दोलन करते हैं, आज शहर में और दूसरी जगह हड़तालें होती हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि उनको आज दिशा नहीं मिल रही है, विद्यार्थी वर्ग जानता है कि जब वह पढ़-लिख कर बाहर आयेगा तो उसको सिवाय अन्धकार के कुछ नहीं मिलने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट से आप को एक वर्ग ऐसा है जो कि खुश नजर आयेगा और वह है व्यापारी वर्ग। इस साल भी उनको राहत मिली है और पिछले साल भी उनको राहत मिली। ज्योंही बजट आने की बात शुरू हुई व्यापारी वर्ग के लोगों ने धनी लोगों ने 4-5 दिन पहले से ही अपनी दौड़-धूप शुरू करदी। लोगों को भय था कि नये टैक्स आने वाले हैं। भवनों पर टैक्स लग सकते हैं उसके लिये पहले ही उन लोगों ने अपने मकानों के पार्टिशन कराने शुरू कर दिये। उन्होंने तो अपना इन्तजाम कर लिया पर कोई टैक्स नहीं आया तो व्यापारी वर्ग तो और खुशहाल हो गया। अब मरा कौन दुःखी कौन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आज काश्तकार दुःखी है। आपके इस बजट से काश्तकार को क्या मिला कुछ नहीं मिला आपने इन्डस्ट्रीज के डवलपमेन्ट के लिये धनराशि खर्च करने का प्रावधान रखा पर काश्तकार तो इन्डस्ट्री लगाता नहीं है वह तो खेती करता है इसलिये खेती के लिये आपने कुछ नहीं रखा। आज सरकार शहरों को अधिक महत्त्व देती है और गांवों को कम, सरकार को चाहिये कि खेती को अधिक महत्त्व दें। राज्य सरकार ने जोधपुर और अलवर की इन्डस्ट्रीज के लिये बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया है और वहां पर जो लोग इन्डस्ट्री लगायेंगे उन्हें 15 परसेन्ट की राज्य सरकार सबसिडी भी देगी। ऐसी व्यवस्था आपने कुछ जिलों में और की है। लेकिन मूक काश्तकार को आपने कुछ नहीं दिया। आज किसान अपने जेवर बेच कर अपनी चीजों को बेच कर खेती करता है लेकिन जितने पैसे वह खर्च इधर उधर उधार लेकर ब्याज पर अपनी खेती करता है और जब बरसात नहीं होती है या जैसे शीतलहर अभी आगयी और उससे वैसे तो सरकार काफी परेशान है लेकिन उससे ज्यादा आज किसान परेशान है क्योंकि किसान को बहुत ही नुकसान होने वाला है। अतः मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि किसान को राहत पहुँचावे।

जिस प्रकार आप उद्योगपतियों को राहत सबसिडी देकर देते हैं उस प्रकार आपको चाहिये कि आप काश्तकार को भी सबसिडी दिलावें। अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि काश्तकार लेवी नहीं देता है। यह गलत है, काश्तकार लेवी देने को तैयार है और वह ज्यादा खुशी से लेवी देगा अगर आप सहूलियतें

(श्री रणजीतसिंह)

हैं। आज किसान जो गेहूं पैदा करता है वह उसे 300 रुपये क्विन्टल उसके घर में पड़ता है क्योंकि गेहूं की खेती अलग-अलग तरह से होती है। जो किसान नहरी इलाके में खेती करता है उसे गेहूं सस्ता पड़ता है, इसके अलावा जहां पर बिजली की ज्यादा सहुलियत है उसे भी गेहूं सस्ता घर में पड़ेगा लेकिन जो खेती गेहूं की पम्पिग सेट के द्वारा करते हैं उन्हें वह बहुत ही महंगा पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जो गेहूं की फसल खराब हुई शीत लहर से वह तो है पर इसके अलावा जिन कुओं में पम्पिंग सेट लगा था और किसान को डीजल नहीं मिलने से भी गेहूं काफी जल गया। आपने जो सबसे ज्यादा टैक्स लगाया है वह किसान को लगाया है। कहने को तो आपने यह कह दिया कि टैक्स नहीं लगाया। पहले तो हमें भी यही लगा कि टैक्स नही लगाया पर बाद में पता पड़ा कि टैक्स तो किसान पर लगाया गया है। आपने क्रूड ऑयल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया है। पैट्रोल पर और डीजल पर तो पैसे ज्यादा आपने बढ़ाया कोई बात नहीं वह तो विदेशों में पैसे बढ़े तो आपने भी टैक्स बढ़ा दिये लेकिन क्रूड ऑयल पर आपने किस अनुपात से टैक्स लगाया है। आज पम्पिग सेट क्रूड ऑयल बगैर चलता नहीं है उसकी ही आपने रेट ज्यादा करदी राजस्थान सरकार ने उपाध्यक्ष महोदय, पेट्रोल पर तो लगाया साढ़े बारह पर्सेन्ट टैक्स और क्रूड आइल पर लगाया 20 पर्सेन्ट टैक्स। 40 पैसे बढ़ा दिये आपने। डीजल के ड्रम की कीमत जो 213 से बढ कर 243 रुपये होगयी और जब वह किसान के घर पर पहुँचता है तो वह 275 रुपये का ड्रम हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचिये कितना किसान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आज हमारी विधान सभा के जो सदस्य यहां पर चुनाव जीत कर आते हैं उसमें से कुछ पर्सेन्ट को छोड़कर बाकी अमुमन सभी काश्तकार के बुते पर चुनाव जीत कर आते हैं। पर आज किसान के लिये बोलने वाला कोई नहीं है। सभी मौन हैं क्योंकि इसमें सभी को अपने-अपने स्वार्थ की लगी हुई है। वह यह जानते हैं कि हम तो पांच साल के लिये तो आ गये हमें क्या करना है जितना पैसा कमा सको उतना कमालो जितना अपना काम निकलवा सकते हैं राज्य सरकार से मिल कर निकलवालें। आज आपके क्रूड ऑइल पर टैक्स बढ़ाने से शहरी जनता प्रभावित नहीं होती है. सरकारी कर्मचारी प्रभावित नहीं होता है, पर किसान प्रभावित होता है। इसलिये जो आपने बजट रखा है इसमें किसान वर्ग में असन्तोष है। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूं कि आज जनता में असन्तोप बढ़ता जा रहा है आपने जो मनमें यह सोची की पांच साल के लिये तो हम आचुके हैं वह और दो साल बीत गये हैं बाकी तीन साल रहे हैं तो मैं यह बता देना चाहता हूं गुजरात वालों ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि हम अपने पांच साल भी पूरे नहीं कर पायेंगे। कहीं वह स्थिति यहां पर पैदा नहीं हो जावे इसलिये आपको जनता के दुःखों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आपको राजस्थान की जो बड़ी इन्डस्ट्री है खेती की उसमें काम करने वालों को सबसिडी देना होगा आज हमारे राजस्थान की ज्यादा

(श्री रणजीतसिंह)

प्रतिशत लोग ग्रामों में रहते हैं, ग्राज गांवों में ग्राप घासलेट नहीं भेजते हैं, सीमेन्ट नहीं देते है, शक्कर नहीं पहुँचती हैं तो हो सकता है गांव वाले भी यह कह देंगे कि हम गेहूं ग्रापके यहां पर शहर में नहीं देंगे। हमें दोनों में तालमेल रखने की ग्रावश्यकता है ! कहने को तो ग्राप कह सकते हैं कि घासलेट नहीं है, शक्कर नहीं है लेकिन ग्रगर ब्लेक से ग्राप चाहो तो हजारों बोरियां शक्कर की प्राप्त कर सकते हैं तो ग्राप यहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं वह कहां से ग्राती है ग्राखिर कैसे मिलती है इसका मतलब यह है कि ग्रापका प्रशासन ठीक नहीं, वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है ग्रौर यही कारण है कि ग्राज जनता में ग्रसन्तोष ज्यादा है ग्रौर इसका फायदा विरोधी पक्ष वाले उठाते हैं वह कहते हैं कि हमारे पास सत्ता नहीं, कांग्रेस की सरकार है तो हमारे लिये यह दुःख की बात है। ग्राज जनता ने हमें 184 में से 145 सदस्यों को यहां कांग्रेस वालों को चुन कर भेजा है, ग्राज शासन कांग्रेस का है तो फिर यह क्यों हो रहा है ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

ग्रभी समाप्त कर रहा हूं तो उपाध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि ग्रसन्तोष जनता में है, उन्हें सही दिशा मिल नहीं रही है। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जावे कि सरकार कम खर्च करके सरकारी मशीनरी पर खर्चे की कटौती करे ग्रौर किसान को, जनता को राहत पहुँचावे ऐसे रास्ते निकाले। ग्राज सरकारी बड़े ग्रॉफिसर लोग सरकारी व्हीकल्स में साग-सब्जी मंगाते हैं ग्रौर इसका सब खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है तो मेरा मतलब यह है कि इनमें कमी करे ग्रौर हमारी जो बड़ी इन्डस्ट्री है खेती की, उसके लिये काश्तकार को सस्ती बिजली पानी ग्रौर जमीन की व्यवस्था करावे तो किसान कहीं भी त्राहि-त्राहि नहीं मचने देगा। इसके लिये मैं राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि एक कमेटी बनायी जाय ग्रौर उसमें विरोधी पक्ष के लोगों को भी लिया जाय क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो इसमें झगड़ा पैदा कराते हैं ग्रौर इसके साथ में सरकारी कर्मचारी भी जुट जाते हैं इसलिये इसके लिये व्यवस्था करावें ग्रौर बजट में खर्च की कटौती करके कोई टैक्स नहीं लगाया वह तो ठीक है पर बजट में कटौती करके किसान को कैसे राहत मिले इस ग्रोर ध्यान दें।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सन् 1974-75 का बजट इस समय पेश हुग्रा है उसके विषय में दो शब्द बोलना चाहता हूं क्योंकि वैसे तो हाउस में विरोधी पार्टी ग्रौर कांग्रेस पार्टी ने काफी प्रकाश डाल दिया है ग्रौर उसको बार-बार दोहराने से तो लाभ नहीं होगा परन्तु जो वास्तविक कठिनाइयाँ हैं उनके विषय में मैं निवेदन करूंगा कि वैसे माननीय वित्त मंत्रीजी ने टैक्स इस वर्ष नहीं लगाये हैं, यह तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, परन्तु टैक्स नहीं लगाया इसमें कारण की बात यों नहीं कि इस वर्ष का बजट पेश किया है उसमें खास तरक्की की बात नहीं बतायी है।

पहली बात तो यह है कि इस वक्त घोर महंगाई है। महंगाई भूखमरी ग्रौर बेरोजगारी ये चीजें ऐसी हैं कि जिनकी

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

वजह से ही आज हड़तालें, झगड़े, टंटे बीसों बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इस पर राजस्थान सरकार ही नहीं अपितु और प्रान्तों की सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी बड़ी चिन्तित है कि यह महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी कैसे मिटे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करू कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार हजार रुपये के पाने वाले अधिकारी बैठे हुए हैं केन्द्र में भी और अन्य प्रान्तों में भी फिर भी उन्होंने इस विषय में कतई ध्यान नहीं दिया है कि इस कठिनाई को कैसे दूर करें।

मैं इस विषय पर खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही विषम और विकट स्थिति पैदा हो जावेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया: उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

श्री गौरीशंकर मुनीम (अपना भाषण जारी रखते हुए): अन्य प्रान्तों के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय सरकार भी ध्यान नहीं देगी तो बड़ी विकट स्थिति, मुश्किल की स्थिति पैदा हो जावेगी।

(गणपूरक सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये कोरम पूरा होने दीजिये।

(गणपूर्ति के पश्चात्)

प्रारम्भ कीजिये।

श्री गौरीशंकर : मेरा यह निवेदन है कि हम सब को इस प्रान्त के हित में और देश के हित में सोचना चाहिये। पार्टीज के कार्यकर्त्ता, पार्टीज के मिनिस्टर और सरकारी बड़े-बड़े अफसर कर्मचारी सब इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये हड़तालें भूखमरी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। जब तक मनुष्य को पेटभर अनाज खाने को नहीं मिलेगा तो हड़तालें, झगड़े, टंटे खत्म नहीं होने वाले हैं। आपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया। दस रुपये बढ़ा दिये तो उधर अनाज के भाव बढ़ गये। इससे न तो जनता और न ही कर्मचारी संतुष्ट होंगे। दरअसल में जो कुछ भी आज बजट पेश किया गया है, लाखों करोड़ों रुपये और कामों में खर्च किये जा रहे हैं पर अनाज के उत्पादन के विषय में कोई ऐसी बात नहीं रखी है कि जिससे अधिक अनाज पैदा हो और आसानी से सब जनता को मिल सके। फिर झगड़े नहीं होंगे यदि अनाज पूरा मिलता रहे तो। कपड़ा चाहे मत मिले लेकिन अनाज मिल गया तो काम चल जावेगा। चाहे शक्कर न मिले, तेल न मिला, फिर भी काम तो चल जावेगा। पहले पेट भरने की व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी सब चीजों के बिना रहा जा सकता है किन्तु अनाज के बिना नहीं रहा जा सकता। पेट भरने के लिये यह पहले चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और हाउस के मेम्बर साहबान से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर सोचिये। जब तक आप अनाज की पैदावार नहीं बढ़ायेंगे काम नहीं चलने वाला है। करोड़ों रुपया आप और कामों में लगाते हो, आप इसमें लगाओ तो अनाज सस्ता हो। जब तक अनाज सस्ता नहीं होगा कोई चीज सस्ती नहीं हो सकती। तेल, शक्कर, घी कोई सस्ता

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

नहीं होने वाला है। रोटी नहीं होगी तो अपने आप महंगाई बढ़ेगी। आप कृपा करके इस अनाज के मामले के अन्दर ज्यादा ध्यान दें।

राजस्थान नहर के वास्ते यह कहा गया कि इसको जल्दी पूरा किया जाय। पैसा इतना है ही नहीं है कि इसको पूरा किया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर बने परन्तु पहले छोटे-छोटे बांधों को पूरा करो कि जिससे लाखों मन अनाज पूरा हो सके। जिन बांधों में करोड़ों रुपया चाहिये उनको आप रोक कर पहले इन छोटे-छोटे बांधों को बंधाइये और बड़े बांधों के लिये तो जब हमारे पास पैसा आवेगा तब बना लेंगे। छोटे-छोटे बांधों से काफी अनाज पैदा हो जावेगा इनको पहले पूरा करें।

मैं आपको बताऊं कि मेरे क्षेत्र खानपुर में दो बांध हैं, भीम सागर बांध और हरिश्चन्द्र बांध। उन पर एक करोड़ रुपया लग गया है। एक करोड़ रुपया लगा देने का मतलब यह है कि बड़े बड़े इन्जीनियर बड़े-बड़े धुरन्धरों ने उस स्कीम को बनाया किन्तु वह एक साल बना और बह गया। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि उन्होंने यह चीज जो बनायी और वह बह गयी तो लाभ क्या हुआ? किस बात की वे लोग तनख्वाह लेते हैं? 25 लाख रुपया हर साल लगाते हैं और बरसात आयी और बह जाता है। लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं है।

गत सत्र में भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी ने यह वादा किया था कि इन दोनों बांधों को पांचवी योजना में पूरा करायेंगे। मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार मिनिस्टर हाउस में घोषणा कर दे और उसके बाद दूसरा मिनिस्टर आ जाय तो जीरो हो जाय। आखिर सरकार को मालूम होना चाहिये कि जनता क्या कहेगी, हाउस क्या कहेगा। क्या यही है मिनिस्टर का हुक्म कि एक ने दिया और दूसरे ने बदल दिया? यह प्रणाली कब तक चलेगी? इस प्रणाली से बदनाम हो रहे हो और सरकार भी बदनाम हो रही है। या तो सरकार को कदम ही उठाना नहीं चाहिये और उठाती है तो उसको पूरा भी करना चाहिये। चाहे कुछ भी हो। हरिश्चन्द्र बांध से, भीमसागर बांध से एक लाख बीघा जमीन में सिंचाई होगी और कम से कम दस लाख मन देशी गेहूं इस सिंचाई से पैदा होगा। ऐसी जमीन है वह। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पहले यह काम करायेंगे। आज वे हाउस में नहीं है। यदि मुख्य मंत्रीजी होते तो उनको भी कहता। समझ में नहीं आता कि ऐसे लाभदायक बान्धों को जीरो लगा दिया। आखिर यह क्या तमाशा है? इस तरह से चीजें चलने वाली नहीं है। ऐसे काम क्यों करते हैं जिनसे लाभ नहीं होता है और जनता दुःखी होती है और वे काम क्यों नहीं हाथ में लेते हैं जिससे जनता सुखी हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो आपके हुक्म से बैठ जाऊंगा। कल के लिये मुझे इजाजत दीजिये। 26 नम्बर मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये।

श्री गौरीशंकर मुनीम : कोटा डिविजन के मंत्रीजी सुन रहे हैं। मंत्रीजी आप इन

(श्री गोरीशंकर मुनीम)

दोनों बांधों को आप पूरा करा देंगे तो अनाज की कमी नहीं रहेगी, लोगों को धन्धा मिलेगा।

एक माननीय सदस्य :-अभी माननीय सदस्य ने बताया कि 25 आइटम है। एक एक को दस दस मिनिट चाहिये तो कितना समय चाहिये। दूसरों को कैसे समय मिलेगा ?

श्री गौरीशंकर मुनीम : मेरे पास आईटम तो ज्यादा है मगर मैं समय के अभाव के कारण ज्यादा नहीं बोलूंगा। हरिश्चन्द्र व भीमसागर बांध के विषय में भूतपूर्व मंत्री जी यहां बैठे हैं उनसे पूछ लीजिये कि इन दोनों बान्धों को पांचवी पंचवर्षीय योजना को पूरा कराने का वादा किया था या नहीं। मैं मन्त्रीजी से उम्मीद करूं कि या तो वे इस कार्य को पूरा करें वरना कह दें कि मैं नहीं कर सकता। वरना लोगों में पोजिशन खराब होती है। कहावत है कि "बोलने वाले के तो तूमरे भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले की जवार भी नहीं बिकती है"

क्या वजह है कि हमारे यहां काम न हो। आप नाराज हो तो हो लीजिये मगर काम पूरा कराइये।

श्री मूलचन्द सामरिया : कान्फीडेन्स नहीं है पार्टी पर।

श्री गौरीशंकर : लेवी के बारे में निवेदन है कि झालावाड़ जिले में सब जगह नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ है नुकसान नहीं हो तो लेवी देने में किसको ऐतराज नहीं था। अब जिसके पास नहीं है वह कहां से दें और दिलावें। कलेक्टर साहब और तहसीलदार को मालूम है कि किस किसान के अच्छी फसल हुई है; कौन कितना दे सकता है। पर वे बड़े किसान से वे फार्म वाले हैं, उनसे लेवी नहीं ली जाती। पर जिनके पांच-चार वीघा की खेती है और जो परेशान हैं प्रकृति के कोप से वैसे ही, उनको ये भी सताते हैं। बड़ों को कहने की इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती। इसी तरह का पक्षपात रहा तो लेवी का लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। आप बड़ों को छोड़कर छोटों के साथ वसूली में जिस तरह से सख्ती कर रहे हैं उससे लोगों में बड़ा असन्तोष होता जा रहा है जिसके लिये मैं कह नहीं सकता।

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री बरकतुल्लाखां ने सदन में कहा था कि जो लेवी देगा किसान उसे सरकार कन्ट्रोल रेट पर सीमेन्ट, डीजल, शक्कर, तेल, कपड़ा आदि देगी पर आज दिन तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इससे पार्टी की बदनामी होती है हम लोग मोटरों में, रेल में, बसों में बैठते हैं तो जनता बुरी तरह से गालियां निकालती है। ये मिनिस्टर साहबान तो बंगलों में बैठे रहते हैं। ये तो जाते नहीं हैं वहां हम जाते हैं लोग हमें बुरी तरह कोसते हैं।

लेवी आपको मिल सकती है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि आप जो लगान लेते हैं वह रुपयों में नहीं लेकर अनाज के रूप में लें। पुराने जमाने में यही होता था। अनाज ही लेते थे।

एक माननीय सदस्य : वह जागीरदारी प्रथा थी ?

श्री गौरीशंकर : आज जब आपके सामने कठिन समस्या है तो ऐसा क्यों नहीं करते । इसमें कहां कठिनाई आती है आपको। बात तो एक ही है न। लगान अलग लेंगे, लेवी अलग लेंगे। यह दो-दो बार का झंझट क्यों करते हैं। तो इस बारे में मैं मन्त्रीजी से पूछता हूं कि आपकी क्या राय है । कहिये। इससे आपकी समस्या हल हो सकती है। मैं समझता हूं यह अच्छी चीज है ।

अब जो गरीब है, जिसके पास कुछ हुआ नहीं उनसे आप क्यों जबरदस्ती लेवी लेना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया था कि जिसके पास कुछ नहीं है उनसे कुछ नहीं लिया जाय। पर आपके नीचे के अफसर नहीं मानते। ये तो गरीब, अमीर सब को एक डन्डे से हांकते हैं। जो बड़े अमीर हैं उनसे तो इनकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। अब अगर आपने लेवी उन गरीबों से छोड़ भी दी है तो तहसीलदार और पटवारी उससे कहेंगे देखो, तेरी लेवी हमने छुड़ा दी है दो, हमें इतना दो। तो आप इस तरफ भी ध्यान दें।

मैं एक निवेदन यह करूं कि खानपुर क्षेत्र में लगभग एक करोड़ रुपये की कीमत का किराणा पैदा होता है। इसके लिये कृषि उपज मण्डो वहां बनाने के लिये पिछले दो साल से कहता आ रहा हूं। जहां कोई उपज नहीं है वहां तो आप अपने मुंहलगे लोगों के दबाव में आकर खोल देते है। पर जहां वास्तव में जरूरत है वहां आप कुछ करते नहीं। हमारी सुनते नहीं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप करते क्या हैं। अगर आप वहां कृषि उपज मण्डी खोलेंगे तो यह उपयुक्त जगह होगी और लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। ज्यादा कहते हैं तो जवाब देते हैं कि जांच करवा रहे हैं ? क्या जांच करवा रहे हैं ? सरकारी मशीनरी तो बिलकुल निकम्मी है, किसी अच्छे काम में आपको सहयोग देने को तैयार नहीं है। आप कितनी ही कोशिश कर लें। तो आप अगर करना चाहते हैं तो खुद ही ऑर्डर निकाल कर तुरन्त करिये। कृषि मन्त्री इसमें तुरन्त हुक्म दें।

सड़कों के बारे में निवेदन करूं कि सड़कें अच्छी हो गई हैं सब जगह की यह ठीक नहीं है। कोटा में झालावाड़ तक की एक सड़क ठीक जरूर हो गई है। बाकी झालावाड़ जिले की एक सड़क भी अच्छी नहीं है। एक पैसा भी इन सड़कों पर नहीं लगाया गया है। जो रिपेयर का पैसा नहीं के बराबर मिलता है वह भी मिट्टी की पटरी बान्धने में खर्च किया जाता है तो बेकार जाता है। क्रेश प्रोग्राम में जरूर कुछ सड़कें बनी हैं। बाकी अगर बनी हों तो मुझे बता दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सबसे अधिक राशि आपके जिले में खर्च की गई है सड़कों में।

श्री मूलचन्द सामरिया : वे अफसर खा गये होंगे। ये क्या करें उसका।

श्री गौरीशंकर : इन्जीनियर साहब को पता लगा कि मुख्य मन्त्री झालावाड़ पधार रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिये सड़कों को ठीक कराई है। बाकी कुछ नहीं। देई खेडा, बनवार आदि गांवों में और भी वहां की कई सड़कें वैसी ही पड़ी हैं, कोटा डिविजन के मिनिस्टर साहब से पूछ लो,

(श्री गौरीशंकर)

मिनिस्टर साहब ने अपने सांगोद से उनके क्षेत्र में नई सड़क बनवाली इसके लिये मुझे कोई एतराज नहीं है मगर खानपुर क्षेत्र की सड़कों को भी खाली रखें । मेरे क्षेत्र में कोई नई सड़क एक भी नहीं बनी है । यह पक्षपात है जो अच्छा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: आज ही समाप्त कर दें अपना भाषण पांच मिनिट में ।

श्री गौरीशंकर : अभी तो उपाध्यक्षजी, मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं । आयुर्वेद का सवाल है । नये औषधालय खोले जाते हैं पर इसमें दवाइयां नहीं मिलतीं तो फिर इनके खोलने से क्या लाभ ? ऐसी बातों से ही उनमें बदनाम होती है सरकार । इधर आप अवश्य ध्यान दें । लोग क्या-क्या आपकी मजाक उड़ाते हैं अगर एक-एक बात आप को सुनाऊं तो बहुत वक्त लग जावे । ये चीजें चलने वाली नहीं हैं श्रीमान् जी । शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा ।

श्री केसरीमल : समय तो है नहीं । आप बोलेंगे क्या ?

श्री गौरीशंकर : आधा घंटा समय और बढ़ेगा ।

श्री केसरीमल : मुनीमजी कह रहे हैं आधा घंटा समय बढ़ेगा ।

श्री गौरीशंकर : हम जब बच्चे थे और पढ़ते थे तो दो किताबें होती थीं । उससे काफी ज्ञान हासिल करते थे । आज तीसरी, दूसरी, चौथी क्लास वाले छोटे-छोटे बच्चों के लिये आठ किताबें हैं । यह क्या प्रगति है ? वे पूरी किताबें पढ़ ही नहीं सकते । पहिले के मैट्रिक पास आज के एम. ए., एल.एल. बी. से अच्छी अंग्रेजी लिख-बोल लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 15-3-74 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजे, शुक्रवार दिनांक 15 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई) ।

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

डॉक्टर्स की आर्मी की सेवा को जोड़ने का मामला

187. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने एम. बी. बी. एस. करने के बाद ही आर्मी में सेवा की है तथा उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में सेवा कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त डॉक्टर्स की आर्मी की सेवा अभी तक उनकी सर्विस में नहीं जोड़ी गई है जबकि अन्य प्रदेशों में ऐसा किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस बाबत शीघ्र निर्णय लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

उन डॉक्टरों की सूची जो राज्य सेवा से फौजी सेवा में गए तथा वापस राज्य सेवा में आए

1. डॉ० ए० के० भास्कर
2. ,, हरिसिंह संधु
3. ,, ओ० पी० बोहरा
4. ,, बी० सी० घोष
5. ,, डी० एन० मजुमदार
6. ,, के० सी० तोशनीवाल (जोड़न नहीं किया)
7. ,, प्रहलाद नारायण
8. ,, वाई० एस० भटनागर
9. ,, ओ० पी० श्रीवास्तव

उन डॉक्टरों की सूची जो फौजी सेवा में गए हैं

1. डॉ० भूपेन्द्रविहारीलाल
2. ,, बलवीरसिंह
3. ,, डी० एन० मजुम्बदार
4. ,, आर० एस० सिवला
5. ,, दलजीतसिंह
6. ,, सी० पी० श्रीवास्तव
7. ,, बी० के० भट्टाचारिया
8. ,, मदनमोहन गुप्ता
9. ,, ओ० पी० भाटी
10. ,, दिलीपसिंह सिन्धु
11. ,, पी० सी० मेहता
12. ,, डी० पी० दत्ता
13. ,, डी० एन० सिंह
14. ,, जे० एस० मेहता
15. ,, बी० एस० सोलंकी
16. ,, बी० के० देशमुख
17. ,, एम० जी० जोशी
18. ,, एस० के० माथुर
19. ,, आर० के० पाठक
20. ,, प्रहलादनारायण
21. ,, मंगलसिंह चौहान
22. ,, राजवानी के० जे०
23. ,, शशिकान्ता कथूरिया
24. ,, रामगोपाल गुप्ता
25. ,, रामकिशन बी० डी० एस०
26. ,, जी० बी० अडवानी
27. ,, के० एम० जैन
28. ,, वीरेन्द्रगोपाल कामथन
29. ,, वाई० डी० शर्मा
30. ,, मिश्रीमल पारमर
31. ,, आर० पी० शर्मा
32. ,, एन० के० मित्तल
33. ,, रमेशशंकर
34. ,, एन० एस० सांखला
35. डॉ० ए० के० शर्मा
36. ,, (मिस) पी० वी० मोही
37. ,, एच० बी० चक्रवर्ती
38. ,, बी० सी० घोष
39. ,, जी० एन० राय
40. ,, कंवरपाल
41. ,, खेमसिंह परिहार
42. ,, एन० सी० माथुर
43. ,, जे० एस० सिन्धु (गुरदर्शनसिंह)
44. ,, (मिस) लक्ष्मी चौथराम सहानी
45. ,, दर्शनसिंह
46. ,, कैलाशबिहारी शर्मा
47. ,, विक्रेन्द्र भारद्वाज
48. ,, हरिहरनाथ माथुर
49. ,, पुखराज
50. ,, सुमेरदास गुप्ता
51. ,, बी० एल० चौधरी
52. ,, आर० एस० महर्षि, बीकानेर
53. ,, हनुमानप्रकाश गुप्ता
54. ,, एम० डी० समजहा
55. ,, आर० के० सिन्हा
56. ,, जे० सी० तनेजा
57. ,, डी० के० बाडमेरा
58. ,, आर० एन० महर्षि (रवीन्द्रनाथ महर्षि)
59. ,, मोहनलाल
60. ,, एस० के० बीकानेरी
61. ,, एन० एस० बजावा
62. ,, (मिसेज) ओ० के० (शिवकुमारी)
63. ,, दलजीतकुमार कपूर
64. ,, शंकरलाल

65. डॉ० ओमप्रकाश
66. ,, अरुणकुमार
67. ,, यतेन्द्रस्वरूप भटनागर
68. डॉ० ओ० पी० बोहरा
69. ,, एम० बेग
70. ,, के० सी० तोशनीवाल

लालसोट तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

188. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लालसोट तहसील (जयपुर) की एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तैयार होकर राज्य सरकार के पास पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा यह योजना कब तक केन्द्र सरकार के पास भेज कर स्वीकृति प्राप्त कर ली जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं। लालसोट तहसील की कोई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना (आर. ई. सी. स्कीम) अभी तक राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये नहीं पड़ी हुई है। राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा एक आर. ई. सी. योजना का प्रारूप तैयार किया गया है जो आवश्यक जांच पड़ताल के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

दौसा कालेज का भवन

189. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा कॉलेज की इमारत कब तक पूरी करा दी जावेगी ?

(2) क्या सरकार वर्त्तमान व्यवस्था से संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपने आश्वासनानुसार इसके भवन को पूर्ण करवा कर स्वतन्त्र रूप से कॉलेज चालू कराने में सफल रही है तथा अब इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) कॉलेज भवन को शीघ्र पूरा कराने हेतु विभाग प्रयत्नशील है।

(2) जी हां।

साहू मिनरल्स प्रॉपर्टी को सरकारी लोन

190. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री केशरीमल)

(1) क्या यह सही है कि साहू मिनरल्स प्रॉपर्टीज, किशनगढ़ और उनकी बर और नरबर मारबल माइन को सरकार की ओर से लोन दिया गया ? यदि हां, तो कितना-कितना रुपया कब दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि मिनरल प्रॉपर्टीज के नाम से चलने वाली नरबर और बर मारबल माइन्स तथा किशनगढ़ फैक्ट्री को उक्त कम्पनी के व्यवस्थापकों ने बन्द कर दिया ?

(3) उपरोक्त कम्पनी को जो कर्ज दिया गया है उससे पूर्व सरकार ने यह जानकारी ली थी कि नहीं कि इस उद्योग का विकास किस प्रकार होगा और पैसा वसूल हो सकेगा या नहीं और क्या सरकार को उनके कथन से दिलजमी हो गई थी कि पैसा वसूल हो जावेगा ?

(4) जिस उद्योग में सरकार का इतना पैसा लगा है और व्यवस्थापकों ने उद्योग को बन्द कर दिया तो उस उद्योग को सरकार अपने अधीन लेकर चालू करने का इरादा रखती है या नहीं ? इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को क्या हिचक है जब कि इसका माल सब से बढ़िया एक्सपोर्ट होने वाला और अद्वितीय है ?

उत्तर

(1) साहू मिनरल्स प्रापर्टीज, किशनगढ़ को उनकी बर और नरबर मारबल माइन के लिए राजस्थान वित्त निगम द्वारा 21 जनवरी, 1971 को 20 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था इसमें से 3,78,200 रु० का ऋण वितरित किया गया जो क्रमश:

दिनांक	रु०
20-10-71	10,000
27-10-71	1,83,800
22-4-72	84,300
30-10-72	87,500
16-11-72	12,600

वितरित किया गया।

(2) जी हां।

(3) उद्योग के विकास के संबंध में उसकी तकनीकी क्षमता और आर्थिक उपादेयता के संबंध में पूर्ण जानकारी ले ली गई थी और पैसा वसूल हो जाने के विश्वास के आधार पर ही उन्हें ऋण स्वीकृत किया गया था।

(133)

(उद्योग मंत्री)

(4) खनिज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्त्तमान में राज्य सरकार के पास ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है। परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

सालेरा तालाब पर व्यय की गई राशि

191. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सालेरा तालाब, गांव सालेरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जा चुकी है ?

(2) उक्त तालाब के निर्माण पर कुल कितना व्यय किये जाने का प्रावधान है और अब कितनी धनराशि व्यय करना अवशेष है ?

उत्तर

(1) सालेरा तालाब, गांव सालेरा, तहसील मावली के निर्माण कार्य पर अब तक अर्थात् नवम्बर, 1973 तक कुल व्यय राज्य सरकार द्वारा रुपया 7,97,915 का खर्च हो चुका है।

(2) उक्त तालाब की अनुमानित लागत 10,50,000 रुपया है। इस प्रकार 2,52,085 रुपया का कार्य करवाना शेष है।

बाड़मेर जिले में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

192. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में किन-किन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ?

(2) क्या निम्न महत्वपूर्ण मार्गों का राज्य सरकार एवं राज्य पथ परिवहन निगम जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण करना जनहित की दृष्टि से उचित एवं आवश्यक समझती है:—

1. बाड़मेर से जैसलमेर,
2. बाड़मेर से चौहटन,
3. बाड़मेर से अहमदाबाद वाया धोरीमन एवं सांचोर,
4. बाड़मेर से गडरा रोड,
5. बाड़मेर से वायतू वाया कवास।

(134)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

यदि हां, तो उपरोक्त मार्गों का कब तक राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर से बाड़मेर वाया कल्याणपुरा, पचपदरा, बातोलरा, सिन्दरी, बाबा मार्ग का राष्ट्रीयकरण 5 फरवरी, 1974 से किया गया है। बाड़मेर जिले में इस मार्ग का जो भाग सम्मिलित है वही अभी तक इस जिले में राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत आया है।

(2) बाड़मेर जिले के निम्नांकित मार्गों के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजनाएं निगम द्वारा राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 25-6-73 में प्रकाशित की जा चुकी हैं:—

1. बाड़मेर–जैसलमेर वाया कपूरी, नीमला, शिव, गूंगा, फतेहगढ़, देवीकोट, हरचन्द्री।
2. बाड़मेर–चौहटन वाया खुरना, नीमड़ी, आकोडा, दादेवा।
3. बाड़मेर–गडरा रोड वाया मारोरी, आतमागांव, पसवर, रामस, गागरिया।

अन्य मार्गों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निगम द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उक्त प्रारूप योजनाओं के विरुद्ध निजी वाहन चालकों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों की सुनवाई संयुक्त विधि परामर्श द्वितीय राजस्थान के पा विचाराधीन है। योजनाओं के अनुमोदित होने पर इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जावेगा।

माण्डल-भगवानपुरा सड़क पर व्यय

193. श्री **विजयसिंह राठौड़** (मांडल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में माण्डल-भगवानपुरा वाया राजपुरा सड़क पर वर्ष 73-74 के बजट में दो लाख पैंतालीस हजार रुपये लगाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इसमें से कितने रुपयों का कार्य अब तक कराया जा चुका है ?

(2) उक्त सड़क पर मिट्टी का काम कहां से कहां तक एवं कितने किलोमीटर बाकी है तथा इस पर कितना कार्य होगा ?

(3) उक्त सड़क पर कितने पुल बनने बाकी हैं ? इन पर कब से पत्थर पड़े हुए हैं और कब से नीवें खुदी हुई हैं तथा इन पर कितना व्यय होगा ?

(4) उक्त सड़क कुल कितने किलोमीटर लम्बी है तथा इसमें से कितने किलोमीटर पर केवल पत्थर का सोलिंग किया हुआ है और कितने किलोमीटर पर बोल्डर फिलिन्ट किया हुआ है जिस पर किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चल सकता ?

(श्री विजयसिंह राठौड़)

(5) उक्त सड़क के लिए अकाल-राहत कार्यों की रकम से जो पत्थर और मिट्टी तुड़वा कर सड़क के बाजू में डाल रखे थे वे अब कहां ले जाये गये हैं ?

(6) सभी तरह के काम बाकी होते हुए भी और बजट में प्रावधान होते हुए भी पूरी रकम उक्त सड़क पर खर्च क्यों नहीं हो पाई ?

(7) क्या यह सही है कि जो रकम इस मद में से इसी सड़क पर खर्च करने की थी वह माण्डल से भगवानपुरा के बीच खर्च नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस सड़क पर वर्ष 1973-74 में रु० 2,45,000 खर्च करने का प्रावधान था किन्तु यह घट कर 12,000 रह गया था। अब तक इस सड़क पर इस वित्तीय वर्ष में रु० 10,474 खर्च किया जा चुका है।

(2) मिट्टी का कार्य किलोमीटर 2 से 8 एवं 11 से 18 तक किया जा चुका है। 6 किलोमीटर में कार्य बाकी है जिस पर लगभग 45,000 रु० व्यय होने का अनुमान है।

(3) 12 पुलियां बनना बाकी हैं। केवल 2 पुलियों पर कुछ पत्थर 1 वर्ष से एकत्रित हैं, केवल एक काजवे की नींव खोदी हुई है, जिसकी लागत करीब 1000 रु० है।

(4) यह सड़क 21 किलोमीटर लम्बी है। केवल 2½ किलोमीटर में सोलिंग लगा कर ग्रेवलिंग किया गया है, जिस पर वाहन चल सकते हैं।

(5) अकालराहत कार्यों में एकत्रित पत्थर व मिट्टी को सड़क की बाजू से कहीं और नहीं ले जाया जा रहा है।

(6) बजट प्रावधान में कटौती होने के कारण उपलब्ध धनराशि अनुसार कार्य कराया गया है।

(7) जी नहीं। यह सही नहीं है।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर का मेन गेट

194. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के मेन गेट से अस्पताल में जाने वाले उन्हीं बीमारों को आज्ञा दी जाती है जिनके पास कारें हैं और आम तौर पर रिक्शों में जाने वाले बीमारों को अस्पताल के बाहर ही वाहन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है ? अगर हां, तो यह भेद किस कारण से है ?

उत्तर

बीमारों के लिये आवागमन की व्यवस्था आउट-पेशेण्ट डिपार्टमेण्ट के सामने वाले गेट से ही है।

राजकीय मोन्टेसरी पाठशाला, जोधपुर का भवन

195. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि शासन सचिव, शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ. 15 (135) ई. डी. यू./बी/64, दिनांक 3 जुलाई, 1975 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को इस शर्त पर चिकित्सा विभाग की मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के निर्माण के लिए राजकीय मोंटेसरी पाठशाला, जोधपुर के भवन को हस्तान्तरित करने के आदेश दिए थे कि चिकित्सा विभाग इसी प्रकार का अन्य स्थान पर भवन बनवाने के लिए पूर्ण धनराशि मुख्य अभियन्ता, जन कार्य विभाग, राजस्थान को प्रदान करेगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि अब 8 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी उपरोक्त पाठशाला के नये भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और यह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां। इनके लिये चिकित्सा विभाग उत्तरदायी है। शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है।

जयपुर शहर नगरपालिका सीमा में दुर्घटनाएं

196. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर नगरपालिका की सीमा में कितनी दुर्घटनायें घटीं ? उन घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई या जख्मी हुए ?

(2) उन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया व कितनों को सजा हुई ?

(3) सजायाफ्ता लोगों में से कितने लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किये गये ? अगर नहीं किये गये तो क्यों ?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(4) क्या यह सत्य है कि शराब पीकर जो लोग बसें, ट्रक या किराये की गाड़ियां चलाते हैं उनका न तो कभी चालान किया गया और न उनके लाइसेंस जब्त किये गये हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कारगर उपाय सोच रही है ? अगर हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1973 में जयपुर नगरपालिका की सीमा में यातायात सम्बन्धी 253 दुर्घटनाएं घटीं, जिनमें 46 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 207 व्यक्ति जख्मी हुए।

(2) उन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में 158 का चालान किया गया, जिनमें से 12 मुल्जिमानों को सजा हुई।

(3) इस सम्बन्ध में 12 ड्राइवरों के लायसेन्स निलंबित किये गये।

(4) जी नहीं। नगरपालिका की सीमा में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए कोई चालक नहीं पाया गया।

(5) यातायात समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति गृह आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसके 11 सदस्य हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई एक योजना भी बनाई जा चुकी हैं। जैसे भारी वाहन को नगर के बाहर निकलने के लिये बनाये गये बाई-पास, ट्रकों के लिये कई जगह बनाये गये ट्रक स्टेण्ड, कच्ची फुटपाथ को पक्का बनाया जाना, वाहनों के पार्किंग के लिये निश्चित स्थानों का चयन करना, सड़कों पर बिजली की रोशनी करना आदि हैं।

कोटा-बारां-शिवपुरी सड़क पर पुलों का निर्माण

197. श्री शिवनारायण (बारां), श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा से बारां होते हुए शिवपुरी मध्य भारत को जोड़ने वाली सड़क पर हमेशा की भांति इस वर्ष भी कालीसिंध व पार्वती नदी की बाढ़ की वजह से यातायात साधन बन्द रहे ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र के व्यापारी व किसानों को भारी संकट से बचाने के लिए दोनों नदियों पर पुलों का निर्माण कब तक कराने का इरादा रखती है ?

(138)

उत्तर

जी हां।

अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

नसीराबाद का अस्पताल

198. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

क्या यह सही है कि नसीराबाद नगर में केन्टोनमेंट बोर्ड का अस्पताल है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे अपने अधिकार में लेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां, इस पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

जिला टौंक में लघु उद्योग निगम द्वारा हस्तशिल्प की योजना

199. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टौंक में लघु उद्योग निगम द्वारा हस्तशिल्प के उत्पादनों के प्रचार एवं प्रसार, निर्यात व प्रोत्साहन की क्या योजना है?

(2) उक्त जिले के हस्तशिल्प के कच्चे माल भण्डार एवं डिजाइन विकास केन्द्र की क्या योजना है?

(3) उक्त जिले में रॉ मेटीरियल डिपो द्वारा कच्चे माल का उपार्जन एवं वितरण कितना हुआ और अब इसके विकास की आगे क्या योजना है?

उत्तर

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा नमदा, दरी बुनाई आदि कार्य के निर्यात एवं प्रोत्साहन हेतु समय-समय पर विभिन्न निर्यातकर्त्ताओं का स्थानीय उत्पादकों से सम्पर्क स्थापित करवाने तथा उनकी मांग के अनुरूप माल तैयार करवाने में योगदान रहा है।

(2) कलाकारों को नई डिजायनें उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय शिल्प बोर्ड द्वारा कलात्मक नमदा व गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। नगीना कटाई का प्रशिक्षण केन्द्र टौंक व निवाई में प्रारम्भ किया गया है। विपणन की दृष्टि से एवं उनके प्रचार-प्रसार एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शनियों में भाग लिया जाता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा हस्तशिल्प उत्पादकों एवं कलाकारों को रु० 4000 तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(उद्योग मन्त्री)

(3) रॉ-मेटीरियल डिपो, टोंक द्वारा 52 टन कच्चे माल का उपार्जन किया गया तथा 32 टन माल का वितरण किया गया। लघु उद्योग इकाइयों की आवश्यकतानुसार इस डिपो के कार्यवहन के विस्तार को परिलक्षित करते हैं।

ग्राम उमर के यूनानी अस्पताल में हकीम व कम्पाउण्डर की व्यवस्था

200. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डौन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम उमर, जिला बून्दी के यूनानी दवाखाने में किस-किस पद के लिये कितने-कितने कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये है ? और इस समय कौन-कौन से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस दवाखाने में हकीम व कम्पाउन्डर नहीं है ? यदि हां, तो कितने समय से व क्यों ? तथा इनकी व्यवस्था कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) स्वीकृत पद हकीम एक तथा चतुर्थ श्रेणी एक है। इस समय हकीम एक एवं चतुर्थ श्रेणी एक कार्यरत हैं।

(2) हकीम कार्यरत हैं। कम्पद का पद स्वीकृत नहीं होने से भेजा जाना सम्भव नहीं।

राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर द्वारा सराय भवन को खरीद

201. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर को पावर-हाउस के पास वाली सराय का भवन कब और कितने रुपयों में बेचा गया ?

(2) क्या उस भवन की राशि राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर के प्रबन्धकों ने राज्य सरकार को चुका दी है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या उपरोक्त भवन को बेचते समय राज्य सरकार ने राजस्थान महिला विद्यालय के प्रबन्धकों के साथ कोई शर्त रखी थी ? यदि हां, तो वह कौनसी शर्त थी और उसको क्या उक्त विद्यालय के प्रबन्धकों ने पूरा किया ?

(4) क्या यह सही है कि उपर्युक्त भवन राजस्थान महिला विद्यालय को किराये पर सन् 1952 में दिया गया था ? यदि हां, तो कितने किराये पर दिया गया था ? क्या यह सही है कि वह किराया राजस्थान महिला विद्यालय के प्रबन्धकों ने आज तक जमा नहीं कराया है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर को पावर-हाउस के पास स्थित नई सराय भवन को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30-9-67 के अधीन 49,780 रुपये में बेच दिया गया।

(2) संस्था की आर्थिक स्थिति खराब होने से उक्त राशि को अभी तक संस्था नहीं चुका पाई है। इस पर अन्तिम निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

(3) भवन को बेचते समय राज्य सरकार ने भवन का मूल्य पांच किश्तों में जमा करने की शर्त रखी थी। इसके अतिरिक्त और कोई शर्त नहीं थी। जी नहीं।

(4) जी हां। उपर्युक्त भवन राजस्थान महिला विद्यालय को सन् 1952 में 40 रुपये मासिक किराये पर दिया गया था। जिस तारीख को सरकार ने उक्त भवन संस्था को बेचने का सिद्धान्ततः निर्णय लेकर संस्था को भवन निर्माण का कार्य करने की स्वीकृति दी तब तक का किराया संस्था द्वारा सरकार को चुकाया जा चुका है।

बीकानेर का ऊन उद्योग

202. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर में कच्ची ऊन उत्पादन एवं प्रोसेसिंग वूलन यार्न मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए वूलन गुड्स जैसे-कम्बलें, जर्सियां, जुराबें, शाल्स, मफलर, गलीचे आदि बनाने हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम अथवा अन्य एजेन्सीज के माध्यम से कार्य किया जाकर रोजगार के नये साधन तैयार किये जा सकते हैं? अगर हां, तो इस दिशा में कार्यक्रम बनाने में क्या बाधाएं हैं तथा उन्हें दूर करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

जी हां।

लघु उद्योग निगम द्वारा कोई योजना लागू नहीं है लेकिन निजी क्षेत्र में ऊनी धागे का कार्य हो रहा है।

भारत सरकार द्वारा ऊनी पावर-लूम का आवंटन न होना, ऊनी होजरियों के लिये आयातित धागा न मिलना तथा निगम की आर्थिक कठिनाइयां मुख्य बाधायें हैं। फिर भी वहां निगम ने मैरीनो ऊन प्राप्त कर उसका धागा बनाकर हाथ कर्घों हेतु आवंटन किया था।

बाईजी का तालाब

203. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में बाईजी का तालाब नाम का एक विशाल कुण्ड है ? यदि हां, तो इसकी लम्बाई, चौड़ाई, गहराई और पानी धारण करने की क्षमता क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तालाब में आजकल पानी नहीं रोका जाता क्योंकि इसकी नहर को जगह-जगह से फोड़ दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस तालाब में पास-पड़ोस के मकानों का गन्दा पानी एकत्रित होता है ?

(4) क्या राज्य सरकार गन्दे पानी की सड़ान्ध को जन-स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद नहीं समझती ? यदि हां, तो इस तालाब की सफाई कराने की क्या योजना है ?

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ में वैद्यों एवं हकीमों के रिक्त पद

204. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर के प्रथम श्रेणी औषधालय में सहायक वैद्य का स्थान रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों व कब से ?

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में इसी तरह जिला आयुर्वेद अधिकारी का स्थान एक वर्ष से रिक्त पड़ा हुआ है परन्तु किसी को भी नहीं लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या झालावाड़ औषधालय में एक यूनानी हकीम का भी स्थान इसी प्रकार कितने ही वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि झालावाड़ के औषधालय के प्रधान वैद्य भी महीने में केवल दो-चार दिन ही यहां रहते हैं ?

(5) इस प्रथम श्रेणी औषधालय की ऐसी दशा क्यों बनाई जा रही है ? इसकी व्यवस्था कब तक ठीक कर दी जावेगी ?

Page No 143

(142)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। केवल 3 माह से पद स्थापन हेतु विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। झालावाड़ में कोई राजकीय यूनानी औषधालय नहीं है। अतः यूनानी हकीम का पद रिक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु आयुर्वेद के प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय में एक हकीम का पद स्वीकृत है जिसपर जून, 1972 से कार्यरत है।

(4) विभाग एवं उच्च विभाग से अवकाश में रहने की वजह से वैद्य जो उपस्थित नहीं रहते हैं जिनके सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही की जा रही है।

(5) औषधालय की व्यवस्था शीघ्र ठीक किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पुस्तकालयों में सुधार

205. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकालयों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है? इसका आधार क्या होता है?

(2) यह अनुदान की राशि कब निश्चित की गई थी? क्या उसके बाद यह राशि कभी बढ़ाई गई?

(3) क्या सरकार इस सालाना राशि को पर्याप्त समझती है? क्या इससे पुस्तकालयों में यथेष्ठ सुधार हो सकता है?

उत्तर

(1) अनुदान नियमानुसार सहायता प्राप्त पुस्तकालयों को उसके मान्य वार्षिक खर्चे के 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक का का अनुदान दिया जाता है जो प्रत्येक संस्था के निश्चित प्रतिशत के हिसाब से है।

(2) अनुदान राशि निश्चित नहीं की गई थी परन्तु प्रत्येक संस्था का प्रतिशत अनुसार वर्गीकरण 1965 में निश्चित किया था।

(3) नियमानुसार जो राशि देय होती है वह पर्याप्त समझ कर ही दी जाती है।

भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर के कत्ल का मामला

206. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री भेराराम, भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर का कत्ल रानीवाड़ा पुलिस थाने के पास कर दिया गया था; जिसका मुकदमा पुलिस थाना रानीवाड़ा में यू./एस. 302 आई. पी. सी. दर्ज रजिस्टर किया गया था ? अगर हां, तो वह कत्ल कब किया गया था एवं मुकदमा कब दर्ज किया गया था ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त संगीन कत्ल के मुख्य अभियुक्त को अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है एवं वह फरार है ? अगर हां, तो कब से ? उसको गिरफ्तार करने के लिये पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां; यह कत्ल दिनांक 8/9-8-1970 की दरमियानी रात 3 व 4 बजे के बीच हुआ था, जिसका मुकदमा नं० 21 दिनांक 9-8-70, धारा 302 आई. पी. सी. पुलिस थाना, रानीवाड़ा पर प्रातःकाल 5 बजे दर्ज किया गया था।

(2) जी हां, मुकदमों से सम्बन्धित मुलजिम जबरसिंह तारीख वारदात से ही फरार है। मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा भरसक प्रयत्न किये गये हैं और अब भी जारी हैं लेकिन मुलजिम द्वारा पाकिस्तान भाग जाने के कारण इसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मुलजिम को इश्तिहारी मुलिजम घोषित किया जाकर दिनांक 21-3-73 को उसकी गिरफ्तारी हेतु 500 रु० का पुरस्कार घोषित किया गया है।

पाली जिले में बाढ़ से सड़कों को क्षति

207. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिले में गत बाढ़ के कारण कौन-कौन सी सड़कों व पुलों को कितना-कितना नुक्सान पहुँचा और उनकी मरम्मत अथवा पुनः निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पाली जिले की सड़कों व पुलियों को गत बाढ़ में जो नुकसान पहुँचा व सहायता मद से जो 34 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, उनकी सूची (अ) प्रस्तुत है।

स्वीकृत सड़कों पर पुनः निर्माण काम चालू है। इस साल में 12 लाख व्यय होने की आशा है।

अन्य सड़कों की मरम्मत मद से यथासम्भव मरम्मत कराया जायेगा।

(144)

पाली जिले में गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

क्रम संख्या	नाम सड़क			अनुमानित क्षति राशि (लाखों में)	मरम्मत हेतु उपलब्ध धनराशि (लाखों में)
1.	पाली-सुमेरपुर सड़क मय क्रोस ड्रेनेज कार्य			15.00	13.40
2.	सादड़ी-रानकपुर सड़क मय क्रोस ड्रेनेज कार्य			8.62	8.62
3.	बर-ब्यावर सड़क मय क्रोस ड्रेनेज कार्य			0.30	0.29
4.	रोहित-जालोर सड़क मय क्रोस ड्रेनेज कार्य			6.00	5.30
5.	सांडेराव-तखतगढ़ सड़क	,,	,,	1.00	0.30
6.	सोजत-बिलाड़ा	,,	,,	1.50	1.25
7.	सादड़ी-पिंडवाड़ा सड़क	,,	,,	2.00	1.55
8.	बर-बिलाड़ा सड़क	,,	,,	3.00	1.34
9.	पाली-बर सड़क	,,	,,	0.70	0.70
10.	सांडेराव-देसूरी सड़क	,,	,,	4.00	1.25
11.	एम. ग्रार. पाली रोड से कुलताना			2.79	—
12.	जोधपुर-पाली रोड			0.28	—
13.	वीटी सांडेराव-तखतगढ़ वाया दूजाना			1.22	—
14.	रानी से मुन्डारा			0.34	—
15.	डामर सड़क सुमेरपुर से तखतगढ़			1.59	—
16.	वीटी सुमेरपुर से जवाई बांध			0.35	—
17.	सुमेरपुर बाजार			0.14	—
18.	जी. ग्रार. सादड़ी से परसराम महादेव			1.15	—
19.	एम. ग्रार. रानी से देसूरी			0.55	—
20.	जी. ग्रार. देसूरी से फूलाद			0.44	—
21.	जी. ग्रार. सरदार समन्द से जादान			0.10	—
22.	जी. ग्रार. सोजत रोड से बागरी			0.05	—
23.	जी. ग्रार. सोजत से राजाला			0.60	—
24.	जी. ग्रार. सोजत से थारासनी			0.10	—
25.	जी. ग्रार. सोजत से रेयरांवास			0.15	—
26.	एम. ग्रार. जैतारण से मेड़ता सिटी			1.16	—
27.	लाम्बिया से ब्यावर			0.10	—
28.	चन्दवाल से तेतारण			0.56	—
29.	एम. ग्रार. जी. ग्रार. सन्देरा से जस्साखेड़ा			0.76	—
30.	एम. ग्रार. वीटी साँडेराव से छग वाया छीतर			1.15	—

जयपुर में चिकित्सा की व्यवस्था

208. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार की दृष्टि में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय व जनाने अस्पताल की व्यवस्था संतोषजनक है ? यदि नहीं, तो सरकार इनके सुधार के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न कर रही है ?

(2) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के पास इसी वर्ष में नया जनाना अस्पताल भवन बनाने का काम प्रारम्भ हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या चौकड़ियो में चलने वाली डिस्पेन्सरियों के भवन पर्याप्त हैं ? यदि नहीं तो क्या भवनों को बदलने या इनमें सुधार किए जाने की योजना है ?

(4) क्या डिस्पेन्सरियों में डॉक्टरों व स्टाफ की संख्या मरीजों के अनुपात में ठीक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु फिर भी इस प्रकार की संस्थाओं में हमेशा सुधार की गुन्जाइश रहती है, जिसके लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।

(2) जी हां, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(3) जयपुर शहर में कार्यरत 15 डिस्पेन्सरियों में से 10 सरकारी भवनों में तथा शेष किराए के भवनों में चल रही हैं। वर्तमान भवन व्यवस्था उपयुक्त है। तीन डिस्पेंसरियों के भवन बनाने के लिए दानदाताओं से सम्पर्क किया जा रहा है।

(4) जी हां, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेवा एवं पदोन्नति नियम

209. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर में सेवा हेतु चयन एवं पदोन्नति के नियम हैं ? यदि हां, तो नियम सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो ऐसे नियम कब तक बना दिये जायेंगे ?

(2) क्या इस बोर्ड में अनुसूचित जाति और जन-जाति के कर्मचारियों के लिये चयन व पदोन्नति स्थानों का प्रावधान है ?

(146)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(3) वर्तमान बोर्ड में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कर्मचारी कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या निर्धारित सुरक्षित पद प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या पूर्ण है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ? बाकी स्थानों को कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में कुल कर्मचारियों की संख्या 403 है।

(अ) अनुसूचित जाति	7
(ब) जन-जाति	—
(स) पिछड़ी जाति	12

इन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के मिलने पर की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कुशलगढ़ क्षेत्र में नकबजनी एवं डकैतियां

210. श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में नवम्बर, 1973 से अब तक कितनी नकबजनी एवं डकैतियों की रिपोर्ट्स पुलिस में दर्ज हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पुलिस ने उक्त नकबजनी एवं डकैतियों में कितने अपराधियों को पकड़ा है एवं कितना माल बरामद हुआ तथा कितनों का अदालत में चालान दिया गया है ?

उत्तर

(1) आरक्षी केन्द्र, कुशलगढ़ के क्षेत्र में तारीख 1-11-73 से तारीख 28-2-74 तक 14 अभियोग नकबजनी अपराधों के घटित हुए हैं। इस अवधि में डकैती का कोई अपराध घटित नहीं हुआ है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त 14 नकबजनी के अपराधों में से केवल एक अभियोग संख्या 114/73 में रुपया 10.59 का माल चोरी गया था जो बरामद हो गया है और इसी अभियोग में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था व इस अभियोग का चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। बाकी 13 अभियोग जेर तफतीश हैं जिनमें माल व मुलजिमों की पतारशी के लिए कोशिश जारी है।

स्टेटमेन्ट बाबत मुकदमात नकबजनी, आरक्षी केन्द्र कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा
दिनांक 1-11-73 से दिनांक 28-2-74 तक

क्रम संख्या	मुकदमा नं०	तारीख	धारा आइ. पी. सी.	माल मशरूका
1.	104	22-11-73	457/380	1510-00
2.	108	29-11-73	458/380	708-00
3.	109	1-12-73	457/380	955-00
4.	111	6-12-73	,,	किताबें
5.	114	20-12-73	,,	10-59
6.	118	29-12-73	,,	154-00
7.	119	29-12-73	,,	29 टीन तेल
8.	120	30-12-73	,,	18-00
9.	4	13-1-74	,,	20-00
10.	8	17-1-74	,,	25-00
11.	10	17-1-74	,,	487-32
12.	12	20-1-74	,,	40-00
13.	16	4-2-74	,,	मूर्ती चोरी
14.	19	20-2-74	,,	390-00

नोटः—एक मुकदमे का चालान किया गया। बाकी 13 मुकदमे जेर तफतीश हैं।

———

(148)

बीकानेर जिले में आयुर्वेद औषधालय

211. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? इनके नाम व ग्राम का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के औषधालयों में समय पर औषधियां नहीं पहुँचती तथा इसकी झज्जू, जसरासर, बादनू, रालीसर, सियाणा आदि ग्रामों की जनता द्वारा शिकायत भी की गई, परन्तु फिर भी औषधियां समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर सिटी, थावरिया तथा गिराजसर आदि ग्रामों में फमीन के टाइम पर अस्थाई औषधालय चालू किये गये थे ? यदि हां, तो इनमें से कितने इस वक्त जनता की सुविधा के लिये चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम थावरिया तथा गिराजसर के औषधालय भवन जनता द्वारा बनाये गये थे तथा जिनका विभाग के नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है ? यदि हां, तो इन भवनों की कितनी कीमत है और ऐसे औषधालयों को स्थाई कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 39 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(3) 6 ग्राम क्रमशः थावरिया, गिराजसर, गोगा गेट, केलासर, कोलायत, जसरूसर गेट में अस्थाई औषधालय खोले गये थे। इनमें से वर्त्तमान में 3 ग्राम क्रमशः जसरूसर गेट, गोगा गेट व केलासर में अस्थाई औषधालय चल रहे हैं। थावरिया ग्राम में अस्थाई औषधालय पुनः चालू करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं।

(4) जी हां, थावरिया औषधालय भवन की लागत 6 से 10 हजार के मध्य तथा गिराजसर औषधालय भवन की लागत 10 से 12 हजार के मध्य है। वर्ष 74-75 की योजना में 25 नवीन औषधालय खोलने के प्रस्ताव हैं। उस समय इन ग्रामों का नाम औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

बीकानेर जिले में चल रहे आयुर्वेदिक औषधालयों/चिकित्सालयों की सूची

1. राजकीय (अ) श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, बीकानेर।
2. राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बीकानेर।

3. राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, नत्थूवास (बीकानेर)
4. राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, पूगल ।
5. ,, ,, मालासर
6. ,, ,, सीथल
7. ,, ,, छतरगढ़
8. ,, ,, केसरदेसर जाटान
9. ,, ,, सत्तासर
10. ,, ,, रामसर
11. ,, ,, खाजूवाला
12. ,, ,, झझू
13. ,, ,, मबकासर
14. ,, ,, खोदासर
15. ,, ,, बज्जू
16. ,, ,, बरसलपुर
17. ,, ,, बीठनोक
18. ,, ,, जांगलू
19. ,, ,, पांचू
20. ,, ,, गोडू
21. ,, ,, कांकड़ा
22. ,, ,, जसरासर
23. ,, ,, जयसिंहदेसर
24. ,, ,, बेरासर
25. ,, ,, देसलसर
26. ,, ,, रासीसर
27. ,, ,, कुचोर आथूनी
28. ,, ,, कक्कू
29. ,, ,, सुरपुरा
30. ,, ,, बादनू
31. ,, ,, सादासर
32. ,, ,, जैतपुर

Page No 151

(150)

33. राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, महादेववाली
34. ,, ,, शेखसर
35. ,, ,, महाजन
36. ,, ,, शेरपुरा
37. ,, ,, सोयासर चौहान
38. ,, ,, गुड़ा
39. ,, ,, गंगाशहर

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक सामा/औषधालय/70/5708 दिनांक 7-9-70

जिला आयुर्वेद अधिकारी,
बीकानेर।

विषय :—अकालग्रसित क्षेत्रों में कार्यरत शिविर औषधालयों के सम्बन्ध में।

अकालग्रसित क्षेत्र में राहत कार्य के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर जो शिविर औषधालय चल रहे हैं, उनको अग्रिम आज्ञा तक बन्द नहीं किया जावे तथा यथावत् चालू रखे जावें :—

1. गिरजासर
2. थावरिया
3. बीकानेर
4. गंगाशहर
5. कोलासर
6. कोलायत
7. जसरूसर गेट

इन स्थानों पर कर्मचारी यथावत् कार्य करते रहेंगे। औषधियां आदि भी यथावत् उपलब्ध करवाई जाती रहें।

जिन भवनों में ये औषधालय चल रहे हैं, वे भवन ग्रामवासियों ने उपलब्ध करवाये हैं। इन भवनों को ग्रामवासियों से विभाग के निमित्त दान-पत्र भरवा कर ले लिये जावें। दान-पत्र विभाग के नाम रजिस्ट्री हो जाने पर इन औषधालयों को स्थाई रूप में रखने का विचार किया जावेगा।

बी० एन० शर्मा,
निदेशक।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 को सूची)

STATEMENT OF VACANCIES IN STATE FAMILY PLANNING DEPARTMENT

S. No.	Name of the Post	No. of Vacancies
1.	Civil Assistant Surgeons	25
2.	Lady Health Visitors	71
3.	Accounts Clerks	3
4.	Computors	10
5.	Auxiliary Nurse Mid-wives	10
6.	F. P. Welfare Workers	33
7.	Block Extension Educators	36+26 posts kept in abeyance
8.	F. P. Health Assistants	79+104 -do-
9.	Urban Extension Executors	6
10.	State Health Transport Officer	1
11.	Dy. Health Transport Officer	1
12.	Works Manager	1
13.	Store Officer	1
14.	Statistician	1
15.	Senior Foreman	1
16.	Service Engineer	1
17.	Stock Verifier	1
18.	Stenographer	1
19.	Asstt. Store-keeper	1
20.	Watchman	1
21.	Gatemen	3
22.	Sweeper	1
23.	Foremen	2
24.	Mechanics Gr. I.	4
25.	Master Electrician	1

(152)

S. No.	Name of the Post	No. of Vacancies
26.	Mechanics Gr. II	11
27.	Welder	1
28.	Painter	1
29.	Fitter Gr. I	1
30.	Fitters Gr. II	4
31.	Blacksmiths	4
32.	Electricians	2
33.	Turners	6
34.	Body Repairers	1
35.	Tinsmiths	4
36.	Serviceman	1
37.	Vulcanisers	2
38.	Junior Technical Asstts.	2
39.	Packers	2
40.	Helpers	2
41.	Cleaners	7
42.	Manager Offset Press	1
43.	Photo Artist	1
44.	Cameraman	1
45.	Holio Offsettor	1
46.	Developer	1
47.	Machanic Operators	2
48.	Asstt. Mechanic Operator	1
49.	Lay-out artist	1
50.	Lect peds	3
51.	Lect H. Educators	5
52.	Lect Demographers	5

क्रमांक	नाम	प्रथम नियुक्ति का		योग्यता	निवास स्थान	पदोन्नति की तिथि
		पद	तिथि			
1.	श्री दिनकर पाण्डे	स० सेवक	19-11-62	मैट्रिक	—	29-5-71
2.	श्री नसीरमोहम्मद शेख	स० सेवक	19-11-62	मैट्रिक	—	15-6-71

APPENDIX 'A

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 156 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

DETAILS REGARDING DIESEL GENERATING SETS OF BARMER POWER HOUSE

Particulars of the Diesel Sets

S. No.	Make	Rated capacity (KW)	Year of mfg.	Derated capacity (KW)	Condition of the set
1	2	3	4	5	6
(A)	*Barmer Old Power House Set :*				
1.	Lister	26 KW	Not available. The set is more than 20 years old	Nil	The set was taken over from the Municipal Board, Barmer. It is very old, OBSELETE and UNSERVICEABLE SET. SURVEY REPORT SUBMITTED.
2.	Lister	32 KW	—do—	Nil	—do—
3.	Lister Black Stone	78 KW	1956	Nil	—do—
4.	Lister Black Stone	78 KW	1956	Nil	—do—

Page No 155

(154)

1	2	3	4	5	6
5.	M. A. N.	120 KW	1955	Nil	It is very old, OBSELETE and UN-SERVICEABLE SET. SURVEY REPORT SUBMITTED.
6.	Cummins	88 KW	Year of mfg. not available. Commissioned on 4-4-67.	Nil	—do—
7.	Cummins	88 KW	Year of mfg. not available. Commissioned on 14-6-67	Nil	—do—
8.	M. A. N.	640 KW	1963	Nil	Survey report being prepared.
9.	M. A. N.	610 KW	1963	200 KW	Survey report being prepared. In working condition. But the sets are wornout requiring heavy repairs and as such run in emergency only.
10.	Lister Black Stone	268 KW	1956	100 KW	Survey report being prepared. In working condition. But the sets are wornout requiring heavy repairs and as such run in emergency only.
11.	Catter Piller	100 KW	1953	50 KW	—do—
12.	Cummins	88 KW	Commissioned on 4-4-67	50 KW	—do—

13.	M. A. N.	120 KW	1956	60 KW	—do—
14.	Catter Piller	50 KW	1956	30 KW	—do—
(B)	*Barmer New Power House :*				
1.	Deutz	1000 KW	1963	600 KW	In working condition.
2.	Deutz	1000 KW	1963	600 KW	—do—

परिशिष्ट–4

. (अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची)

बून्दी जिले में लघु सिंचाई योजनाओं की सूची:—

(क) योजनायें जो पूरी हो चुकी है:—

1. भीमलत
2. पेच की बावड़ी
3. तलवास
4. चटावदी
5. मोतीपुरा
6. रोनिजा
7. बंसोली
8. देई गंगासागर
9. विजयगढ़

(ख) योजनायें जिन पर कार्य शेष है:—

1. अभयपुरा
2. गुढ़ा गोकुलपुरा
3. बाई नहर बरधा
4. सायपुरा
5. शम्भूसागर

———

157

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची)

कोटपूतली तहसील में स्थित विभिन्न सड़कों पर दिनांक जनवरी 72 से मार्च 74 तक स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण-पत्र

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्ष 1971—72 स्वीकृत राशि (रु०)	1971—72 व्यय (रु०)	1972—73 स्वीकृत राशि (रु०)	1972—73 व्यय (रु०)	1973—74 (फरवरी 74 तक) स्वीकृत राशि (रु०)	1973—74 व्यय फरवरी 74 तक (रु०)
अ—	**सार्वजनिक निर्माण विभाग—**						
	1. पावटा से कल्याण पुरा	20,000	15,338	25,000	31,978	10,000	11,747
	2. कोटपूतली-डाबला	—	—	35,000	41,863	40,000	19,950
	3. कल्याणपुरा-बनेठी	10,000	15,340	20,000	15,711	1,000	—
	4. एप्रोच रोड ने. हा. वे. 8 से हरियाणा बोर्डर	1,15,000	1,16,374	5,000	8,569	25,000	10,959
ब—	**केन्द्र योजना कार्य—**						
	1. रिमेटलिंग कोटपूतली-डाबला सड़क	—	—	72,500	72,500	—	—
स—	**अकालराहत कार्य—**						
	1. पूतली से दादू का	—	—	—	—	2,10,000	24,270
	2. बरेड़ा से शुक्लावास	—	—	—	—	1,80,000	9,500
	3. नारेड़ा से हरियाणा बोर्डर	—	—	—	—	4,50,000	31,530
	4. कांसली एप्रोच रोड	—	—	—	—	49,000	10,295

(158)

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न सं० 169 की सूची)

राज्य के पुलिस विभाग में तैनात रसोइयों की जिलेवार सूची

क्रम. सं०	जिला	तैनात रसोइयों की संख्या	हरिजन मेहतर रसोइये
1.	अजमेर	8	
2.	अलवर	5	
3.	भरतपुर	4	
4.	जयपुर	21	
5.	झुन्झुनू	3	
6.	सवाईमाधोपुर	4	
7.	सीकर	3	
8.	टोंक	3	
9.	बीकानेर	7	
10.	चूरू	3	
11.	गंगानगर	5	
12.	बाड़मेर	4	
13.	जैसलमेर	2	
14.	जालौर	2	
15.	जोधपुर	11	
16.	नागौर	2	
17.	पाली	4	
18.	सिरोही	3	
19.	बांसवाड़ा	3	
20.	भीलवाड़ा	4	
21.	बून्दी	3	
22.	चित्तौड़गढ़	4	
23	डूंगरपुर	1	

क्रम संख्या	जिला	तैनात रसोइयों की संख्या	हरिजन (मेहतर) रसोइये
24.	झालावाड़	2	
25.	कोटा	8	
26.	उदयपुर	11	
27.	रैल्वे पुलिस	4	
28.	पी० टी० सी०, किशनगढ़	11	
29.	पुलिस वायरलैस	6	
30.	प्रथम गण आर० ए० सी०	16	
31.	द्वितीय गण आर० ए० सी०	20	
32.	तृतीय गण आर० ए० सी०	19	
33.	चौथी गण आर० ए० सी०	19	
34.	पांचवीं गण आर० ए० सी०	20	
35.	छठी गण आर० ए० सी०	20	
36.	एम० बी० सी०, खेरवाड़ा	7	
37.	ए० सी० डी०	—	

———

शुद्धि-पत्र

गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्धि	शुद्धि
1	2		3	4
6	नीचे से	2	ब्रीज	ब्रीच
7	ऊपर से	12	ब्रीज	ब्रीच
7	नीचे से	3, 9 एवं 15	पुलिया	पुलियाएँ
10	ऊपर से	7	स्थानान्तर	स्थानान्तरण
198	नीचे से	6	कैपीटल	कैपीटा